इण्डियन ओवरसीज बैंक
केंद्रीय कार्यालय,763,अण्णा सालै,चेन्नै- 600 002

Indian Overseas Bank
Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2007-2008

निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS

श्री एस.ए.भट अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	**Shri S.A. Bhat** Chairman and Managing Director
श्री ए वी दुगाडे कार्यपालक निदेशक (दिनांक 31.03.2008तक)	**Shri A.V. Dugade** Executive Director (till 31.03.2008)
श्री जी.नारायणन कार्यपालक निदेशक (दिनांक 07.11.2007 से)	**Shri G. Narayanan** Executive Director (from 07.11.2007)
डॉ.शशांक सक्सेना सरकारी नामिती निदेशक	**Dr. Shashank Saksena** GOI Nominee Director
श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन भा रि बैंक के नामिती निदेशक	**Smt. Chitra Chandramouliswaran** RBI Nominee Director
श्री नटेसन श्रीधरन कर्मकार कर्मचारी निदेशक	**Shri Natesan Sridaran** Workmen Employee Director
श्री जे.डी. शर्मा अधिकारी कर्मचारी निदेशक	**Shri J.D. Sharma** Officer Employee Director
श्री एम रवींद्र विक्रम भारत सरकार द्वारा नामिती (सनदी लेखाकार वर्ग)	**Shri M. Ravindra Vikram** Nominated by the GOI (Chartered Accountant Category)
श्री सूरज खत्री भारत सरकार द्वारा नामिती	**Shri Sooraj Khatri** Nominated by the GOI
श्री एम. एन. कंदस्वामी भारत सरकार द्वारा नामिती	**Shri M.N. Kandaswamy** Nominated by the GOI
श्री एम. एन. वेंकटेशन शेयरधारक निदेशक	**Shri M.N. Venkatesan** Shareholder Director
श्री अशोक कुमार भार्गव शेयरधारक निदेशक	**Shri Ashok Kumar Bhargava** Shareholder Director
श्री चिरंजीब सेन शेयरधारक निदेशक	**Shri Chiranjib Sen** Shareholder Director

श्री के. सुन्दर राजन उप महा प्रबंधक एवं मंडल सचिव	**Shri K. Sundar Rajan** Deputy General Manager & Board Secretary

लेखा परीक्षक

एस के सिंघानिया ऐण्ड कं.
एसआरआरके शर्मा एसोसिएट्स
आर एस सिपय्या ऐण्ड कं.
महराज एनआर सुरेश ऐण्ड कं
वैदीश्वरन ऐण्ड कं
ओम अग्रवाल ऐण्ड कं

AUDITORS

S K Singhania & Co
SRRK Sharma Associates
R S Sipayya & Co
Maharaj N R Suresh & Co
Vaithisvaran & Co
Om Agarwal & Co

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेस लि.(यूनिट - आइ ओ बी)
सुब्रमणियन बिल्डिंग, पहली मंज़िल
न.1, क्लब हाउस रोड
चेन्नै - 600 002
टेलिफोन- 044-28460390(छह लाइनें),28460084, 28460395
फैक्स- 044-28460129
ई-मेल :cameo@cameoindia . com

Registrar & Share Transfer Agent

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building,
I Floor, No.1, Club House Road,
Chennai - 600 002
Tel : 044 - 28460390 (Six Lines) 28460084, 28460395
Fax: 044 - 28460129
e-mail : cameo@cameoindia.com

इण्डियन ओवरसीज बैंक Indian Overseas Bank

केंद्रीय कार्यालय,763,अण्णा सालै,चेन्नै- 600 002 | Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 2007-2008

विषय-वस्तु CONTENTS

विषय-वस्तु Contents	पृष्ठ सं Page No.	विषय-वस्तु Contents	पृष्ठ सं Page No.
अध्यक्ष की डेस्क से From the Chairman's desk	3	कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र Auditors' Certificate on Corporate Governance	56
शेयरधारकों को सूचना Notice to Shareholders	7	वार्षिक लेखे Annual Accounts	64
परिणाम - एक झलक में Results at a Glance	12	नकद प्रवाह विवरण एवं लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र Cash Flow Statement & Auditors' Certificate	122 124
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	13	लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	126
प्रबंधन विचार - विमर्श और विश्लेषण Management Discussion and Analysis	20	प्रॉक्सी फार्म Proxy Form	129 130
वर्ष 2007-08 के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट Report of the Board of Directors on Corporate Goverance for the Year 2007-08	34	उपस्थिति पर्ची Attendance Slip	

वित्तीय कैलेण्डर Financial Calendar

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 के लिए		For the Financial Year 1st April 2007 to 31st March 2008	
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	15.05.2008 से 19.05.2008	Posting of Annual Report	15.05.2008 to 19.05.2008
लेखा बंदी की तारीखें	07. 05.2008 (बुधवार) से 13. 05.2008 (मंगलवार) (दोनो दिन शामिल है)	Book Closure Dates	07.05.2008 (Wednesday) to 13.05.2008 (Tuesday) (both days inclusive)
प्रॉक्सी फार्म की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि	09.06.2008 (सोमवार) 17.00 बजे	Last date for Receipt of Proxy forms	09.06.2008 (Monday) 17:00 Hrs
वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख	14. 06.2008(शनिवार)सुबह 11.00बजे	Date of AGM	14.06.2008 (Saturday) 11.00 A.M.
लाभांश की घोषणा	14. 06. 2008 (शनिवार)	Declaration of dividend	14.06.2008 (Saturday)
लाभांश अदायगी तारीख को या उपरान्त	24.06.2008	Dividend Payment date on or after	24.06.2008
लाभांश अधिपत्र प्रेषण की संभाव्य तारीख	20.06.2008 से 24.06.2008	Probable Date of Despatch of Dividend Warrants	20.06.2008 to 24.06.2008

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का पत्र
LETTER FROM THE CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

श्री एस. ए. भट
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
Shri S.A. BHAT
Chairman & Managing Director

वर्ष 2007-2008 के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं वर्ष के दौरान बैंक की उपलब्धियों और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगा।

अमेरिका में आर्थिक मंदी, तेल की कीमत में वृद्धि के साथ खाद्य कीमत में बढ़ोत्तरी जैसे वैश्विक कारकों के कारण मंदन के होते हुए वर्ष 2007-2008 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 8.7% की वृद्धि दर्ज हुई। मार्च 2008 के अंत तक विदेशी मुद्रा आरक्षितियां बढ़ कर यूएस डॉलर 309.7 बिलियन हो गई जो 2007-08 के दौरान पूंजी के बहाव की सतत् मजबूती दर्शाता है। 2007-08 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान मर्केन्डाइज निर्यात यूएस डॉलर में 22.8% बढ़ी जबकि आयात में 30.1% की वृद्धि हुई। बीएसई सेन्सेक्स वर्ष के दौरान मार्च 2007 के अंत में 13072 से मार्च 2008 के अंत तक 15644 तक 19.7% बढ़ा और जनवरी 2008 में सबसे अधिक 21207 तक पहुँचा।

बैंक का वैश्विक कारोबार 31 मार्च 2008 तक 1,45,384 करोड़ तक पहुँचा जबकि निवल लाभ वर्ष के अंत तक रु.1202.34 करोड़ तक पहुँचा और वर्ष दर वर्ष 19.23% की वृद्धि दर्ज हुई।

यह वास्तव में बहुत ही गर्व की बात है कि आपके बैंक को उत्कृष्टता की तलाश में सफलता को मान्यता मिली है। केपीएमजी और वित्तीय एक्सप्रेस - अर्नस्ट एण्ड यंग - बिजनेस टुडे द्वारा किए गए सर्वेक्षण में आपके बैंक को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और आपका बैंक भारत के विकास के इतिहास का चमकता सितारा बन गया है।

बैंक के निष्पादन को देखें तो वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक की जमाओं में 22.67% की अच्छी वृद्धि हुई और यह रु.84,326 करोड़ रही अर्थात् वास्तविक रूप से रु.15586 करोड़ की वृद्धि हुई जब कि सकल अग्रिमों में वर्ष दर वर्ष 27.41% की वृद्धि दर्ज की गई और यह रु.61058 करोड़ रही अर्थात् वर्ष के दौरान रु.13135 करोड़ की वृद्धि हुई।यह जमाओं के लिए 22.2% और गैर-खाद्य उधार के लिए 22.3% के उद्योग वार वृद्धि की तुलना के साथ अनुकूल रही। रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर उधार जमा अनुपात में 72.41% का उच्च स्तर दर्ज किया गया। बैंक का निवल निवेश वर्ष 2006-07 के रु.23,974 करोड़ से बढ़कर रु.28,475 करोड़ हुआ।

It gives me great pleasure to present your Bank's Annual Report and financial statements for the year 2007-08. I would like to briefly highlight some key issues and achievements of the Bank during the year.

The Indian economy recorded a growth of 8.7% during the year 2007-08 with the deceleration attributable to global factors such as economic slowdown in the US, high oil prices combined with rising food prices. Foreign exchange reserves increased to USD 309.7 billion by end March 2008 indicative of the sustained strength of capital flows during 2007-08. Merchandise exports increased by 22.8% in US dollar terms during 2007-08 (April – February) while imports showed an increase of 30.1%. The BSE Sensex increased by 19.7% during the year from 13072 at end March 2007 to 15644 at end March 2008 and touched an all time high of 21207 in January 2008.

The Bank's global business reached Rs 1,45,384 crore as at 31st March 2008 while the Net Profit reached a level of Rs 1202.34 crore at the end of the year registering an increase of 19.23% y-o-y.

It is indeed a matter of great pride that your Bank has received acknowledgment of our success in the quest for excellence. Your Bank is proud to star in the India growth story being ranked No. 1 among Public Sector Banks in India by Business Today – KPMG survey and Financial Express – Ernst & Young survey.

Coming to the performance of the Bank, the Deposits of the Bank registered an healthy y-o-y growth of 22.67% during the year 2007-08 and stood at Rs. 84,326 crore, an increase in absolute terms of Rs. 15,586 crore while Gross Advances registered a y-o-y growth of 27.41% and stood at Rs. 61,058 crore, an increase of Rs. 13,135 crore during the year. This compares favourably with the industry-wise growth rates of 22.2% for Deposits and 22.3% for Non-food Credit. The CD Ratio registered high level of 72.41% as at the end of the reporting period. Net investments of the Bank increased to Rs. 28,475 crore from Rs. 23,974 crore in 2006-07.

जैसा कि पहले ही सूचित किया गया है कि कुल कारोबार स्तर रु.1,45,384 करोड़ रहा, जिसमें पिछले वर्ष के आँकडों से 24.62% अधिक की बढ़ोत्तरी रही । कारोबार आकार में उच्च वृद्धि से बैंक का कार्यनिष्पादन लाभप्रद रहा । बैंक ने वास्तव में वर्ष 2007-08 के दौरान कुल कारोबार की वृद्धि में सिस्टम की अपेक्षा बेहतर निष्पादन दर्ज किया।

बैंक ने रु.2000 करोड़ के लक्ष्य को पारकर रु.2002 करोड़ का उल्लेखनीय वैश्विक परिचालन लाभ दर्ज किया, जो कि बैंक के इतिहास में प्रमुख उपलब्धि है। कारोबार के परिमाण में विस्तार और क्षमता स्तर में सुधार के कारण परिचालनगत लाभ प्रशंसनीय रूप से 28.32% रहा। बैंक का निवल लाभ अग्रिमों से लाभ और गैर-ब्याज आय में सुधार के ज़रिए वर्ष 2006-07 में रु.1008 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2007-08 में रु.1202 करोड़ रहा। निदेशक मंडल द्वारा वर्ष 2007-08 के लिए 32% लाभांश की सिफारिश की गई हैं।

बैंक के लिए निर्यात उधार निरन्तर केन्द्रित क्षेत्र बना रहा। बैंक का निर्यात अग्रिम मार्च 2008 की समाप्ति पर रु.2517 करोड़ रहा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशानुसार, बैंक ने आधार के रूप में मार्च 2007 के निवल बैंक उधार को लेते हुए वर्ष 2007-08 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र उधार में निर्धारित किए गए मानदण्डों को निरन्तर प्राप्त करता रहा । निवल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में निवल बैंक उधार की प्रतिशतता 45.85% रही। कृषि अग्रिम के प्रति समायोजित निवल बैंक उधार का अनुपात 18% मानदण्ड से अधिक 18.93% प्रतिशत रहा। बैंक के कृषि उधार पोर्टफोलियो में रु.589.43 करोड की वृद्धि दर्ज की गई, जो समीक्षाधीन वर्ष में रु.8099.47 करोड़ से बढ़कर रु.8688.90 करोड़ हुआ। बैंक ने इस क्षेत्र को उधार प्रवाह बढ़ने हेतु अनेक कदम उठाए । 31 मार्च 2008 को एसएमई क्षेत्र में बैंक का कुल उधार रु.7541 करोड़ रहा। वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा निवर्तमान माइको-बॉस्क लि. (अब बॉस्क लि. के रूप में जानी जाती है) के साथ आइओबी-टूल्स योजना शुरु की गई। इसमें पर्याप्त रूप से बढ़ोत्तरी हुई और तमिलनाडु, जहाँ इसे शुरु किया गया, के अलावा इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया गया है।

मैं कुछ अनुपातों पर प्रकाश डालना चाहूँगा जो कि विगत कुछ वर्षों से बैंक की दिशा को इंगित कर रहे हैं।

पहला, औसतन नेटवर्थ पर आय। औसतन नेटवर्थ की प्रतिशतता के रूप में बैंक का निवल लाभ 31-03-2007 को 29.11% की तुलना में 31-03-2008 को 27.91% प्रतिशत रहा।

कुल निवल ब्याज आय में पिछले वर्ष के रु.2561 करोड़ की तुलना में रु.2679 करोड़ सुधार हुआ, 5% के लगभग मामूली वृद्धि हुई। बैंक वर्ष के लिए अपने निवल ब्याज मार्जिन को 3.29% की दर से बनाए रखने में समर्थ रहा। अनर्जक आस्ति खातों में पर्याप्त वसूली के साथ अग्रिमों पर आय में बढ़ोत्तरी और 27.41% की उच्च उधार वृद्धि के कारण बैंक की कुल आय वृद्धि दर 41.11% रही। बैंक ने दिनांक 15-02-2007 को अपने बीपीएलआर को संशोधित कर 12.5% किया और इसे दिनांक 09.04.2007 को बढ़कर 13.25% किया। बीपीएलआर बिना किसी संशोधन के उसी स्तर पर जारी है। इसके फलस्वरूप, बैंक की कुल ब्याज अर्जन में वर्ष 2006-07 में रु.5832.07 की तुलना में वर्ष 2007-08 में रु.7968.25 करोड़ की बढ़ोत्तरी हुई।

हम भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार अन्तरराष्ट्रीय कारोबार करने वाले बैंक के रूप में 31 मार्च 2008 से परिशोधित नई पूँजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल II) में प्रव्रजन कर चुके हैं।

The total business level as informed earlier stood at Rs.1,45,384 crore, an increase of 24.62% over last year's figure. The Bank's performance has been rewarding with the volume of business recording high growth. The Bank has in fact perfomed better than the system in the growth of total business during 2007-08.

The Bank posted an impressive global Operating Profit of Rs. 2,002 crore crossing the Rs. 2000 crore mark, a major milestone in the history of the Bank. The growth in operating profit at 28.32% was appreciably high due to expansion in volume of business and improvement in efficiency levels. The Bank's Net Profit rose from Rs. 1,008 crore in 2006-07 to Rs.1,202 crore in 2007-08 through improvement in yield on advances and non-interest income. A dividend of 32% has been recommended by the Board of Directors for the year 2007-08.

Export credit continues to be a focus area for the Bank. The export advances of the Bank at the end of March 2008 stood at Rs. 2517 crore.

As per RBI's revised guidelines, the Bank continues to achieve the stipulated norm in priority sector credit for the year 2007-08 taking Net Bank Credit of March 2007 as the base. The percentage of net priority sector advances to net bank credit was at 45.85%. The Bank's ratio of agricultural advances to adjusted net bank credit at 18.93% exceeded the 18% norm. The agricultural credit portfolio of the Bank registered a growth of Rs.589.43 crore from Rs. 8,099.47 crore to Rs. 8,688.90 crore in the year under review. The Bank took a number of initiatives to increase the flow of credit to this sector. The total exposure of the Bank as on March 31, 2008 to SME sector stood at Rs. 7,541 crore. During the year, the IOB – Tools Scheme launched by the Bank with the erstwhile MICO – BOSCH Ltd. (now known as BOSCH Ltd.) picked up substantially and apart from Tamilnadu where it was launched, has also been extended to other states.

I would like to highlight a few ratios which indicate the direction the Bank has been taking in the last few years.

First, the Return on Average Networth. The Bank's Net Profit as a percentage of Average Networth as of 31.03.2008 stood at 27.91% as against 29.11% as of 31.03.2007.

Total Net Interest Income improved to Rs. 2,679 crore when compared to Rs. 2,561 crore last year, at a marginal growth of about 5%. The Bank has been able to maintain its Net Interest Margin at 3.29% for the year. The Bank's total income clocked a growth rate of 41.11% due to higher credit growth at 27.41% and increased yield on advances with substantial recoveries in NPA accounts. The Bank had revised its BPLR to 12.5% on 15.02.2007 and raised the same to 13.25% on 09.04.2007. The BPLR continues at this level without revision. Consequently, the total interest earnings of the Bank increased to Rs.7,968.25 crore in 2007-08 compared to Rs.5,832.07 crore in 2006-07.

As a Bank with international presence, we have migrated to the revised New Capital Adequacy Framework (BASEL II) from 31st March 2008 in line with RBI guidelines.

रूपरेखा के अनुसार बैंक द्वारा रखी जाने वाली पूंजी, 31 मार्च 2008 तक ऋण और बाज़ार जोखिम के लिए बेसल I रूपरेखा के अनुसार अभिकलित न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के 100% के विवेकपूर्ण धरातल के अनुसार है। अत: क्रिसिल आइसीआरए, केयर जैसी बाहरी रेटिंग एजेन्सियों द्वारा रेटिंग का लाभ अब उपलब्ध नहीं है।

बेसल II की रूपरेखा के अनुसार दिनांक 31-03-2008 को सीआरएआर 11.62% निकाला गया। चूँकि न्यूनतम विवेकपूर्ण मानदण्ड दिनांक 31-03-2008 से लागू हैं, बैंक को उधार जोखिम में राहत उपलब्ध नहीं है और सीआरएआर विवेकपूर्ण धरातल के अनुरूप 11.13% होना है। यह 9% की विनियामक अपेक्षा से अधिक है।

वास्तविक रूप से सकल एनपीए मार्च 2007 मे रु.1120.21 करोड़ से घटकर मार्च 2008 में रु.996.95 करोड़ हो गया यानि 11%। प्रतिशत में देखें तो वर्ष के दौरान सकल अनर्जक अनुपात 2.34% से घटकर 1.63% हो गया और निवल अनर्जक आस्ति अनुपात 0.60% रहा।

हमेशा की तरह बैंक के लिए रिटेल बैंकिंग केन्द्रित क्षेत्र बना रहा है। आपका बैंक हमेशा बाज़ार में अग्रणी और ग्राहक सेवा और बैंकिंग उद्योग में उत्पाद की पहल करने का आकांक्षी रहता है। बैंक द्वारा प्रस्तावित अनेक उत्पादों को बढ़ाने के लिए, वर्ष 2007-08 के दौरान नए उत्पाद विकसित किए गए हैं जिनमें आइओबी सिल्वर, एमएनसी के कर्मचारियों के वेतन खाते, बडी भारतीय कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतन खाते, उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के एसबी खातों को लक्षित करते हुए आइओबी एसबी गोल्ड प्रीमियम, प्रोपराइटर संस्था के खातों, साझेदारी फर्म, लिमिटेड कंपनियों, न्यास क्लब, संघ, सरकारी विभाग के खातों के लिए आइओबी सीडी क्लासिक / आइओबी सीडी सुपर । लिक्विडिपॉज़िट - यह योजना बचत बैंक से सावधि जमा और वापस एक सीमा तक शेष के स्वयमेव अन्तरण की सुविधा देती है । आरडी गोल्ड योजना - इस योजना में आवर्ती जमा और ईजी जमा योजना की मुख्य बातें शामिल हैं और परिपाक जमा के परिपाक मूल्य के बराबर मूल्य के स्वर्ण सिक्के दिए जाते हैं, निजी दुर्घटना बीमा योजना, अपार्टमेंट नवीकरण योजना, प्रतिगामी बंधक योजना, आइओबी के ग्राहकों के लिए देशीय यात्रा बीमा पैकेज और पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ऋण।

बैंक ने अपने म्युचुअल फण्ड के विपणन के लिए सात म्युचुअल फण्डों से गठजोड़ किया। पिछले वर्ष के दौरान बैंक ने दो और म्युचुअल फण्डों से गठजोड़ किया।

बैंक द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित नए कार्य किए गए :-

क. बैंक ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेन्स कं.लि. के साथ संयुक्त रूप से 19% की ईक्विटी साझेदारी सहित गैर जीवन कारोबार किया।

ख. बैंक, नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद मेसर्स जे.एम.फाइनेन्शियल लि. द्वारा प्रवर्तित आस्ति पुनर्निमाण कम्पनी की प्रदत्त पूंजी के 10% से अधिक की साझेदारी प्राप्त करने वाला है।

ग. बैंक ने आइओबी संपूर्णा प्रायोजना के नाम से एक नवोन्मेषी ग्रामीण विकास प्रायोजना आरंभ की है। यह ग्रामीण आबादी का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए समग्र ग्रामीण विकास के उद्देश्य से बनाई गई है।

घ. निष्ठापूर्वक मूल्यांकन और विनियामक तथा संबंधित सांविधिक प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त पर बैंक को मेसर्स श्री सुवर्ण सहकारी बैंक लि., पुणे (अधिस्थगन के तहत) की आस्तियों व देयताओं का अधिग्रहण करना है ।

As per the Framework, capital maintained by banks is subjected to a prudential floor of 100% of minimum capital requirement computed as per BASEL I framework for credit and market risks as on 31st March 2008. As such the benefit of rating by External Rating Agencies like CRISIL, ICRA, CARE is not available now.

CRAR as per BASEL- II framework as on 31.3.2008 works out to 11.62%. Since prudential floor norms is applicable as on 31.3.2008, the relief in Credit Risk is not available to the Bank and the CRAR subject to prudential floor works out to 11.13%. This is above the regulatory requirement of 9%.

Gross NPA declined in real terms to Rs. 996.95 crore in March 2008 from Rs.1,120.21 crore in March 2007, i.e., by 11.00%. In percentage terms, the Gross NPA ratio was reduced to 1.63% from 2.34% and Net NPA ratio stood at 0.60% during the year.

Retail Banking has been a focus area for the Bank, as always. Your Bank has always aspired to be a market leader and an icon for customer service and product initiatives in the banking industry. To add to the wide range of products that the Bank offers, new products have been developed during the year 2007-08 including IOB Silver - Salary Accounts of employees of MNCs, large Indian companies and PSUs, IOB-SB Gold - Premium S.B. account targeted at High Networth Individuals, IOB-CD Classic / IOB-CD Super - Accounts of proprietary concern, partnership firm, Limited companies, Trust, Clubs, Association, Govt. departments, Liquideposit - a scheme to provide automatic transfer of balances over a threshold limit from S.B. to term deposit and back, RD Gold scheme - This scheme combines the features of RD and Easy deposit schemes and on maturity gold coins are given equivalent to the maturity value of the deposits, Personal accident Insurance scheme, Apartment Renovation scheme, Reverse Mortgage scheme, Domestic Travel Insurance Package for IOB Customers and Loan for Pilot Training programme.

Bank had tie-ups with seven Mutual Funds for marketing their Mutual Fund products. During the last year Bank entered into tie-up with two more Mutual Funds.

The new initiatives taken by the Bank during the year under review include :-

a) The Bank entered into non life insurance business with equity participation of 19% in a joint venture – Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.

b) The Bank is to acquire a stake of not less than 10% of the paid up capital of the Asset Reconstruction Company promoted by M/s. J M Financial Limited, subject to the obtention of regulatory approvals.

c) The Bank has launched an innovative rural development project called IOB Sampoorna Project aimed at Total Village Development to ensure all-inclusive growth of rural population.

d) The Bank to takeover only the Assets and Liabilities of M/s. Shree Suvarna Sahakari Bank Ltd., Pune (under moratorium) subject to due diligence evaluation and approval from the Regulatory and Statutory authorities concerned.

अपने नाम के अनुरूप बैंक ने विदेशों में अपनी उपस्थिति को अपने ग्राहकों के लाभ के लिए काम में लाने का पूरा प्रयास किया है। थाईलैण्ड में बैंकाक शाखा के बैंक में वापस लिए जाने और भारत ओवरसीज़ बैंक लि. का अधिग्रहण करने से अब बैंक की छह ओवरसीज़ शाखाएं हैं - दो हांगकांग में और सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और थाईलैण्ड में एक-एक। बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय गुआंगजू, चीन और क्वालालम्पुर, मलेशिया तथा हो चि मिन्ह सिटी, वियतनाम में स्थित हैं जो इसी वर्ष के दौरान खोला गया।

बून ले और सिरंगून, सिंगापुर में प्रेषण केन्द्र काम कर रहा है और एक उप-शाखा श्रीलंका में है। बैंक ने यूएई एक्सचेंज केन्द्र में तीन अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है जो भारत में बैंक की शाखाओं और बैंक के अनिवासी ग्राहकों के बीच संपर्क बनाते हैं। बैंक ने न्यूजीलैंड में एक कार्यालय खोलने और दुबई में एक प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है और इन कार्यालयों को स्थापित करने का कार्य जारी है। बैंक क्वालालम्पुर, मलेशिया और गुआंगजू चीन में स्थित वर्तमान प्रतिनिधि कार्यालयों का उन्नयन करने की योजना बना रहा है।

मुझे आपको बैंक के समग्र कारोबार के दो अन्य संकेतकों के बारे में बताते हुए हर्ष हो रहा है - प्रति कर्मचारी कारोबार और प्रति कर्मचारी लाभ का स्तर दोनों में काफ़ी सुधार हुआ है। प्रति कर्मचारी कारोबार रु.4.67 करोड़ से बढ़ कर रु.5.83 करोड़ हो गया है अर्थात 24.84% की वृद्धि हुई है, प्रति कर्मचारी लाभ रु.4.04 लाख से बढ़कर रु.4.82 लाख हुआ है अर्थात् 19.31% की वृद्धि हुई है। बैंक शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध का वातावरण बनाए हुए है ।

बैंक में अंतर्निहित मज़बूती और इसके विकास को मान्यता देते हुए स्टैण्डर्ड एण्ड पुअर्स ने जो एक प्रतिष्ठित वैश्विक रेटिंग ऐजेन्सी है, बैंक की रेटिंग को पुन: "बीबीबी-स्टेबल" रेटिंग दी है जो भारत के लिए सर्वोच्च रेटिंग के समान है।

वर्ष 2008-09 की भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक नीति में निर्धारितानुसार भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रयास होगा कि वर्ष 2008-09 में मुद्रास्फीति के वर्तमान 7.0% से ऊपर के ऊंचे स्तर को 5.5% तक लाया जाए। वर्ष 2008-09 के लिए जीडीपी वृद्धि 8.0% से 8.5% के बीच बताई गई है।

आगे देखा जाए तो वैश्विक वित्तीय प्रणाली अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी जैसे प्रतिकूल अन्तरराष्ट्रीय परिवर्तनों से प्रभावित नज़र आती है। देशीय स्तर पर देखें तो अर्थव्यवस्था के चालू आकलन को ध्यान में रखते हुए, जिसमें आनेवाले वर्ष में मुद्रास्फीति और विकास के लिए प्रावधान शामिल है, आपका बैंक हमेशा की तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति बढ़ने के लिए अपना पूरा प्रयास करने में जुटा है। हमारे शेयरधारकों के लिए मूल्यवर्द्धन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और अपने हर नए कार्य को आरंभ करते समय बैंक का ध्यान इसी बात पर रहता है। आपके बैंक को बैंकिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा चमकाने और ऊंचाइयों तक पहुंचाने और उच्चतर मानक प्राप्त करने के अपने प्रयास में हमें आपका पूरा समर्थन और प्रोत्साहन मिलेगा इसका हमें पूरा विश्वास है।

भवदीय

एस ए भट

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

True to its name, the Bank has always striven to leverage its overseas presence to the advantage of its customers. With the Bangkok branch in Thailand coming back to the Bank's fold following the takeover of Bharat Overseas Bank Ltd., we have six full-fledged overseas branches – two in Hong Kong and one each in Singapore, South Korea, Sri Lanka and Thailand. The Bank's Representative Offices are located in Guangzhou (China), Kuala Lumpur (Malaysia) and at Ho Chi Minh City (Vietnam), which was opened during the year under review. Remittance Centres function in Boon Lay and Serangoon, Singapore while an Extension Counter is located in Sri Lanka. The Bank has deputed three officers at the UAE Exchange Centres who liaise between branches in India and the NRI clientele of the Bank. The Bank has obtained approval from RBI to open a branch at New Zealand and a Representative Office at Dubai and the groundwork for setting up these offices is in progress. The Bank has plans to upgrade the existing Representative offices in Kuala Lumpur, Malaysia and Guangzhou, China into full-fledged branches.

I am very pleased to share with you two other indicators of the overall business growth of the Bank – the business per employee and profit per employee levels, both of which have shown considerable improvement. While the business per employee has improved from Rs 4.67 crore to Rs. 5.83 crore, an increase of 24.84 %, the profit per employee has risen from Rs 4.04 Lacs to Rs 4.82 Lacs, an increase of 19.31%. The Bank is maintaining harmonious industrial relations climate.

In recognition of the inherent strength and the Bank's growth, Standard & Poor's, the most reputed global rating agency, has re-affirmed its rating of the Bank at 'BBB - Stable' on par with the Sovereign Rating for India.

RBI's policy endeavour as set out in their Annual Policy 2008-09, would be to bring down inflation from the current high level of above 7.0% to around 5.5% in 2008-09. GDP growth projection for 2008-09 is placed in the range of 8.0% to 8.5%.

As we look ahead, the outlook for the global financial system is overcast by the adverse international developments particularly the slowdown in the US economy. On the domestic front, keeping in view the current assessment of the economy including the outlook for growth and inflation for the year ahead, your Bank, as always, is poised to contribute its best to the growth momentum of the Indian economy. Value addition for our shareholders is an important highlight that the Bank focuses on in all its initiatives. In our endeavour to scale greater heights and achieve higher standards of excellence so as to ensure that your Bank shines the brightest in the banking firmament, we are confident of your support and encouragement.

Yours sincerely,

S A BHAT

Chairman and Managing Director

शेयरधारकों को सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की आठवीं वार्षिक सामान्य बैठक शनिवार 14 जून, 2008 को प्रात: 11.00 बजे नारद गान सभा, (सद्गुरु ज्ञानानंद हाल), 314, टीटीके रोड, चेन्नै - 600 018 में निम्नलिखित व्यवसाय हेतु आयोजित की जाएगी ।

1. 31 मार्च, 2008 की स्थिति अनुसार बैंक के तुलन-पत्र, 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे, लेखा अवधि के दौरान बैंक के क्रियाकलापों और कार्य-व्यवहार पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र तथा लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन और स्वीकार करना ।

2 वित्त वर्ष 2007-08 के लिए लाभांश घोषित करना ।

3 मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की शेयर सूची में हमारे शेयरों का निष्कासन कराने का अनुमोदन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त हो तो आशोधन सहित या बगैर आशोधन के पारित करना :

प्रतिभूति संविदा (नियामक) अधिनियम 1956 और उसमें विहित नियमों के तहत लागू प्रावधानों के बशर्ते भारतीय प्रतिभूति सूचीकरण एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति सूची निष्कासन) दिशानिर्देश 2003 ("दिशानिर्देश") (किसी सांविधिक आशोधन/नों या फ़िलहाल लागू उसके पुनर्अधिनियमन समेत या तत्पश्चात् जैसा अधिनियमित किया जाता हो), और अन्य सभी लागू नियम, कानून, विनियम व दिशानिर्देश एवं ऐसे अन्य यथावश्यक अनुमोदनों, अनुमतियों व स्वीकृतियों के अधीन तथा जब ऐसे अनुमोदनों, अनुमतियों और स्वीकृतियों को अनुदत्त किया जाता है तब जैसा निर्धारित या अधिरोपित हो ऐसे निबंधनों, शर्तों, अनुबंधों और आशोधनों के अधीन मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड से बैंक के ईक्विटी शेयरों के स्वैच्छिक सूची निष्कासन के लिए बैंक की सहमति एतद्द्वारा प्रदान करने का संकल्प किया गया ।

आगे, महा प्रबंधक (लेखा) और कंपनी सचिव को अपने संपूर्ण विवेकाधिकार में जो उपयुक्त समझते हों उनके अनुसार शेयरों के ऐच्छिक सूची निष्कासन के संदर्भ में संभावित सभी प्रश्नों, समस्याओं व शंकाओं के समाधान निकालने के लिए पृथक रूप से एतद्द्वारा प्राधिकृत करने का संकल्प किया गया ।

आगे, उपर्युक्त को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे अन्य सभी काम, कार्य, मामले जो अभीष्ट या उपयुक्त हों, यथावश्यक उन्हें क्रियान्वित करने तथा इस संकल्प को लागू करने के लिए

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that the EIGHTH Annual General Meeting of the shareholders of INDIAN OVERSEAS BANK will be held on Saturday, the 14th June 2008 at 11.00 A.M. at Narada Gana Sabha, (Sathguru Gnananda Hall) 314 TTK Road, Chennai - 600 018, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2008, Profit and Loss account of the Bank for the year ended 31st March 2008, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To declare dividend for the financial year 2007-08.

3. **To approve the delisting of our shares from Madras Stock Exchange Limited**

   To consider and if thought fit to pass with or without modification the following resolution :

   "RESOLVED that subject to the applicable provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the rules framed thereunder, Listing Agreements, Securities and Exchange Board of India (Delisting of Securities) Guidelines, 2003 ("the Guidelines") (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force and as may be enacted hereafter), and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines and subject to such other approvals, permissions and sanctions as may be necessary, and subject to such terms, conditions, stipulations and modifications, as may be prescribed or imposed while granting such approvals, permissions and sanctions, consent of the Bank be and is hereby accorded for voluntary delisting of the equity shares of the Bank from Madras Stock Exchange Limited.

   RESOLVED FURTHER that General Manager (Accounts) and Company Secretary be and are hereby authorized severally to settle all questions, difficulties or doubts as may arise, with regard to voluntary de-listing of shares, as they may in their absolute discretion deem fit.

   RESOLVED FURTHER that General Manager (Accounts) and Company Secretary be and are hereby authorized severally to do and

ऐसे सभी आवेदन, विलेख, करार व लेख-प्रलेख जो भी अत्यावश्यक, सामान्य, अपेक्षित या उपयुक्त हों उन्हें निष्पादित करने के लिए महा प्रबंधक (लेखा) और कंपनी सचिव को पृथक रूप से एतद्द्वारा प्राधिकृत करने का संकल्प किया गया।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

चेन्नै **(एस.ए.भट)**
28-04-2008 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नोट

1. **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

शेयर धारक को बैठक में उपस्थित होने और वोट करने के लिए किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने का हक है और प्रतिनिधि बैंक का शेयर धारक हो, यह जरूरी नहीं है।

बहरहाल प्रतिनिधि की नियुक्ति के संबंध में पत्र, बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में बैठक प्रारंभ होने के चार दिन पहले अर्थात् सोमवार, 09.06.2008 को अपराह्न 5.00 बजे तक जमा कर देना चाहिए।

2. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कोई भी व्यक्ति इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयर धारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे किसी कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की सत्य प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित की हो,जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की नियत **तारीख से चार दिन पहले अर्थात सोमवार दिनांक 09.06.2008** को अपराह्न 5.00 बजे तक जमा की जाती है।

3. बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को किसी भी शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

4. व्याख्यात्मक विवरण अनुबंध के रूप में दिया गया है।

5. **उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पर्ची**

शेयर धारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची व प्रवेश पास इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयर धारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची में प्रदत्त जगह में अपने

perform all such other acts, deeds, matters and things as may be necessary, desirable or appropriate to give effect to the above and to execute all such applications, deeds, agreements, documents and writings as may be considered necessary, usual, requisite or proper for giving effect to this resolution.

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Chennai (S A BHAT)
28.04.2008 Chairman and Managing Director

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY :

A SHAREHOLDER ELIGIBLE TO ATTEND AND VOTE, IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

The instrument appointing proxy should, however be deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 P.M. on Monday, 9th June 2008.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. on or before 5.00 P.M. on Monday, 9th June 2008.

3. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative or proxy of a shareholder.

4. The Explanatory Statement is annexed thereto.

5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS :

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders/proxy holders/representatives are requested to affix their signature at the space provided therein and

हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थान में अभ्यर्पित करें । प्रॉक्सी / प्रतिनिधि धारकों को उपस्थिति सह प्रवेश पर्ची में "प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि धारक", जो भी लागू हो, अंकित कर देना है और उनके पास अपनी पहचान के प्रमाण स्वरूप शेयरधारक द्वारा उनका हस्ताक्षर अधिप्रमाणित होना चाहिए ।

6. **शेयर धारकों के रजिस्टर को बंद करना**

लाभांश के उद्देश्य के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए शेयर धारकों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ, 07.05.2008 (बुधवार) से 13.05.2008 (मंगलवार) तक बंद रहेंगी (दोनों दिन सम्मिलित)। लाभांश वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से एक महीने के अंदर भेज दिया जाएगा।

7. **लाभांश के लिए बैंक-अधिदेश**

लाभांश वारंटों के धोखाधड़ीपूर्ण नकदीकरण से बचने के लिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे नकदीकरण के लिए लाभांश वारंटों को जिस बैंक शाखा में जमा करवाना चाहते हैं, उस बैंक का नाम और अपने खाते की संख्या का उल्लेख करें। ये ब्योरे, शेयरधारक के नाम के अलावा, लाभांश वारंट के चेक वाले हिस्से में मुद्रित किए जाएँगे ताकि, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन वारंटों का नकदीकरण न किया जा सके। उपुर्युक्त ब्योरे प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा, 31-05-2008 तक सीधे शेयर ट्रान्सफर एजेंट को दिए जाने चाहिए जिसमें कि फोलियो संख्या अथवा डीपी आइडी संख्या एवं क्लाइंट आइडी संख्या और धारित शेयरों की संख्या दी जानी चाहिए। यदि शेयर धारक कोई आशोधन प्रस्तुत करने का चयन नहीं करता, ऐसी स्थिति में डीमैट शेयर धारकों के लिए 06-05-2008 को रजिस्ट्रार द्वारा प्राप्त पूर्व में बैंक के मेनडेट अथवा एनएसडीएल / सीडीएसएल से डाउनलोड किए गए आकडों पर आधारित वारंट मुद्रित किया जाएगा यह सभी शेयर धारकों पर लागू होगा जिंहोने इसीएस अधिदेश प्रस्तुत नहीं किया है ।

8. **पते में परिवर्तन और लाभांश अधिदेश**

शेयर धारकों के शेयर भौतिक रूप (फिसिकल फार्म) के मामले में, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पते में परिवर्तन, लाभांश अधिदेश और बैंक, शाखा और बैंक खाता संख्या के विवरण, जिसे कि शेयरधारक लाभांश वारंट पर उल्लिखित करने का निर्णय लेते हैं , उन सब की जानकारी दिनांक 31.05.2008 तक निम्नलिखित पते पर, रजिस्ट्रार-कम-शेयर-ट्रान्स्फर एजेंट को भेज दें:

surrender the same at the venue. Proxy holders/ representatives should state on the attendance slip-cum-entry pass as "proxy or representative" as the case may be and should have proof of their identity by getting their signature attested by the shareholder.

6. CLOSURE OF REGISTER OF SHARE HOLDERS :

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 07.05.2008 (Wednesday) to 13.05.2008 (Tuesday) (both days inclusive) for determining eligibility of shareholders for the purpose of dividend. Dividend shall be mailed within one month from the date of Annual General Meeting.

7. BANK MANDATE FOR DIVIDEND :

In order to get protection from fraudulent encashment of warrants, shareholders are requested to furnish their bank account number, the name of the bank and the branch where they would like to deposit the dividend warrants for encashment. These particulars along with the name of the shareholder will be printed on the cheque portion of the dividend warrants, so that these warrants cannot be encashed by anyone else. The abovementioned details should be furnished by the first / sole shareholder directly to the share transfer agent / DPs quoting the Folio No. or DP ID No. & Client ID No. and the number of shares held on or before 31.05.2008. If shareholders choose not to submit any modification, the warrants will be printed based on bank mandate earlier received by the Registrar or data downloaded from NSDL / CDSL as on 06.05.2008 for demat shareholders. This is applicable for all shareholders who have not submitted ECS mandate(s).

8. CHANGE OF ADDRESS AND DIVIDEND MANDATE :

In case of shareholders holding shares in physical form, they are requested to intimate to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank any change in their address, dividend mandate and the particulars of the bank, branch and bank account number which the shareholder desires to incorporate on the dividend warrant, on or before 31.05.2008 at the following address:

केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि. (आइओबी-यूनिट)
पहला तल, सुब्रमणियन बिल्डिंग,
नं.1 - क्लब हाउस रोड, चेन्नै - 600 002

शेयर इलेक्ट्रानिक फार्म अर्थात डीमैट खाते के माध्यम से रखने वाले शेयरधारक, जो अपने लाभांश वारंट इत्यादि पर अपने पते में हुए परिवर्तन, लाभांश अधिदेश, बैंक शाखा के ब्योरों और बैंक खाता संख्या में कोई परिवर्तन करवाना चाहते हैं, वे इसकी सूचना डिपाज़िटरी प्रतिभागी को दे दें । लाभांश का वितरण और इसके भुगतान के लिए दिनांक 06.05.2008 को डिपाज़िटरी द्वारा उपलब्ध करवाई गई उपर्युक्त जानकारी पर ही विचार किया जाएगा ।

9. **फोलियो का समेकन**

यह पाया गया है कि कई शेयरधारक एक से अधिक फोलियो यानी विविध फोलियो रखते हैं । शेयरधारकों को दक्ष सेवा प्रदान करने तथा ऐसे फोलियो का समेकन करने हेतु, हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे फोलियो का समेकन करें और शेयर प्रमाण-पत्र को पंजीयक और शेयर अंतरण एजेण्ट को पंजीयक के रिकार्डों में आवश्यक सुधार हेतु भेजें ।

10. **निदेशकों के संक्षिप्त विवरण**

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित लिस्टिंग करार के परिशोधित खण्ड 49 IV जी के तहत अपेक्षितानुसार कार्पोरेट गवर्नैन्स पर रिपोर्ट में निदेशकों के संक्षिप्त विवरण दिए गए हैं ।

11. **शेयरधारकों से अनुरोध**

(क) शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संलग्न वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियाँ साथ लेते आएँ।

(ख) शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक-स्थल में किसी तरह के उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएँगे।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

चेन्नै
28.04.2008

(एस.ए.भट)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Cameo Corporate Services Ltd.
(IOB – unit)
1st floor, Subramanian Building,
No. 1, Club House Road, Chennai 600 002

In case of shareholders holding shares in Electronic form i.e. through Demat account, they are requested to intimate to their depository participant any change in their address, dividend mandate and the particulars of the bank, branch and bank account number which the shareholder desires to incorporate on the dividend warrant etc., as the aforesaid information provided by the Depository as on 06.05.2008 would only be considered for the purpose of payment and distribution of dividend.

9. CONSOLIDATION OF FOLIOS :

It has been found that many shareholders maintain more than one folio (ie.) multiple folios. In order to provide efficient service, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to Registrar and Share Transfer Agents for necessary corrections in their records.

10. BRIEF PROFILE OF DIRECTORS :

As required under the revised Clause 49 IV G of the Listing Agreement executed with the Stock Exchanges, brief profile of Directors are given in the Report on Corporate Governance.

11. REQUEST TO SHAREHOLDERS :

(a) Shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report enclosed herewith.

(b) Shareholders may kindly note that no gifts/ coupons will be distributed at the venue of the meeting.

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Chennai
28.04.2008

(S A BHAT)
Chairman and Managing Director

नोटिस का अनुबंध
व्याख्यात्मक विवरण

मद सं .3

बैंक के ईक्विटी शेयरों को वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई) और मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लिमिटड (एमएसई) पर सूचीबद्ध कर लिया गया है ।

देश भर में उपलब्ध बी एस ई और एन एस ई टर्मिनल के व्यापक नेटवर्क होने से निवेशकों को देश भर में बैंक के शेयरों का ऑनलाइन लेनदेन करने की सुविधा उपलब्ध है जब कि बैंक के समस्त ईक्विटी शेयरों की खरीद-फरोख्त बी एस ई और एन एस ई पर हो रही है, अप्रैल 2005 से एम एस ई पर हमारे बैंक के शेयरों की खरीद-फरोख्त नहीं हो रही है ।

इसके मद्देनज़र, चूँकि एम एस ई की सूची में बैंक के ईक्विटी शेयरों का सूचीकरण जारी रखने से बैंक के शेयर धारकों को कोई विशेष / अतिरिक्त लाभ नहीं होता है इसलिए बैंक ने अपने शेयरों को एम एस ई के सूची में से निष्कासन करने का प्रस्ताव रखा है । इसके अलावा प्रस्तावित सूची निष्कासन के फायदे हैं यथा सूचीकरण शुल्क एवं अन्य प्रशासनिक खर्च बच सकता है ।

सेबी (प्रतिभूति सूची निष्कासन) दिशानिर्देश 2003 के अनुसरण में जहाँ पूर्वोक्त स्टॉक एक्सचेंज अवस्थित है उस क्षेत्र के सभी शेयर धारकों को निर्गम विकल्प दिए बगैर बैंक की वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने के लिए नोटिस की मद संख्या 3 में किए गये प्रस्ताव पर शेयर धारकों का अनुमोदन अभीष्ट है जिससे इसके ईक्विटी शेयरों को एम एस ई की सूची से निष्कासित कराने में सक्षम हो सके । उपर्युक्त दिशानिर्देशों की शर्त पर संकल्प के अनुमोदन के लिए बैठक में उपस्थित होकर वोट देने वाले तीन-चौथाई शेयर धारकों का बहुमत होना अपेक्षित है ।

एम एस ई से बैंक के ईक्विटी शेयरों के प्रस्तावित सूची निष्कासन से, जैसे ही यह सम्पादित होता है, निवेशकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । बी एस ई एवं एन एस ई की सूची में बैंक के ईक्विटी शेयरों का सूचीबद्ध होना जारी रहेगा। दिशानिर्देशों के अनुरूप सभी अनुमोदन, अनुमतियाँ एवं स्वीकृतियाँ यदि कोई हों तो, उनकी प्राप्ति के पश्चात ही सूची निष्कासन लागू होगा ।

बैंक का निदेशक मंडल नोटिस की मद संख्या 3 में किए गये संकल्प के अनुरूप आपके अनुमोदन की संस्तुति करता है ।

बैंक के कोई भी निदेशक कथित संकल्प से न तो संबंधित हैं और न ही रुचि लेते हैं ।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(एस.ए.भट)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

चेन्नै
28-04-2008

ANNEXURE TO NOTICE
EXPLANATORY STATEMENT

Item No. 3

The Bank's equity shares are at present listed on National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) and Madras Stock Exchange Ltd. (MSE).

With the extensive network of BSE & NSE terminals available nationwide, Investors have access to online dealings in the Bank's shares across the country. While the entire trading in the Bank's equity shares have been taking place on BSE & NSE, there is no trading of our Bank's shares on MSE since April 2005.

In view of this, the Bank proposes the delisting of its shares from MSE since no particular/ additional benefit is available to the shareholders of the Bank by continuing the listing of its equity shares on MSE. Further, the proposed delisting is beneficial so as to enable saving of listing fees and other administrative costs.

Pursuant to SEBI (Delisting of Securities) Guidelines, 2003, without giving an exit option to the shareholders of the region where the aforesaid Stock Exchange is situated, approval of shareholders of the Bank is being sought for the proposal as set out in Item No.3 of the Notice convening the Annual General Meeting of the Bank which would enable it to delist its equity shares from the MSE. In terms of the aforesaid guidelines, the Resolution is required to be approved by three-fourth majority of those shareholders present and voting at the meeting.

The proposed de-listing of the Bank's equity shares from MSE as and when the same takes place, will not adversely affect the Investors. The Bank's equity shares will continue to be listed on BSE & NSE. The delisting will take effect after all approvals, permissions and sanctions, if any, are received in accordance with the guidelines.

The Board of Directors of the Bank recommends the resolution as set out at Item No. 3 of the Notice for your approval.

None of the Directors of the Bank is concerned or interested in the said resolution.

BY ORDER OF BOARD OF DIRECTORS

Chennai
28.04.2008

(S A BHAT)
Chairman and Managing Director

एक नज़र में AT A GLANCE

रु. करोड़ों में **Rs.in crore**

	मार्च 2008 March 2008	मार्च 2007 March 2007
सार्वभौमिक जमा - राशियाँ Global Deposits	84,326	68,740
देशीय जमा-राशियाँ Domestic Deposits	80,842	66,378
सार्वभौमिक निवल अग्रिम Global Net Advances	61,058	47,923
देशीय निवल अग्रिम Domestic Net Advances	56,683	44,279
निवल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Net Priority Sector Advances	20,303	17,986
कृषि उधार Agricultural Credit	8,689	8,099
सकल लाभ Gross Credit	2,002	1,560
निवल लाभ Net Profit	1,202	1,008

निदेशकों की रिपोर्ट 2007-08

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते के साथ साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मण्डल को हर्ष का अनुभव हो रहा है ।

वर्ष 2006-07 में समग्र निष्पादन के आधार पर केपीएमजी और बिजिनेस टुडे द्वारा बैंक को सरकारी क्षेत्र बैंकों में प्रथम और भारत में 35 बड़े बैंकों में तीसरा स्थान दिया गया। इसी अवधि के दौरान अर्नेस्ट एण्ड यंग तथा फाइनान्शियल एक्सप्रेस द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंकों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखा गया ।

कारोबार में अधिकतम बढ़ोत्तरी दर्शाते हुए बैंक का निष्पादन उत्तम रहा । बैंक ने वर्ष 2007-08 के दौरान कुल कारोबार वृद्धि में बैंकिंग व्यवस्था से बेहतर निष्पादन किया । मार्च 2008 तक समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने देशी कारोबार में बैंकिंग व्यवस्था की 22 प्रतिशत प्रगति की तुलना में 24 प्रतिशत प्रगति प्राप्त की । लाभप्रदता सूचकों में भी अच्छा सुधार हुआ और पुनरीक्षणाधीन वर्ष के दौरान समग्र रूप से प्रगति हुई । अत: पिछले वर्ष में हुए अच्छे निष्पादन को इस वर्ष भी जारी रखा गया ।

वैश्विक व्यवसाय निष्पादन

सार्वभौमिक कारोबार मार्च 2007 में रु. 1,16,663 करोड़ से मार्च 2008 में रु. 1,45,384 करोड़ तक बढ़ा जिससे 24.62 प्रतिशत वृद्धि हुई। सार्वभौमिक स्तर पर जमाओं में 22.67 प्रतिशत वृद्धि हुई जो रु. 68,740 करोड़ से रु. 84,326 करोड तक बढ़ी जबकि उसी अवधि के दौरान अग्रिमों में 27.41 प्रतिशत तक बढोत्तरी हुई जो रु. 47,923 करोड़ से रु. 61,058 करोड़ तक पहुँची । सार्वभौमिक उधार जमा अनुपात 69.72 प्रतिशत से 72.41 प्रतिशत तक बढ़ा ।

विदेशी शाखाएँ

वर्ष के दौरान बैंक ने हो ची मिन सिटी, वियतनाम में प्रतिनिधि कार्यालय खोला । न्यू जीलैन्ड में शाखा खोलने और दुबई में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने हेतु बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त किया । इन कार्यालयों को खोलने का कार्य जारी है। कुआलालंपुर, मलेशिया और गुआंगझौ, चीन में स्थित वर्तमान प्रतिनिधि कार्यालयों को पूर्ण रूप से शाखा में बदलने की बैंक की योजना है ।

मार्च 2008 की समाप्ति तक बैंक की विदेश में छ: पूर्ण रुपेण शाखाएँ, तीन प्रतिनिधि कार्यालय, दो विप्रेषण केंद्र और एक उपशाखा के रूप में 12 स्थापनाएँ हैं । बैंक की हांग कांग में दो और सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका और थाइलैण्ड में एक - एक शाखाएँ हैं । गुआंगझौ चीन, कुआलालंपुर, मलेशिया और हो ची मिन सिटी, वियतनाम में बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय है। श्रीलंका में बैंक की एक उपशाखा है और बून ले और सेरेंगून, सिंगापुर में विप्रेषण केंद्र परिचालित है । बैंक ने भारत में शाखाओं और बैंक के एनआरआइ ग्राहकों के बीच संपर्क स्थापित करने हेतु यूएई एक्सचेंज केंद्र में तीन अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया ।

वित्तीय परिणाम

बैंक ने सार्वभौमिक परिचालन लाभ में रु. 2,000 करोड़ के लक्ष्य को पार कर रु. 2,002 करोड लाभ अर्जित किया जो बैंक के इतिहास में प्रमुख कीर्तिमान है । वर्ष के दौरान परिचालन लाभ में 28.33 प्रतिशत प्रगति हुई जो पिछले वर्ष रु. 1560 करोड़ थी । कारोबार में बढोत्तरी होने और निष्पादन स्तर में सुधार होने के कारण लाभ में प्रगति हुई ।

DIRECTORS' REPORT 2007-08

The Board of Directors have great pleasure in presenting the Annual Report together with audited Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Bank for the year ended March 31, 2008.

The Bank was ranked, on the basis of its overall performance in 2006-07, First among Public Sector Banks and third among 35 large banks in India by KPMG and Business Today Survey. Another survey done for the same period by Ernst & Young and Financial Express placed the Bank on top among the nationalised banks.

The Bank's performance was gratifying with the volume of business recording high growth. The Bank has performed better than the System in the growth of total business during 2007-08. While the System recorded a growth of 22% in total domestic business, the Bank achieved a growth 24% for the year ended March 2008. Profitability indicators also showed good improvement and there was all round progress in the year under review. Thus good performance witnessed in the previous year has been carried forward in the reporting year as well.

Global Business Performance

Global business increased significantly from Rs. 1,16,663 crore in March 2007 to Rs. 1,45,384 crore in March 2008, with a growth of 24.62%. Deposits at the global level improved by 22.67% from Rs. 68,740 crore to Rs. 84,326 crore in the same period while advances went up by 27.41% from Rs.47,923 crore to Rs. 61,058 crore. Global CD ratio improved from 69.72% to 72.41%.

Overseas Branches

During the year, the Bank opened a Representative Office at Ho Chi Minh City, Vietnam. The Bank has obtained approval from the Reserve Bank of India to open a branch at New Zealand and a Representative Office at Dubai. Preparatory work for opening these offices is underway. The Bank has also plans to upgrade the existing Representative Offices in Kualalumpur, Malaysia and Guangzhou, China into full-fledged branches.

As at the end of March 2008, the Bank had 12 establishments abroad comprising of 6 full-fledged branches, 3 Representative Offices, 2 Remittance Centres and 1 Extension counter. The branches include two in Hong Kong and one each in Singapore, South Korea, Sri Lanka and Thailand. Representative Offices are located in Guangzhou, China, Kualalumpur, Malaysia, and in Ho Chi Minh City, Vietnam. Remittance Centres function in Boon Lay and Serangoon, Singapore, while the Extension counter is located in Sri Lanka. Three officers have been deputed by the Bank at the UAE Exchange Centres who liaise between branches in India and the NRI clientele of the Bank.

Financial Performance

The Bank posted an impressive global operating profit of Rs. 2,002 crore crossing Rs.2,000 crore mark which is a major milestone in the history of the Bank. The growth in operating profit recorded during the year was 28.33% and it marks a leap from Rs.1,560 crore of the previous year. Growth in profit can be attributed to expansion in volume of business and improvement in efficiency levels.

प्रावधान

वर्तमान दिशानिर्देशानुसार प्रावधान व अन्य आकस्मिकताओं के लिए रु. 799 करोड़ की रकम अलग रखी ।

निवल लाभ / लाभांश

बैंक का निवल लाभ मार्च 2007 के रु.1008 करोड़ से बढ़कर मार्च 2008 में रु.1,202 करोड़ तक पहुँचा । अग्रिमों पर प्रतिफल में और-ब्याज रहित आय में सुधार के जरिए लाभ में 19.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2007-08 के लिए 32 % का लाभांश प्रस्ताव किया जा रहा है।

लागत और आय विश्लेषण

वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक की कुल आय में 41.12 प्रतिशत बढकर होकर रु. 6,219 करोड़ से रु. 8,776 करोड हुई । इसका प्रमुख कारण उधार में 27.41 प्रतिशत अधिकतम बढोत्तरी और अग्रिमों के प्रतिफल में अच्छी वृद्धि होने के साथ साथ एनपीए खातों में अच्छी वसूली होना था। कुल ब्याज आय रु. 5,832 करोड़ से रु. 7,968 तक जा पहुँचा जिससे उसमें 36.63 प्रतिशत की बढोत्तरी हुई। ब्याज रहित आय में भी 108.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो वर्ष 2006-07 में रु. 387 करोड़ की तुलना में वर्ष 2007-08 में रु. 808 करोड़ हुई। इसका प्रमुख कारण कमीशन अर्जन में रु 81 करोड़ की बढ़ोत्तरी रहना, विनिमय पर लाभ रु. 24 करोड़ से बढ़ना और लाभ व हानि खाते में वसूलियों सहित अन्य सभी आय में रु. 115 करोड से बढ़ोत्तरी होना था। बैंक पिछले वर्ष के रु. 237 करोड़ के ट्रेजरी लाभ की तुलना में वर्ष 2007-08 रु. 230 करोड़ तक बरकरार रख पाया।

ब्याज व्यय में 61.69 प्रतिशत बढोत्तरी हुई जो पिछले वर्ष के रु. 3271 करोड़ की तुलना में वर्ष 2007-08 में रु. 5,289 करोड़ तक बढी। वर्ष के दौरान ब्याज व्यय अधिक रहने का कारण निधि की लागत में पिछले वर्ष की तुलना में 138 बेसिस पाइंट से बढ़ोत्तरी होना था । उधार / अन्यों पर ब्याज में 35 प्रतिशत वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष के रु. 375 करोड की तुलना में वर्ष 2007-08 में रु. 507 करोड़ रही । इसका प्रमुख कारण सीआरएआर को संतोषजनक स्तर तक बनाए रखने हेतु किया गया उधार रहा । कुल निवल ब्याज आय 5 प्रतिशत बढ़कर पिछले वर्ष की रु. 2,561 करोड की तुलना में वर्ष 2007-08 में रु. 2,679 करोड़ रही । फिर भी एनआइएम में वर्ष 2007-08 की पहली तिमाही में 3.71 प्रतिशत और दूसरी और तीसरी तिमाहियों में 3.11 प्रतिशत की तुलना में चौथी तिमाही में 3.26 प्रतिशत तक अच्छी बढोत्तरी हुई । सीआरआर शेषों पर ब्याज का भुगतान न करने, अधिकतम जमा लागत और निवेशों पर कम प्रतिफल के बावजूद बैंक पूरे वर्ष के लिए अपना निवल ब्याज मार्जिन 3.29 प्रतिशत तक बरकरार रख पाया ।

परिचालनगत व्यय 7 प्रतिशत बढ़कर रु. 1,485 करोड़ तक बढा जो पिछले वर्ष के दौरान रु. 1,388 करोड़ रहा । अत: वर्ष 2007-08 के लिए कुल व्यय को रु. 6,774 करोड़ तक रोकके रखा गया जो वर्ष 2006-07 में रु. 4,659 करोड़ से 45.40 प्रतिशत अधिक है ।

समग्रत: बैंक के परिचालनगत लाभ में पिछले वर्ष के रु. 1,560 करोड की तुलना में रु. 2,002 करोड़ तक 28.33 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई ।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात

बैंक ने 31 03 2008 से नया बासेल II मानदंड अपनाया । परिशोधित पूंजी पर्याप्तता ढाँचे के अनुसार 31 03 2008 की समाप्ति तक जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) के मुकाबले पूंजी 11.62 प्रतिशत

Provisions

A sum of Rs. 799 crore was set apart towards provisions and contingencies as per the extant guidelines.

Net Profit / Dividend

The Bank's net profit reached a level of Rs. 1,202 crore in March 2008 from Rs. 1,008 crore in March 2007. Increase in net profit at 19.25% came about through improvement in yield on advances and non-interest income. Dividend for the year 2007-08 is being proposed at 32 %.

Income and Expenditure Analysis

The Bank's total income increased to Rs. 8,776 crore during 2007-08 from Rs.6,219 crore with a growth of 41.12%. This was possible mainly due to higher credit growth at 27.41% and increased yield on advances with substantial recoveries in NPA accounts. Total interest income went up from Rs.5,832 crore to Rs.7,968 crore registering a growth of 36.63%. Non-interest income also increased to Rs.808 crore in 2007-08 compared to Rs.387crore in 2006-07 with a significant growth of 108.79%. The high growth is mainly due to increase in commission earnings by Rs. 81 crore, profit on exchange by Rs.24 crore and all other income including recoveries to P & L account by Rs. 115 crore. The Bank was able to maintain the treasury gains at Rs.230 crore in 2007-08 as compared to Rs.237 crore in the previous year.

Interest expenditure increased at 61.69% to Rs.5,289 crore in 2007-08 as against Rs.3,271 crore in the previous year. The interest expenditure was higher during the year mainly due to substantial increase in cost of funds by 138 basis points when compared to last year. Interest on borrowings/others also increased by 35% to Rs.507 crore in 2007-08 as against Rs.375 crore in the last year mainly on account of increased borrowings, especially to meet the CRAR at a comfortable level. Total Net Interest Income improved to Rs.2,679 crore when compared to Rs.2,561 crore last year at a marginal growth of 5%. However, NIM increased significantly in Q4 2007-08 to 3.26% as against 3.11% both in Q3 & Q2 and 3.71% in Q1. Despite non-payment of interest on CRR balances, higher cost of deposits and lower yield on investments, the Bank was able to maintain its Net Interest Margin at 3.29% for the year as a whole.

Operating expenses increased moderately by 7% to Rs.1,485 crore compared to Rs.1,388 crore during last year. Thus, the total expenses for the year 2007-08 was contained at Rs.6,774 crore with an increase of 45.40% as against Rs.4,659 crore in 2006-07.

Overall, the Bank's operating profit increased by 28.33% from Rs.1,560 crore last year to Rs.2,002 crore.

Capital Adequacy Ratio

The Bank has adopted new Basel II norms with effect from 31.03.2008. As per the revised capital adequacy framework, the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) as at the end of 31.03.2008 works out to 11.62%.

रही । फिर भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकयुक्त स्तर विनियात्मक निर्धारण 9 प्रतिशत के मुकाबले 11.13 प्रतिशत तक अच्छा रहा ।

शाखा नेटवर्क

वर्ष के दौरान शाखा विस्तारण में मुख्य लक्ष्य निवर्तमान भारत ओवरसीज बैंक लिमिटेड की शाखाओं का स्थान निर्धारण तय करना था जिसे 31 मार्च 2007 तक 101 शाखाओं सहित लिया गया था । ली गयी शाखाओं में से, बैंक ने 37 शाखाएँ बंद कर दीं, जिसमें से 20 शाखाओं का स्थान पुन: निर्धारित किया गया और 17 शाखाओं को नए स्थानों पर खोलने की प्रक्रिया जारी है ।

वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक ने 21 नई शाखाएँ खोलीं और 62 उपशाखाओं को पूर्ण शाखाओं में उन्नयन किया । रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक देशी शाखाओं का नेटवर्क 1847 तक रहा । जनसंख्या समूह वार ब्रेकअप के आधार पर 574 ग्रामीण शाखाएँ, 463 अर्ध-शहरी, 453 शहरी और 357 महानगरीय शाखाएँ थीं । उपशाखाओं की संख्या 51 रहीं । बैंक द्वारा 12 शाखाओं के नेटवर्क के श्री सुवर्ण सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे की आस्ति व देयताओं को लेने की योजना है बशर्तें कि उपयुक्त सतर्कता और केंद्र सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त होता हो ।

ग्राहक सेवा

बैंक ने बीसीएसबीआइ की प्रतिबद्धता कोड को अपनाया है । बीसीएसबीआइ के अनुदेशों के अनुपालन में स्टाफ सदस्यों को कोड का प्रचार करने हेतु बैंक के स्टाफ कालेज / स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों में सुग्राहीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वर्ष के दौरान, ग्राहक सेवा संबंधी निम्नांकित नीतिगत दस्तावेजों को बीसीएसबीआइ के अनुदेशों के अनुसार संशोधित किया गया :

1. चेकों / लिखतों के संग्रहण पर नीति
2. शिकायत निवारण पर नीति
3. देय के संग्रहण एवं प्रतिभूति की पुन:प्राप्ति पर नीति

प्राप्त ग्राहक शिकायतों और किए गए निवारणों के विवरण निम्नांकित हैं

क	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	83
ख	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1,055
ग	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	1,084
घ	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	54

बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णयों की संख्या और बैंक द्वारा कार्यान्वित किए गए निर्णयों की संख्या के विवरण :

क	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	2
ख	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या	शून्य
ग	वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य
घ	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	2

However, the CRAR subject to prudential floor prescribed by the Reserve Bank of India stands at a healthy 11.13% as against regulatory stipulation of 9.00%.

Branch Network

In branch expansion, the main thrust, during the year, was on relocation of the branches of the erstwhile Bharat Overseas Bank Ltd., which was taken over with a network of 101 branches, effective March 31,2007. Out of the branches taken over, the Bank closed 37 branches, of which 20 branches have since been relocated and 17 branches are in the process of being opened in the new locations.

During 2007-08, the Bank opened 21 new branches and upgraded 62 extension counters into full-fledged branches. As at the end of the reporting period, total domestic branch network stood at 1,847. Population-group wise break-up showed 574 rural branches, 463 semi-urban, 453 urban and 357 metropolitan branches. The number of extension counters stood at 51. The Bank has plans to take over certain assets and liabilities of a co-operative bank, Shree Suvarna Sahakari Bank Ltd., Pune, having a network of 12 branches subject to due diligence and approval of Central Government and the RBI.

Customer Service

The Bank has adopted the Code of Commitment of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI). Sensitisation programmes were conducted at the Bank's Staff college/ Staff Training centres to disseminate the Code to staff members in compliance with instructions of BCSBI.

During the year, the following policy documents related to customer service, were amended as per the instructions of BCSBI.

1. Policy on Collection of Cheques/ Instruments.
2. Policy on Grievances Redressal and
3. Policy on collection of Dues and Repossession of Security.

The details of customer complaints received and redressed are given below:

a.	No. of complaints pending at the beginning of the year	83
b.	No. of complaints received during the year	1,055
c.	No. of complaints redressed during the year	1,084
d.	No. of complaints pending at the end of the year	54

No. of awards passed by the Banking Ombudsman and implemented by the Bank are as follows.

a.	No. of unimplemented awards at the beginning of the year	2
b.	No. of awards passed by Banking Ombudsman during the year	Nil
c.	No. of awards implemented during the year	Nil
d.	No. of unimplemented awards at the end of the year	2

वर्ष 2007-08 के दौरान 1138 शिकायतों को संभाला गया (पिछले वर्ष की शिकायतें भी शामिल हैं) जिनमें से 1084 शिकयतों का समाधन किया गया । समाधान दर 95.25 प्रतिशत रही ।

ग्राहक सेवा केंद्र ने, जिसके लिए बैंक चेन्नै नगर में संयोजक है वर्ष 2007-08 के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया है ।

शिकायतें सीधे केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों को (पत्रों, ई-मेल और टेलीफोन के जरिए) और अन्य माध्यम जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग लोकपाल, भारत सरकार आदि से प्राप्त हो रही हैं । शिकायतें प्राप्त करने हेतु बाहरी एजेंसी की सेवाएँ लेकर ग्रहकों को टोल फ्री टेली सर्विसेज (नंबर 1800-425-4445) उपलब्ध करवायी गयी है । इन शिकायतों का निपटान 48 घंटों में किया जा रहा है ।

नागरिक अधिकार पत्र का परिशोधित संस्करण अक्तूबर 2007 में प्रकाशित किया गया और उसकी प्रतियाँ सभी शाखाओं में उपलब्ध करवायी गयीं । वर्ष के दौरान आइबीए ने गैलप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेवाओं के सहयोग से बैंकिंग उद्योग स्तर पर ग्राहक सेवा पर सर्वेक्षण किया । बैंक भी सर्वेक्षण में भाग ले रहा है । अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

रिटेल बैंकिंग और विपणन

वर्ष के दौरान रिटेल बैंकिंग कार्यकलापों को गति मिली और रिटेल बैंकिंग के सभी क्षेत्रों के व्यवसाय में सुधार हुआ । ग्रुप जीवन बीमा से जुड़े उत्पाद "आइओबीजीवन" को काफी अच्छा बढ़ावा मिला । ग्रुप स्वास्थ्य बीमा से जुडा उत्पाद "आइओबी हेल्थ केयर प्लस " भी काफी लोगों तक पहुँचा । भारतीय जीवन बीमा और युनाइटेड इंडिया इन्श्युरेन्स कंपनी लिमिटेड के साथ जीवन तथा गैर जीवन बीमा उत्पादों के संवितरण हेतु कार्पोरेट एजेंट के रूप में गठजोड़ से बैंक के शुल्क आधारित कारोबार तथा आय में वृद्धि हुई । जीवन बीमा पालिसियों पर प्रीमियम मार्च 2007 में रु. 23.07 करोड़ से मार्च 2008 में रु. 49.18 करोड़ तक वृद्धि हुई । इसी अवधि के दौरान प्राप्त कमीशन में 37 प्रतिशत वृद्धि हुई जो रु. 159.58 लाख से रु. 218.71 लाख रही । इसी प्रकार युनाइटेड इंडिया कंपनी लिमिटेड की गैर जीवन पालिसियों के प्रीमियम में भी मार्च 2007 में रु. 17.41 करोड़ से मार्च 2008 में रु. 23.50 करोड़ तक बढ़ोत्तरी हुई । अर्जित आय में रु. 132.53 लाख से रु. 156.60 लाख तक 18 प्रतिशत से वृद्धि हुई । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान पारस्परिक निधि संवितरण के तहत संग्रहण रु. 190 करोड को पार कर गया । उच्चतम रिटेल संग्रहण के कारण शुल्क आधारित आय में पिछले वर्ष की तुलना में 90 प्रतिशत वृद्धि हुई ।

रिटेल ऋणों के तहत निष्पादन काफी अच्छा रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत तक बढ़ा । कारोबार संसाधन पुनर्गठन उपाय के अंश के रूप में खोले गए चार रिटेल ऋण संसाधन केंद्रों (आरएलपीसी) द्वारा रिटेल ऋणों के संवितरण और संसाधन में अच्छी प्रगति दर्शायी गयी। बैंक की चार अन्य केंद्रों में आरएलपीसी के केंद्र खोलने की योजना है ।

संयुक्त उद्यम गैर जीवन बीमा उद्यम, युनिवर्सल सोम्पो साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड को अंतिम विनियात्मक अनुमोदन प्राप्त हुए और कंपनी ने दो उत्पाद शुरु भी किए हैं ।

उत्पाद विकास के क्षेत्र में ग्राहक की सहूलियत की बातों को ध्यान में रखकर दो उत्पाद - गृह सज्जा योजना और ईजी ट्रेड योजना में सुधार किया गया

During the year 2007-08, 1,138 complaints were handled (including the complaints carried over from the earlier year), of which, 1,084 complaints were resolved. The settlement rate was 95.25 %.

Customer Service Centre, for which the Bank is the Convenor in Chennai City had resolved all the complaints during 2007-08.

The complaints are being received directly by Central Office and Regional Offices (through letters, e-mails and telephone) and also through other channels like Reserve Bank of India, Banking Ombudsman, and Government of India. Customers are provided with the facility of Toll Free Tele services (No.1800-425-4445) by engaging an outside agency for receiving complaints. These complaints are being resolved within 48 hours.

Revised edition of Citizens Charter was published in October 2007 and copies of the same were made available at all the Branches. During the year, IBA has undertaken a survey on customer service at the Banking Industry Level by engaging the services of Gallup India Pvt. Ltd. The Bank is also participating in the Survey. The final report is awaited.

Retail Banking and Marketing

Retail banking activities picked up momentum during the year and the business on all spheres of retail banking has improved. Group Life Insurance Linked Product, IOB Jeevan continued to generate good numbers. Group Health Insurance linked product, IOB Healthcare Plus also had a better reach. Bank's tie up with LIC of India and United India Insurance Co. Ltd. as a Corporate Agent for distribution of Life and Non-Life Insurance products has resulted in increased fee based business and income for the bank. The premium on LIC policies has improved from Rs.23.07 crore in March 2007 to Rs.49.18 crore in March 2008. The commission earned has increased by 37% from Rs.159. 58 lacs to Rs.218.71 lacs in this period. Likewise premium on non-life policies of United India Insurance Co. Ltd. has also increased from Rs.17.41 crore in March 2007 to Rs.23.50 crore in March 2008. The revenue earned has increased by 18% from Rs.132.53 lacs to Rs. 156.60 lacs. The mobilization under Mutual Fund Distribution has crossed Rs.190 crore during the reporting period. Higher retail mobilization has improved fee-based income by about 90 % over the previous year.

The performance under Retail Loans was impressive with a growth of about 23 % over the previous year. The four Retail Loan Processing Centres (RLPCs), which were opened as a part of business process re-engineering initiatives, have started generating good volumes in processing and disbursement of retail loans. The Bank has plans for opening RLPCs in four more centres.

The joint venture non-life insurance venture, Universal Sompo General Insurance Company Ltd. received the final regulatory approvals and the company has already launched two products.

In the product development side, product improvements were made with customer-friendly features for two

वर्ष के दौरान व्यक्तिगत जमा खातेदारों के लिए रु 1 लाख निजी दुर्घटना सुरक्षा शुरु की गयी ।

वर्ष 2007-08 के दौरान निम्नलिखित कारोबार केंद्रित अभियान चलाए गए :

1 सीएएसए (CASA) जमा अभियान

2 रिटेल जमा संग्रहण अभियान

3 सुवर्ण मुद्राओं की खुदरा बिक्री पर अभियान

बीमा उत्पादों और पारस्परिक निधि संवितरण के जरिए रिटेल बैंकिंग खण्ड में समग्रत: कारोबार सुधार हुआ जिससे समग्र आय में 60 प्रतिशत वृद्धि हुई।

राजभाषा नीति

बैंक ने वर्ष 2007-08 के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पूरा प्रयास किया । अधिकाधिक स्टाफ सदस्यों को हिन्दी का प्रशिक्षण दिलाने तथा कंप्यूटर पर हिन्दी में काम करने हेतु प्रशिक्षण देने के विशेष प्रयास किए गए । वर्ष के दौरान 345 सदस्यों को आइओबी प्रवीण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया । कुल 910 सदस्यों को कंप्यूटर पर हिन्दी में काम करने का प्रशिक्षण दिया गया । केंद्रीय कार्यालय के सभी उच्च कार्यपालकों के लिए दिनांक 09 अगस्त 2007 को राजभाषा संगोष्ठी आयोजित की गयी ।

बैंक की गृह प्रत्रिका "वाणी" को आइओबी ऑनलाइन पर डाला गया । सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए डाटा बैंक हिन्दी में बनाया गया। बोर्ड स्तरीय सभी बैठकों की समितियों के कार्यवृत्त का हिन्दी में अनुवाद किया गया ।

बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष 2006-07 के लिए "ख" क्षेत्र में प्रथम व "क" क्षेत्र में तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ । बैंकों और वितीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाई गई हिन्दी गृह पत्रिकाओं के लिए प्रतियोगिता में बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका "वाणी" को वर्ष 2005-06 के लिए तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 19 जुलाई 2007 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ वाय वी रेड्डी से प्राप्त किया गया । राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए 14 सितंबर 2007 को माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज पाटील द्वारा बैंक को इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड प्रदान की गई।

राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखाओं को राजभाषा कार्यान्वयन में कार्यनिष्पादन के आधार पर राजभाषा शील्ड प्रदान की गईं।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा दिनांक 29 अक्तूबर 2007 को बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, पुदुच्चेरी का निरीक्षण किया गया और उनके द्वारा बैंक द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गयी । संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य समिति ने भुवनेश्वर, चण्डीगढ, अहमदाबाद, मुंबई और पुणे की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्षों व कुछ सदस्य बैंकों के प्रमुखों के साथ विचार विमर्श किया । इन केंद्रों में हमारा बैंक भी विचार विमर्श कार्यक्रम में शामिल था। समिति ने इन केंद्रों में हमारे बैंक के कार्यनिष्पादन पर संतोष व्यक्त किया।

products – Home Decor Scheme and Easy Trade Scheme. Personal Accident Cover of Rs.1 Lac for individual deposit account holders was introduced during the year.

The following business focused campaigns were conducted during the year 2007-08.

1. CASA Deposit Campaign
2. Retail Deposit Mobilisation Campaign
3. Campaign on Retail Sale of Gold Coins

There was all round business improvement in the retail-banking segment with an increase in overall income of about 60 % through insurance products and mutual fund distribution.

Official Language Policy

The Bank has taken all efforts to implement the Official Language Policy of Government of India during the year 2007-08. Special efforts were taken to train maximum number of staff members in Hindi and impart training to work in Hindi on computers. During the year 345 members were trained in IOB Praveen. In all, 910 members were given training in working in Hindi on computers. Raj Bhasha Sanghosthi was conducted for all top executives of Central Office on August 9, 2007.

Bank's Hindi house magazine 'Vani' was made online. Data bank for all officers and employees was prepared in Hindi. The minutes of all Board level committees were translated in to Hindi.

The Bank has been awarded first prize in 'B' region and third prize in 'A' region by Reserve Bank of India for commendable work done for Official Language Implementation for the year 2006-07. Bank has been awarded third prize for the Hindi house magazine 'Vani' for the year 2005-06 by Reserve Bank of India in the competition conducted by RBI for Hindi house magazines of banks and financial institutions which was received from Dr. Y. V. Reddy, Governor of RBI on July 19, 2007. Indira Gandhi Rajbhasha Shield for commendable Official Language implementation was awarded to the Bank by the Honorable Home Minister Shri Shivraj Patil on September 14, 2007.

Regional Offices were inspected on Official Language Implementation by the Official Language Department, Central Office and Rajbhasha Shields were awarded to Regional Offices and branches for their performance in this regard.

The third Sub-Committee of Parliamentary Committee on Official Language inspected the Bank's Regional Office, Puducherry on October 29, 2007 and appreciated the Bank's efforts in this regard. The drafting and evidence Sub-Committee of Parliamentary Committee on Official Language had discussions with the Chairman and heads of Banks of Town Official Language Committees at Bhubaneswar, Chandigarh, Ahmedabad, Mumbai and Pune. The Bank was also included for discussion at all places and the committee expressed their satisfaction over the performance of the Bank in these locations.

हमारा बैंक चेन्नै नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का संयोजक बैंक है । संयोजक बैंक की हैसियत से बैंक ने वर्ष 2006-07 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 5 अक्तूबर 2007 को प्रदत्त प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया । समिति की ओर से बैंक ने वर्ष 2007-08 के दौरान दो अर्ध-वार्षिक बैठकों के अलावा दो सामान्य हिन्दी कार्यशालाएँ, संयुक्त राजभाषा समारोह और द्विभाषी कंप्यूटर प्रशिक्षण का आयोजन किया । समिति की ओर से बैंक ने सदस्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के मुख्य प्रबंधकों के लिए जोखिम प्रबंधन पर हिन्दी में संगोष्ठी का आयोजन भी किया ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात पांडियन ग्राम बैंक और नीलाचल ग्राम्य बैंक (उडिसा में निवर्तमान पुरी ग्राम्य बैंक और ढेंकानल ग्राम्य बैंक की विलयित इकाई) का कार्य निष्पादन इस वर्ष अच्छा रहा है। इस वर्ष दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने निवल लाभ अर्जित किया ।

कार्पोरेट गवर्नेन्स

कार्पोरेट गवर्नेन्स, कार्पोरेट वातावरण में सदाचार, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का बढ़ावा देता है । निवेशक के विश्वास को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए अच्छा कार्पोरेट गवर्नेन्स महत्वपूर्ण है । वित्तीय स्थिति, निष्पादन, स्वामित्व और बैंक का गवर्नेन्स संबंधी सूचना की समय पर एवं सही घोषणा कार्पोरेट गवर्नेन्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्पोरेट गवर्नेन्स को बढ़ावा देने के निए बनी बैंक की नीतियाँ इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि प्रबंधन जनता की निधियों का संरक्षक और न्यासी है । अत: वैसी नीतियाँ इसको सुनिश्चित करती है कि कानून का अक्षरश: ही नहीं बल्कि वास्तविक रूप से पालन हो । बैंक की पारदर्शी नीतियाँ प्रकटीकरण के ऊंचे स्तर बनाए रखना सुनिश्चित करेंगी । संक्षेप में, कार्पोरेट गवर्नेन्स मूल्यों और नैतिक मानकों के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में हैं ।

बैंक द्वारा नियामक प्राधिकारियों द्वारा सभी क्षेत्रों में निर्धारित निबंधनों का सख्ती से पालन किया जा रहा है । अच्छे कार्पोरेट गवर्नेन्स को अपनाने में बैंक हमेशा ही सक्रिय रहा है । निदेशक मंडल बैंक के सभी स्वत्वधारियों के प्रति अपनी जवाबदेही को अच्छी तरह समझता है । बैंक ने एक सुपरिभाषित आचार संहिता बनाई है जो मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए लागू होती है ।

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट, कार्पोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट के साथ-साथ कार्पोरेट गवर्नेन्स के अधीन आनेवाली शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखा परीक्षकों के प्रमाण पत्र भी इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग रहता है ।

Chennai Town Official Language Implementation Committee, for which the Bank is the convenor, has received the first prize for its efforts in implementation of Official Language Policy during the year 2006-07 by the Ministry of Home Affairs, Government of India on October 5, 2007. On behalf of the committee, the Bank conducted two general Hindi workshops, Joint Hindi month celebration, bilingual computer training and Rajbhasha Sanghoshti during the year 2007-08 apart from two half yearly meetings. The Bank, on behalf of the committee, sponsored a seminar in Hindi on Risk Management for Chief Managers of member banks / financial institutions.

Regional Rural Banks

The Regional Rural Banks (RRBs) sponsored by the Bank, viz., Pandian Grama Bank and Neelachal Gramya Bank (amalgamated entity of erstwhile Puri Gramya Bank and Dhenkanal Gramya Bank in Orissa) performed well during the year. Both the RRBs have recorded net profit during the year.

Corporate Governance

Corporate Governance promotes fairness, transparency and accountability in a corporate environment. Good Corporate Governance is critical to enhance investor wealth and retain investor confidence. The timely and accurate disclosure of information regarding the financial situation, performance, ownership and governance of the Bank plays an important part in Corporate Governance. The policies of the Bank to promote Corporate Governance are based on the principle that Management is the trustee and custodian of public funds. Therefore, such policies should ensure that relevant laws are being satisfied both in letter and spirit. The transparent policies of the Bank in turn ensure a high degree of disclosures. In short, Corporate Governance involves commitment to high ethical standards and corporate values.

The Bank has been scrupulously ensuring compliance with norms laid down by regulatory authorities in all areas. The Bank has always been proactive in adopting good Corporate Governance. The Board recognizes its accountability to all stakeholders of the Bank. The Bank has laid down a well-defined Code of Conduct, which is applicable to all the members of the Board and Senior Management.

Pursuant to Clause 49 of the Listing Agreement, a Management Discussion & Analysis Report, a Report on Corporate Governance as well as a certificate by the auditors regarding compliance of the conditions of Corporate Governance form part of this Annual Report.

निदेशक मंडल

श्री टी एस नारायणसामी, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक ने 4 जून 2007 को बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति होने पर पदत्याग किया । 4 जून 2007 से श्री एस ए भट ने बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला । 7 नवंबर 2007 से एक और कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री जी नारायणन ने कार्यभार संभाला ।

श्री ए वी दुगाडे, कार्यपालक निदेशक ने 31 मार्च 2008 को अपनी अधिवर्षिता पर पदत्याग किया ।

डॉ शशांक सक्सेना को 20 अगस्त 2007 से श्री मधुसूदन प्रसाद के स्थान पर नामित किया गया। अखिल भारतीय ओवरसीज बैंक कर्मचारी संघ के वर्तमान उपाध्यक्ष श्री एन श्रीधरन को श्री एस श्रीनिवासन की जगह 20 अप्रैल 2007 से तीन वर्ष के लिए कर्मचारी निदेशक के रूप में मंडल में नियुक्त किया गया । बोर्ड ने निवर्तमान कार्यपालकों द्वारा किए गए मूल्यवान योगदानों को रिकार्ड किया और नए निदेशकों का हार्दिक स्वागत किया ।

आभारोक्ति

निदेशक मंडल, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्स्चेंज, विभिन्न राज्य सरकारों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त मूल्यवान मार्गदर्शन के लिए अपना आभार व्यक्त करता है । निदेशक मंडल हांगकांग मौद्रिक प्राधिकारी, सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकारी, वित्तीय पर्यवेक्षी सेवाएँ, कोरिया, श्रीलंका के केंद्रीय बैंक, चीन बैंकिंग रेग्यूलेटरी कमीशन, बैंक नेगरा, मलेशिया, बैंक ऑफ थाइलैंड और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के प्रति भी उनके सहयोग व मार्गदर्शन के लिए आभारी है ।

निदेशक मंडल, प्रतिष्ठित ग्राहकों, शेयरधारकों, अन्य दावेदारों और भारत व विदेशों में स्थित संपर्ककर्ताओं के प्रति, उनके सुनाम व समर्थन के लिए अपने आभार को रिकार्ड करता है ।

निदेशकगण बहुत खुश हैं कि कर्मचारी संघ एवं अधिकारी संघ के सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण औद्योगिक संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण एवं सुखद हैं । निदेशक मंडल ने वर्ष के दौरान बैंक की उपलब्धियों में स्टाफ सदस्यों के बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की ।

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

चेन्नै
28 अप्रैल 2008

एस ए भट
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Board of Directors

Shri T.S. Narayanasami, Chairman & Managing Director, demitted office on June 4, 2007, upon his appointment as Chairman & Managing Director of Bank of India. Shri S.A. Bhat assumed charge as Chairman & Managing Director of the Bank with effect from June 4, 2007. Shri G. Narayanan assumed charge as one more Executive Director on November 7, 2007.

Shri A.V.Dugade, Executive Director, demitted office on superannuation on March 31, 2008.

Dr. Shashank Saksena was nominated to the Board with effect from August 20, 2007 in place of Shri Madhusudan Prasad. Shri N. Sridaran, presently Vice President of All India Overseas Bank Employees Union, was appointed as Workmen Employee Director for a period of three years with effect from April 20, 2007 in place of Shri S. Srinivasan. The Board of Directors placed on record the valuable contributions made by the erstwhile Directors and extended a warm welcome to the new Directors.

Acknowledgements

The Board of Directors acknowledge with gratitude the valuable guidance received from the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, various State Governments and Financial Institutions. The Board places on record its thankfulness to the Hong Kong Monetary Authority, Monetary Authority of Singapore, Financial Supervisory Services, Korea, Central Bank of Sri Lanka, China Banking Regulatory Commission, Bank Negara, Malaysia, Bank of Thailand and State Bank of Vietnam, for their support and guidance.

The Board of Directors record the appreciation of the goodwill and support of the valued customers, shareholders, other stakeholders and correspondents of the Bank in India and abroad.

The Directors are very happy that the industrial relations are very cordial and happy on account of positive attitude on the part of Employees' Union and Officers' Association. The Board of Directors also express their appreciation of the valuable contribution of the members of the staff in the achievements of the Bank during the year.

For and on behalf of
the Board of Directors

Chennai
April 28, 2008

S. A. BHAT
Chairman and Managing Director

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

आर्थिक परिवेश

वर्ष 2007-08 के दौरान भारतीय अर्थ व्यवस्था में 8.7 % की प्रगति रही। आर्थिक व्यवस्था में थोडा बहुत मंदन का कारण यूएस की आर्थिक मंदी, तेल की उच्च कीमतें और खाद्य पदार्थ की बढ़ती कीमतों की वजह से है । निर्यात की प्रगति पर रुपये में हुई मूल्यवृद्धि के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और साथ ही विदेशी बाजार में उत्पादों और सेवाओं की अपर्याप्त माँग के कारण भी यह स्थिति उत्पन्न हुई।

बैंकिंग परिवेश

वर्ष के प्रारंभ में भारतीय रिज़र्व बैंक ने नकदी आरक्षण अनुपात (सीआरआर) को दो स्तरों में 50 बेसिस पाइंट से बढ़ा दिया - अप्रैल 28, 2007 को 25 बेसिस पाइंट से पहली वृद्धि और 28 अप्रैल 2007 से 25 बेसिस पाइंट से दूसरी वृद्धि जो वित्त वर्ष के अंत तक 6.5% तक पहुँचा। भारतीय रिज़र्व बैंक का लक्ष्य बैंकों के साथ तरलता का नियंत्रण करना था और यह नीति साल भर जारी रही । एलएएफ के अधीन नियत रेपो दर को भी 25% बेसिस पाइंट से अर्थात 31 मार्च 2007 से 7.50% से 7.75% तक बढ़ाया गया । 4 अगस्त 2007 को सीआरआर को फिर से 7 प्रतिशत तक बढ़ाया गया । इसे 10 नवंबर 2007 से बैंक की माँग तथा मियादी देयताओं से 50 बेसिस पाइंट से 7.5% तक बढ़ा दिया गया। 31 मार्च 2007 से शुरू होनेवाले पखवाडे से भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीआरआर के शेषों पर ब्याज का भुगतान बंद कर दिया । भारतीय रिज़र्व बैंक के उपायों से उधार की प्रगति को कम करने और माँग के दबाव के प्रति योगदान देने के लिए वांछित प्रभाव पड़ा ।

मुद्रास्फीति का सामना करने की आवश्यकता के कारण 2007-08 के दौरान ब्याज दरें उच्च रहीं । वैश्विक सब-प्राइम संकट ने वैश्विक स्तर पर तरलता की समस्या खड़ी कर दी है और इसका प्रभाव भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा। तरलता संकट की दृष्टि से वैश्विक बाज़ार में बैंकों द्वारा लिया गया उधार मँहगा हो सकता है।

बैंक के परिचालन

जमा राशियाँ

बैंक की कुल देशी जमाएँ वर्ष 2006-07 के रु. 66,378 करोड़ से वर्ष 2007-08 में रु. 80,842 करोड़ तक बढ़ गई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक उच्च लागत जमाओं की लागत को कम करने के साथ-साथ ऐसी जमाओं पर कम निर्भर रहा ।

उधार

बैंक के कुल देशी निवल अग्रिम पिछले वर्ष के रु. 45,107 करोड़ से रु.57,260 करोड़ तक बढ़ गईं जिसमें रु. 26.94% की स्वस्थ वृद्धि रही।

निर्यात उधार

बैंक के लिए निर्यात उधार एक प्राथमिक क्षेत्र है। 31 मार्च 2008 तक बैंक के निर्यात अग्रिम रु. 2,517 करोड़ रहा ।

प्राथमिकता क्षेत्र उधार

बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र उधार के तहत निर्धारित मानदण्ड को प्राप्त करना जारी रखा। भारतीय रिज़र्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष 2007-08 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में बैंक ने जो उपलब्धि प्राप्त की उसे मार्च 2007 को आधार पर बैंक के निवल उधार को लेते हुए परिकलित किया गया है। फलस्वरूप, मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के निवल बैंक उधार में प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम रु 20,303 करोड़ रहे जो निवल बैंक उधार के 45.85 प्रतिशत था।

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Economic Environment

During the year 2007-08, Indian economy recorded a growth of 8.7%. Marginal deceleration in economic activity could be attributed to global factors such as economic slowdown in the US, high oil prices combined with rising food prices. Export growth was adversely affected by rupee appreciation and also on account of lack of adequate demand for products and services in the overseas markets.

Banking Environment

At the beginning of the year, RBI increased CRR by 50 basis points in two stages – the first hike of 25 basis points from April 14, 2007 and the second stage 25 basis points from April 28, 2007 – to reach 6.5%. It aimed at controlling liquidity with banks and this policy stance continued through the year. Fixed repo rate under the LAF was also hiked by 25 basis points to 7.75% from 7.50% from March 31, 2007. CRR was again increased from the fortnight beginning August 4, 2007 to 7 per cent. It was further hiked by 50 basis points to 7.5% of banks' demand and time liabilities from the fortnight beginning November 10, 2007. From the fortnight beginning March 31, 2007, the RBI discontinued interest payment on CRR balances. The RBI measures had the desired impact of moderating credit growth and contributing towards demand compression.

Interest rates remained high during 2007-08 because of the need to combat inflation. The global Sub-Prime crisis has created liquidity problem at the global level and it will have its impact on the Indian financial system. Borrowings by banks in the global markets may become expensive in view of the liquidity crisis.

THE BANK'S OPERATIONS

Deposits

The Bank's aggregate domestic deposits rose from Rs.66,378 crore in 2006-07 to Rs. 80,842 crore in 2007-08. During the period under review, the Bank reduced its dependence on high cost deposits substantially, besides reduction in cost of such deposits.

Credit

The domestic gross advances increased to Rs.57,260 crore against Rs.45,107 crore last year, registering a healthy growth of 26.94%.

Export Credit

Export credit is a priority area for the Bank. The Bank's export advances as at the end of March 2008 stood at Rs.2,517 crore.

Priority Sector Credit

The Bank continued to achieve the stipulated norm under priority sector credit. As per the revised guidelines of RBI, the achievement in priority sector for the year 2007-08 has been computed, taking Net Bank Credit of March 2007 as the base. Consequently, for the year ended March 2008, the percentage of net priority sector advances to net bank credit was at 45.85% and the amount stood at Rs.20,303 crore.

लघु एवं मध्यम उद्यम

बैंक ने मार्च 2008 के अंत तक एसएमइ क्षेत्र को रु. 7,541 करोड़ तक का उधार उपलब्ध कराया। इसमें प्राथमिकता उधार क्षेत्र के माइक्रो और लघु उद्योगों को दिए गए रु. 5,175 करोड़, भी शामिल है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल एण्टरप्राइसेस (सीजीटीएमएसइ) के तहत रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक खातों की संख्या पिछले वर्ष के 987 से बढ़कर 2,076 हो गई । इसी अवधि के दौरान सीजीटीएमएसइ गारंटी के तहत शामिल रकम रु. 26.59 करोड़ से बढ़कर रु. 65.40 करोड़ हो गई।

वर्ष के दौरान निर्वतमान माइको बॉश लि. (अब बॉश लि. के नाम से जाना जाता है) के साथ अक्तूबर 2006 में प्रारंभ की गई आइओबी - टूल्स योजना बहुत अच्छी तरह चल रही है। तमिलनाडु में प्रारंभ की गई इस योजना को दूसरे राज्यों में भी अब लागू किया गया है।

कृषि

बैंक के कृषि उधार पोर्टफोलियो में रु. 589.43 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई जो रु. 8,099.47 करोड़ से बढ़कर रु. 8,688.90 करोड़ तक पहुंची। निवल बैंक उधार की तुलना में कृषि बैंक अग्रिम का अनुपात 18.93 प्रतिशत रहा जो निर्धारित मानदंड 18 प्रतिशत से अधिक है ।

बैंक ने विशेष कृषि उधार योजना (एस ए सी पी) के तहत रु. 7,673 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में रु. 7,820.12 करोड़ वितरित किए। पिछले वर्ष कृषि क्षेत्र को वितरित किए गए उधार की तुलना में इस वर्ष 32.61 प्रतिशत वृद्धि रही जो भारत सरकार द्वारा विशेष फार्म क्रेडिट पैकेज के तहत निर्धारित 30 प्रतिशत के वार्षिक वृद्धिशील उधार प्रवाह से अधिक रही। कृषि अग्रिमों के तहत माँग की तुलना में वसूली संतोषजनक रही जो जून 2007 समाप्त वर्ष तक 80.85 प्रतिशत रही।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (के सी सी)

वर्ष के दौरान बैंक ने कुल 2,13,584 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए। मार्च 2008 तक बैंक द्वारा जारी कुल कार्डों की संचयी संख्या 14,96,917 हो गयी।

लघु वित्त

वर्ष के दौरान बैंक ने 59,519 स्वयं सहायता दलों का उधार दे कर 50000 के लक्ष्य को पार किया। इनके लिए उधार परिव्यय रु. 507.12 करोड़ रहा। मार्च 2007 की समाप्ति तक बैंक द्वारा उधार प्रदत्त स्व सहायता दलों की कुल संख्या 1,68,694 (वितरित रकम रु. 866.31 करोड़) से मार्च 2008 तक बढ़कर स्व सहायता दलो की संख्या 2,28,213 (वितरित रकम रु. 1,373.43 करोड़) हो गयी।

माइक्रो उधार के लिए अन्नपूर्णा समूह के साथ आइओबी का गठ-जोड़

स्वयं सहायता समूह, माइक्रो फाइनांशियल संस्थाएँ और वित्तीय समावेशन के लिए विशेषत: दक्षिण के राज्यों में बैंक वित्तपोषण देने में बहुत ही सक्रिय है। बैंक के परिचालनों को देश भर में शामिल करते हुए भौगोलिक रूप से वृद्धि लाने के मद्दे नज़र खासकर कमज़ोर वर्ग तथा शहरी गरीब को वित्त प्रदान करने के लिए बैंक ने प्रतिष्ठित एनजीओ यथा अन्नपूर्णा समूह, जो मुम्बई- पुणे क्षेत्र में बहुत सफलता से परिचालित है, उससे गठ-जोड़ कर लिया है। आइओबी तथा अण्णपूर्णा परिवार के साथ गठ-जोड से देश के पश्चिमी प्रदेशों में माइक्रो क्रेडिट परिचालनों में प्रवेश करने के लिए बैंक को अवसर मिलेगा । शुरूआत के लिए बैंक ने रु. 14.35 करोड तक की उधार सुविधाएँ अण्णपूर्णा समूह को प्रदान किया है

SME

The Bank extended credit to SME sector to the tune of Rs. 7,541 crore as at the end of March 2008. This includes advances to Micro and Small Enterprises to the tune of Rs.5,175 crore, which form a part of Priority Sector credit. The number of accounts under Credit Guarantee Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) coverage has grown from 987 last year to 2,076 as at the end of the reporting period. The amount covered under CGTMSE guarantee has increased from Rs. 26.59 crore to Rs. 65.40 crore in the same period.

During the year, the IOB – Tools Scheme launched in October 2006 along with erstwhile MICO BOSCH Ltd. (now known as BOSCH Ltd.) picked up substantially. The scheme, which was launched in Tamil Nadu, has since been extended to other states as well.

Agriculture

The agricultural credit portfolio of the Bank registered a growth of Rs. 589.43 crore from Rs. 8,099.47 crore to Rs. 8,688.90 crore. The Bank's ratio of agricultural advances to adjusted net bank credit at 18.93% exceeded the 18% norm.

The Bank disbursed Rs. 7,820.12 crore under Special Agricultural Credit Plan (SACP) as against the target of Rs. 7,673 crore. The increase in disbursement of credit to agricultural sector over the last year's disbursement was 32.61%, as against the incremental credit flow of 30% mandated by the Govt. of India under Special Farm Credit Package.

Recovery to demand under agricultural advances continued to be satisfactory at 80.85% for the year ended June 2007.

Kisan Credit Card Scheme (KCC)

The Bank has issued 2,13,584 KCCs during the year. The total number of cards cumulatively issued by the Bank as at the end of March 2008 was 14,96,917.

Micro Finance

During the year, the Bank has credit linked 59,519 SHGs and exceeded the target of 50,000 with a credit outlay of Rs.507.12 crore. The cumulative number of SHGs credit linked by the Bank increased from 1,68,694 SHGs (Amount Disbursed Rs. 866.31 crore) as at the end of March 2007 to 2,28,213 SHGs (Amount Disbursed Rs.1,373.43 crore) as of March 2008.

IOB's tie-up with Annapurna Group for micro lending

The Bank has been very active in financing of Self Help Groups, Micro Financial Institutions and financial inclusion, more particularly, in the Southern States. With a view to enlarging the geographic coverage of the Bank's operations across the country, especially for financing Weaker Section and Urban Poor, the Bank has joined hands with a reputed NGO, viz. Annapurna group, which is operating very successfully in Mumbai-Pune belt. This tie-up between IOB and Annapurna Parivar will enable the Bank's entry into Microcredit operations in Western Region of the country. To begin with, the Bank has sanctioned credit limits of Rs.14.35 crore to

जिससे पुणे तथा मुंबई की स्लम बस्तियों की शहरी गरीब महिलाओं को ऋण दिया जा सकता है।

महिलाओं को उधार प्रवाह

वर्ष की समाप्ति पर महिलाओं को बैंक की उधार राशि रु. 2,391.06 करोड़ तक पहुँची, जो निर्धारित मानदण्ड 5 प्रतिशत की तुलना में बैंक के निवल उधार का प्रतिशत 5.40 प्रतिशत है।

शक्ति इण्डियन ओवरसीज़ बैंक चिदम्बरम चेट्टियार मेमोरियल ट्रस्ट

श्री एम सीटी एम चिदम्बरम चेट्टियार- बैंक के संस्थापक की याद में बैंक के प्रबंधन, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक अधिकारी संघ और अखिल भारतीय ओवरसीज़ बैंक कर्मचारी संघ के द्वारा ट्रस्ट की स्थापना संयुक्त रूप से की गई, जो महिलाओं को कुशलता हासिल करने लिए निरन्तर प्रशिक्षण दे रहा है जिससे उनकी आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। ट्रस्ट ने अभी तक 1128 महिलाओं को कार्य कुशल बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जिन्हें अच्छा रोज़गार मिला है।

ट्रस्ट ने अभी तक,बैंक द्वारा विभिन्न केन्द्रों में विशेष रूप से महिलाओं के लिए 34 उद्यमी विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित किए जिससे 1,239 महिलाएँ लाभान्वित हुईं। उद्यमी विकास कार्यक्रम की समाप्ति की तारीख से 3 से 6 महीनों में प्रशिक्षार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया । इन महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए, उनके उत्पाद की बिक्री हेतु प्रदर्शनी के लिए कुछ शाखाओं ने "आइ ओ बी शक्ति बाज़ार" आयोजित किए।

अग्रणी बैंक योजना

तमिलनाडु में बारह जिलों और केरल के एक जिले में अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व बैंक पर है। बैंक तमिलनाडु राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक भी है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एस एल बी सी, तमिलनाडु के संयोजक के रूप में, बैंक ने तीन एस एल बी सी बैठकों और एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया ।

आइओबी - संपूर्ण परियोजना - संपूर्ण ग्राम विकास परियोजना

बैंक ने हाल ही में तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर जिले में कूतंबाक्कम तथा पडूर गाँव में आइओबी संपूर्ण नामक एक पूर्णत: गामीण विकास परियोजना प्रारंभ की है। आइओबी संपूर्ण एक अनोखी परियोजना है जो गाँव में जीविकोपार्जन के कई प्रकार के अवसर प्रदान करती है और ताकि ग्रामीण जनता का हर प्रकार से विकास हो सके।

आइओबी संपूर्ण में निम्नलिखित उधार तथा गैर-उधार संघटक शामिल हैं

1. सपूर्ण सफाई तथा स्वास्थ्य प्रबंध योजना के तहत कूतमबाक्कम गाँव में डीआरआई के तहत 900 घरों (रु. 5000/- प्रति घर) के हिसाब से स्नानगृह सह शौचालय के निर्माण के लिए रु. 45 लाख की राशि मंजूर की गई है।
2. कारोबार करेस्पाण्डेंट मॉडल के जरिए बयो-मेट्रिक स्मार्ट कार्डों सहित आइटी आधारित बैंकिंग परिचालन ।
3. वृक्षारोपण तथा सामाजिक वनरोपण
4. जलाशयों की सफाई
5. स्वास्थ्य देखभाल

Annapurna Group, for on-lending to urban poor women in slums of Pune and Mumbai.

Credit Flow to Women

As at the end of the year, Bank's credit to women amounted to Rs. 2,391.06 crore constituting 5.40% of the Bank's Net Credit, as against the norm of 5%.

Sakthi - Indian Overseas Bank Chidambaram Chettiar Memorial Trust

The Trust, set up jointly by the Management of the Bank, Indian Overseas Bank Officers' Association and All India Overseas Bank Employees' Union to perpetuate the memory of the founder of the Bank – Shri.M.CT.M.Chidambaram Chettiar, is continuing the pursuit of its objective of 'affording training to women for acquiring skills which will increase the income and create employment opportunities'. The Trust has so far imparted skill based vocational training to 1,128 women who have been gainfully employed.

The Trust is also conducting Entrepreneurship Development Programme (EDP) for Women and so far, 34 EDPs exclusively for women have been conducted by the Bank, at various centres totally benefiting 1,239 women. After 3 –6 months from the date of completion of the EDP, an interface with the trainees is arranged to sort out the problems. For these Women Entrepreneurs and SHGs, "IOB Sakthi Bazaars" are also organised at a few of the branches, to exhibit their products for sale.

Lead Bank Scheme

The Bank has Lead Bank responsibility in twelve districts in Tamil Nadu and one district in Kerala. The Bank is also the Convenor of State Level Bankers' Committee of Tamil Nadu. During the year under review, as Convenor of SLBC, Tamil Nadu, the Bank conducted three SLBC Meetings and a State Level Review Meeting.

IOB-Sampoorna Project-A Total Village Development Project

The Bank has recently launched an innovative rural development project aiming at Total Village Development called IOB-Sampoorna in Kuthambakkam and Padur Villages in Tiruvallur District in Tamil Nadu. IOB-Sampoorna is an unique Project encompassing several livelihood initiatives in the villages to ensure all-inclusive growth of rural population.

IOB-Sampoorna comprises of the following credit and non-credit components.

1. Under total sanitation scheme, a sum of Rs. 45 lacs has been sanctioned for constructing bathroom cum toilet for 900 households (@Rs.5,000 / house), in Kuthambakkam village under DRI.
2. I.T.Enabled banking operations with Bio-metric Smart cards through Business Correspondent model.
3. Tree Planting and Social Forestry
4. Cleaning Water Bodies
5. Health care

6. कंप्यूटर और बीपीओ में युवकों का कौशल प्रशिक्षण
7. ग्रामीण कारोबारी संसाधन आउटसोर्सिंग
8. गैर-पारंपरिक ऊर्जा का संवर्धन

ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र (आर टी सी)

बैंक को अपने अग्रणी जिलों - शिवगंगा, तिरुनेलवेली और तंजाऊर में तीन ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना पड़ा जिसमें किसानों, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों, शिक्षित बेरोजगार युवकों, कारीगरों और कमजोर वर्ग के लाभभोगियों के लिए कक्षाएँ और प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दोनों दिए जाते हैं ।

बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और इण्डियन बैंक के सहयोग से ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र, कारैकुडि, स्थापित किया गया है । बैंक ने स्वयं अन्य दो ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना तिरुनेलवेली और तंजाऊर में की है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने इन तीन ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से 95 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जिसमें 2,873 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया।

जोखिम प्रबंधन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने नई पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क बासेल II को 31 मार्च 2008 से लागू किया है। उसे कार्यान्वित करते समय बैंक उधार जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (SA) और परिचालनात्मक जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण (BIA) 31 मार्च 2008 तक के लिए पूँजी के परिकलन के लिए अपनाएगा। 31मार्च 2006 से बैंक बाजार जोखिम पूंजी का परिकलन मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (SDA) के अनुसार लागू कर रहा है। बासेल II के फ्रेमवर्क को जारी रखा जिससे जोखिमों की सतत निगरानी के द्वारा तिमाही आधार पर बैंक के सीआरएआर पर इसके प्रभाव का अध्ययन जारी रहा ताकि परिशोधित फ्रेमवर्क में सहज संक्रमण हो। विशुद्धता तथा पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के लिए पूँजी परिकलन के विभिन्न पक्षों पर क्षेत्र के स्टाफ सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण दिए गए हैं ।

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से भविष्य में उधार जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन हेतु नए दृष्टिकोणों में ढालने के लिए बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं का उन्नयन करने की प्रक्रिया में है ।

भविष्य में उधार जोखिम पूंजी के परिकलन के लिए आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (आइआरबी)को अपनाने के लिए बैंक ने रु. 1 करोड़ और उससे अधिक रकम की जोखिम-रेटिंग उधार के लिए अत्याधुनिक आंतरिक जोखिम-रेटिंग मॉडेल की व्यवस्था कर ली है। आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण के जरिए बाजार जोखिम पूँजी परिकलित करने हेतु अत्याधुनिक जोखिम पर मूल्य (बीएआर) मॉडल का प्रयोग किया जा रहा है। उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए) का प्रयोग करते हुए परिचालनात्मक जोखिम पूँजी परिकलित करने के उन्नत तरीके को अपनाने के लिए हानिगत आँकड़े तैयार किए जा रहे हैं ।

नीतियों, माध्यमों, तकनीकों, यंत्रों तथा एमआइएस के प्रबोधन के अन्य जोखिमों को शामिल करते हुए उधार जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालनात्मक जोखिमों को संभालने के लिए भारतीय रिज़र्व के दिशानिर्देशों

6. Skill Training for youth in computer and BPO
7. Rural Business Process Outsourcing
8. Promotion of non-conventional energy.

Rural Training Centres (RTCs)

The Bank had set up three Rural Training Centres in its Lead Districts of Sivaganga, Tirunelveli and Thanjavur in the State of Tamilnadu to impart both classroom and practical training to the farmers, members of SHGs, Educated Unemployed Youths, Artisans, and Beneficiaries belonging to weaker sections.

Rural Training Centre at Karaikudi had been set up by the Bank in association with National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) and Indian Bank. The other 2 Rural Training Centres had been established by the Bank on its own at Tirunelveli and Thanjavur.

During the year under review, through these three RTCs, the Bank has conducted 95 training programmes and trained 2,873 beneficiaries.

Risk Management

The Bank has implemented New Capital Adequacy Framework (Basel II) with effect from March 31, 2008 as per the RBI guidelines. While implementing the framework, the Bank has adopted Standardized Approach (SA) for Credit Risks and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risks to compute capital as on March 31, 2008. The Bank continues to apply the Standardized Duration Approach (SDA) for computing capital requirement for market risks with effect from March 31, 2006. The Bank continued the parallel run of Basel II framework by continuously tracking the exposures and studied the impact on Bank's CRAR on quarterly basis with a view to ensuring smooth transition to revised framework. Necessary training has been imparted to the field staff on various aspects of capital computation to ensure accuracy and adequacy.

Further, the Bank is in the process of upgrading its risk management systems and practices for migrating to more sophisticated and risk sensitive advanced approaches for computation of capital in respect of credit risk, market risk and operational risk in future, with the approval of Reserve Bank of India.

For adopting internal risk based approach (IRB) for credit risk in future, the Bank has been using a sophisticated internal risk-rating model for risk-rating exposures of Rs. 1 crore and above. In order to widen the scope and coverage further, the Bank has developed additionally risk sensitive rating models in-house for use at Branches / other Offices for risk rating borrowal accounts in specific segments. For calculating market risk capital by internal Models Approach (IMA), a sophisticated Value at Risk (VaR) model is already put to use. For computing operational risk capital using Advanced Measurement Approach (AMA), loss data are being built up for eventual transition to the advanced approach.

The Bank continues to strengthen its various risk management systems as per the guidelines of the Reserve Bank of India to manage credit risk, market risk,

के अनुसार बैंक ने अपनी विभिन्न जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाए रखा है।

अनुपालन कार्य

बासेल दिशानिर्देश के अनुसार 20 अप्रैल 2007 को बैंकों में अनुपालन कार्य पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने अंतिम दिशानिर्देश जारी किया है। इसमें यह निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक बैंक को अपने अनुपालन कार्य की देख-रेख के लिए अलग विभाग का गठन किया जाना है । तदनुसार बैंक ने केंद्रीय कार्यालय में "अनुपालन विभाग" नामक एक नए विभाग का गठन किया है । भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को सम्मिलित करने के लिए बैंक की अनुपालन नीति को बोर्ड ने अनुमोदित किया। अनुपालन कार्य के अनुसार प्रत्येक शाखा / विभाग / कार्यालय में अनुपालन के स्तर के प्रबोधन के लिए अनुपालन अधिकारियों को पदनामित किया गया है। उप महा प्रबंधक की श्रेणी में पूरे बैंक के लिए एक अलग अनुपालन अधिकारी को पदनामित किया गया है।

बैंक ने पद्धतियों को नियोजित किया है और शाखाओं में अनुपालन स्तर के निर्धारण के लिए प्रणालियों को निर्धारित किया है और तत्संबंधी जोखिम को कम करने के कदम उठाए जा रहे हैं।

वसूली प्रबंधन

वसूली प्रबंधन में बैंक ने सरफाइसी के तहत सभी पात्र मामलों में संभाव्यता को खोज निकाला । एक और रणनीति यह थी कि जहाँ कहीं संभव हो खातों के उन्नयन के प्रति विवेचनीय रकम की वसूली की जाए । बैंक ने रु. 5 लाख से अधिक रकम के बकाया सभी पात्र मामलों में सरफाइसी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जिसके फलस्वरूप या तो प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री के द्वारा या फिर उधारकर्ताओं के लिए ओटीएस/ ओसीएस के द्वारा एनपीए की वसूली हुई। बैंक ने 30 सितंबर 2007 तक एक विशेष वसूली अभियान यानि रु. 5 लाख से कम बही बकाया वाली संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के लिए स्पेशल एक्सिट डील (स्पीड) के द्वारा प्रारंभ किया ।

वर्ष के दौरान शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों पर वसूली को संभालने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को खास तथा विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

वर्ष के दौरान बैंक ने एआरसीआइएल को 35 खाते बेच दिए और रु. 62.63 करोड़ की वसूली की। बैंक ने रु. 390 करोड़ की बहुत अच्छी नकद वसूली की जिससे एनपीए खाते कम हो गए और साथ ही बट्टे खाते में डाले गए खातों में रु. 149.97 करोड़ की वसूली हुई। एनपीए खातों को कम करने के प्रति रु. 57 करोड़ की रकम तक उन्नयन किया गया है।

औद्योगिक पुनर्वास

रिपोर्टिंग वर्ष के अन्त में बीआइएफआर/एएआइएफआर के तहत रु.156.19 करोड़ उधार के कुल 35 मामले थे । इनमें से, कुल रु. 72.89 करोड़ के 9 खाते मानक एवं अर्जक थे। अनर्जक खातों में से, बैंक ने रु.53.20 करोड़ की राशि के 22 मामलों की तुलना में वर्ष के दौरान रु.50.68 करोड़ (एआरसीआइएल को बेचे गए 10 खातों सहित) की राशि के 27 मामलों में अभी तक की उच्चतम वसूली दर्ज की। आगे एक मामले में, एक कंपनी जिसकी रु. 94 करोड की जोखिम थी एस आइ सी ए (विशेष प्रावधान) के दायरे से बाहर आयीं क्योंकि उनका नेटवर्थ सकारात्मक में बदला।

operational risk and other risks that includes policies, tools, techniques, monitoring mechanisms and MIS.

Compliance Function

In terms of Basel Guidelines for managing Compliance Risk, Reserve Bank of India issued Final Guidelines on Compliance Function in banks on April 20, 2007. It was stipulated therein that each Bank should establish an independent department to oversee the compliance function in the bank. Accordingly, the Bank has established a new department called "Compliance Department" in Central Office. The Compliance Policy for the Bank incorporating the guidelines of RBI was approved by the Board. In terms of the Compliance Function, Compliance Officers are designated in each branch / department / office to monitor the level of compliance. A separate Compliance Officer has been designated for the Bank as a whole in the rank of Deputy General Manager.

The Bank has devised the methodologies and put in place the systems for assessment of level of compliance in the branches and steps are being taken to mitigate the risk associated therewith.

Recovery Management

In recovery management, the Bank exploited the potential under SARFAESI in all eligible cases. Another strategy was on recovery of critical amount towards upgrading the accounts wherever possible. The Bank initiated action under SARFAESI Act in all eligible cases with outstanding of Rs. 5 lacs and above which resulted in the recovery of NPAs either by sale of the secured assets or by bringing the borrowers for OTS/OCS. The Bank launched a special recovery campaign viz. SPEcial Exit Deal (SPEED) for all Doubtful and Loss assets with book outstanding below Rs.5 lacs as on September 30, 2007.

A special and exclusive training programme was arranged for senior officers handling recovery at Branches/Regional offices during the year.

During the year, the Bank sold 35 accounts to ARCIL and recovered Rs. 62.63 crore. The Bank made substantial cash recovery of Rs. 390 crore towards reduction of NPA accounts besides recoveries of Rs.149.97 crore in written off accounts. Upgradation to the extent of Rs. 57 crore was made towards reduction of NPA accounts.

Industrial Rehabilitation

Total number of cases under BIFR/AAIFR as at the end of reporting year was 35 with an exposure of Rs.156.19 crore. Of this, 9 accounts aggregating to Rs.72.89 crore were standard and performing. Out of NPA accounts, the Bank has recorded second highest ever recovery in 27 cases amounting to Rs.50.68 crore (including sale of 10 accounts to ARCIL) during the year as against 22 cases amounting to Rs.53.20 crore last year. Further, in one case, a company with an exposure of Rs.94 crore came out of the purview of Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, as its net worth turned positive.

कार्पोरेट ऋण पुनः संरचना

पिछले वर्ष के अंत तक रु.390.24 करोड़ के बकाया के साथ 10 मामलों की तुलना में, मार्च 2008 के अंत तक सीडीआर तंत्र के तहत पुन: संरचित कुल 9 मामले थे और बकाया रु.371.70 करोड़ रहा। दो अनर्जक आस्ति खातों को वर्ष के दौरान समायोजित किए गए । वर्ष के दौरान सीडीआर तंत्र के तहत रु. 39.65 करोड़ की रकम का एक नया खाता आ गया । सीडीआर तंत्र के तहत के 9 खातों में से 8 खाते मानक तथा अर्जक आस्ति थे जिनका बकाया रु. 360.91 करोड़ था। बाकी एक अनर्जक आस्ति के खाते की वसूली के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

निवेश

वर्ष 2007-08 के दौरान निवेश में वृद्धि, सांविधिक तरलता अपेक्षाओं के कारण बैंक की जमाओं में हुई बढ़ोत्तरी के कारण थी ।

कुल निवेश 31 मार्च 2008 को रु. 27,467.85 करोड़ थी जो पिछले वर्ष से 16.53% की वृद्धि है। वर्ष के दौरान एसएलआर प्रतिभूतियों में रु.4391.86 करोड़ की अथवा 21.23% की वृद्धि दर्ज़ की गई, जबकि बाँड एवं डिबेंचर में गैर एसएलआर निवेश में रु.600.56 करोड़ घट गए क्योंकि ऐसी प्रतिभूतियों में ब्याज दर जोखिम को कम करने हेतु प्रबंधन द्वारा सही निर्णय लिया था ।

वर्ष 2007-08 के दौरान सेगमेंटों के बीच, रु.1337.51 करोड़ सरकारी प्रतिभूतियाँ, बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) से परिपाक में रखी (एचटीएम) सेगमेंट में अंतरित की गईं और रु. 559.20 करोड़ को परिपाक में उपलब्ध में से (एचटीएम) बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) में अंतरित कर दिया गया।

31 मार्च 2008 को, एचटीएम में रखी हुई एसएलआर प्रतिभूतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई 25% सीमा के प्रति डीटीएल के पिछले वर्ष के 23.72% की तुलना में 22.65% रहीं।

अत्यंत अस्थिर परिस्थितियों के तहत, बैंक ने पूरे वर्ष में ईक्विटी शेयरों में अपना कारोबार बनाए रखा । वर्ष 2006-07 के दौरान रु. 48,334 करोड़ के प्रति वर्ष 2007-08 में सेकेण्डरी बाजार में कारोबार किए गए शेयरों का कुल (बही मूल्य) रु.1,99,540 करोड़ तक पहुँचा । देशी प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त कुल रकम रु. 228.55 करोड़ थी जबकि वर्ष 2006-07 के इसी अवधि के दौरान यह रु. 232.99 करोड़ रही ।

उद्योग के कार्य निष्पादन के अनुरूप कुल निवेशों पर प्राप्तियाँ (प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ को छोड़कर) वर्ष 2006-07 में 8.23 % से कम होकर वर्ष 2007-08 में 8.15% रहीं ।

रुपया डेरिवेटिव्स

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किसी प्रकार का नया रुपया ब्याज दर स्वैप नहीं लिया गया और 31 मार्च 2008 तक बैंक द्वारा रखी गई रुपया ब्याज दर स्वैप रु. 1,425 करोड़ तक बना रहा। यह इसी उद्देश्य से किया गया कि बैंक द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों में बाजार जोखिम के साथ-साथ टायर II बॉण्डों की लागत को कम किया जा सके।

फॉरेक्स परिचालन

विदेशी विनिमय पण्यावर्त (मर्चेंट तथा अंतर बैंक) वर्ष 2006-07 के 1,47,668 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2007-08 के दौरान रु. 2,20,230 करोड़ तक बढ़ गया जो 49% की वृद्धि है। फलस्वरूप समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अर्जित आय पिछले वर्ष के रु.93.78 करोड़ से बढ़कर रु. 125.72

Corporate Debt Restructuring

As at the end of March 2008, the total number of cases restructured under CDR Mechanism was 9 with an outstanding of Rs.371.70 crore, as against 10 cases with an outstanding of Rs.390.24 crore as at the end of the preceding year. Two NPA accounts were adjusted during the year. One new account with an exposure of Rs.39.65 crore entered CDR mechanism during the year. Of the 9 accounts under CDR, 8 accounts were standard and performing with an outstanding of Rs.360.91 crore. Efforts are on for recovery of the remaining one Non Performing Account.

Investments

The growth in investments during the year 2007-08 was mainly driven by the increase in Statutory Liquidity requirements resulting out of Deposit growth of the Bank.

Gross Investments as of March 31,2008 stood at Rs. 27,467.85 crore showing a growth of 16.53 % over the previous year. SLR securities registered a growth of Rs.4, 391.86 crore or 21.23% during the year while Non-SLR Investments in bonds & debentures declined by Rs.600.56 crore due to a conscious decision taken by the Management to reduce the Interest Rate Risk in such securities.

Between segments, Govt. securities for Rs.1,337.51 crore were transferred from Available for Sale (AFS) to Held to Maturity (HTM) segment and Rs.559.20 crore were transferred from Held to Maturity (HTM) to Available for Sale (AFS) during 2007-08.

As on March 31, 2008, the extent of SLR securities held in HTM stood at 22.65% of DTL against the limit of 25% prescribed by Reserve Bank of India, compared to 23.72% a year ago.

Under highly volatile conditions, the Bank maintained its trading in both Fixed Income Market and Equity Market throughout the year. Total turnover (Book Value) in the secondary market reached Rs.1,99,540 crore during the year 2007-08 as against Rs.48,334 crore during the year 2006-07. Total profit on sale of domestic securities amounted to Rs. 228.55 crore as against Rs. 232.99 crore during the year 2006-07.

Return on total domestic investments (excluding Profit on Sale of Securities& amortisation) declined from 8.23% in 2006-07 to 8.15 % in 2007-08 in line with industry performance.

Rupee Derivatives

During the year, no fresh rupee interest rate swap has been taken by the Bank and the total Rupee interest rate swaps held by the Bank as on March 31, 2008 remained at Rs. 1,425 crore. These were essentially entered into earlier with the objective of reducing the cost of Tier II bonds as well as market risk in Government securities held by the Bank.

Forex Operations

The foreign exchange turnover (merchant and inter bank) improved from Rs.1, 47,668 crore during 2006-07 to Rs.2, 20,230 crore during 2007- 08 with a growth of 49%. Consequently, the income earned improved from

करोड़ हो गई । बैंक ने अप्रैल 2007 से मार्च 2008 तक 558 किलो का स्वर्ण बेचा। ग्राहक संतुष्टि में प्रगति लाने और बाजार में हो रहे विकास के साथ चलने के लिए बैंक ने "एक्प्रेस मनी" तथा "मनी ग्राम" नामक वेब आधारित विप्रेषण योजना प्रारंभ की है। ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि करने तथा बाजार गतिविधियों के साथ साथ चलने के लिए, बैंक ने सितम्बर 2006 से वीजा प्रिपेड ट्रेवल कार्ड "ओवरसीज़ कैश" के नाम से शुरू किया और अब सभी प्राधिकृत डीलर शाखाओं को विस्तारित कर दिया गया है। खाड़ी देशों से एनआरआइ जमाओं के अंतर्वाह को बढ़ाने के लिए बैंक ने एक और अधिकारी को शारजाह में तैनात किया है।

यूएई एक्सचेंज़ केंद्र, अबू दाबी के साथ यूएस डॉलर आहरण व्यवस्था

यह सुविधा यूएई में स्थित एनआरआइ ग्राहकों के लिए प्रारंभ की गई है ताकि वे यूएसडी में विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) खाता खोल सकें और वे यूएस डॉलर में निधि अंतरित कर सकें। उपर्युक्त सुविधा यूएइ से एफसीएनआर जमा खाता खोलने के लिए आसान और द्रुत माध्यम के लिए बनाया गया है और बहु मुद्रा परिवर्तन को हटाने तथा ग्राहकों के लिए विनिमय हानि कम करने के साथ-साथ एक ही स्थान पर यूएसडी विप्रेषण के साथ-साथ रुपये के प्रेषण की सुविधा देने के लिए भी यह सुविधा लाभदायक है।

बैंक ने "इलैक्ट्रॉनिक निधि अन्तरण" के लिए, अल अनसारी एक्सचेंज, अबू धाबी, हबीब एक्सचेंज कंपनी, अबू धाबी और अल अहालिया मनी एक्सचेंज, अबू धाबी के साथ व्यवस्था की।

प्राइवेट लेबेल ट्रेड सर्विस (पीएलटीएस)

बैंक ने वाचोविया बैंक, हाँग काँग के साथ व्यवस्था कर ली है, जो कि हाँग काँग, जापान, चीन, ताइवान तथा साउथ कोरिया में लाभभोगियों को दस्तावेजी उधार की बातचीत तथा उसे स्थापित करने के लिए संपर्ककर्ता बैंक है।

ई ई एफ़ सी खातों के तहत सावधि जमा योजना प्रारंभ की गई ।

निर्यातकों एवं अन्य कार्पोरेटों को विदेशी मुद्रा ऋण पोर्टफोलियो के तहत बकाया यूएस डॉलर 292 मिलियन था । स्वर्ण ऋणों में स्वर्ण जमाओं के ज़रिए जुटाए गए संसाधनों का 100 % अभिनियोजन रहा। वर्ष के दौरान बैंक ने 3 वर्ष के यूएस डॉलर 100 मिलियन का सामूहिक ऋण जुटाया और संसाधनों को बढ़ाने के लिए निधि को प्रतिस्पर्धी दर पर भारतीय रुपयों की अदला-बदली में लगाया ।

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुरोध पर निर्यात संवर्धन के लिए बैंक के कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति [एसएलबीसी] की उप समिति ने सितंबर 2007 और फरवरी 2008 में बैठकें आयोजित कीं तथा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों, सरकारी विभागों, ईसीजीसी, निर्यात-आयात बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, एफ़आइईओ इत्यादि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाओं सहित फोरेक्स गतिविधियों में होने वाली सभी जोखिमों को कवर करते हुए बनाई गई है। बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित. मुद्रावार दैनिक / एक दिवसीय ऋणों का, दैनिक आधार पर प्रबोधन किया जा रहा है । ऋण को कवर करने के लिए प्रति पार्टी सीमाओं, एकल लेनदेन सीमा और स्टॉप लॉस सीमाओं [प्रति लेनदेन और प्रति डीलर प्रतिदिन] का दैनिक आधार पर प्रबोधन प्रभावी रूप से किया जा रहा है ।

Rs.93.78 crore in the previous year to Rs.125.72 crore in the period under review. The Bank has sold 558 Kgs of gold coins from April 2007 to March 2008. To enhance the customer satisfaction and to keep pace with the market developments, the Bank has launched web based remittances like "Xpress Money" and "Money Gram". Visa prepaid travel card named "Overseas Cash" launched during September 2006 has now been extended to all Authorised Dealer branches. In order to increase the inflow of NRI deposits from Gulf countries, the Bank has posted one more official, to be stationed in Sharjah.

US Dollar Drawing Arrangement with UAE Exchange Centre, Abu Dhabi:

This facility has been introduced to NRI customers in UAE to remit US Dollar funds for opening Foreign Currency Non-Resident [FCNR] accounts in USD. The above facility is designed for easy and faster mode of opening FCNR deposits from UAE and will eliminate multiple currency conversions and minimize exchange loss to customers besides providing facility to routing the rupee as well as USD remittance under one roof.

The Bank has entered into arrangements with Al Ansari Exchange, Abu Dhabi, Habib Exchange Company, Abu Dhabi and Al Ahalia Money Exchange, Abu Dhabi for "ELECTRONIC FUNDS TRANSFER"

Private Label Trade Service (PLTS):

The Bank entered into an arrangement with Wachovia Bank, Hong Kong, a correspondent bank for establishment and negotiation of documentary credit for beneficiaries in Hong Kong, Japan, China, Taiwan and South Korea.

During the year, Term Deposit Scheme was introduced under EEFC accounts.

The outstanding under foreign currency loans portfolio was to the tune of USD 292 million to exporters and other corporates. There has been 100% deployment of resources mobilized through gold deposits in gold loans.

During the year, the Bank has raised a 3 year syndicated loan of USD 100 million and swapped the funds into Indian Rupees at a very competitive rate to augment the resources.

The Sub-Committee of SLBC (State Level Bankers' Committee) for Export Promotion which has been constituted, at the instance of Reserve Bank of India, under the chairmanship of Executive Director of the Bank, convened meetings during September 2007 and February 2008 and had the attendance of representatives from various nationalised banks, Government departments, ECGC, Exim Bank, RBI, FIEO etc.

A comprehensive Risk Management Policy, with limits duly approved by the Board, covering all risks arising out of forex activities, is in place. Currency-wise Day Light/Overnight exposures, duly approved by the Board, are being monitored on a daily basis. Counter-party limits to cover the credit exposure; Single Deal Limit and Stop-Loss Limits (per deal and per dealer per day) are being monitored effectively on a daily basis.

द्रुतगामी अंतरण व उगाही सेवाएँ [स्टार्स]

ग्राहकों को प्रदान की गयी द्रुतगामी अंतरण व उगाही सेवाओं ने शुल्क आधारित आय का सृजन किया । यह उन्हें मूल्य योजित सेवा भी प्रदान करती है । शाखाओं का विशाल नेटवर्क निजी / विदेशी बैंकों को भी विपणन किए गए उत्पाद की पूरी क्षमता की प्राप्ति में सहायता करता है ।

क्रेडिट कार्ड

वर्ष के दौरान आइ ओ बी वीज़ा कार्ड की अच्छी प्रगति हुई है । वर्ष 2007-08 में कार्ड आधार में 42% की और कुल पण्यावर्त में 45% की वृद्धि हुई। बैंक के पुनर्निर्धारणीय ब्याजयुक्त उधार और शुल्क/कमीशन से तथा क्रेडिट कार्ड परिचालनों से प्राप्त कुल आय उल्लेखनीय रही ।

व्यापारी बैंकिंग

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने कुल रु .6,030.62 करोड़ के 44 ऋण शेयर निर्गम के लिए डिबेंचर न्यासी और कुल रु .1,716 करोड़ के 4 ऋण शेयर निर्गम [एकमात्र संग्रहणकर्ता बैंकर]के लिए संग्रहणकर्ता बैंक और रु .9.75 करोड़ के 7 कार्पोरेटों के लिए लाभांश / ब्याज वारंट अदाकर्ता बैंकर के रूप में काम किया । बैंक ईएसओपी / स्वेट ईक्विटी इश्यूस के उद्देश्य के लिए असूचीगत कंपनियों के शेयरों के मूल्य निर्धारण के लिए कार्पोरेट सलाहकार सेवाएँ भी प्रदान करने के काम भी करता है । इन क्रियाकलापों से बैंक को शुल्क आधारित आय प्राप्त होती है ।

निक्षेपागार परिचालन

बैंक एनएसडीएल का निक्षेपागार प्रतिभागी है और उसकी दो शाखाएँ हैं, एक चेन्नै में और दूसरी मुंबई में । विभिन्न केंद्रों में डीपी सुविधाएँ प्रस्तावित करने के लिए बैंक की 25 सेवा केंद्र शाखाएँ चेन्नै निक्षेपागार में हैं । मुंबई में कुछ और सेवा केंद्रों को खोलने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक 15,182 लाभार्थी खातों की सेवा में लगा हुआ है ।

ऋण समूहन गतिविधियाँ

सितंबर 2007 के दौरान समूहन गतिविधियों का लाभ उठाने के लिए व्यापारी बैंकिंग में ऋण समूहन डेस्क का सृजन किया गया । बैंक ने यूएसडी 145 मिलियन के मियादी ऋण के लिए सह-अग्रणी व्यवस्थापक के रूप में काम किया और यह सुपुर्द नियत कार्य चालू वर्ष के दौरान शुल्क के रूप में रु .3.04 करोड़ का सृजन करेगा । बैंक इस कार्यकलाप द्वारा शुल्क-आधारित आय को बढ़ाने के प्रयत्न में लगा है ।

सरकारी लेखा

अप्रत्यक्ष कर की वसूली

बैंक 217 शाखाओं के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक लेखा प्रणाली से उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर [ई ए एस आइ ई एस टी] की वसूली के लिए प्राधिकृत है। बैंक को केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर का ई-भुगतान स्वीकार करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्राधिकार दिया गया जिसका कार्यान्वयन दिसंबर 2006 से किया गया । ई-भुगतान के ज़रिए की गई वसूली कुल अप्रत्यक्ष कर की वसूली के 40% से अधिक है ।

प्रत्यक्ष कर की वसूली

बैंक 354 शाखाओं के ज़रिए ऑन लाइन कर लेखा प्रणाली [ओ एल टी ए एस]से आय कर व अन्य प्रत्यक्ष करों की वसूली के लिए प्राधिकृत है। टी ए एन आंकड़ों की गुणवत्ता 99.5% और उससे अधिक बढ़ी है। पी ए एन आंकड़ों की गुणवत्ता 98% और उससे अधिक बढ़ी है । बैंक को प्रत्यक्ष कर का ई-भुगतान स्वीकार करने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर

Speedy Transfer and Realisation Services (STARS)

Speedy Transfer and Realisation Service extended to the customers of the Bank generated fee-based income. It also provides value-addition to them. Wide network of branches helps the Bank in realising the full potential of the product, which is marketed, even to private/foreign banks.

Credit Card

IOB Visa Credit Card has made good progress during the year. Card base increased by 42% and total turnover by 45% in 2007-08. Total income from rollover credit and fees/commission from credit card operations of the Bank was significant.

Merchant Banking

During the period under review, the Bank acted as Debenture Trustees for 44 debt issues aggregating to Rs.6,030.62 crore, Collecting Bankers for 4 debt issues (Sole collecting Bankers) aggregating to Rs.1,716 crore and Dividend /Interest Warrants Paying Bankers for 7 corporates aggregating to Rs.9.75 crore. The Bank also takes up corporate advisory services like valuation of shares of unlisted companies for the purpose of ESOP/ Sweat Equity Issue. These activities contribute to fee-based income of the Bank.

Depository Operations

The Bank is a Depository Participant of NSDL and has two branches, one at Chennai and the other at Mumbai. To offer extended DP facilities in various centres, the Bank has 25 service centre branches, connected to Chennai Depository. The possibility of adding few service centres at Mumbai is also being explored. As at the end of the financial year, the Bank is servicing 15,182 beneficiary accounts.

Loan Syndication Activities

During September 2007, Loan Syndication Desk was formed in Merchant Banking to take advantage of Syndication Activity. The Bank has acted as Co-Lead Arranger for a Term Loan of USD 145 million and this assignment will generate a fee of Rs.3.04 crore during the current year. The Bank is taking efforts to improve fee-based income through this activity.

Government Accounts

Indirect Tax Collections

The Bank is authorized to collect Indirect Taxes through Electronic Accounting System in Excise and Service Tax (EASIEST) by 217 branches. Bank has been given All India authorization to receive e-Payment of Excise and Service Tax, which was implemented since December 2006. Collections through E-Payment is more than 40% of total Indirect Tax collections.

Direct Tax Collections

Bank is authorized to collect Income Tax and other Direct Taxes through On Line Tax Accounting System (OLTAS) by 354 branches. TAN data quality has improved to 99.5% and above. PAN data quality has improved to 98% and above. Bank is given All India authorization to receive e-Payment of Direct taxes and it is implemented

प्राधिकार दिया गया जिसका कार्यान्वयन दिसंबर 2007 से किया गया । चूँकि अप्रैल 2008 से कार्पोरेट / कर लेखा-परीक्षा निर्धारण के लिए ई-भुगतान अनिवार्य बना दिया गया है इसलिए आगामी वित्तीय वर्ष में ई-भुगतान की प्राप्ति में तेज़ी आएगी ।

पेंन्शन भुगतान

बैंक केंद्रीय सिविल, रक्षा, रेलवे, दूरसंचार व राज्य सरकारों, टीएनईबी, चेन्नै पोर्ट ट्रस्ट, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेन्शन और मलेशियन सरकार पेन्शन और कोयला खान भविष्य निधि पेंन्शन से संबंधित पेशन भुगतान को संभालता है । बैंक केंद्रीय सिविल पेन्शन के लिए केंद्रीकृत पेन्शन प्रक्रिया केंद्र [सी पी पी सी] स्थापित करने में लगा है ।

अन्य सरकारी कारोबार

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना 2004, 8% कर देय बॉंड, सार्वजनिक भविष्य निधि जैसी भारत सरकारी की बचत योजनाओं में बैंक ने सक्रियता से भाग लिया और इसके साथ तमिऴनाडु की 9 शाखाओं तथा उड़ीसा की 1 शाखा में ट्रेजरी कारोबार भी संभाला । तमिऴनाडु की 42 शाखाओं में डाक-घर वसूली खाता भी रखा गया है ।

करेंसी चेस्ट

तमिऴनाडु के कोविलपट्टी में एक और करेंसी चेस्ट खोला गया । इसके साथ करेंसी चेस्टों की संख्या बढ़कर 32 हुई ।

अंतर शाखा समाधान

बैंक समाधान चक्र को कम करने, कम्पास और मांग ड्राफ्टों की नामे प्रविष्टियों को 15 दिनों में निरसन करने में सफल रहा । यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी निधि अंतरण और तार अंतरण प्रविष्टि एक महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं है ।

निरीक्षण

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान ईडीपी लेखा-परीक्षा तथा एन आइ पी एस ए [उद्योगेतर प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम] निरीक्षण के साथ 1,424 शाखाओं में केंद्रीय कार्यालय निरीक्षण किया गया । इस अवधि में 983 शाखाओं का मैन्युअल मोड से बदलकर ऑन लाइन निरीक्षण किया गया । निरीक्षण की गयी शाखाओं में से 426 शाखाओं का श्रेणी-निर्धारण "ए" (अच्छी) का हुआ । चेन्नै, एरणाकुलम, हैदराबाद और कोलकाता के प्रादेशिक महा प्रबंधक के कार्यालयों की लेखा-परीक्षा की गयी। इस अवधि के दौरान हाँगकाँग और सिम शा सुइ शाखाओं का भी निरीक्षण किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा शाखाओं में अल्पकालीन निरीक्षण किया गया। 38 क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के 36 विभागों में प्रबंधन लेखा परीक्षा भी पूरी की गई। बैंक के कारोबार के कम से कम 50% के भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को पार करते हुए 56.94% के जमा कारोबार और 68.96% के अग्रिमों वाली कुल 294 शाखाओं को समवर्ती लेखा-परीक्षा के तहत लाया गया। 1,234 शाखाओं में राजस्व लेखा-परीक्षा और 314 शाखाओं में नमूना जाँच लेखा-परीक्षा की गई । चयनित तौर पर 463 खातों की स्टॉक लेखा-परीक्षा की गई ।

सभी 1,424 शाखाओं में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा की गई जहाँ केंद्रीय कार्यालय निरीक्षण किया गया था । क्षेत्र की जोखिम आधारित रूपरेखा बनाकर क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रबंधन लेखा-परीक्षा भी की गई ।

since December 2007. E-Payment collections will gain momentum in the coming financial year as e-Payment is made mandatory for Corporate/Tax Audit assesses from April 2008.

Payment of Pension

The Bank handles payment of Pension in respect of Central Civil, Defence, Railways, Telecom and State Governments, TNEB, Chennai Port Trust, Employees' Provident Fund Organisation Pension, Malaysian Government Pension and Coal Mines Provident Fund Pensioners. The Bank is in the process of establishing Centralised Pension Processing Centre (CPPC) for Central Civil pension.

Other Government Business

The Bank actively participates in the Government of India Savings Schemes like Senior Citizens Savings Scheme 2004, 8% Taxable Bond and Public Provident Fund besides handling Treasury business of the Government of Tamil Nadu in 9 branches and Government of Orissa in 1 branch. Post Office Collection Account is maintained at 42 branches in Tamil Nadu.

Currency Chest

One more Currency Chest at Kovilpatti in Tamil Nadu has been opened. With this, the number of Currency Chests increased to 32.

Inter Branch Reconciliation

The Bank has been successful in maintaining its good track record of reducing the reconciliation cycle, elimination of the COMPASS and Demand Draft debit entries to 15 days. It has also been ensured that no funds transfer and telegraphic transfer entry is outstanding for more than one month.

Inspection

During the reporting period, Central Office inspection was carried out in 1,424 branches along with EDP Audit and NIPSA (Non-Industrial Priority Sector Advances) inspection. In this period, 983 branches were inspected on-line, switching over from manual mode. Out of the branches inspected, 426 branches were rated, 'A' (Good). Field General Managers' Offices in Chennai, Ernakulam, Hyderabad and Kolkata were audited. Inspection of Hong Kong and Tsim Sha Tsui branches was also conducted during this period.

Periodical Short Inspection of branches was carried out by Regional Offices. Management Audit of all 38 Regional Offices and 36 Central Office departments was also completed. A total of 294 branches were brought under Concurrent Audit covering 56.94% of deposits and 68.96% of advances thereby surpassing RBI guidelines of covering at least 50% of Bank's business. Revenue Audit was done in 1,234 branches and Test Check Audit in 314 branches. Stock Audit was conducted for 463 accounts on selective basis.

Risk Based Internal Audit was conducted at all the 1,424 branches where Central Office inspection was conducted. Management Audit of Regional Offices also incorporated Risk Profile of the Regions.

सभी 38 क्षेत्रीय कंप्युटर केंद्र, 10 सी सी ओं, 8 स्टार केंद्रों व 2 निक्षेपागारों की सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा की गई । 302 शाखाओं की जिसमें 64 अपवादस्वरूप बृहत और 238 बहुत बड़ी शाखाएँ सम्मिलित हैं, पात्र बाहरी लेखा-परीक्षकों द्वारा सूचना प्रणाली की लेखा-परीक्षा पूरी कर ली गई उसी तरह केंद्रीय कार्यालय के ट्रेज़री [विदेशी] विभाग की भी कर ली गई ।

सतर्कता

वर्ष 2007-08 के दौरान बैंक द्वारा लंबित सतर्कता अनुशासनिक मामलों को सीवीसी द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर निपटाने के लिए कारगर कदम उठाए गए । वर्ष के दौरान 73 सतर्कता अनुशासनिक मामलों का निपटाया गया । परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति एवं बृहत मूल्य की धोखाधड़ी को प्रबोधित करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति ने आवधिक तौर पर रिपोर्ट की गयी धोखाधड़ियों का विश्लेषण किया और समिति द्वारा सुझाए / बताए गए प्रेक्षणों / सुधारात्मक उपायों को कार्यान्वित किया । बैंक ने निवारक सतर्कता के तहत सी वी ओ के विशेष परिपत्र क्रम के अधीन विभाग द्वारा संभाले गए सतर्कता अनुशासनिक मामलों का विस्तृत विवरण देते हुए 21 परिपत्र जारी किए । दंड संबंधी विस्तृत ब्यौरे सहित और स्टाफ़ सदस्यों द्वारा लिए जाने योग्य निवारक सतर्कता उपायों की सूचना इन परिपत्रों में दी गई । इसके अलावा मुख्य सतर्कता अधिकारी और चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित सतर्कता अधिकारियों द्वारा आवधिक निरीक्षण द्वारा बैंक ने निवारक सतर्कता उपायों पर जोर दिया । मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं के आवधिक दौरे के दौरान प्रणालियों एवं कार्यपद्धतियों के अनुपालन में सभी स्तरों पर स्टाफ़-सदस्यों की भूमिका के बारे में खासकर के वाइ सी मानदंडों, ए एम एल दिशाानिर्देशों, धोखाधड़ी उन्मुख क्षेत्रों आदि पर जोर दिया गया । नवंबर 2007 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पालन किया गया ।

बैंक के स्टाफ़ महाविद्यालय में 28 मार्च 2008 को अधिप्राप्ति, खरीद, खरीद संविदा देना आदि पर कार्यशाला का आयोजन किया गया । श्री वी .रामचंद्रन, मुख्य तकनीकी परीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग और श्रीमती पद्मजा वर्मा, परामर्शदाता [तकनीकी लेखा-परीक्षा] केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भी कार्यक्रम तथा परस्पर संवादात्मक सत्र का संचालन किया। इस कार्यक्रम के प्रतिभागी बैंक और अन्य बैंकों के कार्यपालकों तथा वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा इस कार्यक्रम की अत्यंत सराहना की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी

इस वर्ष के दौरान बैंक ने सी बी एस में प्रगति करते हुए 493 और शाखाओं / उपशाखाओं / केंद्रीय समाशोधन कार्यालयों में सीबीएस लगाया और सीबीएस शाखाओं की कुल संख्या 1,205 हुई । बैंक के घरेलू कारोबार मिश्रण में 89% सीबीएस शाखाओं से होता है । वर्ष के दौरान बैंक ने 151 शााखाओं / उपशाखाओं को टी बी ए शाखा बनाया / उनका ग्रेड बढ़ाया । रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टी बी ए शााखाओं / उपशाखाओं की कुल संख्या 231 रही ।

वर्ष के दौरान बैंक ने 69 नए ए टी एम लगाते हुए [स्थल से अलग स्थान में 30 सम्मिलित] ए टी एम की कुल संख्या को गत वर्ष के 382 से [स्थल से अलग 52] 31 मार्च 2008 को 451 [स्थल से अलग 82] बनाया । वर्तमान में उपलब्ध डाइबोल्ड, एन सी आर और ट्रिटन ए टी एमों को 3-डी इ एस के अनुरूप बना दिया गया है । विनकर सीमेन्स के 38 ए टी एमों को प्रतिस्थापित करते समय उन्हें 3-डी इ एस के अनुरूप बना दिया जाएगा [5 ए टी एम पहले से ही प्रतिस्थापित है] वर्ष के अंत में 1,300 टी बी ए / सी बी एस शाखाएँ / स्टार केंद्र / उपशाखाएँ ईसी बैंकिंग, ई-मेल जैसी ई सेवाएँ प्रदान करती हैं ।

Information System (IS) Audit was conducted in all the 38 Regional Computer Centres, 10 CCOs, 8 Star Centres and 2 Depositories. IS Audit has been completed in 302 branches consisting of 64 Exceptionally Large Branches and 238 Very Large Branches as also Treasury (Foreign) Department, Central Office by engaging qualified External Auditors.

Vigilance

During the year 2007-08, the Bank has taken effective steps for disposal of Pending Vigilance disciplinary cases within the time frame fixed by CVC. A total of 73 Vigilance Disciplinary cases were disposed. The Operational Risk Management Committee and the Committee of the Board to Monitor Large Value Frauds analysed the frauds reported periodically and observations / remedial measures made /suggested by the committee have been implemented by the Bank. The Bank issued 21 Circulars captioned Preventive Vigilance – CVO's Special Circular elaborating the Vigilance Disciplinary Cases handled. Besides incorporating the details of punishments awarded, the important Preventive Measures to be taken by the staff members are also included in these circulars. Further emphasis has been given by the Bank towards preventive Vigilance measures through periodical branch inspection by Chief Vigilance Officer and also by Officers attached to Vigilance Cell at select Regional Offices. The role of staff at all levels in adherence to Systems and procedures especially compliance to KYC Norms, AML Guidelines, fraud prone areas, etc. has been emphasized during periodical visits to Regional Offices and Branches by Chief Vigilance Officer. Vigilance Awareness Week was observed in November 2007.

A workshop was organized on Procurement, Purchase, Awarding Purchase Contracts etc., on March 28, 2008 at the Staff College of the Bank. Shri. V. Ramachandran, Chief Technical Examiner, Central Vigilance Commission and also Smt. Padmaja Varma, Consultant (Technical Audit), Central Vigilance Commission conducted the programme followed by interactive session. This programme was highly appreciated by all the Executives and Senior Officials of the Bank and other Banks who participated in the Programme.

Information Technology

The Bank made further strides in CBS during the year and migrated additionally 493 branches / ECs / CCOs taking the total to 1,205. CBS branches accounted for 89 % of the Bank's domestic business mix. The Bank upgraded / added 151 branches / ECs to TBA during the year. The total number of TBA branches / ECs stood at 231 as at the end of the reporting period.

The Bank added 69 new ATMs (including 30 at offsite locations) during the year taking the total number of ATMs from 382 (52 offsite) last year to 451 (82 offsite) as on March 31, 2008. All existing ATMs of Diebold, NCR and Triton makes are made 3-DES compliant. The 38 Wincor-Siemens ATMs will be Triple DES compliant at the time of replacement of the ATMs (5 ATMs are already replaced). 1,300 TBA / CBS branches / ECs / Star Centres provide electronic services such as E-See Banking, e-mail, etc., as at the end of the year.

टी बी ए शाखाओं का ग्रेड बढ़ाना चालू रहता है । 31 मार्च 2007 को नेटवर्क न बनाई गईं सभी टी बी ए शाखाएँ बैंक के वाइड एरिया नेटवर्क के अधीन लाई गईं और 21 शाखाओं / उपशाखाओं को छोड़ दिया गया जहॉं बी एस एन एल / एम टी एन एल द्वारा तकनीकी एवं संभाव्यता की समस्याएँ रखी गईं । वर्ष के दौरान 255 शाखाओं / उपशाखाओं को नेटवर्क में लाया गया जिससे नेटवर्क में लाई गई शाखाओं / उपशाखाओं की कुल संख्या 1,111 से 1,366 हो गई । नेटवर्क किए गए स्थापनों की कुल संख्या 1,538 रही जिसमें शाखाएँ, उपशाखाएँ, स्थल से अलग एटीएम, क्षेत्रीय कार्यालय, आर सी सी, स्टार केंद्र, सी सी ओ तथा बैंक के अन्य कार्यालय सम्मिलित हैं । बैंक ने निर्णय किया है कि लागत को कम करने और सेवा संभरक से 99 .5 % अप्टाइम व 24 X 7 समर्थन प्राप्त करने के लिए पट्टे पर ली गई वर्तमान लाइन कनेक्टिविटी को एम पी एल एस टेक्नॉलजी में अंतरित किया जाए। तीन डेटा केंद्रों में हाइबैंडविड्त एम पी एल एस लाइन परिचालित है ।

बैंक ने प्राइमरी, सेकेंडरी तथा डिज़ास्टर रिकवरी डेटा केंद्रों के लिए डेटा केंद्र स्पेस को बाहयस्त्रोत को सौंपने का निर्णय किया । प्राइमरी डेटा केंद्र सर्विसेज़ वी एस एन एल, चेन्नै को सौंपा गया । कमांड सेंटर सर्विसेज़ को टाइडेल पार्क में स्थित सिफ़ी के डेटा केंद्र को सौंपा गया। हैदराबाद में यूटीआइ -टीएसएल परिसर में डी आर एस स्थित है।

बैंक ने आर टी जी एस, एन डी एस-पी डी ओ और सी एफ एम एस अनुप्रयोगों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित डी आर ड्रिल में भाग लेते हुए 23 फरवरी 2008 को हैदराबाद में स्थित डिज़ास्टर रिक्वरी साइट पर सफलतापूर्वक अंतरण किया था । हैदराबाद में स्थित डी आर प्रणाली के ज़रिए सभी आर टी जी एस लेनदेन किए गए । दिन के अंत में प्राइमरी सर्वरों में वापस ले आने की प्रक्रिया भी सफल रही ।

साफ़्टवेयर विकास, परीक्षण व कार्यान्वयन

बैंकॉक परियोजना - कोर मोड्यूल्स विकास पूरी की गई तथा परीक्षण किया गया । आयात-निर्यात / साख पत्र / पैकिंग क्रेडिट आदि से संबंधित फ़ारेक्स मोड्यूल के लिए विकास व परीक्षण का प्रोग्राम भी पूरा कर लिया गया ।

कोलम्बो परियोजना - कोलम्बो शाखा में आयात / निर्यात / पैकिंग क्रेडिट मोड्यूलों का परिचालन किया गया । सी आर आइ बी / सी बी एस एल डेटा जरूरतों के लिए प्रोग्राम विकसित और परिचालित किया गया । इनके अध्ययन के आधार पर अन्य प्रोग्राम विकसित किये जा रहे हैं ।

वित्तीय समावेशन परियोजना

कूतम्पाक्कम ग्राम में वी पी एन कनेक्टिविटी का प्रयोग करते हुए स्मार्ट कार्ड आधारित बैंकिंग के प्रायोगिक प्रवर्तन के लिए प्रोग्राम विकसित और परिचालित किया गया ।

सी बी एस से सीधे डेटा वेयरहाउस को अग्रिम खातों से संबंधित आंकडों को भरने के लिए [इकरिस तथा सिबिल डेटा] साफ्टवेयर विकसित तथा परिचालित किया गया ।

- ई सी एस क्रेडिट मार्किंग प्रोग्राम विकसित तथा परिचालित किया गया ।
- विद्या ज्योति ऋण के लिए ऑन लाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई ।
- सी बी एस और टी बी ए में हेल्थ केयर प्लस [बीमा उत्पाद] के लिए नई आंकड़े अपेक्षाएँ परिचालित की गईं ।

गुणवत्ता व लेखा-परीक्षा

क्वाडिट सिस्टम्स एण्ड सोल्यूशन्स लिमिटेड, चेन्नै ने फोरेक्स सूचना प्रणाली [एफ़ आइ एन एस] की सिस्टम लेखा-परीक्षा पूरी कर ली । डिलॉइट हस्किन्स एण्ड सेल्स ने केंद्रीय कार्यालय में आइ एस नीति

Upgradation to TBA is an ongoing exercise. All non-networked TBA branches as on March 31, 2007 were brought under the Bank's Wide-Area Network with the exception of 21 branches / ECs where technical and feasibility issues were raised by BSNL / MTNL. During the year 255 branches / ECs were networked taking the total of networked branches / ECs from 1,111 to 1,366. The total number of networked entities stood at 1,538, which includes branches, ECs, offsite ATMs, ROs, RCCs, Star Centres, CCOs and other offices of the Bank. The Bank has taken a decision to migrate from the existing leased line connectivity to MPLS technology to have 99.5 % uptime and 24 x 7 support by the service provider and to cut costs. The high bandwidth MPLS lines at the three data centers are operational.

The Bank decided to outsource the data centre space for the Primary, Secondary and Disaster Recovery Data Centres. The Primary Data Centre services are outsourced to VSNL, Chennai. The Command Centre services are outsourced to Sify located at their Data Centre at Tidel Park, Chennai. The DRS is located at UTI-TSL premises in Hyderabad.

The Bank had successfully failed over to the Disaster Recovery Site at Hyderabad on February 23, 2008 as part of the DR drill conducted by RBI for the RTGS, NDS–PDO and CFMS applications. All RTGS transactions were put through the DR systems at Hyderabad. The process of fail back to the primary servers at the end of the day was also successful.

Software development, testing and implementation:

Bangkok Project - development of core modules is completed and tested. Development and testing of programs for Forex modules relating to imports / exports/ LC / PC etc, are also completed.

Colombo Project - The exports / imports / Packing Credit modules are implemented in Colombo branch. Programs were also developed and implemented for CRIB / CBSL data requirements. Based on their study, other programs are being developed.

Financial Inclusion Project - Program for pilot launch of smart card based banking is developed and implemented in Koothampakkam village using VPN connectivity.

Software for loading data related to advances accounts (ICRIS as well as CIBIL data) directly from CBS to Data Warehouse has been developed and implemented.

- ECS credit marking program developed and implemented.
- Online application for Vidya Jothi Loan was enabled.
- New Data requirements for Health Care Plus (Insurance product) are implemented in CBS and TBA.

Quality & Audit

Qadit Systems and Solutions Ltd., Chennai has completed System Audit of Forex Information System (FINS). Deloitte Haskins and Sells have completed the Information Security Audit at Central Office focusing on IS Policy implementation, System Security of Core Banking, ATMs, Internet Banking and Network

कार्यान्वयन, कोर बैंकिंग की सुरक्षा प्रणाली, ए टी एम, इंटरनेट बैंकिंग व नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर पर संकेंद्रित करते हुए सूचना सुरक्षा लेखा-परीक्षा पूरी कर ली । आइ एस ओ प्रमाणन संस्था डी .एन . वी .की निगरानी लेखा-परीक्षा सितंबर 2007 में की गई और आइ एस ओ प्रमाणन सितंबर 2008 तक चालू रखने की सिफ़ारिश की गई ।

ई-सी [इंटरनेट] बैंकिंग

ई ए एस आइ ई एस टी का ई-भुगतान कार्यान्वित किया गया और हमारी नेटवर्क की गई शाखाओं के सभी ग्राहक जो सीमा शुल्क तथा सेवा कर अदा कर रहे हैं, वे अब इंटरनेट के ज़रिए भुगतान कर सकते हैं । इंटरनेट द्वारा ग्राहकों से प्रत्यक्ष करों के भुगतान किये जाने के लिए एस एस डी एल तथा यू टी आई के ज़रिए पी ए एन का ऑनलाइन प्रमाणीकरण टी बी ए / सी बी एस शाखाओं में कार्यान्वित किया गया ।

परिचालनों की लागत

लागत तत्व निर्णय करने की प्रक्रिया में , विशेषत: लाभप्रदता के क्षेत्र में, अहम भूमिका निभाता है । बैंक की प्राथमिकताओं में कुछेक हैं लाभ योजना, लक्ष्य निर्धारण और आय व व्यय के आवागमन का प्रबोधन । बैंक द्वारा जब भी ज़रूरत पड़ती है विशेष लागत अध्ययन किया जाता है ।

सुरक्षा

शाखाओं तथा प्रशासनिक कार्यालयों में अधिदेशात्मक और संस्तुत्यात्मक सुरक्षा उपायों के कारगर कार्यान्वयन से ग्राहकों तथा स्टाफ़-सदस्यों को कारोबार के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया गया है । स्थानीय कानून व व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में लेकर आवधिक तौर पर सुरक्षा उपायों का पुनरीक्षण किया गया और शाखाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कदम उठाए गए । बैंक ने स्टाफ़ के बीच सुरक्षा संबंधी जागरूकता पैदा करने और आग से बचाव संबंधी प्रशिक्षण पर जोर दिया ।

मानव संसाधन विकास

स्टाफ़ संख्या

8,767 अधिकारियों, 11,701 लिपिकों व 4,296 अधीनस्थ कर्मचारियों को मिलाकर 31 मार्च 2008 तक भारत में बैंक के स्टाफ़ की संख्या 24,764 रही।

कुल स्टाफ़ में से 6,776 स्टाफ अजा /अजजा के थे । बैंक के स्टाफ़ में 715 भूतपूर्व सैनिक थे। महिला कर्मचारियों की संख्या 4,362 थी । बैंक की पंजी में शारीरिक रूप से अशक्त सदस्यों की संख्या 469 थी ।

कार्यनिष्पादन से जुड़ी नकद प्रोत्साहन योजना

बैंक ने शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रादेशिक महा प्रबंधक के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों / पंचाट कर्मचारियों के लिए अभिप्रेरणात्मक उपायों के तौर पर कार्यनिष्पादन से जुड़ी वर्ष 2006-07 के लिए नकद प्रोत्साहन योजना शुरू की। लगभग 2,400 स्टाफ़-सदस्यों ने कुल रु. 6.87 करोड़ का कार्यनिष्पादन पुरस्कार प्राप्त किया ।

भर्ती

वर्ष 2007-08 के दौरान, बैंक ने 147 परिवीक्षा अधिकारियों के अलावा 99 विशिष्ट अधिकारियों की [88 कृषि अधिकारी, 5 राजभाषा अधिकारी, 5 सुरक्षा अधिकारी तथा 1 वित्त में विशेषज्ञ एम बी ए] भर्ती की ।

तमिळनाडु, उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा अंडमान-निकोबार के लिए लिपिकों की भर्ती की पहल में 199 उम्मीदवारों का चयन किया गया । लिपिकों की भर्ती के लिए पूरी की गई साक्षात्कार प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप 18 विभिन्न राज्यों में 200 अतिरिक्त लिपिकों की भर्ती होगी । लिपिकीय वर्ग

infrastructure. Surveillance Audit by the ISO certifying body D.N.V. was done in September 2007 and ISO certification was recommended for continuance till September 2008.

E-See (Internet) banking:

E-Payment of EASIEST is implemented and all the customers of networked branches who pay Excise Duty and Service Tax can now remit through Internet.Online validation of PAN through NSDL and UTI was implemented in TBA / CBS branches for payment of Direct taxes by customers through Internet.

Costing of Operations

Cost aspects play a vital role in decision making, especially in the area of profitability. Profit planning, projection of goals and monitoring the movement of income and expenditure are some of the priority areas of the Bank. Special cost studies are taken up as and when required by the Bank.

Security

The effective implementation of security measures, mandatory and recommendatory, at branches and administrative offices ensured a safe environment for business for customers and staff. Security measures were reviewed periodically keeping in view the local law and order situation and additional steps as necessary were taken to strengthen the security of branches. The Bank emphasised on inculcation of security consciousness among staff and training on fire prevention measures.

Human Resources Development

Staff Strength

The Bank's staff strength in India stood at 24,764 comprising 8,767 Officers, 11,701 Clerks and 4,296 Sub-staff as of March 31, 2008.

Of the total staff strength, 6,776 members belonged to SC/ST categories. There were 715 ex-servicemen staff in the Bank. Women employees in the Bank were 4,362. The number of physically challenged members on the rolls of the Bank was 469.

Performance linked Cash Incentive Scheme

As a part of motivational measure, the Bank introduced Performance linked Cash incentive Scheme for the year 2006-07 to Officers/Award Staff attached to Branches, Regional Offices and FGM offices. Nearly 2,400 Staff Members received Performance Incentive to the tune of Rs 6.87 crore.

Recruitment

During the year 2007-08, the Bank recruited 99 Specialist Officers (88 Agricultural officers, 5 Official language officers, 5 Security officers and one MBA with Finance as Specialisation), apart from 147 Probationary officers.

In a Clerical recruitment initiative for Tamil Nadu, North Eastern States and Andaman and Nicobar, 199 Candidates were selected. Clerical recruitment for which interview process is completed will result in induction of additional 200 Clerks in 18 different States. Special

में अनुसूचित जन जाति वालों के न भरे गए पदों की रिक्तियों के लिए 310 रिक्तियों को भरने का विशिष्ट भर्ती अभियान प्रक्रियाधीन है ।

कारोबार विकास व वृद्धि और निकट भविष्य में होने जा रही सेवानिवृत्ति के मद्देनज़र, 430 विशिष्ट अधिकारियों [विपणन अधिकारी, सनदी वित्तीय विश्लेषक, कृषि अधिकारी, विधि अधिकारी, सनदी लेखाकार इत्यादि] और 500 परिवीक्षा अधिकारियों [जेएमजी वेतनमान I में 400 अधिकारी और एमएमजी वेतनमान II में 100]की भर्ती करने की योजना बनाई गई है ।

प्रशिक्षण

बैंकिंग उद्योग में अत्यंत स्पर्धात्मक बैंक के रूप में उभरने के बैंक के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आंतरिक व बाह्य प्रशिक्षण संस्थाओं के ज़रिए बैंकिंग के आधारभूत क्षेत्रों के अलावा बैंकिंग के समसमयिक विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया गया । प्रशिक्षण के महत्पूर्ण क्षेत्रों में जोखिम प्रबंधन तकनीकों तथा कंप्यूटर जागरूकता के अलावा उधार मूल्यांकन / उधार प्रबोधन व पर्यवेक्षण, अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन और वसूली पर भी जोर दिया जाना जारी रखा गया । इसके अलावा विदेशी विनिमय, प्राथमिकता ऋण, केवाईसी / ए एम एल, बी सी एस बी आई, आस्ति -देयता प्रबंधन, उधार विपणन, एस एम ई / माइक्रो वित्त, आइ टी उत्पाद, निरीक्षण आदि क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण दिया गया ।

प्रसिद्ध संस्थानों में अंत:कंपनी कार्यक्रम स्टाफ़ महाविद्यालय में आयोजित किया गया । बाह्य संस्था द्वारा बॉरसेस पर आयोजित कार्यक्रम में 30 चयनित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया । स्टाफ़ महाविद्यालय में एस डबल्यू आइ एफ़ टी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें ए डी शाखाओं के 95 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया ।

अनुपालन नीतियों तथा राजभाषा के कार्यान्वयन के बारे में जागरूकता लाने के लिए सत्र सम्मिलित किए गए । स्टाफ महाविद्यालय तथा स्टाफ़ प्रशिक्षण केंद्रों के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवारक सतर्कता पर सत्र शामिल किए गए ।

नए उभरते क्षेत्रों में शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत प्रमुख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने हेतु विशेष कार्यक्रमों के आयोजन के लिए केंद्रीय कार्यालय के विभिन्न विभागों को प्रशिक्षण स्लॉट आबंटित किए गए ।

आंतरिक प्रशिक्षण

आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली में 1 स्टाफ़ महाविद्यालय, 9 स्टाफ़ प्रशिक्षण केंद्र तथा 1 ग्रामीण बैंकिंग प्रशिक्षण केंद्र शाामिल हैं । 778 कार्यक्रमों का आयोजन करके 12,169 स्टाफ़ को आंतरिक प्रशिक्षण दिया गया जिसमें 4,823 अधिकारी, 6,368 लिपिक और 978 अधीनस्थ स्टाफ़ शामिल थे। प्रशिक्षित कुल स्टाफ़ में 3,471 अ जा के और 436 अ ज जा के थे।

बाहरी प्रशिक्षण व विदेश में प्रशिक्षण

बैंक ने प्रतिष्ठात्मक संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 82 कार्यपालकों, 484 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया । इनके अलावा 18 कार्यपालकों एवं 8 अधिकारियों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया ।

क्षे .ग्रा. बैंक के स्टाफ़-सदस्यों को प्रशिक्षण

बैंक ने नीलाँचल ग्राम्य बैंक तथा पांडियन ग्राम बैंक के 526 स्टाफ़-सदस्यों को 24 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया । कुल प्रशिक्षित स्टाफ़-सदस्यों में अनुसूचित जाति के 86 तथा अनुसूचित जनजाति के 18 सदस्य थे ।

Recruitment Drive for Scheduled Tribe backlog vacancies in clerical cadre is under process for filling up of 310 vacancies.

Keeping in view Business Development and Growth and also Retirement in immediate future, it is planned to recruit 430 Specialist officers (Marketing, officers, Chartered Financial Analysts, Agriculture officers, Law officers, Chartered Accountants etc.,) and 500 Probationary officers (400 officers in JMG Scale I and 100 in MMG Scale II).

Training

In line with the mission of the Bank to emerge as the most competitive bank in the industry, training was imparted on contemporary issues of banking apart from basic areas through the internal and external mode. The focus continued to be on Credit Appraisal/ Credit Monitoring & Supervision, NPA Management & Recovery in addition to Risk Management Techniques and Computer awareness. Apart from the above, training was also given in areas of Foreign Exchange, Priority Credit, KYC/ AML, BCSBI, Asset Liability Management, Credit Marketing, SME /Micro Finance, IT Products, inspection etc.

In-company programmes at reputed institutes at Staff Training College were organised. The Programme on Bourses was conducted by an external institute to 30 select officers. Programme on SWIFT operations was organised at Staff College wherein 95 officers from AD Branches were trained.

Sessions on Compliance Policies and Official Language implementation were also included in training programmes to create awareness. Sessions on preventive vigilance were included in all the training programmes conducted at Staff Training College and Staff Training Centres.

Training slots were allotted to different Central Office Departments for organising ad-hoc programmes to enable them to train key functionaries at Branches/ Regional Offices on new emerging areas.

Internal Training

The internal training system comprises of one Staff College, nine Staff Training Centres and one Rural Banking Training Centre. Internal training was imparted to 12,169 staff comprising of 4,823 Officers, 6,368 Clerical and 978 Sub-staff by conducting 778 programmes. Of the total staff trained, 3,471 belonged to SC and 436 belonged to ST.

External Training and Overseas Training

The Bank deputed 82 Executives, 484 Officers for training programmes conducted by reputed external institutes. Apart from these 18 executives and 8 Officers were deputed for training abroad.

Training for Staff of RRB's

The Bank trained 526 staff members of Neelachal Gramya Bank and Pandyan Grama Bank through 24 Training Programmes . Of the total staff trained, 86 belonged to SC and 18 belonged to ST.

संसदीय समितियों का दौरा

वर्ष 2007-08 के दौरान, बैंक ने निम्नांकित संसदीय समितियों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम किया :

1 सरकारी आश्वासन पर संसदीय समिति [लोक सभा] - जून 8-9, 2007

2 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कल्याण पर संसदीय समिति - जून 23-26, 2007

3 वित्त पर संसदीय समिति - जुलाई 3-4, 2007

4 आकलन पर संसदीय समिति - जुलाई 8-10, 2007

5 सरकारी आश्वासन पर संसदीय समिति - अक्तूबर 14-16, 2007

6 संसदीय राजभाषा समिति - अक्तूबर 27-29, 2007

7 कार्मिक, लोक व्यथा, विधि एवं न्याय पर संसदीय समिति - नवंबर 13-14, 2007

8 शहरी विकास पर संसदीय समिति - फरवरी 7-9, 2008

9 राष्ट्रीय सफ़ाई कर्मचारी आयोग का दौरा - मार्च 12, 2008

संभावनाएँ

अर्थ-व्यवस्था में निवेशों की वृद्धि उल्लेखनीय रही है और हाल में यह भारत के आर्थिक विकास के लिए प्रभावी आधार बन गया। वर्ष 2008-09 में यह प्रवृत्ति बनी रहने की उम्मीद है, पर चुनौतियाँ भी हैं। विश्व स्तर पर तेल व अन्य पदार्थों के रिकार्ड दाम की वजह से आंतरिक मुद्रास्फीति प्रबंधन के लिए समस्या खड़ी होती है । मुद्रा स्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक उच्चतम प्राथमिकता देता है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आरक्षित अपेक्षाओं तथा ब्याज दरों के लिए यह निहितार्थ है। बैंकिंग क्षेत्र में नियंत्रित उधार विस्तार संभाव्य है और उद्योग के साथ कृषि तथा एस एम ई क्षेत्र में उधार का पर्याप्त अभिनियोजन हो सकता है ।

Visit of Parliamentary Committees

During 2007-08, the Bank acted as Nodal Agency for the following Parliamentary Committees:

1) Parliamentary Committee on Government Assurances (Lok Sabha) – June 8-9, 2007
2) Parliamentary Committee on Welfare of SC/ST members – June 23-26, 2007
3) Parliamentary Committee on Finance – July 3-4, 2007
4) Parliamentary Committee on Estimates – July 8-10, 2007
5) Parliamentary Committee on Government Assurances-October 14-16, 2007
6) Parliamentary Committee on Official Language – October 27-29, 2007
7) Parliamentary Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice – November 13-14, 2007
8) Parliamentary Committee on Urban Development-February 7-9, 2008
9) Visit of National Commission of Safai Karmachari - March 12, 2008

Prospects

Growth of investments has been significant in the economy and this formed the basis for impressive economic growth in India recently. This trend is expected to continue in 2008-09, but there are challenges. Record price levels in oil and other commodities at the global level pose problems for inflation management domestically. The RBI accords top priority to keeping inflation under control . This has implications for interest rates and reserve requirements prescribed by the RBI. Banking sector is likely to witness controlled expansion of credit and credit deployment in sectors such as Agriculture and SME may be substantial along with industry.

वर्ष 2007-08 के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट

क. अधिदेशात्मक आवश्यकताएँ

1. कार्पोरेट गवर्नेन्स कोड पर बैंक का दर्शन

कार्पोरेट गवर्नेन्स मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और नैतिक व्यावसायिक व्यवहार के बारे में है । यह बैंक के प्रबंधन से संबंधित है । इससे बैंक के प्रबंधन की व्यापक अंतर्दृष्टि की जानकारी मिलती है और इसमें उसके कार्पोरेट व अन्य ढाँचे उसकी संस्कृति, नीतियाँ व विविध दावेदारों के साथ उसके लेनदेन शामिल हैं । बैंक के वित्तीय स्थिति, निष्पादन, स्वामित्व एवं गवर्नेन्स के बारे में समय पर एवं सही जानकारी का प्रकटीकरण कार्पोरेट गवर्नेन्स का महत्वपूर्ण अंश है । इससे बैंक के संरचनात्मक ढाँचे, कार्यकलाप एवं नीतियों के बारे में जनता की जानकारी बढती है । फलस्वरूप बैंक निवेशकों को आकर्षित कर पाता है और दावेदारों के विश्वास एवं भरोसे में वृद्धि होती है ।

हमें विश्वास है कि निवेशकों के भरोसे को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए स्वस्थ कार्पोरेट गवर्नेन्स जरूरी है । हम अंतर्राष्ट्रीय कार्पोरेट गवर्नेन्स के सदाचार का अनुकरण करने और विश्वसनीयता के साथ अपने निष्पादन मानकों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। हमारा बोर्ड अपनी न्यासीय जिम्मेदारियों को व्यापक अर्थ में निभाता है । यह हमारा प्रयास रहा है कि हमारे सभी व्यावसायिक निर्णयों में दीर्घावधि शेयर धारक मूल्य को बढ़ावा मिले एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों को ध्यान में रखा जाए ।

हमारी कार्पोरेट गवर्नेन्स नीतियाँ निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित हैं :

⇒ केवल शब्दश: नहीं बल्कि विधिवत पालन हो ।

⇒ पारदर्शी रहना और उच्च प्रकटीकरण स्तर बनाए रखना ।

⇒ बैंक का आंतरिक कामकाज कैसे चलता है उसके बारे में सचसच जानकारी देना ।

⇒ जिन देशों में बैंक काम कर रहा है उनके कानून का अनुपालन करना।

⇒ यह समझना कि प्रबंधन केवल न्यासी है और जनता की निधियों का संरक्षक है उसका स्वामी नहीं है ।

बैंक का वर्तमान कार्पोरेट लक्ष्य **बैंकिंग उद्योग में सबसे अच्छे निष्पादक बैंकों में सर्वश्रेष्ठ बनाना** । बैंक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों, शक्तियों और रणनीतियों को केंद्रीकृत करना जारी रखेगा ।

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2007-08

A. MANDATORY REQUIREMENTS:

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE:

Corporate Governance is about commitment to values and ethical business conduct. It gives a broad insight into the management of the Bank including its corporate and other structures, its culture, policies and the manner in which it deals with various stakeholders. The timely and accurate disclosure of information regarding the financial situation, performance, ownership and governance of the Bank is an important part of corporate governance. This improves public understanding of the structure, activities and policies of the Bank. Consequently the Bank is able to attract investors and enhance the trust and wealth of the stakeholders besides retaining their confidence.

We believe that sound corporate governance is critical to enhance and retain investor confidence. We always seek to emulate the best practices in international corporate governance and to attain our performance standards with integrity. Our Board exercises its fiduciary responsibilities in the widest sense of the term. It is also our endeavor to enhance long-term shareholder value and respect minority rights in all our business decisions.

Our Corporate Governance policies are based on the following principles:

⇒ Satisfy the spirit of the law and not just in the letter

⇒ Be transparent and maintain a high degree of disclosures levels.

⇒ Communicate externally in a truthful manner about how the bank is run internally

⇒ Comply with laws of all the countries in which the Bank operates

⇒ Realise that management is only the trustee and custodian of the public funds and not the owner

The Bank's existing corporate vision: to BE THE BEST among the BEST performing BANKS in the BANKING INDUSTRY. The Bank will continue to focus its resources, strengths and strategies to achieve this vision.

2. निदेशक मंडल

क. संरचना

बैंक के व्यापार का कार्यभार निदेशक मंडल पर है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण निर्देशन और नियंत्रण में काम करते हैं। निदेशक मंडल में 31 03 2008 तक 13 निदेशक रहे, जिनमें तीन कार्यपालक पूर्ण कालिक निदेशक हैं व दस गैर कार्यपालक हैं जिसमें तीन निदेशक शेयर धारकों द्वारा उनके हितों के प्रतिनिधित्व के लिए चुने गए हैं ।

ख. वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान कार्यरत निदेशकों के विवरण :

क्रम सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	निदेशकता की प्रकृति	नियुक्ति तारीख	वर्ष के दौरान सेवा निवृत्त
1.	श्री टी एस नारायण सामी	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	09-06-2005	04-06-2007 को कार्यालय त्याग दिया
2	श्री एस ए भट	अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	04-06-2007	---
3	श्री ए वी दुगाडे	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	01-05-2006	31 03 2008 को सेवानिवृत्त
4	श्री जी नारायणन	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक / पूर्णकालिक	07-11-2007	---
5.	श्री मधुसूदन प्रसाद	सरकारी नामिती	सरकारी गैर कार्यपालक	24-01-2005	19 08 2007 को कार्यालय त्याग दिया
6	डॉ शशांक सक्सेना	सरकारी नामिती	सरकारी गैर कार्यपालक	20-08-2007	---
7	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	भा रि बैंक की नामिती	गैर कार्यपालक	27-02-2007	---
8	श्री एस श्रीनिवासन	कर्मकार निदेशक	गैर कार्यपालक	25-02-2003	19-04-2007 को कार्यालय त्याग दिया
9	श्री एन श्रीधरन	कर्मकार निदेशक	गैर कार्यपालक	20-04-2007	---
10	श्री जे डी शर्मा	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	09-03-2006	---
11	श्री एम रवींद्र विक्रम	सनदी लेखाकार/निदेशक अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	11-10-2006	---
12	श्री सूरज खत्री	निदेशक / अंशकालिक गैर सरकारी	गैर कार्यपालक	09-12-2005	---
13	श्री एम एन कंदस्वामी	निदेशक	गैर कार्यपालक / अंशकालिक गैर सरकारी	07-02-2006	---
14	श्री ए के भार्गव	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08-12-2005	---
15	श्री चिरंजीब सेन	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08-12-2005	---
16	श्री एम एन वेंकटेशन	शेयरधारक निदेशक	गैर कार्यपालक	08-12-2005	---

बैंक के निदेशकों का प्रोफाइल अनुबंध में दिया गया है ।

2. BOARD OF DIRECTORS:

a. Composition:

The business of the Bank is vested with the Board of Directors. The CMD and EDs function under the superintendence, direction and control of the Board. The strength as on 31.03.2008 is thirteen directors comprising three whole time Directors and ten non-executive Directors, which includes three directors elected by the shareholders to duly represent their interest.

b. Particulars of directors who held office during the financial year 2007-2008:

Sl No	Name of the Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Appointment	Retirement/ demission of office during the year
01	Shri T S Narayanasami	Chairman & Managing Director	Executive/ Whole Time	09.06.2005	04.06.2007 demitted office
02	Shri S A Bhat	Chairman & Managing Director	Executive / Whole Time	04.06.2007	—
03	Shri A.V. Dugade	Executive Director	Executive / Whole Time	01.05.2006	31.03.2008 retirement on superannuation
04	Shri G Narayanan	Executive Director	Executive / Whole Time	07.11.2007	—
05	Shri. Madhusudan Prasad	Govt. Nominee Director	Official - Non Executive	24.01.2005	19.08.2007 – demitted office
06	Dr. Shashank Saksena	Govt. Nominee Director	Official - Non Executive	20.08.2007	—
07	Smt. Chitra Chandramouliswaran	RBI Nominee Director	Non Executive	27.02.2007	—
08	Shri S. Srinivasan	Workmen Employee Director	Non Executive	25.02.2003	19.04.2007 – demitted office
09	Shri N Sridaran	Workmen Employee Director	Non Executive	20.04.2007	—
10	Shri J D Sharma	Officer Employee Director	Non Executive	09.03.2006	—
11	Shri M. Ravindra Vikram	Chartered Accountant Director / Part-time Non-Official	Non Executive	11.10.2006	—
12	Shri Sooraj Khatri	Director / Part-time Non – Official	Non Executive	09.12.2005	—
13	Shri M.N. Kandaswamy	Director	Non Executive / Part-time Non – Official	07.02.2006	—
14	Shri A.K. Bhargava	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2005	—
15	Dr. Chiranjib Sen	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2005	—
16	Shri M.N. Venkatesan	Shareholder Director	Non Executive	08.12.2005	—

Profile of Directors of the Bank is enclosed as an Annexure.

यह घोषित किया जाता है कि कोई भी निदेशक एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं हैं या बैंक के किसी कर्मचारी के रिश्तेदार नहीं हैं ।

मंडल ने निदेशकों और प्रादेशिक महाप्रबंधकों सहित सभी महा प्रबंधकों के लिए आचरण संहिता अपनाई है और अ.व.प्र.नि से इस आशय की घोषणा प्राप्त की गई है कि इस रिपोर्ट से संलग्न आचरण संहिता के अनुपालन के लिए उन्होंने पुष्टि दी है ।

बोर्ड सेवा विभाग से जुड़े श्री के सुंदर राजन, उप महा प्रबंधक योग्यता प्राप्त कंपनी सचिव हैं और डॉ गांगुली समिति की सिफारिशों के अनुसार वे बोर्ड के भी सचिव हैं ।

ग. निदेशक मंडल की बैठकें

बैठक की तारीख व स्थान और कार्यसूची सभी निदेशकों को काफी पहले सूचित की जाती हैं । निदेशक बैंक के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं । बैंक के कार्यपालकों को मंडल की बैठक में स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचनाएं देने के लिए आमंत्रित किया जाता है । मंडल की बैठकें हर तिमाही में एक, कम से कम वर्ष में छः बार आयोजित किए जाने की तुलना में आलोच्य वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 12 बैठकें हुई ।

- वित्तीय वर्ष 2007 - 08 के दौरान 12 बार निम्नलिखित तारीखों को मंडल की बैठकें आयोजित की गईं :

क्र.सं.	बैठक की तारीख	स्थान
1	23.04.2007	चेन्नै
2	29.05.2007	चेन्नै
3	30.06.2007	दिल्ली
4	27.07.2007	चेन्नै
5	25.08.2007	चेन्नै
6	18.09.2007	पुणे
7	29.10.2007	मुंबई
8	01.12.2007	गोवा
9	02.01.2008	चेन्नै
10	30.01.2008	चेन्नै
11	23.02.2008	कुमरकोम
12	29.03.2008	मुंबई

- सभी बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बिना आयोजित की गईं।
- मंडल की उक्त बैठकों / दिनांक 12 06 2007 को आयोजित पिछली एजीएम में निदेशकों की उपस्थिति नीचे दी गयी है

It is declared that none of the directors are related to each other or related to any of the employees of the Bank.

The Board has adopted a Code of Conduct for Directors and all the General Managers including the Field General Managers and a declaration has been obtained from the CMD confirming their compliance with the Code of Conduct and is attached to this report.

Shri K Sundar Rajan, Deputy General Manager, a qualified Company Secretary, attached to Board Services Department, is also the Secretary to the Board, in accordance with the recommendations of the Dr. Ganguly Committee.

c. Meetings of the Board:

The date and place of the meeting as well as the agenda papers are advised to all Directors well in advance. The Directors have access to all additional information on the agenda. Executives of the Bank are also invited to attend the Board meetings to provide necessary clarifications. During the year under review, the meetings of the Board were held 12 times as against the requirement of holding meetings at least once a quarter with a minimum of six times a year.

- During the financial year 2007-08, the Board meetings were held 12 times on the following dates and places :

SL NO	DATE OF MEETING	PLACE HELD
01	23.04.2007	Chennai
02	29.05.2007	Chennai
03	30.06.2007	Delhi
04	27.07.2007	Chennai
05	25.08.2007	Chennai
06	18.09.2007	Pune
07	29.10.2007	Mumbai
08	01.12.2007	Goa
09	02.01.2008	Chennai
10	30.01.2008	Chennai
11	23.02.2008	Kumarakom
12	29.03.2008	Mumbai

- All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.
- Attendance of the directors at the above Board meetings and last AGM held on 12.06.2007 are furnished below:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	भाग ली गई बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम में उपस्थिति
1.	श्री टी एस नारायणसामी	02/02	04 06 2007 को कार्यालय त्याग दिया
2.	श्री एस ए भट, अ व प्र नि	10 /10	हाँ
3.	श्री ए वी दुगाडे	12/12	हाँ
4.	श्री जी नारायणन	04/05	एजीएम की तारीख के बाद कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त
5.	श्री मधुसूदन प्रसाद	03/04	नहीं
6.	डॉ शशांक सक्सेना	07/08	एजीएम की तारीख के बाद नियुक्त
7.	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	11/12	नहीं
8	श्री एन श्रीधरन	12/12	हाँ
9	श्री जे डी शर्मा	12/12	हाँ
10	श्री एम रवींद्र विक्रम	10/12	नहीं
11	श्री सूरज खत्री	12/12	हाँ
12	श्री एम एन कंदस्वामी	12/12	हाँ
13	श्री ए के भार्गवा	12/12	हाँ
14	डॉ चिरंजीबसेन	08/12	नहीं
15	श्री एम एन वेंकटेसन	11/12	हाँ

घ. अन्य मण्डल या मण्डल समितियों की संख्या जिनमें निदेशक एक सदस्य या अध्यक्ष हैं

निदेशक का नाम	अन्य कंपनियों की संख्या (निजी कंपनियों को छोडकर) जिनमें वे सदस्य / अध्यक्ष हैं (वैकल्पिक / नामित निदेशक को छोडकर	समितियों की संख्या जिसमें वे सदस्य हैं (आइ ओ बी को छोडकर)
श्री एम रवींद्र विक्रम	05- सदस्य	08-सदस्य 01-अध्यक्ष
श्री ए के भार्गव	2- सदस्य	1-अध्यक्ष

ड. समितियों में सदस्यता

मंडल के निदेशकों में से कोई भी 10 समितियों से अधिक में सदस्य नहीं हैं या सभी कंपनियों में, जिसमें वे निदेशक हैं पाँच समितियों से अधिक में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत नहीं हैं । (सूचीबद्ध करार के खण्ड 49(1) (सी) की शर्तों के अनुसार सीमा की गणना के उद्देश्य से, लेखा-परीक्षा, तथा शेयर धारक शिकायत समिति की अध्यक्षता/ सदस्यता को ही विचार किया गया है ।)

3. मंडल की समितियाँ

निर्णय प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मंडल ने निम्नलिखित समितियां गठित की हैं और उन्हें विशेष अधिकार भी दिए हैं । हर बैठक के कार्यवृत्त समिति की आगामी बैठक के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं तथा पुष्टि किए गये कार्यवृत्तों को निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ मंडल बैठक में प्रस्तुत किया जाता है ।

Sl. No.	Name of Director	Number of Board Meetings attended	Attendance in the last AGM
01	Shri T.S. Narayanasami, CMD	02/02	Demitted office on 04.06.2007
02	Shri S.A. Bhat, CMD	10/10	Yes
03	Shri A.V. Dugade	12/12	Yes
04	Shri G. Narayanan	04/05	Appointed as ED after date of AGM
05	Shri Madhusudan Prasad	03/04	No
06	Dr. Shashank Saksena	07/08	Appointed after date of AGM
07	Smt. Chitra Chandramouliswaran	11/12	No
08	Shri N. Sridaran	12/12	Yes
09	Shri J.D. Sharma	12/12	Yes
10	Shri M. Ravindra Vikram	10/12	No
11	Shri Sooraj Khatri	12/12	Yes
12	Shri M.N. Kandaswamy	12/12	Yes
13	Shri A.K. Bhargava	12/12	Yes
14	Dr. Chiranjib Sen	08/12	No
15	Shri M.N. Venkatesan	11/12	Yes

d. Number of other Boards or Board committees in which the Director is a member/ Chairperson:

Name of the Director	Number of other companies (excluding private companies) in which he / she is a member/ Chairperson (excluding alternate / nominee director)	Number of Committees (other than IOB) in which a member
Shri M. Ravindra Vikram	05 - Member	08 – Member 01- Chairman
Shri A.K. Bhargava	02-Member	01- Chairman

e. Membership in Committees:

None of the directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as a Chairman of more than five committees across all companies in which he is a director. (For the purpose of reckoning the limit in terms of clause 49(1)(C) of the listing agreement, the chairmanship/ membership of the Audit Committee and the Shareholders' Grievance Committee alone have been considered).

3. COMMITTEES OF THE BOARD:

In order to facilitate the decision-making process, Board has constituted the following committees and delegated specific powers to them. The minutes of each meeting are subsequently placed before the next meeting of the committee for confirmation and the minutes thus approved, are placed before the Board Meeting for their information.

3.1 मंडल की प्रबंधन समिति (एम सी बी)

मंडल की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन व विविध प्रावधान) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है एमसीबी को निम्नानुसार कार्य एवं कर्तव्य सौंपे गये हैं ।

क) उधार प्रस्तावों को स्वीकृत करना (निधि आधार पर तथा गैर निधि आधार पर) ।

ख) ऋण और ब्याज समझौता/बट्टे खाते में डालने के प्रस्ताव ।

ग) पूंजी एवं राजस्व खर्चे के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव ।

घ) परिसर किराए और अधिग्रहण के संबंध में प्रस्ताव परिसर के किराये के लिए व अधिग्रहण के लिए मानदण्डों के व्यतिक्रम सहित ।

ङ) वाद/अपील दायर करने, उन्हें प्रतिवाद करने इत्यादि ।

च) सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों और कंपनियों के डिबेंचरों में, हामीदारी सहित निवेश करना।

छ) दान ।

ज) अन्य कोई विषय जो बोर्ड द्वारा प्रबंधन समिति को सौंपा गया हो।

अध्यक्ष के विवेकाधिकार से अधिक प्रस्तावों के संबंध में मद (क) से (छ) ।

समिति वर्ष के दौरान 18 बार मिली। सभी बैठकें उचित फोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं।

दिनांक 01.04.2007 से 31.03.2008 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा उसके कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है:

क्र सं	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि से	तक	भाग लिए हुए बैठकों की सं
1.	श्री टी एस नारयणसामी अ व प्र नि	अध्यक्ष	09-06-2005	04-06-2007	2/2
2	श्री एस ए भट अ व प्र नि	अध्यक्ष	04-06-2007		16/16
3	श्री ए वी दुगाड़े	सदस्य	01-05-2006	31-03-2008	17/18
4	श्री जी नारायणन	सदस्य	07-11-2007		9/10
5	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	सदस्य	12-07-2007		14/15
6	श्री एम रविन्द्र विक्रम	सदस्य	11-10-2006		16/18
7	श्री एन श्रीधरन	सदस्य	08-12-2007		8/8
8	श्री जे डी शर्मा	सदस्य	08-06-2007	07-12-2007	8/8
9	श्री सूरज खत्री	सदस्य	01-06-2007	30-11-2007	7/7
10	श्री एम एन कंदस्वामी	सदस्य	08-12-2006 22-03-2008	07-06-2007	2/3
11	श्री ए के भार्गव	सदस्य	22-09-2007	21-03-2008	11/11
12	डॉ चिरंजीब सेन	सदस्य	01-12-2006 31-05-2007	01-12-2007	7/11
13	श्री एम एन वेंकटेशन	सदस्य	22-03-2007	21-09-2007	5/6

● 3.1 Management Committee of the Board (MCB):

MCB is constituted as per the provisions of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970. The functions and duties of the MCB are as under:

a. Sanctioning of credit proposals (funded and non funded)

b. Loan and Interest Compromise / Write off proposals

c. Proposals for approval of capital and revenue expenditure

d. Proposals relating to acquisition and hiring of premises, including deviation from norms for acquisition and hiring of premises.

e. Filing of suits / appeals, defending them etc.

f. Investments in Government and other approved securities, shares and debentures of companies, including underwriting.

g. Donations

h. Any other matter referred to the Management Committee by the Board.

Items (a) to (g) will be in respect of proposals beyond the discretionary powers of CMD.

The committee met 18 times during the year. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The Members who held office during the period 01-04-2007 to 31-03-2008 and the details of number of meetings attended during their tenure by each committee member are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri T.S. Narayanasami, CMD	Chairman	09.06.2005	04.06.2007	2 / 2
2.	Shri S.A. Bhat, CMD	Chairman	04.06.2007		16 / 16
3.	Shri A.V. Dugade	Member	01.05.2006	31.03.2008	17 / 18
4.	Shri G. Narayanan	Member	07.11.2007		9 / 10
5.	Smt. Chitra Chandramouliswaran	Member	12.07.2007		14 / 15
6.	Shri M. Ravindra Vikram	Member	11.10.2006		16 /18
7.	Shri N. Sridaran	Member	08.12.2007		8 / 8
8.	Shri J.D. Sharma	Member	08.06.2007	07.12.2007	8 / 8
9.	Shri Sooraj Khatri	Member	01.06.2007	30.11.2007	7 / 7
10.	Shri M.N. Kandaswamy	Member	08.12.2006 22.03.2008	07.06.2007	2 / 3
11.	Shri A.K. Bhargava	Member	22.09.2007	21.03.2008	11 / 11
12.	Dr. Chiranjib Sen	Member	01.12.2006 01.12.2007	31.05.2007	7 / 11
13	Shri M.N. Venkatesan	Member	22.03.2007	21.09.2007	5 / 6

3.2 मंडल की लेखा परीक्षा समिति

मंडल की लेखा परीक्षा समिति भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा गठित की गयी है। समिति में पाँच सदस्य हैं- कार्यपालक निदेशक, सरकारी निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक निदेशक, दो गैर आधिकारिक निदेशक जिनमें से एक सनदी लेखाकार है। मंडलकी लेखा परीक्षा समिति के कार्य व कर्त्तव्य निम्नानुसार हैं:

⇒ मंडल की लेखा परीक्षा समिति को बैंक के समग्र लेखा परीक्षा क्रियाकलाप के परिचालन की देख-रेख करनी है और दिशानिर्देश देना है। समग्र लेखा परीक्षा क्रियाकलाप में बैंक का आंतरिक निरीक्षण व लेखा परीक्षा का संगठन, गुणवत्ता नियंत्रण व परिचालन करना और बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के सांविधिक/बाहरी लेखापरीक्षा का अनुवर्तन करना शामिल है।

⇒ आंतरिक लेखा परीक्षा के संबंध में एसीबी को बैंक में होनेवाले आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्य के अनुवर्तन में उसकी गुणवत्ता तथा प्रभावात्मकता की समीक्षा करना और उसको विशेष तथा असाधारण बड़ी शाखाओं और सभी असंतोषजनक रेटिंगवाली सभी शाखाओं की समीक्षा भी करना है ।

⇒ कार्यकारी क्षेत्रों के अनुपालन अधिकारियों से अर्ध वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त करना है और उसकी समीक्षा करना।

⇒ यह समिति, सांविधिक लेखा परीक्षा की रिपोर्ट तथा दीर्घ प्रपत्र लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (एलएफ़एआर) में उठाए गए सभी मदों पर अनुवर्तन तथा समीक्षा करना है और वार्षिक/अर्ध वार्षिक लेखों तथा रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ विचार विमर्श करना ।

⇒ भारतीय रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मामलों/जरूरतों की समीक्षा एवं अनुवर्तन करना।

यह समिति निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देती है

⇒ अन्तर - शाखा समंजन खाते

⇒ अन्तर-बैंक तथा नोस्ट्रो खातों में लंबी अवधि से असमंजित लंबित प्रविष्टियाँ

⇒ विभिन्न शाखाओं में बहियों के तुलन में बकाया का समंजन

⇒ धोखाधड़ियाँ एवं कार्यालयीन व्यवस्था के अन्य सभी प्रमुख क्षेत्र

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिभूति एक्सचेंज बोर्ड समिति की शर्तों के अनुसार जारी कार्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अनुसार मंडल की लेखा-परीक्षा समिति को निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य अधिकार सौंपे गए :

3.2 Audit Committee of the Board (ACB):

The Audit Committee of the Board has been constituted by the Board of Directors as per instructions of the Reserve Bank of India and consists of five members comprising of ED, Government director, RBI director and two non-official directors of which one is a Chartered Accountant. The delegated functions and duties of the ACB are as under:

⇒ To provide direction as also oversee the operation of the total audit function in the Bank. Total audit function will imply the organization, operationalisation and quality control of the internal audit and inspection within the Bank and follow up on the statutory / external audit of the Bank and inspections of RBI.

⇒ To review the internal inspection / audit function in the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of follow-up-and also the inspection reports of specialized and extra large branches and all branches with unsatisfactory ratings

⇒ To obtain and review half – yearly reports from the Compliance Officers of the functional areas

⇒ To review and follow up on the report of the statutory audits, and all the issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR) and interact with the external auditors before the finalization of the annual / quarterly financial statements and reports.

⇒ To review and follow up all the issues / concerns raised in the Inspection reports of RBI.

This committee specially focuses on the follow-up of:

⇒ Inter – Branch Adjustment Accounts

⇒ Unreconciled long outstanding entries in Inter – Bank Accounts and Nostro Accounts

⇒ Arrears in balancing of books at various branches

⇒ Frauds and all other major areas of house – keeping,

The following additional role functions/powers have been entrusted to ACB in terms of SEBI Committee on Corporate Governance guidelines issued by RBI to Indian Commercial Banks listed on stock exchanges:

- उसकी संदर्भ-गत शर्तों में किसी भी गतिविधि की जाँच पड़ताल करना ।
- किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करना ।
- बाहर से विधिक या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना ।
- यदि यह आवश्यक समझा जाए तो संबंधित विषय में विशेषज्ञता वाले बाहरी व्यक्तियों को आमंत्रित करना

लेखा-परीक्षा समिति के कार्यों में भी विद्यमान कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी शामिल हैं।

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर दृष्टि रखना तथा उसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरण सही, प्रर्याप्त तथा विश्वसनीय है ।
- लेखाकरण नीतियों व आचरणों पर विशेष जोर देते हुए, लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हुए और अन्य कानूनी जरूरतों को पूरा करते हुए वित्तीय विवरणों का पुनरीक्षण प्रबंधन के साथ करना ।
- प्रबंधन, बाहरी एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ तथा आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करना ।
- उन मामलों में आन्तरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी आंतरिक जाँच पड़ताल की रिपोर्टों की समीक्षा करना जहाँ पर धोखाधड़ी या अनियमितता या महत्वपूर्ण प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता का संदेह है और उन मामलों की सूचना बोर्ड को देना ।
- लेखा-परीक्षा शुरु होने से पहले लेखा-परीक्षा के क्षेत्र और प्रकृति के बारे में बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा करने के साथ-साथ लेखा-परीक्षा के बाद किसी चिंताजनक क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा के बाद चर्चा करना ।
- कंपनी की वित्तीय तथा जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करना।

भारत सरकार ने अपने परिपत्र दिनांक 18-02-2008 के जरिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को मंडल की लेखा परीक्षा समिति में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अंतरण व अधिग्रहण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(जी) के तहत नामित निदेशक के रूप में गैर-प्रशासनिक सनदी लेखाकार को शामिल करें ।

बोर्ड द्वारा दिनांक 01-12-2007 को श्री एम रवींद्र विक्रम को अधिनियम के खण्ड 9(3) जी के तहत सनदी लेखाकार के प्रवर्ग के तहत गैर प्रशासनिक निदेशक सदस्य के रूप में शामिल कर हमारे बैंक की लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया और दिनांक 08-12-2007 से श्री एम एन वेंकटेशन के स्थान पर लेखा परीक्षा

- To investigate any activity within its terms of reference.
- To seek information from any employee.
- To obtain outside legal or other professional advice.
- To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

The role of the Audit Committee shall also include the following in addition to the existing role function:

- Overseeing of the company's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible.
- Reviewing with the Management the financial statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning the financial statements.
- Reviewing with the Management, external and internal auditors, the adequacy of internal control systems.
- Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board.
- Discussing with external auditors before the commencement of audit the nature and scope of audit as well as having post audit discussion to ascertain any area of concern.
- Reviewing the company's Financial and Risk Management Policies.

GOI vide its Circular dated 18.02.2008 has advised Public Sector Banks to include non-official Chartered Accountant director nominated under section 9(3)(g) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 in the Audit Committee of the Board.

The Audit Committee of our Bank was reconstituted by the Board on 01.12.2007 by including Shri M Ravindra Vikram, the non official director nominated under Chartered Accountant category under section 9(3)(g) of the Act as a member and also as the Chairman of the Audit Committee with

समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है । श्री एम एन वेंकटेशन ने 07-12-007 को लेखापरीक्षा समिति में दो वर्ष कार्यकाल पूरा किया है ।

समिति वर्ष के दौरान 10 बार मिली। सभी बैठकें उचित फोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं।

दिनांक 01.04.2007 से 31.03.2008 तक की अवधि के दौरान समिति की बैठकों के ब्यौरे और प्रत्येक सदस्य द्वारा वर्ष के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या निम्नलिखित है :

क्र सं	निदेशक का नाम	पद	सदस्यता की अवधि से	तक	भाग लिए हुए बैठकों की सं
1.	श्री रवींद्र विक्रम	अध्यक्ष	08 12 2007		3/3
2	श्री एम एन वेंकटेशन	अध्यक्ष व सदस्य	08 12 2005	07 12 2007	6/7
3	श्री ए वी दुगाडे	सदस्य	01 05 2006	31 03 2008	10/10
4	श्री जी नारायणन	सदस्य	07 11 2007		3/4
5	श्री मधुसूदन प्रसाद	सदस्य	24 01 2005	19 08 2007	2/4
6	डॉ शशांक सक्सेना	सदस्य	20 08 2007		5/6
7	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	सदस्य	27 02 2007		9/10
8	श्री ए के भार्गव	सदस्य	08 12 2005	07 12 2007	7/7
9	श्री सूरज खत्री	सदस्य	08 12 2007		3/3

- **3.3 जोखिम प्रबंधन समिति**

इस समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि हैं। समिति 1.4.2007 से 31.3.2008 के बीच 5 बार मिली। वर्ष के दौरान प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं:

क्र सं	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	भाग लिए हुए बैठकों की सं
1	श्री एस. ए. भट	04.06.2007		5/5
2	श्री ए.वी. दुगाडे	01.05.2006	31.03.2008	5/5
3	श्री जी. नारायणन	01.12.2007		1/2
4	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	27.02.2007		4/5
5	श्री एम.एन. वेंकटेशन	08.12.2005		5/5

- **3.4 बड़ी मूल्यवाली धोखाधडियों के प्रबोधन संबंधी समिति**

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि. हैं। समिति 01.04.2007 से 31.03.2008 की अवधि के दौरान दो बार मिली। वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लिए बैठकों की संख्या निम्नवत हैं:

effect from 08.12.2007, in the place of Shri M N Venkatesan, who completed his term of two years in the Audit Committee on 07.12.2007.

The committee met 10 times during the year. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The members who held office during the period 01.04.2007 to 31.03.2008 and the particulars of the number of meetings attended by them during the year are as under:

Sl. No.	Name of Director	Position	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri M. Ravindra Vikram	Chairman	08.12.2007		3 / 3
2.	Shri M.N. Venkatesan	Chairman & Member	08.12.2005	07.12.2007	6 / 7
3.	Shri A.V. Dugade	Member	01.05.2006	31.03.2008	10 / 10
4.	Shri G. Narayanan	Member	07.11.2007		3 / 4
5.	Shri Madhusudan Prasad	Member	24.01.2005	19.08.2007	2 / 4
6.	Dr. Shashank Saksena	Member	20.08.2007		5 / 6
7.	Smt. Chitra Chandramouliswaran	Member	27.02.2007		9 / 10
8.	Shri A.K. Bhargava	Member	08.12.2005	07.12.2007	7 / 7
9.	Shri Sooraj Khatri	Member	08.12.2007		3 / 3

- **3.3 Risk Management Committee:**

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met 5 times during the period 01.04.2007 to 31.03.2008. Number of Meetings attended by each Committee Member during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri S. A. Bhat	04.06.2007		5 / 5
2.	Shri A.V. Dugade	01.05.2006	31.03.2008	5 / 5
3.	Shri G. Narayanan	01.12.2007		1 / 2
4.	Smt. Chitra Chandramouliswaran	27.02.2007		4 / 5
5.	Shri M. N. Venkatesan	08.12.2005		5 / 5

- **3.4 Committee For Monitoring Large Value Frauds:**

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met two times during the period 01.04.2007 to 31.03.2008. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

क्र सं	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	भाग लिए हुए बैठकों की सं
1	श्री एस.ए. भट	04.06.2007		2/2
2	श्री ए.वी. दुगाडे	01.05.2006	31.03.2008	2/2
3	श्री जी. नारायणन	23.02.2008		1/1
4	श्री मधुसूदन प्रसाद	24.01.2005	19.08.2007	0/1
5	डॉ. शशांक सक्सेना	20.08.2007		0/1
6	श्री. ए.के. भार्गव	24.02.2006		2/2
7	श्री एम.एन. वेंकटेशन	08.12.2005	01.01.2008	1/1
8	श्री एम. रवींद्र विक्रम	02.01.2008		1/1

● 3.5 ग्राहक सेवा समिति

समिति के अध्यक्ष अ.व.प्र.नि. या कार्यपालक निदेशक हैं। 01.04.2007 से 31.03.2008 की अवधि के दौरान समिति तीन बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लिए बैठकों की संख्या :

क्र सं	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	भाग लिए हुए बैठकों की सं
1	श्री एस.ए. भट	04.06.2007		3/3
2	श्री ए.वी. दुगाडे	01.05.2006	31.03.2008	3/3
3	श्री जी. नारायणन	02.01.2008		1/1
4	श्री मधुसूदन प्रसाद	24.01.2005	19.08.2007	0/1
5	डॉ. शशांक सक्सेना	20.08.2007		1/2
6	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	27.02.2007		2/3
7	श्री एन. श्रीधरन	20.04.2007		3/3
8	श्री जे.डी. शर्मा	09.03.2006		3/3
9	श्री एम.एन. वेंकटेशन	08.12.2005		3/3

● 3.6 अनुशासनिक मामलों की समीक्षा हेतु समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि हैं । 01.04.2007 से 31.03.2008 की अवधि के दौरान समिति तीन बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लिए बैठकों की संख्या :

क्र सं	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	भाग लिए हुए बैठकों की सं
1	श्री एस.ए. भट	04.06.2007		3/3
2	श्री ए.वी. दुगाडे	01.05.2006	31.03.2008	3/3
3	श्री जी. नारायणन	01.12.2007		1/2
4	श्री मधुसूदन प्रसाद	24.01.2005	19.08.2007	0/1
5	डॉ. शशांक सक्सेना	20.08.2007		2/2
6	श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	27.02.2007		3/3

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri S. A . Bhat	04.06.2007		2 / 2
2.	Shri A.V. Dugade	01.05.2006	31.03.2008	2 / 2
3.	Shri G. Narayanan	23.02.2008		1 / 1
4.	Shri Madhusudan Prasad	24.01.2005	19.08.2007	0 / 1
5.	Dr. Shashank Saksena	20.08.2007		0 / 1
6.	Shri A.K. Bhargava	24.02.2006		2 / 2
7.	Shri M.N. Venkatesan	08.12.2005	01.01.2008	1 / 1
8.	Shri M. Ravindra Vikram	02.01.2008		1 / 1

● 3.5 Customer Service Committee:

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met three times during the period 01.04.2007 to 31.03.2008. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri S. A. Bhat	04.06.2007		3 / 3
2.	Shri A.V. Dugade	01.05.2006	31.03.2008	3 / 3
3.	Shri G. Narayanan	02.01.2008		1 / 1
4.	Shri Madhusudan Prasad	24.01.2005	19.08.2007	0/ 1
5.	Dr. Shashank Saksena	20.08.2007		1 / 2
6.	Smt. Chitra Chandramouliswaran	27.02.2007		2 / 3
7.	Shri N. Sridaran	20.04.2007		3 / 3
8.	Shri J.D. Sharma	09.03.2006		3 / 3
9.	Shri M.N. Venkatesan	08.12.2005		3 / 3

● 3.6 Committee For Review Of Disciplinary Cases:

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met three times during the period 01.04.2007 to 31.03.2008. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri S. A. Bhat	04.06.2007		3 / 3
2.	Shri A.V. Dugade	01.05.2006	31.03.2008	3 / 3
3.	Shri G. Narayanan	01.12.2007		1 / 2
4.	Shri Madhusudan Prasad	24.01.2005	19.08.2007	0 / 1
5.	Shri Shashank Saksena	20.08.2007		2 / 2
6.	Smt. Chitra Chandramouliswaran	27.02.2007		3 / 3

● 3.7 संपर्ककर्ता खातों की स्थापना के लिए समिति

समिति के अध्यक्ष बैंक के अ.व.प्र.नि हैं । 01.04.2007 से 31.03.2008 की अवधि के दौरान समिति तीन बार मिली । वर्ष के दौरान समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा भाग लिए बैठकों की संख्या:

क्र सं	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	भाग लिए हुए बैठकों की सं
1	श्री एस.ए. भट	04.06.2007		3/3
2	श्री ए.वी. दुगाडे	01.05.2006	31.03.2008	3/3
3	श्री जी. नारायणन	01.12.2007		0/1
4	श्री सूरज खत्री	26.05.2006		3/3
5	श्री ए.के. भार्गव	26.05.2006		3/3

● 3.8 पारिश्रमिक समिति

बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक (कार्य-निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन को छोड़कर) केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। बैंक के अन्य निदेशकों को केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक बैठक के शुल्क के अलावा बैंक द्वारा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया ।

भारत-सरकार, वित्त-मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) पत्र एफ.सं.20/01/2005-बीओ-1, दिनांक 09.03.2007 के अनुसार भारत सरकर के दिशानिर्देशानुसार कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने और बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को कार्य निष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान करने की सिफारिश करने हेतु निदेशक मंडल की उप समिति “पारिश्रमिक समिति” गठित की गई हैं ।

समिति के सदस्य निम्नप्रकार हैं :

1. श्री एम.एन. वेंकटेशन - अध्यक्ष
2. श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन
3. डॉ. शशांक सक्सेना
4. श्री एम. रवींद विक्रम

समिति दिनांक 23.04.2007 को एक बार मिली और समिति के सभी सदस्यों ने बैठक में भाग लिया ।

● 3.9 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने परिपत्र संदर्भ डीबीओडी सं. बी सी सं.47 / 29.39.001 / 2007-08 दिनांक 01 11 2007 में दिनांक 16.10.2006 से प्रभावी बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1970 (उपक्रमों के अधिग्रहण तथा अंतरण) में हुए संशोधन के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति करते समय “योग्य तथा उचित” हैसियत आदि निर्णय लेने के प्राधिकार, पद्धति/कार्यविधि तथा मांनदण्ड-के निर्धारण के लिए आवश्यक दिशानिर्देश दिए हैं।

● 3.7 Committee For Establishment Of Correspondent Accounts:

The Chairman of the committee is the CMD of the Bank. The committee met three times during the period 01.04.2007 to 31.03.2008. Number of meetings attended by each member of the committee during the year:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1.	Shri S. A Bhat	04.06.2007		3 / 3
2.	Shri A.V. Dugade	01.05.2006	31.03.2008	3/ 3
3.	Shri G. Narayanan	01.12.2007		0 / 1
4.	Shri Sooraj Khatri	26.05.2006		3 / 3
5.	Shri A.K. Bhargava	26.05.2006		3 / 3

● 3.8 REMUNERATION COMMITTEE:

Remuneration (excluding performance linked incentive) payable to the whole time directors is decided by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to other directors except sitting fees as per directives of Central Government.

A Remuneration Committee, a Sub-Committee of the Board of Directors, has been constituted for evaluating the performance in terms of government guidelines and to recommend payment of performance-linked incentives to the whole time directors of the Bank, in terms of Government of India, Ministry of Finance (Banking Division) letter F. No. 20 / 1 / 2005 – BO-I dated 09.03.2007.

The members of the Committee are :-

1. Shri M N Venkatesan – Chairman
2. Smt. Chitra Chandramouliswaran
3. Dr. Shashank Saksena
4. Shri M Ravindra Vikram

The Committee met once on 23.04.2007 and all members of the Committee have attended the meeting.

● 3.9 NOMINATION COMMITTEE :

RBI, vide circular ref: DBOD. No. BC. No.47 / 29.39.001 / 2007-08 dated 01.11.2007, pursuant to the amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 effective 16.10.2006, has issued necessary guidelines for determining the authority, manner/ procedure and criteria for deciding the ‘Fit and Proper’ status etc., while appointing the Directors.

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब निदेश दिया है कि "योग्य तथा उचित" मानदण्ड को अब से चयनित निदेशकों (शेयरधारक निदेशकों) -दोनों वर्तमान तथा भविष्य पर भी लागू किया जाए।

तद्नुसार बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 23.02.2008 को एक उप-समिति गठित की है जिसका नाम "नामांकन समिति" है जिसमें निम्नलिखित निदेशक सदस्य के रूप में हैं:-

1. श्रीमती चित्रा चंद्रमौलीश्वरन - अध्यक्षा
2. डॉ. शशांक सक्सेना
3. श्री एम. रवींद्र विक्रम
4. श्री एम.एन.कंदसामी

भारतीय बैंक संघ और बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक से दिशानिर्देशों के परिचालन संबंधी कुछेक स्पष्टीकरण माँगा है जिसका उत्तर प्रतीक्षित है। अत:पुनरीक्षणाधीन अवधि के दौरान समिति की बैठक नहीं हुई।

4. शेयरधारकों की समितियाँ

क. शेयरधारक शिकायत समिति

अप्रैल 2001 में गठित शेयरधारक शिकायत समिति बोर्ड द्वारा 07.06.2003, 11.09.2004 और 27.12.2005 और 23.04.2007 को पुन: गठित की गई।

अब समिति के अध्यक्ष श्री एम.एन. वेंकटेसन हैं और अन्य सदस्य निदेशक मंडल द्वारा नामित दो निदेशक हैं । 11.04.2007 से 31.03.2008 तक की अवधि के दौरान समिति 3 बार मिली। सभी बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गईं। समिति के हर सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं-

क्र सं	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	भाग लिए हुए बैठकों की सं
1	श्री एम.एन. वेंकटेसन	08.12.2005		3/3
2	श्री ए.वी. दुगाडे	01.05.2006	31.03.2008	3/3
3	डॉ. चिरंजीब सेन	23.04.2007		3/3

शेयरधारक शिकायत व उनके निवारण प्रणाली आदि में रजिस्ट्रार के कार्यालय में अपनाई जानेवाली पद्धति का सामयिक अंतरालों में जाँच करने के लिए साचिविक लेखा परीक्षा करने के लिए शेयरधारक शिकायत समिति ने कंपनी सचिव की नियुक्ति की। समिति की प्रत्येक बैठक में उनकी तिमाही रिपोर्टों पर विचार किया जाता है ।

ख. शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक, शेयरधारक निदेशक और मंडल द्वारा नामित एक निदेशक हैं। समिति शेयर अंतरण, ट्रांसमिशन, डूप्लिकेट

RBI has directed that the "Fit and Proper" criteria, as of now, be made applicable to the elected directors (Shareholder directors) – both present and future.

Accordingly the Bank's Board has constituted a sub-Committee, titled "Nomination Committee" on 23.02.2008 with the following Directors as members:

1. Smt Chitra Chandramouliswaran - Chairperson
2. Dr. Shashank Saksena
3. Shri M. Ravindra Vikram
4. Shri M.N. Kandaswamy

Indian Banks' Association and the Bank had sought certain clarifications on the operationalisation of the guidelines from the Reserve Bank of India for which reply is awaited. Hence the Committee has not met during the period under review.

4. SHAREHOLDERS' COMMITTEES:

a. Shareholders Grievance Committee:

The Shareholders Grievance Committee, constituted in April 2001, was reconstituted by the Board on 07.06.2003, 11.09.2004, 27.12.2005 and 23.04.2007.

At present, the Chairman of the Committee is Shri M N Venkatesan and the other members are two directors nominated by the Board. The committee met 3 times during the period 01.04.2007 to 31.03.2008. All the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments. The number of meetings attended by each committee member during the year is as follows:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1	Shri M. N. Venkatesan	08.12.2005		3 / 3
2.	Shri A.V. Dugade	01.05.2006	31.03.2008	3 / 3
3	Dr. Chiranjib Sen	23.04.2007		3/ 3

The Shareholders' Grievance Committee appointed a Practicing Company Secretary to undertake the Secretarial Audit in the office of the Registrar, at periodical intervals to verify the methodology followed by them involving Shareholders Grievances & Redressal system etc. The committee considers his quarterly reports at every meeting.

b. Share Transfer Committee:

Share Transfer Committee consists of the Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director, one shareholder Director and

शेयरों जारी करना, ट्रांसपोसिशन, डीमेट/ रीमेट आदि को संभालता है। समिति वर्ष के दौरान 25 बार मिली और बैठकें उचित कोरम के साथ स्थगित किए बगैर आयोजित की गई।

समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा बैठकों में उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत हैं :

क्र सं	निदेशक का नाम	सदस्यता की अवधि से	तक	भाग लिए हुए बैठकों की सं
1	श्री ए.वी. दुगाडे	01.05.2006	31.03.2008	25/25
2	श्री एम.एन. वेंकटेशन	08.12.2005		24/25
3	श्री जे.डी. शर्मा	09.03.2006		23/25

शेयर अंतरण समिति ने शेयर अंतरण, ट्रांसमिशन, समेकन, स्प्लिट, डूप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना आदि के संबंध में अपनाई गई पद्धति की जाँच करने के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय में साचिविक लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी सचिव को नियुक्त किया। उनका कार्य 1.1.2005 से आरंभ हुआ और उनकी पाक्षिक रिपोर्ट पर समिति की हर बैठक में विचार किया गया । अंतरण के लिए कोई भी अनुरोध एक माह से अधिक लंबित नहीं है।

ग. अनुपालन अधिकारी

सूचीबद्ध अनुबंध के खण्ड 47 के अनुसार दिनांक 30.08.2007, श्री के. सून्दर राजन, उप महा प्रबंधक तथा कंपनी सचिव, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, स्टॉफ एकसचेंज आदि के विभिन्न प्रावधानों का पालन करने के उद्देश्य से अनुपालन अधिकारी हैं ।

घ. शेयरधारकों की शिकायतें

वर्ष के दौरान प्राप्त व दूर की गई तथा विचाराधीन शिकायतों की संख्या :

क्र.सं.	शिकायत की प्रकृति	01.04.2007 को शेष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	दूर की गयी शिकायतों की संख्या	दिनांक 31.03.2007 तक लंबित शिकायतों की संख्या
1.	वापसी आदेश प्राप्त न होना और शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त न होना	शून्य	74	74	शून्य
2.	लाभांश प्राप्त न होना	शून्य	1072	1072	शून्य
3.	सेबी/स्टॉक एक्सचेंज और ग्राहक शिकायत निवारण फोरम को शिकायतें / न्यायालय	03	15	16	02
4.	विविध (पता परिवर्तन, बैंक अधिदेश डीमैट अनुरोध आदि से संबंधित शिकायत)	शून्य	167	167	शून्य
	कुल	03	1328	1329	02

one Director nominated by the Board. The committee deals with all matters connected with share transfers, transmission, issue of duplicate share certificates, transposition, demat / remat etc. The committee met 25 times during the year and all the meetings were conducted with proper quorum and without any adjournments.

The number of meetings attended by each committee member during the year is as under:

Sl. No.	Name of Director	Tenure of membership From	To	Number of Meetings attended
1	Shri A.V. Dugade	01.05.2006	31.03.2008	25 / 25
2	Shri M. N. Venkatesan	08.12.2005		24/ 25
3	Shri J. D. Sharma	09.03.2006		23/ 25

The Share Transfer Committee appointed a Practicing Company Secretary to undertake the Secretarial Audit in the office of the Registrar, to verify the methodology followed by them involving share transfer, transmission, consolidation, split, issue of duplicate certificates etc., His assignment commenced on 01 01 2005 and his fortnightly reports are considered at every meeting of the Committee. No request for transfer is pending for more than one month.

c. Compliance Officer :

In terms of clause 47 of the listing agreement, w.e.f. 30.08.2007, Shri K Sundar Rajan, Deputy General Manager and Company Secretary is the Compliance Officer for the purpose of complying with the various provisions of SEBI, Stock Exchanges etc.

d. Shareholders Complaints :

Number of complaints received, resolved and pending during the year:

SL No.	NATURE OF COMPLAINT	PENDING AS ON 01.04.2007	RECEIVED	REDRESSED	PENDING AS ON 31.03.2008
01	Non receipt of refund order and Share certificates	Nil	74	74	Nil
02	Non receipt of Dividend	Nil	1072	1072	Nil
03	Complaints to SEBI / Stock Exchanges and Consumer Redressal forum / Court	03	15	16	02
04	Miscellaneous (complaints reg. change of address, bank mandate, demat requests etc.)	Nil	167	167	Nil
	Total	03	1328	1329	02

ड. सूची बद्ध अनुबंध के खण्ड 47 (एफ) के अनुसार हमनेशेयरधरकों को सूचित किया गया है कि अनन्य ई-मेल आइ डी investorcomp@iobnet.co.in आबंटित किया गया है और हमारे उप महा प्रबंधक और कम्पनी सचिव श्री के सुन्दर राजन को, निवेशकों द्वारा शिकायतों को दर्ज़ करने और निवारण करने के लिए विशेष रूप से अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है । हमने यह ई-मेल आइ डी और अन्य संबंधित ब्योरे प्रमुखता से अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित किए हैं तथा उन्हें विभिन्न सामग्री/पम्पलेट/ विज्ञापन अभियानों में शमिल किया गया है, हमारे द्वारा शुरूआत की गई है ।

5. अन्य समितियाँ

विभिन्न अन्य समितियाँ जैसी आस्ति देयता प्रबंधन समिति, निवेश पुनरीक्षण समिति, उच्च प्रबंधन समिति में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक, महा प्रबंधकों के साथ विभाग कार्यपालक शामिल हैं, जो कि दैनिक कार्यों,तथा कारोबार के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा, निगरानी तथा प्रबोधन करने के लिए गठित की गयी हैं ।

6. सामान्य सभा की बैठक

क. स्थान व समय जहाँ पिछली तीन सामान्य सभा की बैठकें आयोजित हुईं:

क्र.सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
01	5वाँ एजीएम	17-06-2005 शुक्रवार पूर्वाह्न 10.15 बजे	रानी सीतै हाल 603, अण्णा सालै, चेन्नै-600 006
02	6वाँ एजीएम	16-06-2006 शुक्रवार पूर्वाह्न 10.15 बजे	रानी सीतै हाल 603, अण्णा सालै, चेन्नै-600 006
03	7वाँ एजीएम	12-06-2007 मंगलवार पूर्वाह्न 10.00 बजे	नारद गान सभा 314 टीटीके रोड, चेन्नै 600 018

ख. पिछली तीन ए जी एम की बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किए गए।

ग. हमने डाकीय मतदान प्रणाली आरंभ नहीं की है।

घ. स्थान व समय जहाँ असाधारण सामान्य बैठकें आयोजित हुईं:

क्र.सं.	बैठक का प्रकार	बैठक की तारीख, दिन व समय	स्थान
01	पहली ईजीएम	07.12.2002 शनिवार पूर्वाह्न 11.00 बजे	रानी सीतै हाल 603, अण्णा सालै, चेन्नै-600 006
02	दूसरी ईजीएम	30.11.2005 बुधवार पूर्वाह्न 11.00 बजे	रानी सीतै हाल 603, अण्णा सालै, चेन्नै-600 006

e. In terms of clause 47(f) of the listing agreement we have advised the shareholders that an exclusive e-mail ID - **investorcomp@iobnet.co.in** has been allotted and our Deputy General Manager and Company Secretary Shri K Sundar Rajan, is also the Compliance Officer for the purpose of registering and redressal of complaints by investors. We have displayed this email ID and other relevant details prominently on our website and the same is incorporated in the various materials / pamphlets / advertisement campaigns initiated by us.

5. Other Committees:

There are various other committees such as Asset Liability Management Committee, Investment Review Committee, Top Management Committee comprising CMD, ED and GMs along with Department executives, which have been constituted for the day to day functioning, review and monitoring of various aspects of business.

6. GENERAL BODY MEETING:

a. Location and time where last three General Body Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
01	5th AGM	17.06.2005 Friday 10.15 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
02	6th AGM	16.06.2006 Friday 10.15 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
03	7th AGM	12.06.2007 Tuesday 10.00 A.M.	Narada Gana Sabha 314 TTK Road, Chennai 600 018

b. No special resolutions were put through in the last three AGMs

c. There was no postal ballot exercise.

d. Location and time where Extra Ordinary General Body Meetings were held:

Sl. No.	Nature of Meeting	Date, Day and time of Meeting	Venue
01	1st EGM	07.12.2002 Saturday 11.00 A.M.	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006
02	2nd EGM	30.11.2005 Wednesday 11.00 A.M	Rani Seethai Hall 603, Anna Salai, Chennai – 600 006

7. प्रकटीकरण

क. बैंक के निदेशकों, प्रबन्धन, उनकी अनुषंगी इकाइयों या उनके संबंधियों आदि के साथ बैंक के महत्वपूर्ण, कोई ऐसे संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं है जिनसे बैंक के हितों के साथ कोई संभाव्य मतभेद हो ।

ख. 31 03 2008 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान पूँजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर स्टॉक विनिमय घरों / सेबी / अन्य कोई सांविधिक प्राधिकारी द्वारा हम पर कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है अथवा कटुनिंदा नहीं की गई है । लेकिन एक बार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान आइ पी ओ वित्तपोषण में हमारी दो शाखाओं में हुई अनियामितताओं के लिए बैंक ने रुपये पन्द्रह लाख की ज़ुर्माना अदा की।

ग. वर्तमान में बैंक के पास कोई चेतावनी नीति (विसिल ब्लोयर पॉलिसी) नहीं है। फिर भी लेखा-परीक्षा समिति से संपर्क करने से किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया गया ।

घ. बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी संविधि/दिशानिर्देशों/ निदेशों में दी गई सभी अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का पालन किया है ।

ङ. गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं को संबंधित मदों के सामने रिपोर्ट में दिए अनुसार अपनाया गया है ।

च. बैंक के निदेशक मंडल को सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के तहत सीइओ तथा सीएफओ का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है और इस रिपोर्ट में एक प्रति संलग्न है।

झ. सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार, वर्ष 2007-08 के लिए बैंक में कारपोरेट गवर्नेंस पर सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

8. संप्रेषण के साधन

क. बैंक के तिमाही अपरीक्षित वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और इसे नियत समय के अन्दर उन सभी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं । बैंक सभी शेयर धारकों को छमाही परिणाम भेजता आ रहा है ।

ख. सूचीबद्ध करार के खण्ड 41 के मुताबिक तिमाही वित्तीय परिणाम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और क्षेत्रीय स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए गये हैं तथा प्रकाशन करने की तारीख व विवरण निम्नानुसार हैं :

7. DISCLOSURES:

a. There are no significant related party transactions of the Bank with its subsidiaries, directors, management or their relatives etc. that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.

b. No penalties were imposed or strictures passed on us by Stock Exchanges/SEBI /any statutory authority on any matter related to capital markets during the last three years ended 31.03.2008, except in one instance where the Bank has paid a penalty of Rupees fifteen lakhs imposed by RBI during 2005-06 for irregularities in IPO financing in two of our branches.

c. Presently the Bank does not have a Whistle Blower policy. However no persons have been denied access to the Audit Committee.

d. The Bank has complied with all the mandatory requirements to the extent provided for in the statutes/guidelines/directives issued from time to time by the RBI/Government of India to the nationalized banks.

e. The Non Mandatory requirements have been adopted as stated in this report against the relevant items.

f. The Certificate of CEO and CFO under clause 49 of the listing agreement has been submitted to the Board of Directors of the Bank and a copy is attached to this report.

g. In terms of the clause 49 of the listing agreement, a certificate has been obtained from the Statutory Central Auditors on corporate governance in the Bank for the year 2007-08 and the same is annexed to this report.

8. MEANS OF COMMUNICATION:

a. The quarterly un-audited financial results of the Bank are approved by the Board of Directors and the same are submitted within the stipulated period to all the stock exchanges where the Bank's shares are listed. The Bank has been sending half yearly results to all the shareholders.

b. The quarterly financial results are published in a national daily and a regional vernacular daily in terms of Clause 41 of the listing agreement. The details and dates of publication are as under:

समाप्त तिमाही	अंग्रेजी दैनिक	क्षेत्रीय दैनिक	प्रकाशन की तिथि
31.03.2007	द हिंदू - बिज़नेस लाइन्स	दिनमलर(तमिल)	24 04 2007
30.06.2007	बिज़नेज़ स्टैण्डडे	दिनतंदी (तमिल)	28 07 2007
30.09.2007	द हिंदू - बिज़नेस लाइन्स	दिनकरन (तमिल)	30 10 2007
31.12.2007	बिज़नेज़ स्टैण्डडे	दिनतंदी (तमिल)	31 01 2008

ग. तिमाही परिणाम बैंक के वेबसाइट **www.iob.com** में भी प्रदर्शित किए गए हैं।

9. सामान्य शेयरधारक सूचना

क. एजीएमः तारीख, समय और स्थान

दिनांक 14 06 2008

समय सुबह 11.00 बजे

स्थान नारद गान सभा
(सत्गुरु ज्ञानानंद हॉल)
314 टीटीके रोड, चेन्नै 600 018

ख. वित्तीय वर्ष

1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008

ग. बही बंद करने की तारीख

07-05-2008 से 13-05-2008(दोनों दिन शामिल हैं) लाभांश के प्रयोजन हेतु पात्रता निर्धारित करने के लिए

घ. लाभांश भुगतान तारीख

24-06-2008 को या उसके बाद बशर्ते कि शेयरधारकों द्वारा लाभांश की घोषणा हो ।

ड. अदत्त लाभांश

16 10 2006 से प्रभावी बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों के अधिग्रहण तथा अंतरण) तथा वित्तीय संस्थाओं के कानून (संशोधन) अधिनियम 2006 में बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों के अधिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियम 1970 में 10 (बी) नामक एक नई धारा जोड़ दी गई है जिसमें निम्नलिखित के लिए प्रावधान है:

- घोषणा की तारीख से 30 दिनों के बाद 7 दिनों के अंदर, यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश का नकदीकरण / दावा नहीं किया हो, ऐसी रकम जो बैंक के चालू खाता में पड़ी है, उसे "........वर्ष के लिए आइ ओ बी के अदत्त लाभांश खाते" नामक अलग खाते में अंतरित किया जाना है।
- अदत्त लाभांश खाते को अंतरित कोई भी रकम जो इस प्रकार के अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त या अदावी पड़ी हैं, उसे कंपनीज अधिनियम 1956 के 205(1) (सी) के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि को अंतरित कर देना है।

Quarter ended	English Daily	Regional Daily	Date of publication
31.03.2007	The Hindu - Business Line	Dinamalar (Tamil)	24.04.2007
30.06.2007	Business Standard	Daily Thanthi(Tamil)	28.07.2007
30.09.2007	The Hindu - Business Line	Dinakaran(Tamil)	30.10.2007
31.12.2007	Business Standard	Daily Thanthi(Tamil)	31.01.2008

c. The quarterly results are also being displayed on the Bank's web-site **www.iob.com.**

9. GENERAL SHAREHOLDER INFORMATION:

a. AGM: Date, Time and Venue:

Date 14.06.2008

Time 11.00 A.M.

Venue Narada Gana Sabha
(Sathguru Gnanananda Hall)
314, T T K Road, Chennai – 600 018

b. Financial Year:

01st April 2007 to 31st March 2008

c. Date of Book Closure:

07.05.2008 to 13.05.2008(Both days inclusive) for determining eligibility of shareholders for the purpose of dividend.

d. Dividend Payment Date:

On or after 24.06.2008 subject to declaration of dividend by shareholders.

e. Unpaid Dividend:

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment)Act, 2006 which has come into force on 16.10.2006, has inserted a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 which provides as under:

- Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed /claimed the dividend, such amounts lying in the bank current account, have to be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend Account of IOB for the year ——"
- Any money transferred to the Unpaid Dividend account which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund established under Sec 205(1)(C) of the Companies Act 1956.

तद्नुसार पिछले वर्षों यानी 2000-01 से 2005-2006 के अदत्त लाभांशों को दिसंबर 2006 में संबंधित वर्षों के लिए आइओबी के अदत्त लाभांश खातों को अंतरित कर दिया गया हैं और अत: इस प्रकार की अंतरण राशि को जो सात साल की अवधि तक अदत्त या अदावित हैं, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित कर दिया जाएगा :

लाभांश	अदत्त लाभांश खाते को अंतरित करने की तारीख
2000-01	08.12.2006
2001-02	05.12.2006
2002-03	05.12.2006
2003-04(आइ)	04.12.2006
2003-04(एफ)	04.12.2006
2004-05(आइ)	09.12.2006
2004-05(एफ)	05.12.2006
2005-06	04.12.2006
2006-07	13.07.2007

ड. बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूची बद्ध किए गए हैं

स्टाक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
मद्रास स्टॉक एक्सचेंज	आइओबी
मुंबई स्टॉक एक्सचेंज	532388
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज	आइओबी ईक्यू एई बीई बीटी

स्टाक एक्सचेंजों को वर्ष 2007-08 के लिए सूचीबद्ध करने हेतु वार्षिक शुल्क निर्धारित देय तारीखों के अंदर दिया गया है।

च. बाजार मूल्यों के आँकडे

अवधि	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज		बांबे स्टॉक एक्सचेंज	
माह	उच्च(रु)	न्यून (रु)	उच्च (रु)	न्यून (रु)
अप्रैल 2007	120.90	95.10	120.40	93.10
मई 2007	125.90	105.55	126.00	105.30
जून 2007	119.40	99.00	122.00	100.00
जुलाई 2007	140.65	116.40	140.35	115.00
अगस्त 2007	131.75	107.20	131.85	107.50
सितम्बर 2007	150.70	122.00	150.50	122.20
अक्तूबर 2007	148.20	111.00	148.55	118.05
नवम्बर 2007	165.00	127.20	166.00	132.00
दिसम्बर 2007	199.90	163.00	199.00	164.00
जनवरी 2008	227.45	133.00	228.90	133.20
फरवरी 2008	188.60	145.25	190.00	158.00
मार्च 2008	165.00	118.00	165.50	118.05

2007-08 के दौरान संबंधित स्टॉक एक्सचेज में बैंक के शेयरों का उच्च / निम्न कीमतों के आँकडे मोटे अक्षरों में दिए गए हैं ।

Accordingly, the unpaid dividend of previous years ie. 2000-2001 to 2005-2006 has been transferred to Unpaid Dividend Account/s of IOB for the relevant years in December 2006 as follows and hence such monies which remain unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund :

Dividend for	Date of Transfer to Unpaid Dividend A/c
2000-01	08.12.2006
2001-02	05.12.2006
2002-03	05.12.2006
2003-04 (I)	04.12.2006
2003-04 (F)	04.12.2006
2004-05 (I)	09.12.2006
2004-05 (F)	05.12.2006
2005-06	04.12.2006
2006-07	13.07.2007

f. The Bank's shares are listed on the following stock exchanges:

Name of the Stock Exchange	Stock Code
Madras Stock Exchange Ltd.	I O B
Bombay Stock Exchange Ltd.	532388
National Stock Exchange of India Ltd.	IOB EQ AE BE BT

Annual listing fee for the year 2007-08 has been paid to the stock exchanges within the prescribed due dates.

g. Market price data:

Period -	National Stock Exchange		Bombay Stock Exchange	
Month	High (Rs)	Low (Rs)	High (Rs)	Low (Rs)
Apr 2007	120.90	**95.10**	120.40	**93.10**
May 2007	125.90	105.55	126.00	105.30
Jun 2007	119.40	99.00	122.00	100.00
Jul 2007	140.65	116.40	140.35	115.00
Aug 2007	131.75	107.20	131.85	107.50
Sep 2007	150.70	122.00	150.50	122.20
Oct 2007	148.20	111.00	148.55	118.05
Nov 2007	165.00	127.20	166.00	132.00
Dec 2007	199.90	163.00	199.00	164.00
Jan 2008	**227.45**	133.00	**228.90**	133.20
Feb 2008	188.60	145.25	190.00	158.00
Mar 2008	165.00	118.00	165.50	118.05

Figures in bold represent the high / low price of the Bank's shares during the year 2007-08 on the respective Stock Exchanges.

छ. 01-04-2007 से 31-03-2008 के दौरान बीएसई सेंसेक्स की तुलना में ईक्विटी निष्पादन

h. Equity performance in comparison to BSE Sensex during 01 04 2007 to 31 03 2008

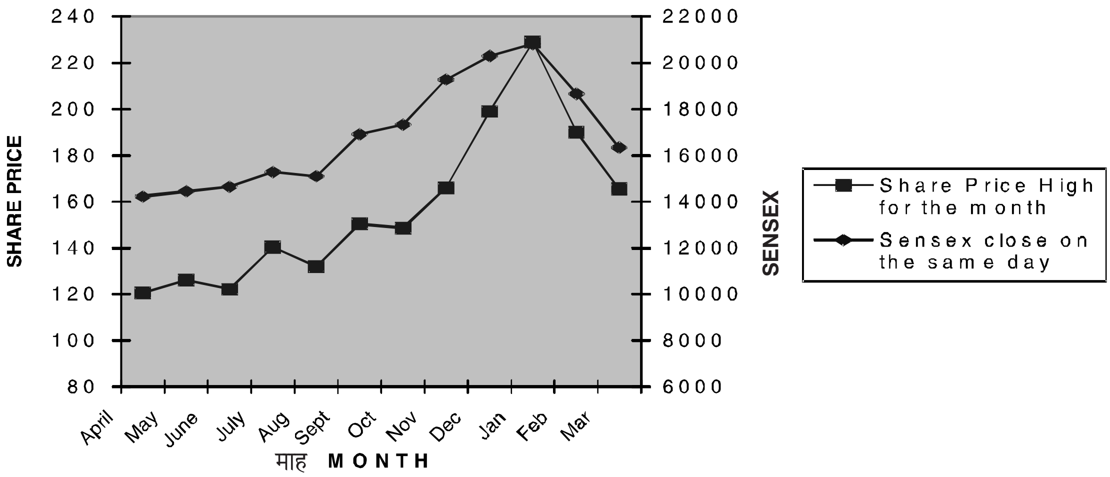

01-04-2007 से 31-03-2008 के दौरान एनएसई निफ़्टी की तुलना में ईक्विटी निष्पादन

Equity performance in comparison to NSE Nifty during 01 04 2007 to 31 03 2008

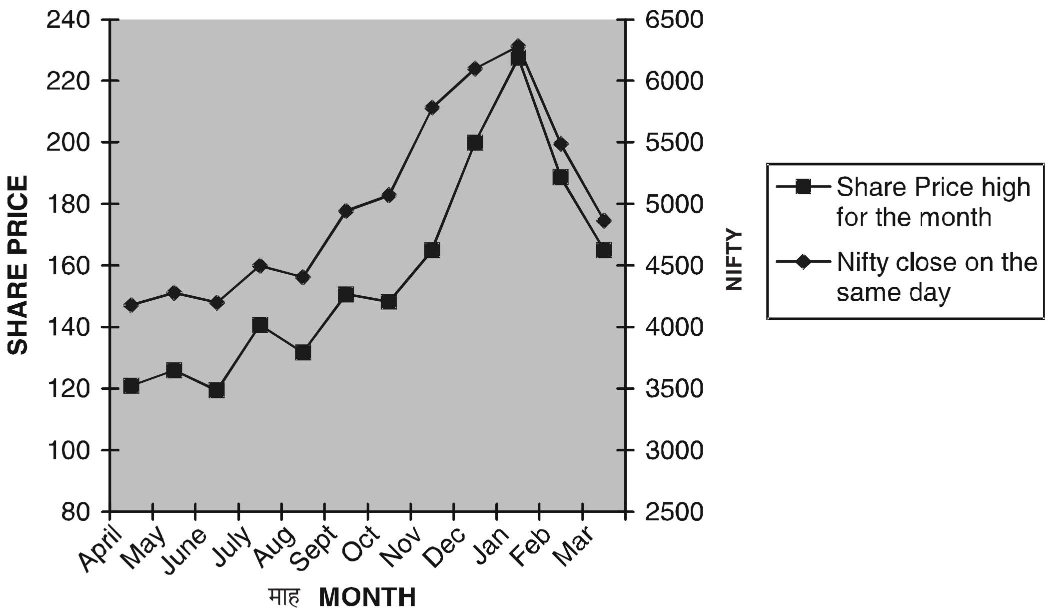

ज. रजिस्ट्रार और अंतरण एजेण्ट

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि.
(यूनिट - आइ ओ बी) सुब्रमणियन बिल्डिंग, पहली मंज़िल
न.1, क्लब हाउस रोड़ चेन्नै - 600 002
टेलिफोन - 044-28460395, 28460084,
फैक्स- 28460129
ई.मेल : cameo@cameoindia.com

झ. शेयर अंतरण प्रणाली

अंतरण, प्रेषण, स्थानांतरण, डूप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करना, विभाजन, समेकन, रीमेट, नाम परिवर्तन आदि के लिए शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के लिए हमारे बैंक में बोर्ड की एक उप समिति है। अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी गैर हाज़िरी में कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष होंगे। शेयरधारक निदेशक (श्री एमएन वेंकटेशन) और बोर्ड द्वारा नामित निदेशक (श्री जे.डी. शर्मा) समिति के अन्य सदस्य हैं।

ञ. 31.03.2008 तक शेयरधारण का वितरण

क्रम. संख्या	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
1.	भारत सरकार	333600000	61.23
	उप योग	**333600000**	**61.23**
	गैर-प्रवर्तक का धारण		
2.	संस्थागत निवेशक		
	क. म्यूचुअल फॅण्डस, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया	17544159	3.22
	ख. बैंक व वित्तीय संस्थाएँ, बीमा कंपनियाँ आदि	464125	0.08
	ग. बीमा कंपनियाँ	18092329	3.32
	घ. विदेशी संस्थागत निवेशक	99623786	18.29
	उप योग	**135724399**	**24.91**
3.	अन्य		
	क. निजी कार्पोरेट निकाय	5817450	1.07
	ख. वैयक्तिक	65235649	11.98
ग.	अन्य	4422502	0.81
	उप योग	**75475601**	**13.86**
कुल योग		**544800000**	**100.00**

i. Registrar & Transfer agent:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building, I Floor
No.1 Club House Road
Chennai-600 002
Tel: 044-28460395; 28460084 Fax: 28460129
e-mail:cameo@cameoindia.com

j. Share Transfer System:

Our Bank has a Sub-Committee of the Board for considering the requests received from shareholders for transfer, transmission, transposition, issuance of duplicate share certificates, splitting, consolidation, remat, name change etc. The Chairman and Managing Director or in his absence the Executive Director is Chairman of the Committee. The other members of the committee are: a Shareholder Director (Shri.M.N. Venkatesan) and a Director nominated by the Board (Shri J D Sharma).

k. Distribution of shareholding as on 31.3.2008:

Sl. No	Category		No. of Shares	% of share holding
	PROMOTERS HOLDING			
01	Government of India		333600000	61.23
	Sub-Total		**333600000**	**61.23**
	NON-PROMOTERS HOLDING			
02	Institutional Investors			
	A	Mutual funds and UTI	17544159	3.22
	B	Banks, Financial Institutions	464125	0.08
	C	Insurance Companies	18092329	3.32
	D	Foreign Institutional Investors	99623786	18.29
	Sub-Total		**135724399**	**24.91**
03	OTHERS			
	A	Private Corporate Bodies	5817450	1.07
	B	Individuals	65235649	11.98
	C	Others	4422502	0.81
	Sub-total		**75475601**	**13.86**
GRAND TOTAL			**544800000**	**100.00**

ट. 31.03.2008 तक वितरण अनुसूची

शेयर धारकों की संख्या	शेयरधारकों की कुल सं.का %	प्रत्येक रु.10 के अंकित मूल्य के शेयरधारिता	शेयरों की कुल संख्या (अंकित मूल्य)	शेयरों की कुल सं का %
180484	86.98	5000 तक	339526350	6.23
19763	9.53	5001 से 10000	167147200	3.07
4984	2.40	10001 से 20000	70119450	1.29
847	0.41	20001 से 30000	20993590	0.39
439	0.21	30001 से 40000	15723130	0.29
213	0.10	40001से 50000	9951170	0.18
337	0.16	50001 से 100000	24776380	0.45
429	0.21	100001 से अधिक	4799762730	88.10
207496	**100.00**	**कुल**	**544800000**	**100.00**

ठ. 31.03.2008 तक कुल विदेशी शेयरधारण (अनिवासी, ओ सी बी, विदेशी संस्थागत निवेशक) 18.96% था जोकि बैंक की कुल प्रदत्त पूँजी के 20% के निर्धारित स्तर के अंदर है।

क्रम सं.	संवर्ग	31 03 2007 तक शेयरों की सं	31 03 2007 तक कुल पूँजी की तुलना में %	31 03 2008 तक शेयरों की सं	31 03 2008 तक कुल पूँजी की तुलना में %
01	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ आइ आइ)	98253771	18.03	99623786	18.29
02	ओ सी बी	48000	0.01	50150	0.01
03	अनिवासी	3861625	0.71	3600091	0.66
	कुल	102163396	18.75	103274027	18.96

ड. 31 03 2008 तक बैंक के पाँच सर्वोच्च शेयरधारक

क्रम सं	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की सं	कुल धारण का %
1	**भारत के राष्ट्रपति - भारत सरकार**	**333600000**	**61.23**
2	**टीसीआइ साइप्रस होल्डिंग लिमिटेड**	**22962113**	**4.21**
3	**मॉरगन स्टेन्ली मॉरीशस कंपनी लिमिटेड**	**18581421**	**3.41**
4	**भारतीय जीवन बीमा निगम**	**14439317**	**2.65**
5	**कोपथाल मॉरीशस इंवेस्टमेंट लिमिटेड**	**8838509**	**1.62**

ढ. शेयर प्रमाण-पत्रों का अमूर्तिकरण

बैंक के शेयर अनिवार्य अमूर्तिकरण के अधीन हैं । बैंक शेयरों के अमूर्तिकरण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रूप में बैंक राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी. लि. (एन एस डी एल) और केन्द्रीय डिपॉजिटरी सेवाएँ

l. Distribution schedule as on 31.3.2008:

No. of share holders	% to total no. of share holders	Shareholding in terms of nominal value of Rs.10/-	Share Amount (Face Value)	% to total
180484	86.98	Upto 5000	339526350	6.23
19763	9.53	5001 – 10000	167147200	3.07
4984	2.40	10001 – 20000	70119450	1.29
847	0.41	20001 – 30000	20993590	0.39
439	0.21	30001 – 40000	15723130	0.29
213	0.10	40001 – 50000	9951170	0.18
337	0.16	50001 – 100000	24776380	0.45
429	0.21	100001 and above	4799762730	88.10
207496	100.00	**TOTAL**	5448000000	100.00

m. The total foreign shareholding (NRIs, OCB,FIIs) as at 31.03.2008 was 18.96% which is within the stipulated level of 20% of the total paid up capital of the Bank

Sl No	Category	As on 31 03 2007 No of shares	As on 31 03 2007 % To total capital	As on 31 03 2008 No of shares	As on 31 03 2008 % To total capital
01	Foreign Institutional Investors (FIIs)	98253771	18.03	99623786	18.29
02	OCBs	48000	0.01	50150	0.01
03	NRIs	3861625	0.71	3600091	0.66
	Total	**102163396**	**18.75**	**103274027**	**18.96**

n. Top five shareholders of the Bank as on 31.03.2008:

Sl No	Name of the Shareholders	No of shares held	% of total holding
01	HE The President of India - The Government of India	333600000	61.23
02	TCI Cyprus Holding Limited	22962113	4.21
03	Morgan Stanley Mauritius Company Limited	18581421	3.41
04	Life Insurance Corporation of India	14439317	2.65
05	Copthall Mauritius Investment Ltd.	8838509	1.62

o. Dematerialization of shares:

The shares of the Bank are under compulsory demat trading. The Bank has joined as a member of the depository services with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository

(भारत) लि. (सी डी एस एल) में सदस्य के रूप में शामिल है। शेयर धारक एनएसडीएल या सीडीएसएल किसी के भी साथ अपने शेयरों का अमूर्तिकरण करा सकते हैं। डिपॉजिटरी सेवा ने बैंक को निम्नलिखित आइ एस आइ एन कोड आबंटित किया है-आइएनई 565ए 01014।

31.03.2008 तक 54.48 करोड़ ईक्विटी शेयरों में से, 50.49 करोड़ शेयर या 92.68% शेयरधारकों के पास डीमेट रूप में है और 3.99 करोड़ शेयर या 7.32% भौतिक रूप में हैं (जिसमें से भारत सरकार 33.36 करोड़ शेयर धारित करता है जोकि औसतन 61.23% है। भारत सरकार की शेयरधारिता मार्च 2008 में अमूर्तिकृत गई।)

त. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या अन्य कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख व ईक्विटी पर इसका संभाव्य प्रभाव:

बैंक ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारण्ट या कोई परिवर्तनीय लिखतें जारी नहीं की है।

ण. बैंक ने समय समय पर वचन-पत्रों के रूप में अप्रत्यावर्तनीय बॉण्ड एकत्र किए गए है: 31.03.2008 तक बकाया बॉण्डों के विवरण निम्नानुसार हैं:

क्रम	आबंटन की तारीख	आकार (रु.करोडों में)	अवधि (महीनों में)	कूपन (%)	मोचन की तारीख
टायर II					
iv	31.10.2002	175.00	78	07.45	30.04.2009
v	01.03.2004	200.00	120	06.00	01.03.2014
vi	26.07.2004	200.00	120	06.40	26.07.2014
vii	08.01.2005	150.00	123	07.25	08.04.2015
viii	16.09.2005	200.00	123	07.40	16.12.2015
ix	09.01.2006	250.00	123	07.70	09.04.2016
x	13.03.2006	300.00	120	08.00	13.03.2016
xi	26.07.2006	500.00	120	09.10	26.07.2016
बीएचओबी **	20.03.2004	36.00	87	07.00	20.06.2011
उच्च टायर II					**माँग विकल्प तारीख**
i	05.09.2006	500.00	@180	9.24	@05.09.2016
टायर 1 (बेमियादी)					**माँग विकल्प तारीख**
i	31.03.2006	200.00	@बेमियादी	09.30	@31.03.2016
ii	18.05.2006	200.00	@बेमियादी	09.15	@18.05.2016
iii	30.09.2006	80.00	@बेमियादी	09.20	@30.09.2016
	कुल	2991.00			

@ 10 वर्ष के अंत में माँग विकल्प उपलब्ध है (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के साथ)। यदि माँग विकल्प का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो कूपन दर को 50 बीपीएस तक बढ़ाया जाएगा ।

Services (India) Limited (CDSL) as an issuer company for dematerialization of the Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL. The depository services have allotted the following ISIN code to the Bank: INE565A01014.

As on 31.3.2008, out of 54.48 crore equity shares, 50.49 crore shares or 92.68% are held by the shareholders in Demat form (of which Government of India holds 33.36 crore shares aggregating to 61.23% - GOI's shareholding was dematerialized in March 2008) and 3.99 crore shares or 7.32% are in physical form.

p. Outstanding GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:

The Bank has not issued any GDRs /ADRs / Warrants or any convertible instruments.

q. The Bank has raised non-convertible bonds in the nature of promissory notes from time to time. The details of such bonds outstanding as on 31.03.2008 are as follows:

Series	Date of Allotment	Size (Rs in crores)	Tenor (In Months)	Coupon (%)	Redemption Date
Tier II					
iv	31.10.2002	175.00	78	07.45	30.04.2009
v	01.03.2004	200.00	120	06.00	01.03.2014
vi	26.07.2004	200.00	120	06.40	26.07.2014
vii	08.01.2005	150.00	123	07.25	08.04.2015
viii	16.09.2005	200.00	123	07.40	16.12.2015
ix	09.01.2006	250.00	123	07.70	09.04.2016
x	13.03.2006	300.00	120	08.00	13.03.2016
xi	26.07.2006	500.00	120	09.10	26.07.2016
BhoB **	20.03.2004	36.00	87	07.00	20.06.2011
Upper Tier II					**Call Option date**
i	05.09.2006	500.00	@180	9.24	@05.09.2016
Tier I (Perpetual)					**Call Option date**
i	31.03.2006	200.00	@Perpetual	09.30	@31.03.2016
ii	18.05.2006	200.00	@Perpetual	09.15	@18.05.2016
iii	30.09.2006	80.00	@Perpetual	09.20	@30.09.2016
	TOTAL	**2991.00**			

@Call option available at the end of 10 years (with the prior approval of RBI). If the call option is not exercised, the coupon rate will be stepped up by 50 bps.

**इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के साथ भारत ओवरसीज़ बैंक के विलयन के फलस्वरूप भारत ओवरसीज़ बैंक लिमिटेड (बीएचओबी) द्वारा जारी किए गए टायर II बॉण्ड जो आइओबी द्वारा अधिगृहीत किए गए। 31-03-2008 तक वर्तमान बकाया उक्त निर्गम में रु.4करोड़ के हमारे निवेश का समंजन करने के बाद है।

थ. पत्राचार करने का पता

शेयरों के अन्तरण, लाभांश भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी क्रियाकलाप रजिस्ट्रार व शेयर अन्तरण एजेन्ट मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सेवाएं लि. के कार्यालय में किए जाते हैं । शेयरधारक अपने अन्तरण विलेख और अन्य कोई भी दस्तावेज़, शिकायतें निम्नलिखित पते पर दर्ज़ कर सकते हैं ।

मेसर्स केमियो कार्पोरेट सर्विसेज़ लि.
(यूनिट - आइ ओ बी) सुब्रमणियन बिल्डिंग, I मंज़िल
न.1, क्लब हाउस रोड़ चेन्नै 600 002
टेलिफोन - 044-28460395, 28460084, फैक्स-28460129
ई.मेल : : cameo@cameoindia.com

बैंक के निम्नलिखित पते पर शेयरधारकों की शिकायतों के निपटान के लिए और उनकी सेवा के लिए बैंक में निवेशक संबंध कक्ष है।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
निवेशक संपर्क कक्ष
केन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालइ, चेन्नै 600 002
टेलिफोन : 044-28519491, 28415702, फैक्स-28585675
ई.मेल : investor@iobnet.co.in/ investorcomp@iobnet.co.in

बी. गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ

गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ	बैंक द्वारा अपनाई गई
बोर्ड-कंपनी के खर्चे पर गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा एक कार्यालय का रखरखाव	चूँकि हमारे बैंक के अध्यक्ष तथा प्रबंधक निदेशक हमारे बैंक के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं, अत: यह खण्ड हमारे लिए लागू नहीं है।
पारिश्रमिक समिति	पूर्णकालिक निदेशकों को देय पारिश्रमिक का निर्णय केंद्र सरकार लेता है और बैंक गैर-निदेशकों को सिटिंग फीस के अलावा कोई पारिश्रमिक नहीं देता है। बोर्ड की दिनांक 22-03-2007 को संपन्न हुई बैठक में यहां दिए गए विवरणों के अनुसार (पैरा 3.8 देखें) निदेशक मंडल की एक उप समिति "पारिश्रमिक समिति" गठित की गई है।

** Being Tier II Bonds issued by Bharat Overseas Bank Ltd.(Bhob), since taken over by IOB consequent to merger of Bhob with IOB. The present outstanding as on 31.03.2008, is after setting off our investment of Rs. 4 cr in the said issue.

r. Address for Correspondence:

Share transfers, dividend payment and all other investor related activities are attended to and processed at the office of M/s. Cameo Corporate Services Ltd., Registrars & Share Transfer agents. Shareholders may lodge the transfer deeds and any other documents, grievances and complaints at their address:

M/s. Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-IOB) Subramanian Building, I Floor
No.1 Club House Road, Chennai-600 002
Tel: 044-28460395; 28460084 Fax: 28460129
email:cameo@cameoindia.com

The Bank has an Investor Relations Cell at its Central Office, to deal with the services and complaints of the shareholders at the following address:

Indian Overseas Bank
Investor Relations Cell
Central Office, 763, Anna Salai
Chennai-600 002
Tel: 044-28519491, 28415702
Fax : 044-28585675
email: investor@iobnet.co.in / investorcomp@iobnet.co.in

B.NON MANDATORY REQUIREMENTS:

Non Mandatory Requirements	Our Adoption
The Board – Maintenance of an office by a non executive chairman at the company's expense	Since the Chairman and Managing Director in our Bank is an Executive Chairman, this clause is not applicable to us
Remuneration Committee	Remuneration payable to the whole time directors is decided by the Central Government and the Bank does not pay any remuneration to other directors except sitting fees as per guidelines of Central Govt. The Board in its meeting held on 22.03.2007, has set up a "Remuneration Committee" as per details furnished hereinbefore (refer para 3.8).

शेयरधारकों के अधिकार	सभी शेयरधारकों को छमाही परिणामों की सूचना उपलब्ध कराई जाती है ।
ऑडिट अर्हता	अप्रतिबंधित वित्तीय विवरणों की प्रणाली की ओर बढ़ने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।
बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण	निदेशकों को प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामित किया जाता है । प्रत्येक निदेशक को उनके / उनकी भूमिका तथा जिम्मेदारियाँ और महत्वपूर्ण मामलों पर संपूर्ण विवरण देते हुए संदर्भ मैनुअल दिया गया है ।
गैर-कार्यपालक बोर्ड के सदस्यों के मूल्यांकन की कार्यविधि	बैंक की कोई ऐसी कार्यविधि उपलब्ध नहीं है चूँकि यह अब हम पर लागू नहीं है।
विसिल ब्लोअर पॉलिसी (चेतावनी नीति)	वर्तमान में बैंक के पास कोई चेतावनी नीति (विसिल ब्लोअर पॉलिसी) नहीं है। फिर भी लेखा-परीक्षा समिति से संपर्क करने से किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया गया है ।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

चेन्नै
28.04.2008

(एस. ए. भट)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Shareholders Rights	All the shareholders are provided with the Half Yearly results.
Audit Qualification	Constant efforts are being made to move towards a regime of unqualified financial statements.
Training of Board Members	The Board members are imparted training by nominating them for training programmes at reputed training institutes. Each director is provided with a reference manual detailing his or her roles and responsibilities and matters of importance.
Mechanism for evaluating non executive Board Members	The Bank does not have such mechanism, as presently it is not applicable to us.
Whistle Blower Policy	Presently the Bank does not have a Whistle Blower policy. However no persons have been denied access to the Audit Committee.

For and on behalf of the Board of Directors

Chennai
28th April 2008

(S A BHAT)
Chairman and Managing Director

वर्ष 2007-2008 के लिए कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट के लिए अनुबंध

निदेशकों का जीवन परिचय

01	नाम	**श्री एस.ए.भट**
		अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
	आयु तथा जन्म तिथि	57 वर्ष - 22.10.1950
	अर्हता	बी.एस.सी (आनर्स), सीएआइआइबी भाग I
	नियुक्ति की तारीख	04.06.2007
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	31.10.2010
	अनुभव	1972 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में बैंक ऑफ इण्डिया में भर्ती हुए। 2 फरवरी 2006 को यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और आइओबी में वर्तमान कार्यभार तक इस पद पर हैं। बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में देशी और विदेशी परिचालनों में विभिन्न पदों पर आपको व्यापक अनुभव है। विभिन्न समितियों, जैसे तकनीकी सलाहकार समिति, बेसल II के लिए स्टियरिंग ग्रुप, निर्यातकों के लिए ऋण सलाहकार प्रणाली पर समिति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) के परिशोधन के लिए कार्य दल के सदस्य के रूप में आपने बैंकिंग उद्योग को कई योगदान दिए हैं। ये सभी समितियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित की गई थीं। बेसल II के कार्यान्वयन के लिए कार्यपद्धति तैयार करने के लिए भारतीय बैंक संघ की समिति में भी आप शामिल थे। बैंक ऑफ इण्डिया में अपनी कार्यावधि के दौरान आप एसटीसीआइ, आइएल और एफएस तथा इण्डो जाम्बिया बैंक के लिए नामिती निदेशक थे।
	आइओबी में शेयरधारिता	- शून्य
	अन्य निदेशकता	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेन्स कं.लि. में आइओबी के नामित निदेशक
02	नाम	**श्री ए.वी.दुगाडे**
		कार्यपालक निदेशक
	आयु तथा जन्म तिथि	60 वर्ष - 10 03 1948
	अर्हता	एम.काम, सीएआइआइबी (I), डीसीए
	नियुक्ति की तारीख	01.05.2006
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	31.03.2008 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त
	अनुभव	आप एक व्यावसायिक बैंकर हैं और आपको इस क्षेत्र में लगभग 40 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। जुलाई 2003 से अप्रैल 2006 तक आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यपालक निदेशक थे ।
	आइओबी में शेयरधारिता	- शून्य
	अन्य निदेशकता	- शून्य

ANNEXURE TO REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE FOR THE YEAR 2007-08

DIRECTORS PROFILE

01	Name	: **Shri S. A. Bhat**
		Chairman and Managing Director
	Age and Date of Birth	: 57 years - 22.10.1950
	Qualification	: B.Sc (Hons.) CAIIB Part I
	Date of Appointment	: 04.06.2007
	Date of expiry of the Current term	: 31.10.2010
	Experience	: Joined Bank of India as Probationary Officer in 1972. He took over as Executive Director of UCO Bank on 2nd February 2006 and held this position till his present assignment at IOB. He has vast experience across the entire gamut of banking in various capacities in domestic and overseas operations. He has made many contributions to the Banking Industry, as a member of several committees such as the Technical Advisory Committee, Steering Group for Basel II, Committee on Credit Advisory System for Exporters, and Working Group for revision of ALM, all of which were constituted by Reserve Bank of India. He was also on the Indian Banks' Association's Committee for drawing Road Map for implementation of Basel II. During his tenure in Bank of India, he was nominee director for STCI, IL & FS and Indo Zambia Bank.
	Shareholding in IOB	: Nil
	Other Directorships	: Nominee Director of IOB in Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.
02	**Name**	: **Shri A.V. Dugade**
		Executive Director
	Age and Date of Birth	: 60 Years - 10.03.1948
	Qualification	: M Com., CAIIB (I), DCA
	Date of Appointment	: 01 05 2006
	Date of expiry of the Current term	: Retired on his superannuation on 31.03.2008
	Experience	: A Professional Banker having an aggregate experience of over 40 years. He was the Executive Director of Bank of Maharashtra from July 2003 to April 2006.
	Shareholding in IOB	: NIL
	Other Directorships	: NIL

03	नाम	**श्री जी.नारायणन**
		कार्यपालक निदेशक
	आयु तथा जन्म तिथि	58 वर्ष - 31.10.1949
	अर्हता	बीएससी., सीएआइआइबी
	नियुक्ति की तारीख	07.11.2007
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	31.10.2009
	अनुभव	आप 1970 में बैंक ऑफ इण्डिया में भर्ती हुए। आइओबी में आने से पहले आप सेक्योरिटीज़ ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे। आपके कैरियर का काफी समय अन्तरराष्ट्रीय ट्रेज़री और विदेशी विनिमय संबंधित क्षेत्रों में रहा। बैंक ऑफ इण्डिया में अपने कार्यकाल के दौरान आपने डेरिवेटिव व्यापार और पूरे ट्रेज़री परिचालनों को पूर्णत: स्वचालित वातावरण में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय और बैंक ऑफ इण्डिया, प्रशिक्षण महाविद्यालय के साथ आप ट्रेज़री संबंधी विषयों पर अतिथि व्याख्याता के रूप में जुड़े रहे हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	- शून्य
	अन्य निदेशकता	- शून्य

04	नाम	**डॉ.शशांक सक्सेना**
		भारत सरकार के नामिति
	आयु तथा जन्म तिथि	45 वर्ष - 01.07.1962
	अर्हता	एम.ए. (अर्थशास्त्र), एलएलबी, पीएचडी
	नियुक्ति की तारीख	20.08.2007
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	सरकार से आगे आदेश मिलने तक
	अनुभव	बीओए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक
	आइओबी में शेयरधारिता	- शून्य
	अन्य निदेशकता	- औद्योगिक निवेश बैंक में भारत सरकार के नामिति निदेशक

05	नाम	**श्रीमती.चित्रा चंद्रमौलीश्वरन**
		भारतीय रिज़र्व बैंक नामिति
	आयु तथा जन्म तिथि	63 वर्ष - 26.07.1944
	अर्हता	एम एससी, सीएआइआइबी
	नियुक्ति की तारीख	27.02.2007
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	सरकार से आगे आदेश आने तक
	अनुभव	आप वर्ष 1967 में भारतीय रिज़र्व बैंक में भर्ती हुईं और आपने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में आइइसीडी, डीबीओडी और विदेशी विनिमय(विनिमय नियंत्रण)विभागों में काम किया है।

03	**Name**	**: Shri G. Narayanan**
		Executive Director
	Age and Date of Birth	: 58 years - 31.10.1949
	Qualification	: B.Sc., CAIIB
	Date of Appointment	: 07.11.2007
	Date of expiry of the Current term	: 31.10.2009
	Experience	: He joined the Bank of India in the year 1970. Before joining IOB he was the Managing Director & Chief Executive Officer of Securities Trading Corporation of India Limited, Mumbai. Large part of his career was in International Treasury and Foreign Exchange related areas. During his stint in Bank of India, he was instrumental for initiation of derivative business and for moving the entire treasury operations to a fully automated environment. He has been associated with Bankers' Training College of Reserve Bank of India and Bank of India Training College as guest lecturer on Treasury related subjects.
	Shareholding in IOB	: Nil
	Other Directorships	: Nil

04	**Name**	**: Dr. Shashank Saksena**
		GOI Nominee
	Age and Date of Birth	: 45 years - 01.07.1962
	Qualification	: M.A.(Eco), LL.B., Ph.D
	Date of Appointment	: 20.08.2007
	Date of expiry of the Current term	: Until further orders from Govt.
	Experience	: Director BOA , Ministry of Finance, GOI.
	Shareholding in IOB	: Nil
	Other Directorships	: Nominee Director of Government of India in Industrial Investment Bank

05	**Name**	**: Smt. Chitra Chandramouliswaran**
		RBI Nominee
	Age and Date of Birth	: 63 years - 26.07.1944
	Qualification	: M.Sc., CAIIB.,
	Date of Appointment	: 27.02.2007
	Date of expiry of the Current term	: Until further orders from Govt.,
	Experience	: Joined RBI in 1967 and has worked in various capacities in IECD, DBOD and Foreign Exchange (Exchange Control) Departments and RBI's Central Office in Mumbai.

		आप वर्ष 2004 में भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य महा प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुई हैं ।
	आइओबी में शेयरधारिता	- शून्य
	अन्य निदेशकता	- शून्य
06	नाम	**श्री एन.श्रीधरन**
		कर्मचारी निदेशक
	आयु तथा जन्म तिथि	57 वर्ष - 10 12 1950
	अर्हता	एसएसएलसी
	नियुक्ति की तारीख	20-04-2007
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	19-04-2010 और इसके बाद जबतक उनका उत्तराधिकारी नियुक्त न हो जाए या जब तक वे आइओबी के कर्मकार कर्मचारी नहीं रह जाते, जो भी पहले हो।
	अनुभव	02-05-1972 में बैंक में भर्ती हुए। आइओबी में 35 वर्षों से अधिक अनुभव। आप आइओबी में फिलहाल विशेष सहायक प्रवर्ग में हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	100 शेयर
	अन्य निदेशकता	शून्य
07	नाम	**श्री जे.डी. शर्मा**
		अधिकारी कर्मचारी निदेशक
	आयु तथा जन्म तिथि	51 वर्ष - 20.07.1956
	अर्हता	एम कॉम, एम बी ए, डी आइ एम, सीएआइआइबी, एलएलबी
	नियुक्ति की तारीख	09.03.2006
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	08.03.2009 को उसके बाद उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक या आइ.ओ.बी के कर्मचारी के रूप में उनके कार्यकाल की समाप्ति तक
	अनुभव	बैंक में 22.07.1977 को भर्ती हुए। आइ.ओ.बी में 30 वर्षों का अनुभव। आप आइ.ओ.बी में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	1600
	अन्य निदेशकता	शून्य
08	नाम	**श्री एम. रवींद्र विक्रम**
		अंशकालिक गैर अधिकारी निदेशक
	आयु तथा जन्म तिथि	50 वर्ष - 18.05.1957
	अर्हता	बी एससी, एफसीए, एलएलबी
	नियुक्ति की तारीख	11.10.2006
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	10.10.2009
	अनुभव	पेशारत सनदी लेखाकार। एम.आनन्दम एण्ड कं., सनदी लेखाकार हैदराबाद के साझेदार। आपने विशेष और जाँच पड़ताल लेखा परीक्षा की है। भारतीय रिज़र्व बैंक के फारेक्स रिज़र्व के लिए अनुपालन

		She retired as Chief General Manager of Reserve Bank of India in 2004.
	Shareholding in IOB	: Nil
	Other Directorships	: Nil
06	**Name**	**: Shri N. Sridaran**
		Workmen Director
	Age and Date of Birth	: 57 years - 10.12.1950
	Qualification	: SSLC
	Date of Appointment	: 20.04.2007
	Date of expiry of the Current term	: 19.04.2010 and thereafter until his successor is appointed or till he ceases to be a workmen employee of IOB, whichever is earlier.
	Experience	: Joined the Bank on 02.05.1972. Having more than 35 years experience in IOB, he is at present a special cadre assistant in IOB.
	Shareholding in IOB	: 100 shares
	Other Directorships	: Nil
07	**Name**	**: Shri J.D. Sharma**
		Officer Employee Director
	Age and Date of Birth	: 51 years - 20.07.1956
	Qualification	: M Com., MBA, DIM, CAIIB, LLB
	Date of Appointment	: 09.03.2006
	Date of expiry of the Current term	: 08.03.2009 and thereafter until his successor is appointed or till he ceases to be a employee of IOB
	Experience	: Joined the Bank on 22.07.1977. Possesses more than 30 years experience. At present a Senior Manager in IOB.
	Shareholding in IOB	: 1600 shares
	Other Directorships	: Nil
08	**Name**	**: Shri M. Ravindra Vikram**
		Part Time Non Official Director
	Age and Date of Birth	: 50 years - 18.05.1957
	Qualification	: B.Sc., FCA., LLB
	Date of Appointment	: 11.10.2006
	Date of expiry of the Current term	: 10.10.2009
	Experience	: Practising Chartered Accountant. Partner of M.Anandam & Co., Chartered Accountants, Hyderabad. He has conducted Special and Investigation audits. He has conducted compliance studies for the RBI's Forex Reserves. Spear headed the study group in charge

अध्ययन भी किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के लेखाकरण प्रणाली की पुनर्संरचना और तुलन-पत्र पुनर्प्रारूपण के अध्ययन दल के प्रभारी रहे। आप इण्डियन बैंक के निदेशक थे।

आइओबी में शेयरधारिता शून्य

अन्य निदेशकता एएसएम टेक्नालॉजिस लिमिटेड
ज़ीटीएन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
जेनोटेक लेबोरेटरीज लिमिटेड
ग्लोकेम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
विंग्स इन्फोनेट लिमिटेड
ए बॉण्ड-स्ट्रैण्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
नॉरमैक फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड
नॉरमैक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
तजारिका बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड
एम आनंदम कन्सलटेन्सी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
एसोशिएटेड बिजनेस काउन्सेलिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

09 नाम **श्री सूरज खत्री**
अंशकालिक गैर अधिकारी

आयु तथा जन्म तिथि 52 वर्ष - 06 08 1955

और अर्हता बी एससी, एलएलबी, लेबर लॉ में डिप्लोमा

नियुक्ति की तारीख 09 12 2005

वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख 08 12 2008

अनुभव राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता। आप पत्रकार, संपादक और प्रकाशक भी हैं।

आइओबी में शेयरधारिता शून्य

अन्य निदेशकता शून्य

10 नाम **श्री एम.एन. कंदस्वामी**
अंशकालिक गैर अधिकारी

आयु तथा जन्म तिथि 58 वर्ष - 11 07 1949

और अर्हता एम ए (राजनैतिक एवं सार्वजनिक प्रशासन)

नियुक्ति की तारीख 07 02 2006

वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख 06 02 2009

अनुभव मूलत: कृषक और तीन दशकों का अनुभव है। वे कोयंबत्तूर डिस्ट्रिक्ट ग्रेप्स कल्टिवेटर्स एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष और लैण्ड डेवलेपमेण्ट बैंक ऑफ तोंडमुत्तुर के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं।

आइओबी में शेयरधारिता शून्य

अन्य निदेशकता शून्य

of the Balance Sheet reformatting and redesigning the Accounting Systems of the Reserve Bank of India. He was a Director of Indian Bank.

Shareholding in IOB : Nil

Other Directorships : ASM Technologies Ltd.
GTN Industries Ltd.
Zenotech Laboratories Ltd.
Glochem Industries Ltd.
Wings Infonet Limited
A Bond-Strands Pvt. Ltd.
Normak Fashions Pvt. Ltd.
Normak India Private Ltd.
Tazarica Beverages Private Ltd.
M. Anandam Consultancy Services Private Limited
Associated Business Counseling Services Private Limited.

09 Name : Shri Sooraj Khatri
Part Time Non Official

Age and Date of Birth : 52 years - 06.08.1955

Qualification : B.Sc., LL.B, Dip in Labour Law

Date of Appointment : 09.12.2005

Date of expiry of the Current term : 08.12.2008

Experience : Practising legal profession as an Advocate in Rajasthan High Court. He is also a journalist, Editor and Publisher.

Shareholding in IOB : Nil

Other Directorships : Nil

10 Name : Shri M.N. Kandaswamy
Part Time Non Official

Age and Date of Birth : 58 years - 11.07.1949

Qualification : MA(Pol & Pub Admn)

Date of Appointment : 07.02.2006

Date of expiry of the Current term : 06.02.2009

Experience : Basically an agriculturist, he has over three decades of experience. He was the founder President of Coimbatore District Grapes Cultivators association and also an Ex Chairman of Land development Bank of Thondamuthur.

Shareholding in IOB : Nil

Other Directorships : Nil

11	नाम	**श्री अशोक कुमार भार्गव**
		शेयरधारक निदेशक
	आयु तथा जन्म तिथि	64 वर्ष - 10-5-1943
	अर्हता	बी कॉम, एलएलबी, सीएआइआइबी
	नियुक्ति की तारीख	08 12 2005
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	07 12 2008
	अनुभव	पंजाब नेशनल बैंक के महा प्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। 40 वर्षों का अनुभव रखने वाले व्यावसायिक बैंकर। वर्तमान में प्रबंधन और वित्तीय सलाहकार हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	500 शेयर
	अन्य निदेशकता	एसएमएस पावर जनरेशन लिमिटेड दिल्ली असम रोडवेज़ कोऑपरेशन लिमिटेड
12	नाम	**डॉ चिरंजीब सेन**
		शेयरधारक निदेशक
	आयु तथा जन्म तिथि	61 वर्ष - 29 09 1946
	अर्हता	एम ए (अर्थशास्त्र), पीएचडी
	नियुक्ति की तारीख	08 12 2005
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	07 12 2008
	अनुभव	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेण्ट, बैंगलूर में इकोनोमिक्स के प्रोफेसर हैं और भारत और विदेश में कम से कम 13 विश्वविद्यालयों में अतिथि प्रोफेसर हैं ।
	आइओबी में शेयरधारिता	150
	अन्य निदेशकता	शून्य
13	नाम	**एम. एन. वेंकटेशन**
	आयु तथा जन्म तिथि	52 वर्ष - 03 10 1955
	और अर्हता	बी कॉम, एफसीए,
	नियुक्ति की तारीख	08 12 2005
	वर्तमान कार्यावधि की समाप्ति की तारीख	07 12 2008
	अनुभव	3 दशकों से पेशे से सनदी लेखाकार। एम आर नारायण ऐण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार चेन्नै में साझेदार। 1984 से सांविधिक लेखा परीक्षाक के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लेखा परीक्षा करने का अनुभव। एसआइआरसी, आइसीएआई जैसे व्यावसायिक निकायों के विभिन्न सम्मेलनों, सेमिनारों से जुड़े रहे हैं।
	आइओबी में शेयरधारिता	1000 शेयर
	अन्य निदेशकता	फोकस क्रेडिट मेनेजमेण्ट (इण्डिया) प्रा लिमिटेड

11	**Name**	**: Shri Ashok Kumar Bhargava**
		Shareholder Director
	Age and Date of Birth	: 64 years - 10.05.1943
	Qualification	: B.Com, L L B., CAIIB
	Date of Appointment	: 08.12.2005
	Date of expiry of the Current term	: 07.12.2008
	Experience	: Retired as GM of Punjab National Bank. A professional banker with 40 years of experience. He is at present a Management and Financial Consultant.
	Shareholding in IOB	: 500 shares
	Other Directorships	: SMS Power Generation Limited Delhi Assam Roadways Corporation Limited
12	**Name**	**: Dr. Chiranjib Sen**
		Shareholder Director
	Age and Date of Birth	: 61 years - 29.09.1946
	Qualification	: M.A(Econ), Ph D
	Date of Appointment	: 08.12.2005
	Date of expiry of the Current term	: 07.12.2008
	Experience	: Professor of Economics in the Indian Institute of Management, Bangalore and a visiting Professor of about 13 universities in India and abroad.
	Shareholding in IOB	: 150 shares
	Other Directorships	: Nil
13	**Name**	**: Shri M.N. Venkatesan**
		Shareholder Director
	Age and Date of Birth	: 52 years - 03.10.1955
	Qualification	: B.Com, F.C.A.
	Date of Appointment	: 08.12.2005
	Date of expiry of the Current term	: 07.12.2008
	Experience	: A Practicing Chartered Accountant for the past three decades. Partner M R Narain & Co. Chartered Accountants, Chennai. Experience in conducting audit of Public sector banks since 1984 as statutory central auditors. Associated with various seminars, conferences of professional bodies like SIRC,ICAI.
	Shareholding in IOB	: 1000 shares
	Other Directorships	: Focus Credit Management (India) Pvt Ltd.

इण्डियन ओवरसीज बैंक
केंद्रीय कार्यालय,763,अण्णा सालै,चेन्नै- 600 002

Indian Overseas Bank
Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

घोषणा

इस बात की पुष्टि की जाती है कि बैंक ने मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन (महा प्रबंधकों) के लिए आचार संहिता निर्धारित की है और इसे बैंक के वेबसाइट पर डाल दिया गया है । मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता का अनुपालन करने की पुष्टि की है ।

कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

(एस.ए.भट)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

21.04.2008

DECLARATION

This is to confirm that the Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board Members and Senior Management (ie. General Managers) of the Bank and the said code is posted on the website of the Bank. The Board Members and senior Management have affirmed compliance with the Code of Conduct.

For Indian Overseas Bank

(S.A.BHAT)
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

21.04.2008

इण्डियन ओवरसीज बैंक
केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002

Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

21 अप्रैल 2008

निदेशक मंडल
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

31 03 2008 को समाप्त 12 महीनों के लिए बैंक के वित्तीय विवरण स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ सूचीबद्ध करार का खण्ड 49-V **सीईओ / सीएफओ का प्रमाणीकरण**

सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि

क हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमने उक्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है

i. इन विवरणों में कोई भी विवरण विषय की दृष्टि से गलत नहीं है या इनमें कोई भी तथ्य छोडा नहीं गया है या भ्रम पैदा करनेवाले ब्योरे शामिल नहीं है ।

ii. ये सभी विवरण बैंक के क्रियाकलापों पर सत्य और सही स्थिति प्रस्तुत करते हैं और ये वर्तमान लेखाकरण मानकों, प्रभावी कानूनों और विनियमों के अनुसार हैं ।

ख हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसे कोई लेनदेन नहीं किए हैं जो धोखापूर्ण, गैरकानूनी हों या बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करते हों ।

ग हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी लेते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है और इन आंतरिक नियंत्रणों की रचना या परिचालन में यदि कोई कमियां हो, जिसकी जानकारी हमें है और उन्हें सुधारने के संबंध में हमारे द्वारा किए गए उपायों या प्रस्तावित उपायों की जानकारी हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को दी है ।

घ हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की जानकारी दी है

i वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाना

ii वित्तीय विवरण की टिप्पणी में वर्ष के दौरान लेखाकरण नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों संबंधी उल्लेख और

iii महत्वपूर्ण धोखाधड़ियों की ऐसी घटनाएं जिनकी हमें जानकारी है और जिनमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले कोई कर्मचारी या प्रबंधन शामिल हैं, यदि ऐसा है।

(वी.कृष्णस्वामी)	**(एस.ए.भट)**
महा प्रबंधक एवं सीएफओ	**अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक**

21st April 2008

THE BOARD OF DIRECTORS
INDIAN OVERSEAS BANK

Financial Statements of the Bank for the 12 months ended 31.03.2008-Clause 49-V of the Listing Agreement with the Stock Exchanges - **CEO/CFO Certification**

In terms of Clause 49 of the Listing Agreement, we certify that:

a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and to the best of our knowledge and belief :

   i. These statements do not *contain* any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

   ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the auditors and the Audit Committee

   i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year;

   ii. Significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

   iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(V. KRISHNASWAMY)	(S.A. BHAT)
GENERAL MANAGER & CFO	CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखा-परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
चेन्नै के
शेयरधारकों को

हमने 31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्नै द्वारा कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज (ों) के साथ इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के सूचीबद्ध करार के खण्ड 49 में निर्धारित किया गया है।

कार्पोरेट गवर्नेन्स की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण कार्पोरेट प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित था। ना तो यह लेखा परीक्षा है ना ही यह इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करता है।

बैंक द्वारा रखे गए रिकार्डों और दस्तावेजों एवं हमें दी गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक द्वारा उक्त सूचीबद्ध करार में निर्धारित कार्पोरेट गवर्नेन्स संबंधी शर्तों का पालन किया गया है।

हम सूचित करते हैं कि रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेन्टों द्वारा रखे गए रिकार्डों के अनुसार बैंक के विरुद्ध किसी भी निवेशक की कोई भी शिकायत लखनऊ और राजकोट स्थित जिला उपभोक्ता निवारण फोरम के समक्ष लम्बित दो शिकायतों को छोड़कर एक महीने से ज्यादा अवधि के लिए लंबित नहीं है।

आगे हम सूचित करना चाहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है न ही प्रबंधन की दक्षता या प्रभावात्मकता का, जिससे कि प्रबंधन ने बैंक के कार्यकलापों को आगे बढ़ाया।

कृते एस के सिंघानिया ऐण्ड कं. सनदी लेखाकारगण (राजेश सिंघानिया) साझेदार स.सं.52722	कृते एस.आर.आर.के. शर्मा एसोसिएट्स सनदी लेखाकारगण (एस.आर.आर.के. शर्मा) साझेदार स.सं.18088	कृते आर.एस. सिपय्या ऐण्ड कं. सनदी लेखाकारगण (आर.एस. सिपय्या) साझेदार स.सं.17762
कृते वैदीश्वरन ऐण्ड कं. सनदी लेखाकारगण (आर. वेंकटेश) साझेदार स.सं.203816	कृते महाराज एन. आर सुरेश ऐण्ड कं. सनदी लेखाकारगण (एन.आर. सुरेश) साझेदार स.सं.21661	कृते ओम अग्रवाल ऐण्ड कं. सनदी लेखाकारगण (ओ.पी.अग्रवाल) साझेदार स.सं.016603

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 28.04.2008

AUDITORS CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To the Shareholders of
Indian Overseas Bank
Chennai

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Indian Overseas Bank, Chennai for the year ended on 31.03.2008, as stipulated in clause 49 of the Listing Agreement of Indian Overseas Bank with stock exchange(s).

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by Indian Overseas Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of Indian Overseas Bank.

On the basis of records and documents maintained by the Bank, the information provided to us and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the records maintained by the Registrar and Share Transfer Agent except two complaints pending before District Consumer Redressal Forum at Rajkot and Lucknow.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For S.K. Singhania & Co Chartered Accountants (RAJESH SINGHANIA) Partner M.No. 52722	For SRRK. Sharma Associates Chartered Accountants (SRRK. SHARMA) Partner M. No. 18088	For R.S. Sipayya & Co Chartered Accountants (R.S. SIPAYYA) Partner M. No.17762
For Vaithisvaran & Co Chartered Accountants (R. VENKATESH) Partner M.No.203816	For Maharaj N.R. Suresh & Co Chartered Accountants (N.R. SURESH) Partner M.No. 21661	For Om Agarwal & Co Chartered Accountants (O.P. AGARWAL) Partner M.No.016603

Place: Chennai
Date: 28.04.2008

31.3.2008 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2008

(रु.'000 में) (Rs. in '000s)

		अनुसूचियाँ SCHEDULES	31.03.2008 तक 31.03.2008	31.03.2007 तक 31.03.2007
देयताएँ	**LIABILITIES**			
पूँजी	Capital	01	544 80 00	544 80 00
आरक्षितियाँ और अधिशेष	Reserves and Surplus	02	4311 87 02	3445 56 51
निक्षेप	Deposits	03	84325 58 29	68740 41 49
उधार	Borrowings	04	6353 64 63	2896 22 75
अन्य देयताएँ व प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	05	6323 83 98	6629 82 09
योग	**TOTAL**		**101859 73 92**	**82256 82 84**
आस्तियाँ	**ASSETS**			
भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और शेष	Cash & Balances with Reserve Bank of India	06	9124 23 28	4686 10 79
बैंक में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्त धन	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	07	1217 08 84	4293 19 47
विनिधान	Investments	08	28474 70 84	23974 47 36
अग्रिम	Advances	09	60423 84 40	47060 28 60
स्थिर आस्तियाँ	Fixed Assets	10	558 57 75	510 65 72
अन्य आसतियाँ	Other Assets	11	2061 28 81	1732 10 90
योग	**TOTAL**		**101859 73 92**	**82256 82 84**
समाश्रित देयताएँ	Contingent Liabilities	12	31366 29 24	22397 67 83
संग्रहण के लिए बिल	Bills for Collection		3126 99 51	2418 34 71
मूल लेखाकरण नीतियाँ	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ	Notes on Accounts	18		

अनुसूचियाँ तुलन-पत्र के अभिन्न अंग हैं । Schedules Form Part of the Balance Sheet

एस.ए. भट S. A. BHAT
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director

जी.नारायणन G.NARAYANAN
कार्यपालक निदेशक Executive Director

डॉ. शशांक सक्सेना Dr. Shashank Saksena
चित्रा चंद्रमौलीश्वरन Chitra Chandramouliswaran
एन.श्रीधरन N.Sridaran
जे.डी.शर्मा J.D.Sharma
एम.रवींद्र विक्रम M.Ravindra Vikram
सूरज खत्री Sooraj P.Khatri
एम.एन.कंदसामी M.N.Kandaswamy
एम.एन. वेंकटेशन M.N.Venkatesan
ए.के.भार्गव A.K.Bhargava
चिरंजीब सेन Chiranjib Sen

निदेशकगण DIRECTORS

चेन्नै Chennai
28.04.2008

वी. कृष्णवामी V. KRISHNASWAMY
महा प्रबंधक General Manager

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के ज़रिये
VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE

एस.के. सिंघानिया ऐण्ड कं. S.K.SINGHANIA & CO
राजेश सिंघानिया RAJESH SINGHANIA
साझेदार Partner
स.सं. 52722 M.No.52722

आर.एस. सिपय्या ऐण्ड कं. R.S.SIPAYYA & CO
आर.एस. सिपय्या R.S.SIPAYYA
साझेदार Partner
स.सं.17762 M.No.17762

महाराज एन.आर. सुरेश ऐण्ड कं. MAHARAJ N.R.SURESH & CO
एन.आर. सुरेश N.R.SURESH
साझेदार Partner
स.सं.21661 M.No.21661

एसआरआरके. शर्मा एसोसिएट्स SRRK. SHARMA ASSOCIATES
एसआरआरके. शर्मा SRRK. SHARMA
साझेदार Partner
स.सं.18088 M.No.18088

वैदीश्वरन ऐण्ड कं. VAITHISVARAN & CO
आर. वेंकटेश R.VENKATESH
साझेदार Partner
स.सं.203816 M.No.203816

ओम अग्रवाल ऐण्ड कं OM AGARWAL & CO
ओ पी अग्रवाल O P AGARWAL
साझेदार Partner
स.सं.16603 M.No.16603

सनदी लेखाकारगण CHARTERED ACCOUNTANTS

31.3.2008 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाता

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2008

(रु.'000 में) (Rs. in '000s)

		अनुसूचियाँ SCHEDULES	31.03.2008 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2008	31.03.2007 को समाप्त वर्ष YEAR ENDED 31.03.2007
आय	**INCOME**			
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	7968 25 17	5832 07 35
अन्य आय	Other income	14	807 61 62	387 04 82
योग	**TOTAL**		**8775 86 79**	**6219 12 17**
व्यय	**EXPENDITURE**			
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	5288 79 23	3271 27 37
परिचालनगत व्यय	Operating expenses	16	1485 29 45	1387 81 05
प्रावधान और आकस्मिक व्यय (निवल)	Provisions & Contingencies (Net)		799 44 54	551 60 27
योग	**TOTAL**		**7573 53 22**	**5210 68 69**
लाभ / हानि	**PROFIT / LOSS**			
वर्ष के लिए निवल लाभ	Net Profit for the year		1202 33 57	1008 43 48
अग्रणीत लाभ/हानि	Profit /Loss brought forward		0	0
निवेश अस्थिर आरक्षिति से अंतरण	Transfer from Investment Fluctuation Reserve		0	0
योग	**TOTAL**		**1202 33 57**	**1008 43 48**
विनियोजन	**APPROPRIATIONS**			
सांविधिक आरक्षिति निधि में अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		361 00 00	303 00 00
राजस्व और अन्य आरक्षितियों में अंतरण	Transfer to Revenue and Other Reserves		589 21 45	445 56 99
पूँजी आरक्षिति में अंतरण	Transfer to Capital Reserve		23 15 68	53 64 83
विशेष आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Special Reserve		25 00 00	15 00 00
प्रस्तावित अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Final Dividend (including Dividend Tax)		203 96 44	191 21 66
तुलन-पत्र में अग्रेषित लाभ की शेष राशि	Balance amount of profit carried over to Balance Sheet		0	0
योग	**TOTAL**		**1202 33 57**	**1008 43 48**
प्रति शेयर अर्जन (रु.)	Earning per share (Rs.)		22.07	18.51

अनुसूचियाँ लाभ-हानि खाते के अभिन्न अंग हैं। Schedules Form Part of the Profit & Loss Account

एस.ए. भट अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	S. A. BHAT Chairman & Managing Director				
जी.नारायणन कार्यपालक निदेशक	G.NARAYANAN Executive Director				
डॉ. शशांक सक्सेना	Dr. Shashank Saksena				
चित्रा चंद्रमौलीश्वरन	Chitra Chandramouliswaran				
एन.श्रीधरन	N.Sridaran				
जे.डी.शर्मा	J.D.Sharma				
एम.रवींद्र विक्रम	M.Ravindra Vikram				
सूरज खत्री	Sooraj P.Khatri				
एम.एन.कंदसामी	M.N.Kandaswamy				
एम.एन. वेंकटेशन	M.N.Venkatesan				
ए.के.भार्गव	A.K.Bhargava				
चिरंजीब सेन	Chiranjib Sen				
निदेशकगण	DIRECTORS				
चेन्नै 28.04.2008	Chennai 28.04.2008				

वी. कृष्णस्वामी V. KRISHNASWAMY
महा प्रबंधक General Manager

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के ज़रिये
VIDE OUR REPORT OF EVEN DATE

एस.के. सिंघानिया ऐण्ड कं. राजेश सिंघानिया साझेदार स.सं. 52722 — S.K.SINGHANIA & CO RAJESH SINGHANIA Partner M.No.52722

आर.एस. सिपय्या ऐण्ड कं. आर.एस. सिपय्या साझेदार स.सं.17762 — R.S.SIPAYYA & CO R.S.SIPAYYA Partner M.No.17762

महाराज एन.आर. सुरेश ऐण्ड कं. एन.आर. सुरेश साझेदार स.सं.21661 — MAHARAJ N.R.SURESH & CO N.R.SURESH Partner M.No.21661

एसआरआरके. शर्मा एसोसिएट्स एसआरआरके. शर्मा साझेदार स.सं.18088 — SRRK. SHARMA ASSOCIATES SRRK. SHARMA Partner M.No.18088

वैदीश्वरन ऐण्ड कं. आर. वेंकटेश साझेदार स.सं.203816 — VAITHISVARAN & CO R.VENKATESH Partner M.No.203816

ओम अग्रवाल ऐण्ड कं ओ पी अग्रवाल साझेदार स.सं.16603 — OM AGARWAL & CO O P AGARWAL Partner M.No.16603

सनदी लेखाकारगण CHARTERED ACCOUNTANTS

अनुसूचियाँ SCHEDULES

(रु.'000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची-1 पूँजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL	31.03.2008 तक As at 31.03.2008	31.03.2007 तक As at 31.03.2007
प्राधिकृत पूँजी	**AUTHORISED CAPITAL**		
प्रत्येक रु.10/- के 150,00,00,000 ईक्विटी शेयर	150,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	**1500 00 00**	**1500 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत पूँजी	**ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL**		
प्रत्येक रु.10/- के 54,48,00,000 ईक्विटी शेयर (इसमें भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु.10 के 33,36,00,000 शेयर शामिल है)	54,48,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each (Includes 33,36,00,000 shares of Rs.10/- each held by Government of India)	**544 80 00**	**544 80 00**

अनुसूची- 2 आरक्षितियाँ व अधिशेष	SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS	31.03.2008 तक As at 31.03.2008	31.03.2007 तक As at 31.03.2007
I. शेयर प्रीमियम	**I. SHARE PREMIUM**	140 00 00	140 00 00
II. सांविधिक आरक्षितियाँ	**II. STATUTORY RESERVE**		
अथ शेष	Opening balance	1160 85 57	857 85 57
जोडें : परिवर्धन	Add: Additions	361 00 00	303 00 00
योग -II	TOTAL -II	1521 85 57	1160 85 57
III. पूँजी आरक्षितियाँ	**III. CAPITAL RESERVE**		
अ. पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	A. Revaluation Reserve		
अथ शेष	Opening Balance	117 97 22	122 47 10
घटाएँ: कटौतियाँ / मूल्य-ह्रास*	Less: Deductions / Depreciation *	4 00 16	4 49 88
योग-अ	TOTAL - A	113 97 06	117 97 22
आ. निवेशों की बिक्री पर	B. On sale of Investments		
अथशेष	Opening Balance	143 32 44	92 06 58
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	21 58 30	51 25 86
योग-आ	TOTAL - B	164 90 74	143 32 44
इ. ईक्विटी पुनर्मूयांकन आरक्षितियाँ एएफएस	C. Equity Revaluation Reserve AFS		
अथशेष	Opening Balance	0	-2271
जोड़ें : परिवर्धन **	Add: Additions**	0	2271
योग - इ	TOTAL - C	0	0
ई. अन्य	D. Others		
अथशेष	Opening Balance	76 84 53	74 45 57
जोड़ें : परिवर्धन*	Add: Additions *	1 57 39	2 38 96
योग - ई	TOTAL - D	78 41 92	76 84 53
योग -III (अ + आ + इ+ ई)	TOTAL - III (A,B,C,D)	357 29 72	338 14 20
IV. राजस्व व अन्य आरक्षितियाँ	IV. REVENUE & OTHER RESERVES		
(i) अन्य राजस्व आरक्षितियाँ	(i) Other Revenue Reserves		
अथशेष	Opening Balance	1729 96 74	1284 41 90
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	589 21 45	445 56 99
घटाएँ: कटौतियाँ	Less: Deduction	128 06 46	2 15
योग -I	TOTAL - (i)	2191 11 73	1729 96 74
(ii) विशेष आरक्षिति	(ii) Special Reserve		
अथशेष	Opening balance	76 60 00	61 60 00
जोड़ें : परिवर्धन	Add: Additions	25 00 00	15 00 00
योग -II	TOTAL - (ii)	101 60 00	76 60 00
योग - IV (i & ii)	TOTAL - IV (i, ii & iii)	2292 71 73	1806 56 74
योग (I,II, III & IV)	TOTAL (I, II , III & IV)	4311 87 02	3445 56 51

* 31.3.2008 तक विदेशी शाखाओं से संबंधित आँकडों में तत्कालीन मुद्रा- विनिमय दर से किए गए परिवर्तनों के कारण हुआ समायोजन शामिल है ।

** सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकार के मुताबिक प्रकट, बाजार के प्रति ईक्विटी निवेश मार्किंग की वजह से प्राप्त रकम प्रतिनिधित्व करता है।

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.03.2008

** Represents amount arising on account of marking the Equity Investments to market, disclosed as per requirements of Monetary Authority of Singapore

अनुसूचियाँ *(जारी)*

SCHEDULES *(Contd.)*

(रु.'000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची-3 पूँजी	SCHEDULE-3 DEPOSITS	31.03.2008 तक As at 31.03.2008	31.03.2007 तक As at 31.03.2007
अ. I. माँग निक्षेप	**A. I. DEMAND DEPOSITS**		
i) बैंकों से	i) From Banks	56 13 54	82 27 84
ii) अन्यों से	ii) From Others	8942 18 17	6733 05 17
योग -I	TOTAL - I	8998 31 71	6815 33 01
II. बचत बैंक निक्षेप	**II. SAVINGS BANK DEPOSITS**	19210 69 87	17145 44 94
III. कालिक निक्षेप	**III. TERM DEPOSITS**		
i) बैंकों से	i) From Banks	1195 62 81	233 07 61
ii) अन्यों से	ii) From Others	54920 93 90	44546 55 93
योग - III	TOTAL - III	56116 56 71	44779 63 54
योग - अ (I,II & III)	TOTAL - A (I,II & III)	84325 58 29	68740 41 49
आ. I) भारत की शाखाओं में निक्षेप	B. I) Deposits of branches in India	80841 90 95	66378 13 38
II) भारत के बाहर की शाखाओं में निक्षेप योग - आ	II) Deposits of branches outside India	3483 67 34	2362 28 11
	TOTAL B (I & II)	84325 58 29	68740 41 49

अनुसूची-4 लिये गये उधार	SCHEDULE - 4 BORROWINGS	31.03.2008 तक As at 31.03.2008	31.03.2007 तक As at 31.03.2007
I. भारत में लिए गए उधार	**I. BORROWINGS IN INDIA**		
भारतीय रिज़र्व बैंक	Reserve Bank of India	0	250 00 00
बैंक	Banks	0	19
अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	Other Institutions & Agencies	4208 92 41	1063 52 85
	TOTAL (I)	4208 92 41	1313 53 04
योग I	**II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA**	2144 72 22	1582 69 71
II. भारत के बाहर से लिए गए उधार	TOTAL (I & II)	6353 64 63	2896 22 75
योग (I व II)	**III. Secured borrowings**		
III. ऊपर I व II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	**included in I & II above**	500 05 54	22 44

अनुसूची-5 अन्य देयतायें व प्रावधान	SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES & PROVISIONS	31.03.2008 तक As at 31.03.2008	31.03.2007 तक As at 31.03.2007
I. संदेय बिल	I. Bills Payable	918 65 00	869 76 49
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter Office Adjustments (Net)		1 58 99 42
III. प्रोद्भूत ब्याज	III. Interest Accrued	191 62 74	261 81 34
IV. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं)	IV. Others (including provisions)	5213 56 24	5339 24 84
योग	TOTAL	6323 83 98	6629 82 09

(रु.'000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची-6 भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ नकदी और शेष	SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA	31.03.2008 तक As at 31.03.2008	31.03.2007 तक As at 31.03.2007
I. हाथ में नकदी (इसमें विदेशी मुद्रा नोट और एटीएम नकद सम्मिलित हैं)	I. Cash on hand (including Foreign currency notes & ATM cash)	593 85 84	468 59 39
II. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ	II. Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में शेष	i) in Current Account	8530 37 44	4217 51 40
ii) अन्य खातों में शेष	ii) in Other Accounts	0	0
योग	TOTAL	9124 23 28	4686 10 79

अनुसूची-7 बैंकों में शेष और माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE	31.03.2008 तक As at 31.03.2008	31.03.2007 तक As at 31.03.2007
I. भारत में	I. In India		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with banks		
क. चालू ख़ातों में	a) In Current Accounts	200 25 64	267 42 75
ख. अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	564 16 81	2270 27 27
ii) माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	ii) Money at Call and Short Notice		
क. बैंकों के साथ	a) With banks	200 00 00	1038 65 77
ख. अन्य संस्थाओं के साथ	b) With other institutions	0	0
योग -I	TOTAL - I	964 42 45	3576 35 79
II. भारत के बाहर	II. Outside India		
क . चालू खातों में	a) In Current Accounts	72 14 07	142 51 42
ख. अन्य जमा खातों में	b) In Other Deposit Accounts	131 52 63	510 86 66
ग. माँग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	c) Money at Call and Short Notice	48 99 69	63 45 60
योग -II	TOTAL - II	252 66 39	716 83 68
योग (I व II)	TOTAL (I & II)	1217 08 84	4293 19 47

(रु.'000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची- 8 विनिधान	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS	31.03.2008 तक As at 31.03.2008	31.03.2007 तक As at 31.03.2007
I. भारत में विनिधान	**I. INVESTMENTS IN INDIA**		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	i) Government Securities	24769 05 08	20656 99 65
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	ii) Other Approved Securities	226 86 61	258 19 21
iii) शेयर	iii) Shares	512 72 40	410 21 70
iv) डिबेंचर और बंध-पत्र	iv) Debentures and Bonds	1276 53 86	1354 37 64
v) संयुक्त वेंचर	v) Joint Ventures	28 50 00	0
vi) अन्य - भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिट और अन्य म्यूचुअल फंड में विनिधान और वाणिज्यिक पत्र	vi) Others - Units of Unit Trust of India, Investments in other Mutual Funds & Commercial Paper	360 92 52	738 20 78
योग - I	TOTAL - I	27174 60 47	23417 98 98
II. भारत के बाहर विनिधान*	**II. INVESTMENTS OUTSIDE INDIA***		
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलत हैं)	i) Government Securities (including Local Authorities)	1086 83 47	338 22 52
ii) अन्य	ii) Others		
क) शेयर	a. Shares	10 53 76	4 15
ख) डिबेंचर और बंध-पत्र	b. Debentures & Bonds	202 73 14	218 21 71
योग - II	TOTAL - II	1300 10 37	556 48 38
कुल जोड़ (I व II)	TOTAL (I & II)	28474 70 84	23974 47 36
भारत में सकल विनिधान	Gross Investments in India	27467 85 06	23571 26 60
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	293 24 58	153 27 62
घटाएँ:पुन:संरचित विनिधानों पर ब्याज	Less: Interest on Restructured Investments	0	0
निवल विनिधान	Net Investments	27174 60 48	23417 98 98
भारत के बाहर सकल विनिधान*	Gross Investments Outside India*	1317 06 17	556 89 87
घटाएँ : मूल्यह्रास	Less: Depreciation	16 95 81	41 49
निवल विनिधान	Net Investments	1300 10 36	556 48 38
कुल निवल विनिधान	Total Net Investments	28474 70 84	23974 47 36

*31.3.2008 तक विदेशी शाखाओं से संबंधित आँकड़ों में तत्कालीन मुद्रा- विनिमय दर से किए गए परिवर्तनों के कारण समायोजन शामिल है ।

* includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.03.2008

(रु.'000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची-9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES	31.03.2008 तक As at 31.03.2008	31.03.2007 तक As at 31.03.2007
अ. i) **क्रय किए गए व मितीकाटे पर भुगतान किए गए बिल**	A. i) Bills Purchased & Discounted	3634 51 29	2940 82 45
ii) रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसंदेय उधार	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	24843 97 61	18809 09 76
iii) सावधि उधार	iii) Term Loans	31945 35 50	25310 36 39
योग	TOTAL	60423 84 40	47060 28 60
आ. i) **मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत*** *बहीगत ऋणों के प्रति अग्रिमों सहित	B. i) Secured by Tangible Assets* * includes advances against Book Debts	51959 72 01	41745 70 86
ii) बैंक / सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	1798 04 27	2090 19 05
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	6666 08 12	3224 38 69
योग	TOTAL	60423 84 40	47060 28 60
इ. I. भारत में अग्रिम	C. I) Advances in India		
i) प्राथमिकता क्षेत्र	i) Priority Sector	20303 15 66	17985 93 00
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	4504 36 73	2502 95 44
iii) बैंक	iii) Banks	193 49 18	263 89 62
iv) अन्य	iv) Others	31682 43 72	23526 43 37
योग	TOTAL	56683 45 29	44279 21 43
II. **भारत के बाहर अग्रिम**	II) Advances Outside India		
i) बैंकों से शोध्य	i) Due from Banks	122 92 48	73 19 39
ii) अन्यों से शोध्य	ii) Due from Others		
क) क्रय किए गए व मितीकाटे पर भुगतान किए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	1713 07 68	1531 25 33
ख) संघबद्ध उधार	b) Syndicated Loans	266 99 16	250 92 13
ग) अन्य	c) Others	1637 39 79	925 70 32
योग	TOTAL	3740 39 11	2781 07 17
कुल योग (इ I व II)	TOTAL (C-I & II)	60423 84 40	47060 28 60

अनुसूची-10 स्थिर आस्तियाँ	SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS	31.03.2008 तक As at 31.03.2008	31.03.2007 तक As at 31.03.2007
I. परिसर	**I. Premises**		
1.4.2007 की स्थिति के अनुसार लागत पर / पुन: मूल्यांकित रकम	At cost / revalued amount as on 1.4.2007	447 69 17	412 87 74
वर्ष के दौरान परिवर्धन*	Additions during the year *	22 12 27	35 91 83
		469 81 44	448 79 57
वर्ष के दौरान कटौतियाँ*	Deductions during the year*	5 55 41	1 10 40
		464 26 03	447 69 17
अद्यतन मूल्यह्रास	Depreciation to date	90 30 01	86 49 44
योग -I	TOTAL -I	373 96 02	361 19 73
II. पूँजीगत चालू कार्य	**II. Capital work in progress**	24 88 27	19 73 08
योग - II	TOTAL - II	24 88 27	19 73 08
III. अन्य स्थिर आस्तियाँ	**III. Other Fixed Assets**		
(इसमें फर्नीचर और फिक्चर सम्मिलित है)	**(including Furniture & Fixtures)**		
1.4.2007 की स्थिति के अनुसार लागत पर	At cost as on 1.4.2007	552 43 51	452 45 64
वर्ष के दौरान परिवर्धन *	Additions during the year *	104 66 30	129 00 79
		657 09 81	581 46 43
वर्ष के दौरान कटौतियाँ*	Deductions during the year*	18 55 84	29 02 92
		638 53 97	552 43 51
अद्यतन मूल्यह्रास	Depreciation to date	478 80 51	422 70 62
योग- III	TOTAL - III	159 73 46	129 72 90
योग (I, II & III का कुल)	Total (I, II & III)	558 57 75	510 65 72

* 31.3.2008 तक विदेशी शाखाओं से संबंधित आँकड़ों में तत्कालीन मुद्रा-विनिमय दर से किए गए परिवर्तनों के कारण समायोजन शामिल है ।

* Includes adjustment on account of conversion of figures relating to foreign branches at the rate of exchange as at 31.03.2008

अनुसूची- 11 अन्य आस्तियाँ	SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS	31.03.2008 तक As at 31.03.2008	31.03.2007 तक As at 31.03.2007
i) अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	i) Inter Office Adjustments (Net)	20 53 77	0
ii) प्रोद्भूत ब्याज	ii) Interest Accrued	814 53 57	719 32 29
iii) अग्रिम रूप से संदत्त / स्रोत पर काटा गया कर	iii) Tax paid in advance / Tax deducted at source	617 64 16	566 66 28
iv) लेखन - सामग्री और स्टैम्प	iv) Stationery & Stamps	6 25 18	5 11 40
v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ	v) Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims	1 46 87	2 52 97
vi) अन्य	vi) Others	600 85 26	438 47 96
योग	TOTAL	2061 28 81	1732 10 90

अनुसूची-12 आकस्मिक दायित्व	**SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES**	31.03.2008 तक As at 31.03.2008	31.03.2007 तक As at 31.03.2007
i) बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए है	i) Claims against the Bank not acknowledged as debts	20 53 98	15 18 70
ii) अंशत: संदत्त विनिधानों के लिए देयता	ii) Liability for partly paid investments	50 45 11	74 51 60
iii) बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	iii) Liability on account of outstanding forward exchange contracts	11138 61 60	7864 42 80
iv) संघटकों की ओर से दी गयी गारंटियाँ	iv) Guarantees given on behalf of constituents		
क. भारत में	a) In India	5405 46 52	4172 64 08
ख. भारत के बाहर	b) Outside India	92 28 79	65 91 36
v) सकार, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ	v) Acceptances, Endorsements & Other obligations	7088 01 12	6009 12 80
vi) अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से दायी है	vi) Other items for which the bank is contingently liable		
क. विवादग्रस्त आय-कर माँग/ अपील के अधीन मामले	a. Disputed IT demand / cases under appeal	709 95 92	422 73 34
ख. अन्य	b. Others		
i. पूँजी लेखों पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंध की अनुमानित राशि	i) Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital accounts	53 99 97	2 06 59
ii. करेंसी स्वैप के तहत बैंक की देयता	ii) Banks liability under currency swaps	1390 35 65	42 26 70
iii. स्वैप के तहत (यूएसडी) ब्याज दर	iii) Interest rate swaps undertaken (USD)	2029 99 65	1213 11 25
iv. ब्याज़ दर स्वैप (भा.रु.)	iv) Interest rate swaps (INR)	1555 82 63	1425 00 00
v. रुपये के विकल्प के तहत बैंक की देयता	v) Bank's Liability under Currency Options	797 90 11	0
vi. क्रेडिट डिफाल्ट के तहत ग्राहक की देयता	vi) Customer Liabilities under Credit Default	432 64 72	238 47 83
vii. अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण-पत्र	vii) Inter bank Participation Certificate	500 00 00	800 00 00
viii. विविध	viii) Miscellaneous	0	8 73 92
ix. निवेश - सीएलएन / सीडीएस / सीडीओ	ix) Investments - CLN/CDS/CDO	100 23 47	43 43 86
योग	TOTAL	31366 29 24	22397 67 83

		31.03.2008 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2008	31.03.2007 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2007
अनुसूची- 13 अर्जित ब्याज	**SCHEDULE - 13** **INTEREST EARNED**		
i) अग्रिमों / बिलों पर प्राप्त ब्याज / बट्टा	i) Interest / discount on advances / bills	5521 99 77	3900 99 99
ii) विनिधानों पर आय	ii) Income on investments	2235 66 22	1703 30 48
iii) भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ शेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज	iii) Interest on Balances with Reserve Bank of India and Other Inter-Bank Funds	200 88 29	162 93 60
iv) अन्य	iv) Others	9 70 89	64 83 28
योग	TOTAL	7968 25 17	5832 07 35

		31.03.2008 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2008	31.03.2007 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2007
अनुसूची- 14 अन्य आय	**SCHEDULE - 14** **OTHER INCOME**		
i) कमीशन, विनिमय और दलाली	i) Commission, Exchange and Brokerage	468 71 66	388 22 40
ii) विनिधानों के विक्रय पर लाभ (निवल)	ii) Profit on Sale of Investments (Net)	229 60 93	237 36 89
iii) विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (निवल)	iii) Profit on Revaluation of Investments (Net)	-267 84 78	-475 71 00
iv) भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल)	iv) Profit on sale of land,buildings and other assets (Net)	1 57 38	2 38 96
v) विनिमय संव्यवहारों पर लाभ (निवल)	v) Profit on exchange transactions (Net)	110 16 79	85 63 88
विविध आय	vi) Miscellaneous Income	265 39 64	149 13 69
योग	TOTAL	807 61 62	387 04 82

(रु.'000 में) (Rs. in '000s)

अनुसूची- 15 खर्च किया गया ब्याज	SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED	31.03.2008 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2008	31.03.2007 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2007
i) निक्षेपों पर ब्याज	i) Interest on Deposits	4782 23 03	2896 44 65
ii) भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर- बैंक उधारों पर ब्याज	ii) Interest on Reserve Bank of India / Inter-Bank Borrowings	253 56 38	135 49 22
iii) अन्य	iii) Others	252 99 82	239 33 50
योग	TOTAL	5288 79 23	3271 27 37

अनुसूची- 16 परिचालनगत व्यय	SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES	31.03.2008 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2008	31.03.2007 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2007
i) कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	i) Payments to and provisions for employees	949 68 47	931 06 68
ii) भाड़ा, कर और रोशनी	ii) Rent, Taxes and Lighting	165 89 43	135 75 64
iii) मुद्रण और लेखन-सामग्री	iii) Printing and Stationery	13 13 03	11 31 44
iv) विज्ञापन और प्रचार	iv) Advertisement and Publicity	12 17 49	13 56 93
v) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पूँजी आरक्षितियों से अंतरित अवक्षयण की निवल राशि)	v) Depreciation on Bank's property (Net of depn. transferred from Capital Reserve)	75 09 78	61 11 81
vi) निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	vi) Directors' fees, allowances and expenses	81 51	84 50
vii) लेखा-परीक्षकों को प्रदत्त शुल्क तथा व्यय (शाखा लेखा - परीक्षकों सहित)	vii) Auditors' fees and expenses (including Branch auditors)	16 32 41	14 15 35
viii) विधि प्रभार	viii) Law charges	3 25 62	9 59 88
ix) डाक महसूल, तार, टेलीफ़ोन आदि	ix) Postages, telegrams, telephones, etc.	9 46 73	5 42 26
x) मरम्मत और अनुरक्षा	x) Repairs and Maintenance	7 35 39	6 30 13
xi) बीमा	xi) Insurance	75 76 89	58 31 37
xii) अन्य व्यय	xii) Other Expenditure	156 32 70	140 35 06
योग	TOTAL	1485 29 45	1387 81 05

अनुसूची-17
प्रमुख लेखांकन नीतियाँ

1. सामान्य

यहाँ इस से आगे जब तक कि अन्यथा न बताया गया हो, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर और आगे गतिमान प्रतिष्ठान अवधारणा के अनुमान पर तैयार किए गए हैं ।

2. आय का अभिज्ञान

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के मुताबिक अर्जक आस्तियों पर वास्तविक आधार पर आय का अभिज्ञान किया गया है । अनर्जक आस्तियों के मामले में उगाही के आधार पर आय का अभिज्ञान किया गया है । अनर्जक आस्तियों में वसूली का विनियोग, मुकदमा दायर खातों को छोड़कर बाकी मामलों में पहले ब्याज के लिए और शेष अगर हो, तो मूल रक़म के लिए किया गया है ।

2.2 खरीदे गए बिलों/बंधक-सुरक्षा वाली प्रतिभूतियों पर ब्याज, कमीशन (उधार पत्र / गारंटीपत्र/सरकारी कारोबार को छोडकर) , विनिमय, लॉकर किराया और लाभांश को उनकी उगाही के आधार पर हिसाब में लिया गया है।

2.3 बहुमूल्य धातुओं की परेषण बिक्री (थोक और खुदरा) से हुई आय को बिक्री पूरी होने के बाद अन्य आय के रूप में हिसाब में लिया गया है ।

2.4 खर्चों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है, सिवाय तब जब उसे अन्यथा उल्लिखित किया गया हो ।

2.5 परिपक्व सावधि जमाओं के मामले में, जमाओं का नवीकरण करवाए जाते समय ब्याज का परिकलन किया जाता है।

2.6 मुकद्दमा दायर खातों में कानूनी खर्चों को लाभ-हानि खाते में लिखा जाता है । ऐसे खातों में वसूली हो जाने पर इसे आय में लिया जाता है ।

2.7 विदेशी शाखाओं के मामलों में, आय और व्यय का अभिज्ञान/ हिसाब संबंधित देशों की में लागू स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है ।

3. भारतीय परिचालनों के विदेशी विनिमय लेनदेन

3.1 नॉस्ट्रो खातों के शेष और एसीयू डॉलर खातों को बंद दर पर दिखाए गये हैं । एफ़सीएनआर/ईईएफ़सी / आरएफ़सी/ एफ़सीए (सभी विदेशी मुद्रा जमाएँ और उन पर उपचित ब्याज सहित) और पीसीएफ़सी / डबल्यूसीएफ़सी /टीएलएफ़सी / एफ़सीएल (सभी विदेशी मुद्रा उधार) को तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू

SCHEDULE 17
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. General

The financial statements have been prepared on historical cost basis unless otherwise stated and further on the assumption of going concern concept.

2. Revenue Recognition

2.1 Income is recognised on accrual basis on performing assets and on realisation basis in respect of non-performing assets as per the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India. Recovery in Non Performing Assets is first appropriated towards interest and the balance, if any, towards principal, except in the case of Suit Filed Accounts and Accounts under One Time Settlement.

2.2 Interest on bills purchased/Mortgage Backed Securities, commission (except on Letter of Credit/Letter of Guarantee/Government Business), Exchange, Locker Rent and Dividend are accounted for on realisation basis.

2.3 Income from consignment sale of precious metals is accounted for as Other Income after the sale is complete.

2.4 Expenditure is accounted for on accrual basis, except otherwise Stated.

2.5 In case of Matured Term Deposits, interest is accounted for as and when deposits are renewed.

2.6 Legal expenses in respect of Suit Filed Accounts is charged to Profit and Loss Account. Such amount when recovered is treated as income.

2.7 In respect of foreign branches, Income & Expenditure are recognised / accounted for as per local laws of the respective countries.

3. Foreign Exchange Transactions of Indian Operations

3.1 Balances in NOSTRO and ACU Dollar accounts are stated at closing rates. FCNR/EEFC/RFC/ FCA (all foreign currency deposits including interest accrued thereon) and PCFC/WCFC/ TLFC/FCL (all foreign currency lendings) are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of the quarter.

फेडाई की साप्ताहिक औसतन दर के अनुसार दिखाया गया है । अन्य आस्तियों, देयताओं और विदेशी मुद्राओं में मूल्य-वर्गीकृत बकाया वायदा संविदाओं को लेनदेन की तारीख की प्रचलित दरों पर दिखाया गया है ।

सभी आस्तियों, देयताओं तथा फ़ेडाई द्वारा सूचित वर्षांत की विनिमय-दरों के अनुसार बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के मूल्यांकन पर लाभ-हानि को राजस्व के अंतर्गत ले लिया गया है, जिस में समनुरूप निवल समायोजनों को, नॉस्ट्रो तथा एसीयू डॉलर खातों के मामलों को छोड़ कर जहाँ यह खाता बन्दी की दरों पर समायोजित हो जाता है, 'अन्य देयताएँ तथा प्रावधान' / 'अन्य आस्तियों के खाते' में बनाए रखा गया है ।

3.2. सकार, बेचान तथा विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गीकृत भारतीय परिचालनों की गारंटियों सहित अन्य बाध्यताओं को तिमाही के अंतिम सप्ताह के लिए लागू फेडाई की साप्ताहिक औसतन दर के अनुसार दिखाया गया है ।

3.3. आय और व्यय संबंधी मदों को, लेखा-बहियों में, उनके लेनदेन किए जाने की तारीख को लागू विनिमय दर पर दिखाया गया है।

4. विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों का रूपांतरण

विदेशी शाखाओं की आस्तियों एवं देयताओं का रूपांतरण लेखाकरण को वर्षांत दर और इससे उत्पन्न निवल लाभ / हानि को मानदण्ड 11 का अनुपालन करते हुए अन्य देयताओं/आस्तियों के तहत रखा गया है।

5. निवेश

5.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में किये निवेश को 'व्यापार के लिए धारित','बिक्री के लिए उपलब्ध' और 'परिपक्वता तक धारित' प्रवर्गों में वर्गीकृत गया है । इन निवेशों के मूल्यांकन और प्रकटीकरण को निम्नलिखित 6 वर्गों में दिखाया गया है :

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ (राज्य सरकार की प्रतिभूतियों सहित)

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर

घ) डिबेंचर एवं बॉंड्स

ड.) सहायक/संयुक्त उपक्रम

च) म्यूचुअल फंड इकाइयाँ व अन्य

5.2. जहाँ ब्याज/मूलधन 90 दिन से भी अधिक दिनों से बकाया है, वहाँ निवेशों पर ब्याज की पहचान विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार नकदी आधार पर की गई हैं।

Other Assets, Liabilities and Outstanding Forward Contracts denominated in foreign currencies are stated at the rates on the date of transaction.

Profit/Loss on valuation of all assets, liabilities and outstanding forward exchange contracts at year-end exchange rates advised by FEDAI is taken to revenue with corresponding net adjustments retained in "Other Liabilities and Provisions"/ "Other Assets Account" except in case of NOSTRO and ACU Dollar accounts where the accounts stand adjusted at the closing rates.

3.2 Acceptances, Endorsements and other obligations including guarantees of Indian operations denominated in foreign currencies are stated at the FEDAI weekly average rate applicable for the last week of the quarter.

3.3 Income and Expenditure items are translated at the exchange rate ruling on the date of incorporating the transaction in the books of account.

4. Translation of the Financial Statements of Foreign Branches

Assets and Liabilities of Foreign branches are translated at the year end closing rate and the net gain / loss arising out of this is kept under other liabilities / other assets in compliance with Accounting Standard 11.

5. Investments

5.1 Investments in India are classified into "Held for Trading", "Available for Sale" and "Held to Maturity" categories in line with the guidelines from Reserve Bank of India. Valuation and disclosures of Investments are made under six classifications viz.,

a) Government securities (including State Government securities),

b) Other Approved securities,

c) Shares,

d) Bonds & Debentures,

e) Subsidiaries / Joint ventures,

f) Units of Mutual Funds and Others.

5.2 Interest on Investments, where interest/ principal is in arrears for more than 90 days, is recognised on cash basis as per prudential norms.

5.3 निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ज़ारी निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है :-

5.3.1 "व्यापार के लिए धारित" :- इस वर्ग के अन्तर्गत व्यक्तिगत शेयरों को मूल लागत पर धारित किया जाता है । उनका मूल्यांकन, जहाँ कहीं भी लागू हो, बाज़ार मूल्य पर मासिक अन्तरालों में किया जाता है ; या एफ.आइ.एम.एम.डी.ए. द्वारा घोषित मूल्यों पर और इस वर्ग के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ग में निवल मूल्य ह्रास, यदि कोई है, को आय में प्रभारित किया जाता है और निवल वृद्धि, यदि कोई है, को नज़रंदाज किया जाता है ।

5.3.2 " बिक्री के लिए उपलब्ध" :- इस वर्ग में व्यक्तिगत प्रतिभूतियों को तिमाही आधार पर बाजार के लिए अंकित किया जाता है। केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों को, एफ.आइ.एम.एम.डी.ए. द्वारा घोषित मार्केट दर पर मूल्यांकित किया जाता है । राज्य सरकार, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों और डिबेंचरों / बॉण्डों का मूल्यांकन लाभप्रदता, साख क्रय-विक्रय दरों तथा एफ.आई.एम.एम.डी.ए द्वारा सुझाए गए अन्य तरीक़ों के अनुसार होता है। कोटेड इक्विटी शेयरों को बाज़ार दर पर मूल्यांकित किया जाता है, जब कि अनकोटेड इक्विटी शेयरों को नवीनतम उपलब्ध तुलन-पत्र से प्राप्त जानकारी के आधार पर "बुक वैल्यू/एनएवी" पर मूल्यांकित किया जाता है अन्यथा रु.1/- प्रति कम्पनी के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

धारित ट्रेज़री बिलों और कामर्शियल पेपरों को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। म्युचुवल फण्ड योजना में धारित यूनिटों को उपलब्ध बाज़ार मूल्य या रिपर्चेज़ मूल्य या नेट एसेट वैल्यू पर मूल्यांकित किया जाता है।

अधिमानता शेयरों का मूल्यांकन उचित वाइटीएम का पालन करते हुए किया गया है और फिर कूपन की कटौती की गई है और टर्मिलन शोधन किया गया है।

प्रत्येक उप-वर्ग के अन्तर्गत उपर्युक्त आधारित मूल्यांकनों को, यदि,

क) आँकड़े बढ़त दर्शाते हैं तो नज़र-अन्दाज़ किया जाता है;

ख) आँकड़े ह्रास दर्शाते हों तो उसे रेवन्यू में चार्ज किया जाता है

व्यक्तिगत प्रतिभूतियों के बुक वैल्यू, मूल्यांकन के कारण किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होती ।

5.3.3 "परिपक्वता के लिए धारित":- ऐसे निवेशों को अधिग्रहण/परिशोधन मूल्य पर लिया जाता है। अधिकता, यदि कोई हो, प्रत्येक प्रतिभूति अंकित मूल्य से अधिक होने पर परिक्वता के लिए बाकी अवधि हेतु परिशोधित की जाती है। अनुषंगी, सहयोगी और प्रायोजित संस्थाओं में निवेशों को रखाव लागत पर मूल्यांकित

5.3 Valuation of Investments is done in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India as under:-

5.3.1 'Held for Trading':- Individual scrips under this category are held at original cost. The same is valued at monthly intervals at market rates, wherever available, or as per the prices declared by FIMMDA and in respect of each classification under this category, net depreciation, if any, is charged to revenue and net appreciation, if any, is ignored.

5.3.2 'Available for Sale':- Individual securities under this category are marked to market at quarterly intervals. Central Government securities are valued at market rates declared by FIMMDA. State Government, other Approved securities and Debentures / Bonds are valued as per the yield curve, credit spread rating-wise and other methodologies suggested by FIMMDA. Quoted equity shares are valued at market rates, Unquoted equity shares and Units of Venture Capital Funds are valued at book value/NAV ascertained from the latest available balance sheet, otherwise the same is valued at Re.1/- per Company/Fund.

Treasury Bills and Commercial Papers are valued at carrying cost. Units held in Mutual fund schemes are valued at Market Price or Repurchase price or Net Asset Value in that order depending on their availability.

Preference shares are valued by applying the appropriate YTM and then discounting the coupon as well as the terminal redemption.

Based on the above valuations under each sub-category, if,

a) the figure results in appreciation, the same is ignored;

b) the figure results in depreciation, the same is charged to revenue.

The book value of individual securities do not undergo any change due to valuation.

5.3.3. 'Held to Maturity':- Such investments are carried at acquisition/amortised cost. The excess, if any, of acquisition cost over the face value of each security is amortised over the remaining period of maturity. Investments in subsidiaries, associates and sponsored Institutions and Units of Venture Capital Funds are valued at carrying cost. Permanent

किया जाता है। प्रायोजित संस्थाओं के मूल्य में स्थाई ह्रास के लिए पूरा प्रावधान दिया जाता है ।

5.4 एनपीए वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विवेक सम्मत मानदण्डों के अनुसार निवेश उचित प्रावधान / आय की अमान्यता के अधीन है। अग्रिमों के रूप में डिबेंचरों / बॉण्डों को जहाँ आवश्यक हों सामान्य विवेक सम्मत मानदण्डों के आधार पर आंका जाता है और तदनुसार प्रावधान किया जाता है ।

5.5 किसी भी वर्ग में निवेशों के विक्रय से होने वाले लाभ / हानि को लाभ / हानि खाते में लिखा जाता है । "परिपक्वता के लिए धारित" वर्ग में निवेशों के विक्रय की आय के मामले में, एक समान राशि "पूँजी आरक्षित खाते" में विनियोजित की जाती है ।

5.6 प्रतिभूतियों के लिए अंशदान रूप में प्राप्त प्रोत्साहन / फ्रण्ट-एण्ड-फीस आदि को लाभ-हानि खातों में लिखा जाता हैं ।

6. अग्रिम

6.1 अग्रिमों को "मानक", "अव-मानक", "संदेहास्पद" और "हानि-जनक आस्तियाँ" में वर्गीकृत किया गया है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पारित विवेकपूर्ण मानदण्डों और भारतीय रिज़र्व से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार ऐसे अग्रिमों पर संभाव्य हानियों के लिए प्रावधान किए गए हैं ।

6.2 विवेक पूर्णमानदण्डों से अधिक की ग़ैर-निष्पादक आस्तियों के लिए बैंक ने चालू प्रावधान कर रखा है। अलग-अलग समय पर बनाए गए चालू प्रावधानों को लेखा-अवधि के दौरान किसी लाभ या समकारी लाभांश के लिए प्रयोग में नहीं लाया गया है ।

6.3 मानक आस्तियों पर प्रावधान

	अग्रिमों का प्रकार	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रावधान
क.	कृषि को प्रत्यक्ष अग्रिम	0.25%
ख.	लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रत्यक्ष अग्रिम	0.25%
ग.	रु.20 लाख से अधिक के निवासीय आवास ऋणों को अग्रिम	1.00%
घ.	विशिष्ट क्षेत्रों को अग्रिम स्थावर संपदा क्षेत्र, क्रेडिट कार्ड से प्राप्तियाँ, पूँजी बाजार उधार निजी ऋण और जमा न लेनेवाले एनबीएफसी को	2.00%
ङ	क, ख, ग, घ में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी अग्रिम	0.40%

diminution in value of sponsored institutions is fully provided for.

5.4 Investments are subject to appropriate provisioning / de-recognition of income, in line with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India for NPA classification. Debentures / Bonds in the nature of advances are also subject to usual prudential norms and accordingly provided for, wherever appropriate.

5.5 Profit / Loss on sale of Investments in any category is taken to Profit and Loss account. In case of profit on sale of investments in "Held to Maturity" category, an equivalent amount is appropriated to "Capital Reserve Account".

5.6 Incentive / Front-end fees, etc. received on subscription to securities are taken to Profit and Loss account.

6. Advances

6.1 Advances have been classified as 'Standard', 'Sub-standard', 'Doubtful' and 'Loss assets' and provisions for possible losses on such advances are made as per prudential norms issued by Reserve Bank of India and also as per the directions of Reserve Bank of India from time to time.

6.2 The Bank holds floating provision for non performing advances over and above the prudential norms. Such floating provisions built over different periods would not be used for any profit or dividend equalisation across accounting periods.

6.3 Provision on Standard Assets:

	Type of Advance	Provision made as per RBI Guidelines
a)	Direct Advances to Agriculture	0.25%
b)	Direct Advances to SME Sectors	0.25%
c)	Advances to residential housing loans beyond Rs.20 lacs	1.00%
d)	Advances to specific sectors i.e. Real Estate Sector, Credit Card Receivables, Capital Market Exposure, Personal Loans and Non Deposit taking NBFCs.	2.00%
e)	All other advances not included in (a), (b), (c) & (d)	0.40%

6.4. मानक अग्रिमों के लिए किए गए सामान्य प्रावधानों के अलावा अग्रिमों को प्रावधानों के निवल के रूप में दिखाया गया है ।

7. स्वर्ण-कारोबार

स्वर्ण में किए गए लेनदेनों की गणना काल्पनिक दर पर की जाती है।

8. डेरीवेटिव्स

ब्याज स्वैप्स के संबंध में, प्राप्य निवल रकम की पहचान इसके उपचित आधार पर की गई है, स्वैप्स के समापन पर हुए लाभ अथवा हानि को आस्थगित किया गया है और इसकी पहचान, स्वैप्स की बची हुई अनुबंधित अवधि से ऊपर अथवा आस्ति/देयता की बची हुई अवधि, इसमें से जो पहले हो, के आधार पर की गयी है। केवल हेड्जिंग उद्देश्य हेतु लिए गए स्वैप्स को बाज़ार में प्रस्तुत करने हेतु अंकित नहीं किया जाता।

9. अचल आस्तियाँ

9.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़ कर स्थाई आस्तियों का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत पर किया गया है और निम्नलिखित शीर्षों के तहत बृहत् रूप से वर्गीकृत/समूहबद्ध किया गया है :

i) परिसर
ii) प्रक्रियाधीन पूँजी
iii) अन्य स्थाई आस्तियों सहित
   क) धातु फर्नीचर
   ख) लकडी के फर्नीचर
   ग) बिजली की स्थापना
   घ) वाहन
   ड) कम्प्यूटर*

* पट्टेवाले और पूर्ण स्वामित्व वाले स्थान के विकास की लागत सहित एटीएम, कम्प्यूटर सहायक उपकरण जैसे यूपीएस, बैटरी आदि और उनकी प्रतिस्थापन की लागत को कम्प्यूटर शीर्ष के तहत पूँजीकृत किया गया है ।

9.2 मूल्यह्रास का परिकलन प्रबंधन द्वारा उपयुक्त समझी गई निम्नलिखित दरों पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार किया गया है :

परिसर	2.5 %
फ़र्नीचर	10 %
इलेक्ट्रिकल उपकरण, वाहन व कार्यालयीन साज-सामान	20%
कम्प्यूटर	33 1/3 %
अग्निशामक यंत्र	100 %

पून:मूल्यांकित आरक्षण से स्थिर आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग को हटाकर लाभ-हानि खाते में जमा किया गया है ।

6.4 Advances are stated net of provisions except general provisions for standard advances.

7. Transactions in Gold

Transactions in gold are accounted for at notional rate.

8. Derivatives

In respect of Interest Swaps, while the net amount receivable is recognised on accrual basis, gains or losses on termination of swaps are deferred and recognised over the remaining contractual life of the swaps or the remaining life of the assets/liabilities, whichever is earlier. Such swaps taken only for hedging purpose are not marked to market.

9. Fixed Assets

9.1 Fixed Assets except revalued premises are stated at historical cost and are broadly classified/ grouped under the following heads:

i) Premises.
ii) Capital Work-in-progress.
iii) Other Fixed Assets including
   a) Metal Furniture.
   b) Wooden Furniture.
   c) Electrical Installation.
   d) Vehicles.
   e) Computers.*

* ATMs along with cost of development of the leasehold and freehold sites, computer peripherals like UPS, Batteries etc and their replacement costs are capitalised under the head computers.

9.2 Depreciation is provided on straight line method at the rates considered appropriate by the Management as under:

Premises	2.5%
Furniture	10%
Electrical Installations, Vehicles and Office Equipment	20%
Computers	33 1/3%
Fire Extinguishers	100%

Depreciation on revalued portion of the fixed assets is withdrawn from revaluation reserve and credited to profit and loss account.

9.3 अधिग्रहण की तारीख का लिहाज़ किए बिना मूल्यह्रास का प्रावधान पूरे साल के लिए किया गया है ।

9.4 जहाँ अलग-अलग लागतों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, वहाँ भूमि और भवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान समग्र रूप में किया गया है ।

9.5 पट्टे वाली संपत्तियों के मामले में पट्टे की अवधि के दौरान प्रीमियम का परिशोधन किया गया है ।

9.6 विदेशी शाखाओं की स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास के लिए, संबंधित देश में लागू कानून के अनुसार, प्रावधान किया गया है ।

10. स्टाफ़-सुविधाएँ

10.1. ग्रैच्युटी व पेंशन देयताओं के लिए प्रावधान बीमांकिक आधार पर किया गया है और उसे अनुमोदित ग्रैच्युटी/ पेंशन निधि में अंशदानित किया गया है। लेखाकरण मानक 15 का अनुपालन करते हुए सेवानिवृत्ति पर संदेय छुट्टी नकदीकरण चिकित्सा छुट्टी के लिए प्रावधान वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्य पर किया गया है ।

10.2. विदेशी शाखाओं के मामले में ग्रैच्युटी का हिसाब संबंधित देश में लागू कानून के अनुसार किया गया है ।

11. निवल लाभ / हानि

लाभ व हानि खाते में उद्घाटित निवल लाभ / हानि निम्नलिखित के बाद है :

i. आय और धन पर कर के लिए प्रावधान

ii. मानक अग्रिमों के लिए सामान्य प्रावधान और अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान

iii. निवेशों पर मूल्यह्रास / परिशोधन / प्रावधान

iv. अन्य रिवाज़ी और आवश्यक प्रावधान

12. कराधान के लिए प्रावधान

i) करों के लिए प्रावधान अनुमानित कर देयता के आधार पर की गई है जिसमें लेखाकरण मानदण्ड 22 के अनुपालन में, आस्थगित कर के लिए किए गए समायोजन शामिल हैं ।

ii) पात्र ऋण की सीमा तक प्रतिभूति लेनदेन कर को पूर्व प्रदत्त कर की तरह माना गया है और कोई शेष हो तो उसे लाभ व हानि खाते के लिए प्रभारित किया गया है।

9.3 Depreciation is provided for the full year irrespective of the date of acquisition.

9.4 Depreciation is provided on Land and Building as a whole where separate costs are not ascertainable.

9.5 In respect of leasehold properties, premium is amortised over the period of lease.

9.6 Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws of the respective countries.

10. **Staff Benefits**

10.1 Provision for gratuity and pension liability is made on actuarial basis and contributed to approved Gratuity and Pension Fund. Provision for encashment of accumulated leave payable on retirement, Sick Leave is made on actuarial valuation at the year end, in compliance with Accounting Standard 15.

10.2 In respect of Overseas branches gratuity is accounted for as per laws prevailing in the respective countries.

11. **Net Profit / Loss**

Net Profit / Loss disclosed in the Profit and Loss Account is after:

i) Provision for taxes on income and wealth

ii) Provision for non-performing advance and general provision for Standard Advances.

iii) Depreciation/Amortisation/ provision on investments.

iv) Other usual and necessary provisions

12 . **Provision for Taxation**

i) Provision for Taxes has been made on the basis of estimated tax liability which includes adjustments for Deferred Tax in compliance with Accounting Standard 22.

ii) Securities Transactions Tax to the extent of eligible credit is treated as pre-paid Taxes and the balance if any is charged to Profit & Loss Account.

अनुसूची 18

लेखों पर टिप्पणियाँ

1. समायोजन

अंतर-बैंक और अंतर-शाखा लेनदेनों का समायोजन 31 मार्च, 2008 तक कर लिया गया है। बकाया प्रतिष्टियों के विलोपन का कार्य जारी है। चूँकि विलोपन की जाने वाली बकाया प्रविष्टियाँ नगण्य हैं अत: इससे किसी प्रकार के प्रतिगामी प्रभाव की अपेक्षा नहीं की जाती है।

2. निवेश

अ] भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निवेश पोर्टफोलियो (देशी) को तीन प्रवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार हैं :

प्रवर्ग	बही मूल्य (रु करोड़ों में)		कुल निवेशों का प्रतिशत	
	31.03.2008	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2007
परिपक्वता के लिए धारित	19372.37	17295.44	70.53%	73.37%
बिक्री के लिए उपलब्ध	7284.64	6026.30	26.52%	25.57%
व्यापार के लिए धारित	810.84	249.53	2.95%	1.06%

आ] "परिपक्वता के लिए धारित" के तहत प्रतिभूतियाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 25 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले, मार्च 2008 की समाप्ति तक बैंक की मांग व सावधि देयताओं के 22.65% रहीं ।

इ] "परिपक्वता के लिए धारित" संवर्ग की प्रतिभूतियों के संबंध में रु.229.48 करोड़ के प्रीमियम (पिछले वर्ष रु.240.75 करोड़) का इस वर्ष के दौरान परिशोधन कर दिया गया है । वर्ष के दौरान बैंक ने परिपक्वता के लिए धारित प्रवर्ग के तहत प्रतिभूतियों के प्रीमियम के परिशोधन के लिए "सीधी कटौती प्रणाली" से "प्रभावी ब्याज प्रणाली" में अंतरित कर लिया । परिणाम स्वरूप परिशोधन में रु .19 .02 करोड़ कम हुआ और लाभ में उस मात्रा में वृद्धि का असर पड़ा ।

ई] समझौता गारंटी निधि के तहत आवश्यक प्रारंभिक मार्जिन मुद्रा के प्रति रु.100 करोड़ (पिछले वर्ष रु.28 करोड़) के अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों और संपार्श्विकीकृत उधार और ऋण बाध्यता के तहत उधारों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के प्रति रु.3850 करोड़ (पिछले वर्ष रु 2510 करोड़) अंकित मूल्य की प्रतिभूतियों को क्लियरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. में रखा गया है ।

Schedule 18

NOTES ON ACCOUNTS

1. Reconciliation

Reconciliation of inter-bank and inter-branch transactions has been completed up to 31st March 2008. Steps for elimination of outstanding entries are in progress. Since the outstanding entries to be eliminated are insignificant, no material consequential effect is anticipated.

2. Investments

a) In accordance with RBI guidelines, the Investments Portfolio of the bank (domestic) has been classified into three categories, as given below:-

Category	Book Value (Rs. in crore)		Percentage to Total Investments	
	31.03.2008	31.03.2007	31.03.2008	31.03.2007
Held to Maturity	19372.37	17295.44	70.53%	73.37%
Available for Sale	7284.64	6026.30	26.52 %	25.57%
Held for Trading	810.84	249.53	2.95 %	1.06%

b) SLR Securities under 'Held to Maturity' accounted for 22.65% of bank's Demand and Time liabilities as at the end of March 2008 as against ceiling of 25% stipulated by RBI.

c) In respect of 'Held to Maturity' category of Investments, premium of Rs.229.48 crores was amortised during the year (Previous year Rs.240.75 crores). During the year, the bank switched over from 'Straight Line Method' to 'Effective Interest Method' for amortising the premium on securities held under 'Held to Maturity' category. This has resulted in the reduction in amortisation by Rs. 19.02 crores and the impact is increase in profit to that extent.

d) Securities of face value for Rs.100 crores (previous year Rs28 crores) towards Initial margin money required under the Settlement Guarantee Fund and securities for Rs. 3850 crores (previous year Rs.2510 crores) towards collateral for borrowing under Collateralised Borrowing and Lending Obligations have been kept with Clearing Corporation of India Ltd.

उ] विदेशी शाखाओं द्वारा धारित निवेशों को संबंधित विनियात्मक प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकृत कर मूल्यांकन किया गया ।

3. अग्रिम

अ] प्रावधानीकरण की आवश्यकताओं के लिए, शाखाओं द्वारा पहचाने गए गारंटी संस्थाओं में दायर किए जाने वाले दावों तथा समझौते के लिए लंबित दावों पर इस आधार पर विचार किया गया है कि ऐसे दावे वैध और वसूली योग्य हैं ।

आ] कुछ अग्रिमों की उगाही की स्थिति का पता लगाने के लिए, आस्ति वर्गीकरण और आय की पहचान के उद्देश्य से प्रतिभूति के अनुमानित मूल्य, केंद्र सरकारी गारंटियों और बाद के व्यवहारों को ध्यान में रखा गया है ।

इ] अलेखा-परीक्षित शाखाओं के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण शाखा प्रबंधकों द्वारा किए गए प्रमाणन के अनुसार ही किया गया है ।

ई] सकल अनर्जक अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए न्यूनतम निर्धारण से ऊपर रु.259.92 करोड़ (पिछले वर्ष 259 .92 करोड़) का अस्थायी प्रावधान किया गया है । ये प्रावधान अग्रिमों में शामिल नहीं हैं ।

उ] संभाव्य हानि के लिए अग्रिमों और प्रावधानों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार किया गया सिवा इसके कि रु .32 .66 करोड़ के अग्रिम के मामले में बैंक द्वारा वर्गीकरण न किए जाने पर दिल्ली उच्च न्यायालय से रोक का आदेश हुआ है ।

4. अचल आस्तियाँ

कुछ कानूनी और अन्य औपचारिकताएँ लंबित हैं एवं पूरी नहीं हो पाई हैं, इसलिए सात परिसरों के संबंध में स्वत्व विलेखों का निष्पादन/पंजीकरण नहीं हो पाया है, जिसकी रकम रु.12.37 करोड़ (पिछले वर्ष 14.96 करोड़) है ।

5. रुपया ब्याज दर अदला-बदली

रुपया ब्याज दर अदला पदली के समापन पर होने वाले लाभ पर आस्थगित आय में रु .2 .11करोड़ [पिछले वर्ष रु .8 .06 करोड़] रकम रखी गई है और इस रकम को अदला-बदली की संविदात्मक या आस्तियों / देयताओं की शेष आयु , जो भी पहले हो, के रूप में पहचाना जाएगा ।

e) Investments held by Overseas branches are classified and valued as per guidelines issued by respective regulatory authorities.

3. Advances

a) For provisioning requirements, claims pending settlement as well as claims yet to be lodged with Guarantee Institutions identified by the branches have been considered on the basis that such claims are valid and recoverable.

b) In assessing the realisability of certain advances, the estimated value of security, Central Government guarantees and subsequent conduct have been considered for the purpose of asset classification and income recognition.

c) The classification of advances, as certified by the Branch Managers has been incorporated, in respect of unaudited branches.

d) Floating provision of Rs. 259.92 crores (previous year Rs.259.92 crores) is held in respect of gross non-performing advances, over and above the minimum prescribed by RBI. These provisions are netted off from advances.

e) The classification of advances and provisions for possible loss have been made as per Prudential Norms issued by RBI except in case of an advance amounting to Rs.32.66 crores where the Bank has been restrained by an Order of the Hon'ble High Court, Delhi from classifying the advance.

4. Fixed Assets

Pending completion of certain legal and other formalities, title deeds have not been executed registered in favour of the Bank in respect of seven premises amounting to Rs.12.37 crores (previous year Rs.14.96 crores).

5. Rupee Interest Rate Swap

An amount of Rs. 2.11 crores (previous year Rs.8.06 crores) is kept in deferred income on account of gains on termination of Rupee Interest Rate Swaps and would be recognised over the remaining contractual life of swap or life of the assets / liabilities, which ever is earlier.

6. पूंजी

बैंक ने इस वर्ष के दौरान अपनी टायर -I पूँजी बढाने हेतु कोई रकम इकट्ठा नहीं की । (पिछले वर्ष टायर II पूंजी रु.1000 करोड़ और टायर I पूंजी रु.280 करोड़)

विदेशी शाखाओं के रूपांतरण अंतर के रु .28.50 करोड़ [पिछले वर्ष रु .44.18 करोड़] को अन्य देयताओं में [अन्यतर] रखा गया है ।

7. कर

7.1 न्यायिक व अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों और कर-विशेषज्ञों के मतों पर यथोचित विचार करने के बाद, आय कर से संबंधित रु.709.96 करोड़ (पिछले वर्ष रु.422.73 करोड़) की विवादित माँगों के संबंध में प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है। फिर भी, बैंक इन निर्धारित वर्षो के प्रति रु .316.44 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान जारी रखता है। गत वर्षों के धन-वापसी आदेशों के प्रति रु .706.53 करोड़ की राशि अदा / समायोजित की गई है ।

7.2 न्यायिक व अपीलकर्ता प्राधिकारियों के निर्णयों और कर-विशेषज्ञों के मतों पर यथोचित विचार करने के बाद, रु. 0.62 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.62 करोड़) की रकम के फुटकर स्वर्ण सिक्कों की बिक्री पर बिक्री कर की माँग के संबंध में प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

अतिरिक्त प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 2.07.2007 के मास्टर परिपत्र में दिए दिशानिर्देशों कें अनुसार निम्नलिखित अतिरिक्त प्रकटीकरण किए गए :

1. पूंजी

क्र सं.	ब्योरे	2007-08	2006-07
i	जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (%)	11.96%	13.27%
ii	जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात टायर I पूंजी (%)	7.86%	8.20%
iii	जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात टायर II पूंजी (%)	4.10%	5.07%
iv	भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता	61.23%	61.23%
v	टायर II पूंजी के रूप में इकट्ठे किए गौण ऋण की रकम (रु. करोड़ों में)	शून्य	1000.00

6. Capital

The Bank has not raised any amount to augment its Tier I and Tier II Capital during the year. (previous year Rs.1000 crores as Tier II Capital and Rs.280 crores as Tier I Capital).

Overseas Branches translation difference amounting to Rs.28.50 crores (Previous Year Rs.44.18 crores) has been kept in 'other liabilities' (others).

7. Taxes

7.1 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of income tax amounting to Rs.709.96 crores (previous year Rs.422.73 crores) after due consideration of decisions of Appellate Authorities, judicial pronouncements and the opinion of tax experts. However, the Bank continues to hold a surplus provision of Rs. 316.44 crores against these assessment years. An amount of Rs. 706.53 crores has been paid/adjusted against Refund Order of earlier years.

7.2 No Provision has been considered necessary in respect of demands of sales tax on sale of retail gold coins amounting to Rs.0.62 crores (Previous year Rs.0.62 crores) after due consideration of judicial pronouncements and the opinion of tax experts.

ADDITIONAL DISCLOSURES :

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India vide Master Circular dt. 02.07.2007, the following additional disclosures are made: -

1. Capital:

S.No.	Particulars	2007-08	2006-07
I	CRAR (%)	11.96 %	13.27%
II	CRAR Tier I Capital (%)	7.86 %	8.20%
III	CRAR Tier II Capital (%)	4.10 %	5.07%
IV	Percentage of shareholding of Government of India	61.23%	61.23%
V	Amount of Subordinated Debt raised as Tier II Capital (Rs in crores)	NIL	1000.00

2 . निवेश

2 .1 निवेशों का मूल्य [घरेलू] (रु. करोड़ों में)

		2007-08	2006-07
i)	निवेशों का सकल मूल्य		
	[क] भारत में	27467.85	23571.27
	[ख]भारत के बाहर	1317.06	556.90
ii)	मूल्यहास के लिए प्रावधान		
	[क] भारत में	293.25	153.28
	[ख] भारत के बाहर	16.96	0.41
iii)	निवेशों का निवल मूल्य		
	[क] भारत में	27174.60	23417.99
	[ख] भारत के बाहर	1300.10	556.49

2.2 निवेशों हेतु धारित प्रावधानों का प्रचलन भुगतान हेतु परिपक्व हुई प्रतिभूतियों सहित

(रु. करोड़ों में)

		2007-08	2006-07
(i)	अथ शेष	158.19	169.57
(ii)	जोडें वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	184.95	54.81
(iii)	घटाएँ वर्ष के दौरान किए गए अधिक प्रावधानों को बट्टे खाते डालना / पुनरांकन करना	28.73	66.19
(iv)	इति शेष	314.41	158.19

2.3 रिपो लेनदेन

(रु. करोड़ों में)

ब्योरे	**वर्ष की समाप्ति** के दौरान न्यूनतम बकाया 07-08	06-07	वर्ष की समाप्ति के दौरान अधिकतम बकाया 07-08	06-07	दैनिक औसत **बकाया वर्ष की समाप्ति के दौरान** 07-08	06-07	31.3.08 **को**	31.3.07 **को**
रिपो के तहत बेची गयी प्रतिभूतियाँ	10.26	50	2400.00	3200	183.37	148	1600.00	800
रिवर्स रिपो के तहत खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ	23.00	100	700.00	2500	8.38	357	शून्य	शून्य

2.4 गैर - एसएलआर निवेश पोर्टफ़ोलियो

गैर-एसएलआर निवेशों की जारीकर्ता-वार संरचना

(रु. करोड़ों में)

सं .	जारीकर्ता	रकम	निजी प्लेसमेंट का विस्तार	निवेश के कम श्रेणी की प्रतिभूतियाँ	गैर निर्धारित प्रतिभूतियों	असूचित प्रतिभूतियाँ का विस्तार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	775.10	728.61	13.25	178.72	178.72
2	वित्तीय संस्थाएँ	183.57	183.57	6.88	18.32	18.32
3	बैंक	411.53	201.70	6.70	1.00	1.00
4	निजी कार्पोरेट	766.87	354.84	10.00	4.15	4.15
5	अनुषंगी / संयुक्त उद्यम	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00
6	अन्य	188.18	138.18	0.00	0.00	0.00
7	मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान	175.06	XXX	XXX	XXX	XXX
	कुल	2178.69	1635.40	36.83	202.19	202.19

2. Investments

2.1 Value of Investments (Rs. in crore)

		2007-08	2006-07
(i)	Gross Value of Investments		
	(a) In India	27467.85	23571.27
	(b) Outside India	1317.06	556.90
(ii)	Provision for Depreciation		
	(a) In India	293.25	153.28
	(b) Outside India	16.96	0.41
(iii)	Net value of Investments		
	(a) In India	27174.60	23417.99
	(b) Outside India	1300.10	556.49

2.2 Movement of Provisions held towards depreciation on Investments including securities matured for payment

(Rs. in crore)

		2007-08	2006-07
(i)	Opening Balance	158.19	169.57
(ii)	ADD Provisions made during the year	184.95	54.81
(iii)	LESS Write off/Write Back of excess provisions during the year	28.73	66.19
(iv)	Closing Balance	314.41	158.19

2.3 Repo transactions:

(Rs in crores)

Particulars	Minimum outstanding 07-08	06-07	Maximum outstanding 07-08	06-07	Daily Average outstanding 07-08	06-07	As on 31.03.08	As on 31.03.07
Securities sold under Repos	10.26	50	2400.00	3200	183.37	148	1600.00	800
Securities Purchased under reverse Repos	23.00	100	700.00	2500	8.38	357	Nil	Nil

2.4 Non-SLR Investment Portfolio

Issuer Composition of Non-SLR Investments:

(Rs. in crore)

No	Issuer	Amount	Extent of Private Placement	Extent of below Ivestment grade Securities	Extent of Unrated Securities	Extent of Unlisted Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSUs	775.10	728.61	13.25	178.72	178.72
2	FI	183.57	183.57	6.88	18.32	18.32
3	Banks	411.53	201.70	6.70	1.00	1.00
4	Private Corporate	766.87	354.84	10.00	4.15	4.15
5	Subsidiaries/ Joint Ventures	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00
6	Others	188.18	138.18	0.00	0.00	0.00
7	Provision held towards depreciation	175.06	XXX	XXX	XXX	XXX
	Total	2178.69	1635.40	36.83	202.19	202.19

2.5 अनर्जक गैर एसएलआर निवेश

(रु. करोड़ों में)

ब्योरे	रकम
1 अप्रैल 2007 तक अथ शेष	13.11
वर्ष के दौरान जोड	0.00
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	8.94
31 03 2008 तक इति शेष	4.17
कुल धारित प्रावधान	4.17

3. डेरिवेटिव्स

3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर अदला-बदली

(रु. करोड़ों में)

ब्योरे	2007-08 रुपया ऋण	2007-08 एफएक्स ऋण	2007-08 कुल	2006-07 रुपया कुल	2006-07 एफएक्स ऋण	2006-07 कुल
i) अदला-बदली करारों के काल्पनिक मूल	1425.00	2030.00	3455.00	1425.00	1213.11	2638.11
ii) करारों के तहत यदि काउंटर पार्टी अपनी बाध्यता को पूरा करने में असफल होते हैं तो उससे होने वाली हानि	4.35	55.50	59.85	शून्य	शून्य	शून्य
iii) अदला-बदली करने के बाद बैंक को अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iv) अदला-बदली से उत्पन्न क्रेडिट जोखिम पर केंद्रीकरण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
v) अदला-बदली बही का उचित मूल्य	-15.09	-9.11	-24.20	-62.22	-50.92	-113.14

बैंक ने किसी भी प्रकार का वायदा दर करार नहीं किया है । उपर्युक्त में प्रकट किए गए डेरिवेटिव्स तुलन पत्र की आस्तियों व देयताओं की प्रतिरक्षा करने वाली अदला-बदली [आइ आर एस] प्रकार के हैं । बैंकों के साथ अदला-बदली कर लिए जाने के कारण संपार्श्विक पर ज़ोर नहीं दिया गया ।

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स

(रु. करोड़ों में)

क्रम सं	ब्योरे	रकम
i)	वर्ष के दौरान विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम (लिखत वार)	शून्य
ii)	31 मार्च 2008 तक विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम (लिखत वार)	शून्य
iii)	विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम और जो "उच्च प्रभावी" नहीं (लिखत वार)	शून्य
iv)	प्रतिभूतियों के दैनिक मूल्य प्रभार के विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव्स की काल्पनिक मूल रकम जो "उच्च प्रभावी" नहीं (लिखत वार)	शून्य

2.5 Non Performing Non SLR Investments

Rs. in crore)

Particulars	Amount
Opening Balance as on 1st April 2007	13.11
Additions during the year	0.00
Reductions during the year	8.94
Closing Balance as on 31st March 2008	4.17
Total Provisions held	4.17

3. DERIVATIVES:

3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap:

(Rs in crore)

PARTICULARS	2007-08 Rupee Exposure	2007-08 FX Exposure	2007-08 Total	2006-07 Rupee Exposure	2006-07 FX Exposure	2006-07 Total
i) The notional principal of swap agreements	1425.00	2030.00	3455.00	1425.00	1213.11	2638.11
ii) Losses which would be incurred if counter-parties failed to fulfil their obligations under the agreements	4.35	55.50	59.85	Nil	NIL	NIL
iii) Collateral required by the bank upon entering into swaps	Nil	Nil	Nil	Nil	NIL	NIL
iv) Concentration of credit risk arising from the swap	Nil	Nil	Nil	Nil	NIL	NIL
v) The fair value of the swap book	-15.09	-9.11	-24.20	-62.22	-50.92	-113.14

The bank has not entered into any Forward Rate Agreement. The derivatives disclosed above are in the nature of Interest Rate Swap (IRS) to hedge the Balance Sheet Assets and Liabilities. No collateral were insisted as the swaps were entered into with banks.

3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(Rs. Crores)

S. No.	Particulars	Amount
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise)	Nil
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2008 (instrument wise)	Nil
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	Nil
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	Nil

3.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम ऋण पर प्रकटीकरण

3.3.1 गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक, ब्याज दर अदला-बदली (आइ आर एस) और मुद्रा अदला-बदली तथा भविष्य के लिए विकल्प का उपयोग बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम और मुद्रा जोखिम कम करने के लिए प्रतिरक्षा हेतु प्रयोग करता है। बैंक उच्च निवल मूल्य कार्पोरेट ग्राहकों को इन उत्पादों को भी उपलब्ध कराता है ताकि वे अपनी मुद्रा व ब्याज-दर जोखिम का प्रबंधन कर सकें। इस तरह के लेनदेन ग्राहकों व बैंकों के साथ ही रखा जाता है जिनके करार उपलब्ध हैं।

अ) बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति, विदेशी उधार / एफ़ सी एन आर [बी] पोर्टफ़ोलियो / आस्ति देयता की विसंगति आदि के कारण होने वाली ब्याज दर जोखिम की प्रतिरक्षा के लिए डेरिवेटिव उत्पादों का प्रयोग करने की और ऐसे उत्पाद दुतरफा आधार पर ग्राहकों को उपलब्ध कराने की अनुमति देती है ।

आ) बैंक के पास डेरिवेटिव्स एक्सपोज़र का मूल्यांकन अलग से करने और डेरिवेटिव लेनदेन करने के लिए अधिकतम उचित ऋण सीमाएँ गठित करते हुए प्रत्येक ग्राहकों का निवल मूल्य व प्रतिभूति समर्थन का विधिवत संगणन करने की अलग प्रणाली है ।

इ) बैंक ने प्रतिरक्षा लिखतों के रूप में डेरिवेटिव्स के उपयोग से जुडे जोखिम को निर्धारित करने के लिए उचित नियंत्रण प्रणालियों का गठन किया है और डेरिवेटिव प्रबंधन से संबंधित सभी पक्षों के प्रबोधन के लिए उचित रिपोर्टिंग प्रणालियाँ उपलब्ध हैं । डेरिवेटिव लेनदेनों को मात्र प्रतिपक्षी पार्टी के रूप में लेकर प्रत्येक प्रतिपक्षी पार्टी के लिए बैंक की उपयुक्त ऋण मंजूरी प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित जोखिम सीमा के अंदर ही किया गया ।

ई) बैंक ने डेरिवेटिव्स के प्रयोग के लिए आवश्यक सीमाएँ गठित की हैं और इसकी स्थिति व प्रभावकारिता का निरंतर प्रबोधन किया जाता है ।

उ] बैंक के पास आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू करने के लिए प्रशासनिक पदानुक्रम के परिणामी एक्सपोज़र के मूल्यांकन व निरंतर प्रबोधन करने की अलग प्रणाली है ।

ऊ] बैंक द्वारा तुलन पत्र की प्रतिरक्षा और चयनित उच्च निवल संपत्ति वाले कार्पोरेट ग्राहकों के लिए डेरिवेटिव्स का प्रयोग पारस्परिक आधार पर किया जाता है । प्रतिरक्षा लेनदेनों के संबंध में प्रतिरक्षा के मूल्य व परिपाक ने मूलाधार को पार नहीं किया है । पारस्परिक लेनदेनों के संबंध में ग्राहकों के साथ के लेनदेन, बैंक के काउंटर पार्टी लेनदेनों से पूर्णत: समतुल्य किए गए हैं और अरक्षित एक्सपोज़र नहीं हैं ।

3.3 DISCLOSURES ON RISK EXPOSURE IN DERIVATIVES

3.3.1 Qualitative Disclosure

The Bank uses the Interest Rate Swaps (IRS) and Currency Swaps and Options for hedging purposes to mitigate interest rate risk and currency risk in banking book. The bank also offers these products to high Net Worth corporate clients to enable them to manage their own currency and interest rate risk. Such transactions are entered only with Clients and Banks having agreements in place.

a) The Risk Management policies of the Bank allows using of derivative products to hedge the risk in Interest/Exchange rates that arise on account of overseas borrowing/FCNR (B) portfolio/the asset liability mis-match etc., and also to offer such products on back to back basis to customers.

b) The bank has a system of evaluating the derivatives exposures separately and placing appropriate credit lines for execution of derivative transactions duly reckoning the Net Worth and security backing of individual clients.

c) The bank has set in place appropriate control systems to assess the risks associated in using derivatives as hedge instruments and proper risk reporting systems are in place to monitor all aspects relating to derivative transactions. The Derivative transactions were undertaken only with counter parties well within the exposure limits approved by appropriate credit sanctioning authorities for each counter party.

d) The Bank has set necessary limits in place for using derivatives and its position and effectiveness are continuously monitored.

e) The bank has a system of continuous monitoring and appraisal of resultant exposures across the administrative hierarchy for initiation of necessary follow up actions.

f) Derivatives are used by the Bank to hedge the Bank's Balance sheet and offered to select high net worth corporate clients on back-to-back basis. In respect of hedge transactions the value and maturity of hedges has not exceeded that of the underlying exposure. In respect of back-to-back transactions the transactions with clients are fully matched with counter party bank transactions and there is no uncovered exposure.

ऋ] इस प्रकार के डेरिवेटिव्स से होने वाली आय को परिशोधित किया गया है और संविदा की आयु के लिए उपचयन के आधार पर लाभ व हानि खाते में लिया गया है । अदला-बदली के शीघ्र निरसन के मामले में ऐसे लाभों से प्राप्त आय, अदला-बदली की शेष सांविदिक आयु या आस्तियों / देयताओं की आयु, जो भी कम हो, पर पहचानी जाएगी ।

ए] सभी प्रतिरक्षा लेनदेन उप-चयन के आधार पर परिकलित किए गए हैं। बकाए संविदाओं का मूल्यांकन बाज़ार मूल्य को बही में अंकित करने के आधार पर किया गया। बैंक के पास डेरिवेटिव्स में लेनदेन के लिए विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन और लेखांकन नीति उपलब्ध है।

3.3.2 मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु. करोड़ों में)

क्रसं.	ब्यौरे	मुद्रा डेरिवेटिव्स व विकल्प	ब्याज दर डेरिवोटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (काल्पनिक मूल रकम)		
	क] प्रतिरक्षा के लिए	1290.36	1027.50
	ख] व्यापार के लिए	897.90	1002.50
	कुल		
(ii)	बाजार स्थिति [1]		
	क] आस्तियाँ (+)	49.90	55.50
	ख देयताएँ(-)	105.68	64.61
(iii)	ऋण कारोबार [2]	212.61	74.50
(iv)	ब्याज दर में संभावित एक प्रतिशत के परिवर्तन का प्रभाव (100*पीवी01)		
	क] प्रतिरक्षा डेरिवेटिव्स पर	33.71	31.58
	ख] व्यापार डेरिवेटिव्स पर	12.38	44.22
(v)	वर्ष के दौरान देखे गए 100*पीवी01 का न्यूनतम और अधिकतम		
	क] प्रतिरक्षा पर	अधिकतम 36.38	अधिकतम 57.48
		न्यूनतम 27.43	न्यूनतम 29.33
	ख] व्यापार पर	अधिकतम 13.86	अधिकतम 46.01
		न्यूनतम 12.38	न्यूनतम 18.16

g) The income from such derivatives are amortised and taken to profit and loss account on accrual basis over the life of the contract. In case of early termination of swaps, income on account of such gains would be recognised over the remaining contractual life of the swap or life of the assets/liabilities whichever is lower.

h) All the hedge transactions have been accounted on accrual basis. Valuations of the outstanding contracts are done on Mark to Market basis. The Bank has duly approved Risk Management and Accounting procedures for dealing in Derivatives.

3.3.2 Quantitative Disclosures:

(Rs. in crore)

S. NO.	PARTICULARS	CURRENCY DERIVATIVES & OPTIONS	INTEREST RATE DERIVATIVES
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)		
	a) For Hedging	1290.36	1027.50
	b) For Trading	897.90	1002.50
(ii)	Mark to Market Positions [1]		
	a) Asset (+)	49.90	55.50
	b) Liability (-)	105.68	64.61
(iii)	Credit Exposure [2]	212.61	74.50
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	a) on hedging derivatives	33.71	31.58
	b) on trading derivatives	12.38	44.22
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	a) on hedging	Maximum 36.38	Maximum 57.48
		Minimum 27.43	Minimum 29.33
	b) on trading	Maximum 13.86	Maximum 46.01
		Minimum 12.38	Minimum 18.16

4. आस्ति गुणवत्ता

4.1 अनर्जक आस्तियाँ (एनपीए)

(रु. करोड़ों में)

	ब्यौरे	2007-08	2006-07
i)	सकल एनपीए से सकल अग्रिम (%)	0.60	0.55
ii)	एनपीए की गतिशीलता (सकल)		
	क) अथ शेष	1120.21	1227.55
	ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	665.00	707.43
	ग) वर्ष के दोरान कटौतियाँ	788.26	814.77
	घ) इति शेष	996.95	1120.21
iii)	निवल एनपीए की गतिशीलता		
	क) अथ शेष	257.83	224.33
	ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	665.00	707.43
	ग) वर्ष के दोरान कटौतियाँ	559.63	673.93
	घ) इति शेष	363.20	257.83
iv)	एनपीए की गतिशीलता के लिए प्रावधान (मानक आस्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर)		
	क) अथ शेष	787.97	930.98
	ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	125.44	135.31
	ग) बट्टे खाते में डाले गए / पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान	343.47	278.32
	घ) इति शेष	569.94	787.97

4.2 वर्ष के दौरान पुनर्संरचना के तहत लाई गई ऋण आस्तियों के विवरण

(रु. करोड़ों में)

	ब्यौरे	2007-08	2006-07
(i)	पुनर्संरचना, पुनर्निधारण, पुन:परक्रामण के तहत लाए गए ऋण आस्तियों की कुल रकम	645.60	534.24
	- उक्त में से सीडीआर के तहत	39.65	---
(ii)	पुनर्संरचना, पुनर्निधारण, पुन:परक्रामण के तहत लाए गए मानक आस्तियों की कुल रकम	645.49	526.60
	- उक्त में से सीडीआर के तहत	39.65	---
(iii)	पुनर्संरचना, पुनर्निधारण, पुन:परक्रामण के तहत लाए गए अवमानक आस्तियों की कुल रकम	0.11	6.45
	- उक्त में से सीडीआर के तहत	---	---
(iv)	पुनर्संरचना, पुनर्निधारण, पुन:परक्रामण के तहत लाए गए संदिग्ध आस्तियों की कुल रकम	---	1.19
	- उक्त में से सीडीआर के तहत	---	---

4. ASSET QUALITY:

4.1 Non Performing Assets (NPAs)

(Rs. in crore)

		2007-08	2006-07
i	Net NPA to Net Advances(%)	0.60	0.55
ii	Movement of NPAs (Gross)		
	a) Opening Balance	1120.21	1227.55
	b) Additions during the year	665.00	707.43
	c) Reductions during the year	788.26	814.77
	d) Closing Balance	996.95	1120.21
iii	Movement of Net NPAs		
	a) Opening Balance	257.83	224.33
	b) Additions during the year	665.00	707.43
	c) Reductions during the year	559.63	673.93
	d Closing Balance	363.20	257.83
iv	Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	a) Opening balance	787.97	930.98
	b) Provisions made during the year	125.44	135.31
	c) Write-off/Write-back of excess provisions	343.47	278.32
	d) Closing balance	569.94	787.97

4.2 Details of Loan assets subject to restructuring

(Rs. in crore)

	Particulars	2007-08	2006-07
(i)	Total Amount of loan assets subjected to restructuring, rescheduling, re-negotiation	645.60	534.24
	- Of which under CDR	39.65	—
(ii)	Total amount of Standard Assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation;	645.49	526.60
	- Of which under CDR	39.65	—
(iii)	Total amount of substandard Assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation;	0.11	6.45
	- Of which under CDR	—	—
(iv)	Total Amount of Doubtful Assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation;	—	1.19
	- Of which under CDR	—	—

4.3 परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/ पुन:संरचना कंपनी को बेची गइ वित्तीय आस्तियों के विवरण

(रु. करोड़ों में)

	ब्यौरे	2007-08	2006-07
(i)	खातों की संख्या	35	शून्य
(ii)	एस सी / आर सी को विक्रय किए गए खातों का कुल मूल्य [प्रावधानों का निवल]	57.33	शून्य
(iii)	कुल प्रतिफल	62.63	शून्य
(iv)	गत वर्षों में अंतरित खातों से प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
(v)	निवल बही-मूल्य पर कुल लाभ / हानि	5.30	शून्य

4.4 अन्य बैंकों से क्रय / विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

4.4.1 क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ों में)

	ब्यौरे	2007-08	2006-07
1 .	[क]वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	[ख] कुल बकाया	शून्य	शून्य
2 .	[क] वर्ष के दौरान इनमें से पुन:संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
	[ख]कुल बकाया	शून्य	शून्य

4.4.2. विक्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(रु. करोड़ों में)

	ब्यौरे	2007-08	2006-07
1.	विक्रय किए गए खाते	शून्य	शून्य
2.	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3.	प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य

4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु. करोड़ों में)

ब्यौरे	2007-08	2006-07
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	307.82	229.34

4.3 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company, for Asset reconstruction

(Rs. in crore)

	Particulars	2007-08	2006-07
(i)	No. of accounts	35	Nil
(ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	57.33	Nil
(iii)	Aggregate consideration	62.63	Nil
(iv)	Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
(v)	Aggregate gain/loss over net book value	5.30	Nil

4.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold from other banks

4.4.1 Details of non-performing financial assets purchased:

(Rs. in crore)

	Particulars	2007-08	2006-07
1	(a) No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil
2	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b) Aggregate outstanding	Nil	Nil

4.4.2 Details of non-performing financial assets sold :

(Rs. in crore)

Particulars	2007-08	2006-07
1. No. of accounts sold	Nil	Nil
2. Aggregate outstanding	Nil	Nil
3. Aggregate consideration received	Nil	Nil

4.5 Provisions for Standard Assets

(Rs. in crore)

Particulars	2007-08	2006-07
Provisions towards Standard Assets	307.82	229.34

5. कारोबार अनुपात

ब्योरे		2007-08	2006-07
(i)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजगत आय	9.77%	7.85%
(ii)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याजेतर आय	1.00%	0.52%
(iii)	औसत कार्यकारी निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनात्मक लाभ	2.46%	2.10%
(iv)	आस्तियों से लाभ	1.30%	1.36%
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाएँ व अग्रिम) (रु. हज़ारों में)	58270	46723
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (रु. हज़ारों में)	482	404

5. BUSINESS RATIOS :

Particulars		2007-08	2006-07
(i)	Interest Income as a percentage to Average Working Funds	9.77%	7.85%
(ii)	Non Interest Income as a percentage to Working Funds	1.00%	0.52%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.46%	2.10%
(iv)	Return on Assets	1.30%	1.36%
(v)	Business (Deposits plus advances) per Employee (Rs. in 000s)	58270	46723
(vi)	Profit per employee (Rs. in 000s)	482	404

6) आस्ति देयता प्रबंधन

31 मार्च 2008 तक आस्तियों व देयताओं का परिपक्वता स्वरूप **(रु. करोड़ों में)**

	1से 14 दिन	15से 28 दिन	29 दिन से 3 महिने	>3महिने से 6 महिने	>6 महिने से 12 महिने	>1 वर्ष से 3 वर्ष	>3 वर्ष से 5 वर्ष	>5 वर्ष	कुल
जमाएँ	5417.20	1708.52	9176.37	10047.69	12001.42	37371.25	2798.65	2320.81	80841.91
सकल अग्रिम	5803.88	1176.08	2433.80	2156.61	8526.26	31937.10	5798.20	478.92	58310.84
सकल निवेश	2422.26	552.10	2264.77	2793.69	3514.74	9493.69	1072.85	5060.50	27174.60
उधार	4208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4208.92
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	635.48	107.32	425.79	853.13	46.52	48.12	0.00	0.00	2116.36
विदेशी मुद्रा देयताएँ	303.15	41.29	188.26	280.56	432.93	610.57	811.14	0.00	2667.90

जमाएँ :बचत खाते, चालू खाते और मियादी जमाएँ सम्मिलित

अग्रिम : अग्रिम, बिल और खाद्य ऋण सम्मिलित

उधार : राशियाँ आर बी आई, नाबार्ड से ली गई उधार राशियाँ सम्मिलित

6. ASSET LIABILITY MANAGEMENT:

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on March 31, 2008

(Rs. in crore)

	1-14 days	15-28 days	29days -3mnths	>3m to 6m	>6m to 12 m	>1yr to 3yr	>3yr to 5 yr	> 5yr	Total
Deposits	5417.20	1708.52	9176.37	10047.69	12001.42	37371.25	2798.65	2320.81	80841.91
Advances	5803.88	1176.08	2433.80	2156.61	8526.26	31937.10	5798.20	478.92	58310.84
Investments	2422.26	552.10	2264.77	2793.69	3514.74	9493.69	1072.85	5060.50	27174.60
Borrowings	4208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4208.92
Foreign Currency Assets	635.48	107.32	425.79	853.13	46.52	48.12	0.00	0.00	2116.36
Foreign Currency Liabilities	303.15	41.29	188.26	280.56	432.93	610.57	811.14	0.00	2667.90

Deposits :Includes SB, CD and Term Deposits

Advances : Includes advances, bills and Foor Credit

Borrowings : Includes borrowings from RBI, NABARD, etc.

7. संवेदनशील क्षेत्रों को उधार [बैंक द्वारा प्रमाणितानुसार]

7.4 भूमि-भवन क्षेत्र को ऋण

(रु. करोड़ों में)

	प्रवर्ग	2007-08	2006-07
अ)	**प्रत्यक्ष** ऋण	3043.54	3111.81
	i) आवासी बंधक उधारकर्ता की आवासीय संपत्ति जिसमें उधारकर्ता खुद रहते हैं या रहने वाले है या किराए पर दी हुई है उसपर बंधक द्वारा पूर्णत: प्रतिभूत उधार : [रु.20 लाख तक का वैयक्तिक आवास ऋण] [इससे पहले रु.15 लाख]	(2531.50)	लागू नहीं
	ii) वाणिज्यिक स्थावर-संपदा वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा प्रतिभूत उधार [कार्यालय भवन, छोटी-मोटी ज़मीन, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार निवासीय भवन, बहुविध किराए पर दिया हुआ वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयरहाउस ज़मीन, होटल, भूमि अभिग्रहण, विस्तारण व निर्माण आदि] उधार में गैर-निधि आधारित सीमाएँ सम्मिलित हैं ।	3669.10	2948.72
	iii) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश और अन्य प्रत्याभूत निवेश		
	a आवासिक	1.02	1.70
	b वाणिज्यिक भूमि-भवन	15.04	शून्य
आ)	**अप्रत्यक्ष ऋण :** एनएचबी और गृह निर्माण वित्त कंपनियों पर निधि आधारित और गैर-निधि आधारित उधार	404.02	475.62

7.2 पूँजी बाज़ार में उधार

(रु. करोड़ों में)

	विवरण	2007-08	2006-07
i)	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बाँडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के युनिटों में जिसकी निधि का निवेश विशिष्टत: कार्पोरेट ऋण में न किया गया है, आदि में किए गए निवेश	560.91	366.00

7. LENDING TO SENSITIVE SECTOR (As certified by the Bank)

7.1 Exposure to Real Estate Sector

(Rs in crore)

	Category	2007-08	2006-07
(a)	**Direct Exposure**	3043.54	3111.81
	i) Residential Mortgages - Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; Individual housing loans up to Rs. 20 lakh (previously Rs.15 lakhs)	(2531.20)	N.A.
	ii) Commercial Real Estate - Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc.) Exposure includes non-fund based (NFB) limits;	3669.10	2948.72
	iii) Investments in Mortgage Backed Securities and other securitised exposures –		
	a. Residential	1.02	1.70
	b. Commercial Real estate	15.04	NIL
b)	**Indirect Exposure**: Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	404.02	475.62

7.2 Exposure to Capital Market:

(Rs in crore)

	Particulars	2007-08	2006-07
(i)	direct investment made in equity Shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity – oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt	560.91	366.00

(रु. करोडों में)

	विवरण	2007-08	2006-07
ii)	ईक्विटी शेयरों (आइपीओ/ ईएसओपी सहित), परिवर्तनशील बाँडों और परिवर्तनशील डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की युनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या निर्बंध आधार पर अग्रिम	6.53	0.74
iii)	शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के युनिटों को मूल प्रतिभूति के रूप में लेकर किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए अग्रिम	0.41	51.98
iv)	शेयरों या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के युनिटों को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखकर किसी अन्य प्रयोजन हेतु दिए गए अग्रिम अर्थात जहाँ शेयरों / परिवर्तनशील बाँडों / परिवर्तनशील डिबेंचरों / ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के युनिटों की प्रतिभूति अग्रिम को पूर्णत: कवर न करती हो	94.42	शून्य
v)	स्टॉक ब्रोकर को दिए गए सुरक्षित व असुरक्षित अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी की गई गारंटियाँ	210.03	55.39
vi)	संसाधन जुटाने की अपेक्षा से नई कंपनियों की ईक्विटी के प्रवर्तक के अंशदान की पूर्ति करने हेतु शेयरों / बाँडों / डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या निबंर्ध आधार पर कार्पोरेटों को मंजूरित ऋण	0.71	शून्य
vii)	अनुमानित ईक्विटी प्रवाह / निर्गमों पर कंपनियों को पूरक ऋण	शून्य	शून्य
viii)	शेयरों का मूल निर्गम या परिवर्तनशील बाँडों या परिवर्तनशील डिबेंचरों या ईक्विटी म्युच्युअल फंड के युनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गयी हामीदारी प्रतिबद्धताएँ	शून्य	शून्य
ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉकब्रोकरों को वित्त प्रदान करना	शून्य	शून्य
x)	जोखिम पूंजी को दिए गए सभी उधारों को ईक्विटी के समकक्ष माना जाएगा और इसलिए उसे पूंजी बाजार उधार सीमाओं के साथ अनुपालन हेतु हिसाब में लिया जाएगा (दोनों प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष)	88.62	90.60
	पूंजी बाजार को कुल उधार	961.63	499.20

(Rs in crore)

	Particulars	2007-08	2006-07
ii)	advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds	6.53	0.74
(iii)	advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	0.41	51.98
(iv)	advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds ie. Where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	94.42	Nil
(v)	secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	210.03	55.39
(vi)	loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.71	Nil
(vii)	bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	Nil	Nil
(viii)	underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	Nil	Nil
(ix)	financing to stockbrokers for margin trading;	Nil	Nil
(x)	all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect)	88.62	90.60
	Total Exposure to Capital market	961.63	499.20

7.3 जोखिम वर्ग वार देश ऋण

(रु. करोड़ों में)

जोखिम वर्ग	31.3.2008 तक कुल अग्रिम	31.3.2008 धारित प्रावधान	31.3.2007 तक कुल अग्रिम	31.3.2007 तक धारित प्रावधान
अमहत्वपूर्ण	4976.49	1.92	3866.80	शून्य
कम	1606.81	शून्य	1080.08	शून्य
सामान्य	561.44	शून्य	1016.80	शून्य
उच्च	12.50	शून्य	7.78	शून्य
उच्चतर	8.57	शून्य	1.18	शून्य
प्रतिबंधित	0.00	शून्य	0.00	शून्य
उधार-इतर	0.00	शून्य	0.00	शून्य
कुल	7165.81	1.92	5972.64	शून्य

7.4 एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के विवरण जहाँ बैंक ने अतिक्रमण किया है

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एकल उधारकर्ता उधार सीमा का अनुमेय स्तर रु 1056.16 करोड (पूंजी निधि का 15 %) है और समूह उधारकर्ता सीमा रु 2816.44 करोड़ (पूंजी निधि का 20 %) है ।

वर्ष के दौरान बैंक ने एकल उधारकर्ता तथा समूह उधारकर्ता सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया ।

8. विविध

8.1 वर्ष के दौरान की गई प्रावधान रकम

(रु. करोड़ों में)

	2007-08	2006-07
आय कर के लिए प्रावधान	509.19	274.48
अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान	24.00	10.00

8.2 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष के दौरान बैंक पर कोई दण्ड नहीं लगाया।

7.3 Risk Category-wise Country Exposure:

(Rs in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.3.2008	Provision held as at 31.3.2008	Exposure (net) as at 31.3.2007	Provision held as at 31.3.2007
Insignificant	4976.49	1.92	3866.80	NIL
Low	1606.81	Nil	1080.08	NIL
Moderate	561.44	Nil	1016.80	NIL
High	12.50	Nil	7.78	NIL
Very High	8.57	Nil	1.18	NIL
Restricted	0.00	Nil	0.00	NIL
Off-credit	0.00	Nil	0.00	NIL
Total	7165.81	1.92	5972.64	NIL

7.4 Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank:

As per RBI guidelines, the permissible level of Single Borrower exposure ceiling is Rs. 1056.16 crores (15% of Capital funds) and Rs. 2816.44 crores for Group Borrower limit (20% of Capital funds)

During the year, the Bank has not exceeded single borrower and group borrower limits

8. MISCELLANEOUS

8.1 Amount of provisions made during the year:

(Rs. in crore)

	2007-08	2006-07
Provision for Income Tax	509.19	274.48
Provision for Fringe Benefit Tax	24.00	10.00

8.2 Disclosure of Penalties imposed by RBI:

No penalty has been imposed by RBI on the bank during the year.

8.3 प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ - ब्रेक अप

(रु. करोड़ों में)

लाभ व हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत "आकस्मिकताएँ व प्रावधान" का ब्रेकअप	2007-08	2006-07
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	150.15	(-)14.53
एनपीए के प्रति प्रावधान	125.44	135.31
मानक आस्ति के प्रति प्रावधान	65.52	81.48
आयकर (एफबीटी, आस्थगित कर व संपत्ति कर सहित) के प्रति किए गए प्रावधान	452.36	365.00
अन्य आकस्मिकताएँ व प्रावधान	11.01	(-)15.66
कुल	804.48	551.60

8.4 अस्थायी प्रावधान

(रु. करोड़ों में)

	विवरण	2007-08	2006-07
क)	अस्थायी प्रावधान खाते में आरंभिक शेष	259.92	259.92
ख)	लेखाकरण वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	शून्य	शून्य
ग)	लेखांकन वर्ष के दौरान ड्रा डाउन रकम	शून्य	शून्य
घ)	अस्थायी प्रावधान खाते में समापन शेष	259.92	259.92

8.5 आरक्षितियों से किए गए आहरण

कर्मचारी लाभ की संक्रमणकालीन देयताओं के लिए किए गए प्रावधानों के प्रति राजस्व आरक्षितियों के आरंभिक शेष में रु 128.06 करोड़ नामे डाला गया ।

8.6 शिकायतों का प्रकटीकरण

8.6.1 ग्राहकों की शिकायतें

(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	83
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	1055
(ग)	वर्ष के दौरान जिन शिकायतों का निवारण किया गया उनकी संख्या	1084
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	54

8.3 Provisions and Contingencies – Break-up

(Rs. in Crores)

Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	2007-08	2006-07
Provisions for depreciation on Investment	150.15	(-) 14.53
Provision towards NPA	125.44	135.31
Provision towards Standard Asset	65.52	81.48
Provision made towards Income Tax (incl FBT, Deferred Tax & Wealth Tax)	452.36	365.00
Other Provision and Contingencies	11.01	(-)15.66
TOTAL	804.48	551.60

8.4 Floating Provisions

(Rs. in crore)

	Particulars	2007-08	2006-07
(a)	Opening balance in the floating provisions account	259.92	259.92
(b)	the quantum of floating provisions made in the accounting year	Nil	Nil
(c)	Amount of draw down made during the accounting year	Nil	Nil
(d)	closing balance in the floating provisions account	259.92	259.92

8.5 Draw Down from Reserves

A sum of Rs.128.06 crores has been debited to the opening balance of Revenue Reserve towards provision made for transitional liability of employee benefits.

8.6 Disclosure of complaints

8.6.1 Customer Complaints

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	83
(b)	No. of complaints received during the year	1055
(c)	No. of complaints redressed during the year	1084
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	54

8.6.2 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय

(क)	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	2
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णयों की संख्या	शून्य
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	शून्य
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	2

9 लेखांकन मानकों के निबंधनों के अनुसार प्रकटीकरण

9.1 लेखांकन मानक 5 - अवधि के लिए निवल लाभ व हानि, अवधिपूर्व मदों और लेखांकन नितियों में परिवर्तन

लेखांकन अनुसूची - 18 - 2(सी) जो एचटीएम प्रतिभूतियों के अमूर्तिकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन के संबंध में हैं उसके नोट्स की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

9.2 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ

i) बैंक ने 01 अप्रैल 2007 से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "कर्मचारियों के लाभ" संबंधी लेखांकन मानक 15 (परिशोधित) को अपनाया है । इसे अपनाने के बाद रु 194 करोड के कर्मचारी लाभ से संबंधित संक्रमणकालीन बाध्यताओं के लिए बैंक ने 01-04-2007 तक सामान्य आरक्षितियों के आरंभिक शेष में से रु 128.06 करोड़ (रु 65.94 करोड़ की निवल आस्थगित कर आस्तियाँ) आहरित कर पेंशन को छोडकर प्रावधान किया है और कर के अंश को वर्तमान वर्ष के लाभ व हानि खाते में प्रभारित किया है ।

ii) विगत में अपनायी गयी कुल पद्धति के स्थान पर अब अपनायी जानेवाली अनुमानित युनिट क्रेडिट पद्धति के अनुसार एएस-15 द्वारा निर्धारित वास्तविक मूल्यांकन प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण ही संक्रमणकालीन देयताएँ उत्पन्न हुई ।

iii) कर्मचारी पेंशन के कारण संक्रमणकालीन देयता रु 445 करोड है। संक्रमणकालीन पेंशन देयता की 1/5वीं रकम अर्थात रु. 89 करोड रकम 31 03 2008 को समाप्त चालू वर्ष के लाभ व हानि खाते में प्रभारित की गयी है। रु 356 करोड़ की न पहचानी गयी शेष बकाया को अगले चार वर्षों में प्रभारित किए जाने हेतु आगे ले जाया गया।

8.6.2 Awards passed by the Banking Ombudsman

(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	2
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	Nil
(c)	No. of Awards implemented during the year	Nil
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	2

9. DISCLOSURES IN TERMS OF ACCOUNTING STANDARDS:

9.1 Accounting Standard 5 – Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

Reference is invited to Notes to Accounts Schedule 18 - 2(c) regarding the change in the method of amortisation of HTM securities

9.2 Accounting Standard 15 – Employee Benefits

i) The Bank has adopted Accounting Standard 15 (Revised) "Employees Benefits" issued by the Institute of Chartered Accountants of India, with effect from 1st April 2007. Pursuant to the adoption, the transitional obligations pertaining to Employee Benefits of Rs.194 Crores other than pension has been provided by withdrawal of Rs.128.06 crores (net of deferred tax assets of Rs. 65.94 Crores) from opening balance of General reserves as at 01.04.2007 and the tax portion has been charged to current year's profit & loss account.

ii) The transitional liability mainly arose on account of the change in the method of actuarial valuation prescribed by AS15-Revised as per the Projected unit credit method applied now as against the Aggregate Method used in the past.

iii) The transitional liability on account of Employee Pension amounts to Rs 445 Crores. A sum of Rs. 89 Crores representing one-fifth of the Transitional Pension Liability has been charged to Profit & Loss Account of the current year ended 31.03.2008. The balance Unrecognised Liability of Rs 356 crores has been carried forward to be charged off in the next four years.

iv) लेखाकारण मानक 15(परिशोधित) के अनुसार अपेक्षित लाभ व हानि खाता और तुलन पत्र में पहचाने गए दीर्घावधि कर्मचारी लाभ और नियोजन के बाद लाभ की संक्षिप्त स्थिति निम्नवत है :

क) बाध्यताओं के वर्तमान मूल्यों में परिवर्तन

(रु. करोडों में)

	पेंशन (निधिक)	गैच्युटी (निधिक)	अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)
वर्ष के आरंभ में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	1013.65	430.00	225.00
ब्याज लागत	76.02	33.72	17.72
वर्तमान सेवा लागत	27.47	24.47	12.88
प्रदत्त लाभ	(62.95)	(17.12)	(7.03)
बाध्यताओं पर बीमांकिक नुकसान / (लाभ)	518.08	(4.89)	(0.74)
वर्ष के अंत में बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	1572.27	466.18	247.83

ख) योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोडों में)

	पेंशन (निधिक)	गैच्युटी (निधिक)	अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)
वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	1013.65	439.23	0.00
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	76.02	40.62	0.00
नियोक्ता का अंशदान	152.51	7.50	7.03
प्रदत्त लाभ	(62.95)	(17.12)	(7.03)
बाध्यताओं पर बीमांकिक नुकसान / (लाभ)	(393.04)	4.05	0.00
वर्ष के अंत में योजना आस्ति का उचित मूल्य	1572.27	466.18	0.00

iv) The summarised position of Post-employment benefits and long term employee benefits recognized in the Profit & Loss Account and Balance Sheet as required in accordance with Accounting Standard – 15 (Revised) are as under:-

(a) Changes in the present value of the obligations

(Rs. In Crores)

	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)
Present Value of obligation as at the beginning of the year	1013.65	430.00	225.00
Interest Cost	76.02	33.72	17.72
Current Service Cost	27.47	24.47	12.88
Benefits Paid	(62.95)	(17.12)	(7.03)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	518.08	(4.89)	(0.74)
Present Value of Obligation at year end	1572.27	466.18	247.83

(b) Change in Fair Value of Plan Asset

(Rs. In Crores)

	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	1013.65	439.23	0.00
Expected return on Plan Assets	76.02	40.62	0.00
Employer's contribution	152.51	7.50	7.03
Benefit Paid	(62.95)	(17.12)	(7.03)
Actuarial loss/(gain) on Obligations	(393.04)	4.05	0.00
Fair Value of Plan Asset at the end of the year	1572.27	466.18	0.00

ग) तुलन पत्र में पहचानी गयी रकम

(रु. करोडों में)

	पेंशन (निधिक)	गैच्युटी (निधिक)	अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)
बाध्यताओं का अनुमानित वर्तमान मूल्य	1572.27	466.18	247.83
वर्ष के अंत में तक योजना आस्ति का उचित मूल्य	1572.27	466.18	0
तुलन पत्र में पहचानी गयी अनिधिक निवल देयता	-	-	247.83

घ) लाभ व हानि में पहचाने गए व्यय

(रु. करोडों में)

	पेंशन (निधिक)	गैच्युटी (निधिक)	अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)
वर्तमान सेवा लागत	27.47	24.47	12.88
ब्याज लागत	76.02	33.72	17.72
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ	(76.02)	(40.62)	0.00
वर्ष में पहचाना गया निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	125.04	(0.84)	(0.74)
लाभ व हानि खाते में पहचाने गए कुल व्यय	152.51	16.73	29.86

च) पेंशन व ग्रैच्युटी न्यास द्वारा अनुरक्षित निवेश प्रतिशतता

	पेंशन न्यास	ग्रैच्युटी न्यास
केंद्र सरकार प्रतिभूतियाँ	26.12	28.59
राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	16.97	17.57
पीएसयु में निवेश	46.56	42.82
अन्य निवेश	10.35	11.02

छ) तुलन पत्र तारीख पर मूल वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

	पेंशन (निधिक)	गैच्युटी (निधिक)	अवकाश नकदीकरण (गैर निधिक)
बट्टा दर	7.50%	8%	8%
योजना आस्ति पर अनुमानित लाभ दर	9.23%	9.35%	0%
वेतन वृद्धि की अनुमानित दर	5%	5%	5%
अपनायी गयी प्रक्रिया	अनुमानित युनिट क्रेडिट	अनुमानित युनिट क्रेडिट	अनुमानित युनिट क्रेडिट

(c) Amount recognized in Balance Sheet

(Rs. In Crores)

	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)
Estimated Present value of obligations as at the end of the year	1572.27	466.18	247.83
Fair value of Plan Assets as at the end of the year	1572.27	466.18	0
Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	-	-	247.83

(d) Expenses Recognized in Profit & Loss

(Rs. In Crores)

	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)
Current Service Cost	27.47	24.47	12.88
Interest Cost	76.02	33.72	17.72
Expected return on Plan Asset	(76.02)	(40.62)	0.00
Net Actuarial (Gain)/ Loss recognized in the year	125.04	(0.84)	(0.74)
Total expenses recognized in Profit & Loss Account	152.51	16.73	29.86

(e) Investment percentage maintained by Pension & Gratuity Trust :

	Pension Trust	Gratuity Trust
Central Government Securities	26.12	28.59
State Government Securities	16.97	17.57
Investment in PSU	46.56	42.82
Other Investments	10.35	11.02

(f) Principal actuarial assumption at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)

	PENSION (Funded)	GRATUITY (Funded)	LEAVE ENCASHMENT (Un Funded)
Discount Rate	7.50%	8%	8%
Expected rate of return on Plan Assets	9.23%	9.35%	0%
Expected Rate of Salary increase	5%	5%	5%
Method used	Projected unit credit	Projected unit credit	Projected unit credit

बीमांकिक मूल्यांकन के विचारण में भविष्य में वेतन में वृद्धि का अनुमान, मुद्रास्फीति, वरीयता, पदोन्नति और कर्मचारी बाजार में आपूर्ति व माँग जैसे अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखा गया है।

ज) परिकलनों के लिए किए गए वित्तीय अनुमान निम्नवत हैः

बट्टा दर: बट्टा दर को मूल्यांकन की तारीख (तुलन पत्र दिनांकित 31-03-2008)सरकारी बाँडों पर बाजार लाभ के संदर्भ में तय किया गया है ।

अनुमानित लाभ दर: पेंशन व छुट्टी के नकदीकरण के संबंध में अनुमानित लाभ दर को सरकारी बाँड पर लाभ के आधार पर तय किया गया है । ग्रैच्युटी के संबंध में वास्तविक लाभ को लिया गया है ।

वेतनवृद्धि: बैंक द्वारा दी गई पुरानी जानकारी के आधार पर।

झ) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ (अनिधिक)

(रु. करोड़ों में)

	एलटीसी / एलएफसी नकदीकरण	चिकित्सा	चिकित्सा अवकाश
01 04 2007 तक देयता	30.00		
31 03 2008 तक देयता	30.00	19.00	85.02
संक्रमणकालीन देयता	30.00	18.00	81.00
लाभ व हानि खाते को नामे डाली गयी रकम	शून्य	1.00	4.02

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors, such as supply and demand in employee market.

(g) The financial assumptions considered for the calculations are as under:-

Discount Rate:- The discount rate has been chosen by reference to market yield on government bonds as on the date of valuation.(Balance sheet dated 31.03.2008)

Expected Rate of Return: In case of Pension and Leave Encashment, the expected rate of return is taken on the basis of yield on government bonds. In case of gratuity, the actual return has been taken.

Salary Increase: On the basis of past data provided by the bank

(h) Other long term employee's benefits (Un-Funded)

(Rs. In Crores)

	LTC/LFC Encashment	Medical	Sick Leave
Liability as on 01.04.2007	30.00		
Liability as on 31.03.2008	30.00	19.00	85.02
Transitional Liability	30.00	18.00	81.00
Amount debited to Profit & Loss Account	Nil	1.00	4.02

9.3 Accounting Standard 17 – Segment Reporting

Part A : Business Segments **(Rs. in crore)**

Business Segments	Treasury		Corporate/Wh-olesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		TOTAL	
Particulars	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07
Revenue	2420.76	1723.19	2477.00		3664.74		202.09	4428.71	8764.59	6151.90
Result	72.65	(61.80)	315.28		1583.82		18.75	1554.62	1990.50	1492.82
Unallocated Income		-			-			-	11.28	67.22
Unallocated Expenses							-	-	-	-
Operating Profit/Loss							-	-	2001.78	1560.04
Income Taxes							-	-	452.60	365.00
Provisions & Contingencies									346.85	186.60
Extraordinary profit / loss								-	-	-
Net Profit							-	-	1202.33	1008.44
Other information										
Segment Assets	31616.67	33942.54	23338.35		40760.94		963.96	48309.64	96679.92	82252.19
Unallocated Assets							-	-	5179.82	574.09
Total assets							-	-	101859.74	82826.28
Segment Liabilities	30753.45	29515.80	23081.41		37871.17		415.61	48686.19	92121.64	78201.99
Unallocated Liabilities							-	-	9738.10	4624.29
Total Liabilities							-	-	101859.74	82826.28

9.3 लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्टिंग

भाग ए : कारोबार खण्ड **(रु. करोड़ों में)**

कारोबार खण्ड	ट्रेजरी		कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		रिटेल बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण	**2007-08**	**2006-07**	**2007-08**	**2006-07**	**2007-08**	**2006-07**	**2007-08**	**2006-07**	**2007-08**	**2006-07**
राजस्व	2420.76	1723.19	2477.00		3664.74		202.09	4428.71	8764.59	6151.90
परिणाम	72.65	(61.80)	315.28		1583.82		18.75	1554.62	1990.50	1492.82
अनाबंटित आय									11.28	67.22
अनाबंटित व्यय									-	-
परिचालनगत लाभ/हानि									2001.78	1560.04
आय कर									452.60	365.00
प्रावधान व आकस्मिकताएँ									346.85	186.60
असाधारण लाभ / हानि									-	-
निवल लाभ									1202.33	1008.44
अन्य सूचना										
खण्डवार आस्तियाँ	31616.67	33942.54	23338.35		40760.94		963.96	48309.64	96679.92	82252.19
अनाबंटित आस्तियाँ									5179.82	574.09
कुल आस्तियाँ									101859.74	82826.28
खण्डवार देयताएँ	30753.45	29515.80	23081.41		37871.17		415.61	48686.19	92121.64	78201.99
अनाबंटित देयताएं									9738.10	4624.29
ा देयताएं									101859.74	82826.28

भाग ख - भौगोलिक खण्ड

	देशी		विदेशी		कुल	
	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07
राजस्व	8420.81	5937.40	355.06	281.72	8775.87	6219.12
आस्तियाँ	97002.70	78919.53	4857.04	3906.75	101859.74	82826.28

नोट :

i) 31 मार्च 2008 से बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने परिपत्र सं डीबीओडी सं बीपी.पीसी.81/21.04.018/2006-07 दिनांक 18 04 2007 के जरिए एएस 17 के तहत खण्डवार रिपोर्टिंग से संबंधित प्रकटीकरण को बढाने संबंधी दिशानिर्देशों को अपनाया है जिसके अनुसार रिपोर्ट किए जानेवाले खण्डों को ट्रेजरी, कार्पोरेट / थोक बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और अन्य बैंकिंग परिचालनों में विभाजित किया गया है ।

ii) चूंकि प्रभावी तारीख 31 मार्च 2008 है, पिछले वर्ष के लिए तुलनात्मक आंकडे नहीं दिए गए हैं ।

iii) उपर्युक्त खण्डवार राजस्व और परिणाम (विभिन्न खण्डों के तहत) निम्नलिखित को लागू करने के बाद तय किए गए हैं :

- रु. 132.63 करोड की आय (विभिन्न खण्डों के समान) को ट्रेजरी (रु.46.41 करोड़) और अन्य बैंकिंग खण्ड (रु.86.22 करोड़) को बैंक के उच्च प्रबंधन द्वारा अनुमोदन के बाद आबंटित किया गया है।

- रु.6681.74 करोड़ का कुल व्यय (विभिन्न खण्डों के लिए समान) को ट्रेजरी में (रु. 2274.46 करोड), बैंकिंग खण्ड जिसमें रिटेल तथा थोक बैंकिंग शामिल है (रु. 4225.27 करोड) और अन्य बैंकिंग परिचालन खण्ड (रु.182.01 करोड) को शाखाओं से प्राप्त आंकडों के समेकन के बाद और बैंक के उच्च प्रबंधन द्वारा अनुमोदन के बाद आबंटित किया गया है ।

Part B - Geographic segments

	Domestic		International		Total	
	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07
Revenue	8420.81	5937.40	355.06	281.72	8775.87	6219.12
Assets	97002.70	78919.53	4857.04	3906.75	101859.74	82826.28

Note :-

(i) Effective 31st March 2008 the bank has adopted the guidelines issued by RBI vide its Circular DBOD.No.BP.BC.81/21.04.018/2006-07 dated 18.04.2007 on enhancement of disclosures relating to Segment Reporting under AS 17 in terms of which the reportable segments has been divided into Treasury, Corporate / Wholesale Banking , Retail Banking and Other Banking Operations.

(ii) Comparative figures for the previous year are not furnished , as effective date is 31st March 2008.

(iii) The above segment revenue and results (under different segments) are arrived at after giving effect to the following :-

- An income of Rs 132.63 crores (common to various segments) is allocated among Treasury (Rs 46.41 crores) and the Other banking segments (Rs 86.22 crores) on the basis approved by the Top Management of the Bank.

- The Total expenditure of Rs 6681.74 crores (common to various segments) is allocated among Treasury (Rs 2274.46 crores), banking segments comprising retail, wholesale banking (Rs 4225.27 crores) and Other Banking Operation Segments (Rs 182.01 crores) based on actual compilation of data received from branches and on the basis approved by the Top Management of the Bank.

9.4 लेखांकन मानक 18 - संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

संबंधित पार्टियों के नाम व बैंक के साथ उनके संबंध

1	मूल संस्था	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
2	सहयोगी संस्थाएँ	पाण्डियन ग्राम्य बैंक नीलाचल ग्राम्य बैंक
3	अनुषंगियाँ	कोई नहीं
4	संयुक्तत: नियंत्रित इकाई	युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्युरेन्स कंपनी लिमिटेड
5	प्रमुख प्रबन्धन पदाधिकारी	

क्रम सं.	नाम	पदनाम	मद	अवधि	रकम (रु.)
1	श्री एस.ए. भट	अ.व प्र.नि.	वेतन व अनुलाभ	04-06-07 से 31-03-08	5,04,593
2	श्री जी नारायणन	कार्यपालक निदेशक	वेतन व अनुलाभ	07-11-07 से 31-03-08	2,25,292
3	श्री ए वी दुगाडे	कार्यपालक निदेशक	वेतन व अनुलाभ	01-04-07 से 31-03-08	6,10,817
			निष्पादन प्रोत्साहन	01-05-06 से 31-03-07	5,96,575
4	श्री एस सी गुप्ता	भूतपूर्व अ व प्र नि	निष्पादन प्रोत्साहन	01-04-05 से 30-04-05	65,753
5	श्री टी एस नारायणसामी	भूतपूर्व अ व प्र नि	वेतन व अनुलाभ	01-04-07 से 03-06-07	1,18,040
			निष्पादन प्रोत्साहन	09-06-05 से 31-03-06	6,48,768
			निष्पादन प्रोत्साहन	01-04-06 से 31-03-07	8,00,000
6	श्री एआर नागप्पन	भूतपूर्व का नि	निष्पादन प्रोत्साहन	01-04-05 से 31-03-06	5,50,000
			निष्पादन प्रोत्साहन	01-04-06 से 30-04-06	53,425

9.5 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर आय (रु. करोडों में)

विवरण	2007-08	2006-07
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए कर के बाद उपलब्ध लाभ	1202.34	1008.43
भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या	54,48,00,000	
मूल तथा कम किए हुए प्रति शेयर आय	22.07	18.51
प्रति शेयर सामान्य मूल्य	रु. 10.00	

9.6 लेखांकन मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस)

चूँकि कोई अनुषंगी संस्था नहीं है, किसी समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति आवश्यक नहीं समझी गई है ।

9.4 Accounting Standard 18 - Related Party Disclosures

Names of the related parties and their relationship with the bank

1	Parent	Indian Overseas Bank
2	Associates	Pandyan Gramya Bank Neelanchal Gramya Bank
3.	Subsidiaries	None
4	Jointly controlled entity	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd
5	Key Management Personnel	

Sl.	Name	Designation	Item	Period	Amount
1.	Shri. S.A. Bhat	CMD	Salary & Allowances	04.06.07 to 31.03.08	5,04,593
2.	Shri G. Narayanan	Executive Director	Salary & Allowances	07.11.07 to 31.03.08	2,25,292
3.	Shri A.V. Dugade	Executive Director	Salary & Allowances	01.04.07 to 31.03.08	6,10,817
			Performance Incentive	01.05.06 to 31.03.07	5,96,575
4.	Shri S.C. Gupta	Ex-CMD	Performance Incentive	01.04.05 to 30.04.05	65,753
5.	Shri T.S. Narayanasamy	Ex-CMD	Salary & Allowances	01.04.07 to 03.06.07	1,18,040
			Performance Incentive	09.06.05 to 31.03.06	6,48,768
			Performance Incentive	01.04.06 to 31.03.07	8,00,00
6.	Shri A.R. Nagappan	Ex-ED	Performance Incentive	01.04.05 to 31.03.06	5,50,000
			Performance Incentive	01.04.06 to 30.04.06	53,425

9.5 Accounting Standard 20 – Earning Per Share

Particulars	2007-08	2006-07
Net Profit after tax available for equity shareholders (Rs. in crore)	1202.34	1008.43
Weighted Average Number of Equity Shares	54,48,00,000	
Basic & Diluted Earnings Per Share	22.07	18.51
Nominal value per Equity Share	Rs.10.00	

9.6 Accounting Standard 21 - Consolidated Financial Statements (CFS)

As there is no subsidiary, no consolidated financial statement is considered necessary.

9.7 लेखांकन मानक 22 : आय पर करों के लिए लेखाकरण

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा निवल आस्थगित देयता के लिए रु.80.82 करोड़ हिसाब में लिए गए हैं (गत वर्ष रु.80.52 करोड़ की निवल आस्थगित देयता) । डीटीए/डीटीएल के प्रमुख घटकों के बारे में निम्नलिखित जानकारी दी गई है ।

	31-03-2008		31-03-2007	
	डीटीए	डीटीएल	डीटीए	डीटीएल
निवेशों पर मूल्यह्रास		145.63		156.06
स्थाई आस्तियों पर मूल्यहास		17.24		13.63
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	129.46		55.92	
धोखाधडियों के लिए प्रावधान	7.81		8.14	
अन्य	6.07		5.27	
कुल	143.34	162.87	69.33	169.69
निवल डीटीए/डीटीएल		19.53		100.35

9.8 लेखांकन मानक 28 - आस्तियों का अनर्जक होना

बैंक में उपयोग किया जा रहा अनुप्रयुक्त सॉफ्टवेयर आंतरिक तौर पर तैयार किया गया है और इसे काफी पहले से विकसित किया जाता रहा है । अत: इस सॉफ्टवेयर की लागत, वेतन इत्यादि की तरह, बैंक के परिचालन खर्चों का एक हिस्सा है और इसीलिए इसे लाभ हानि लेखे के संबंधित शीर्ष में प्रभारित किया गया है।

बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों को "कार्पोरेट आस्तियाँ" माना गया है और आइसीएआइ द्वारा जारी एएस 28 द्वारा की गई परिभाषा के अनुसार इसे "नकदी से उत्पन्न इकाइयाँ" में नहीं दिखाया गया है। प्रबंधन के मतानुसार बैंक की कोई भी अचल आस्ति अनर्जक नहीं है ।

9.9 लेखांकन मानक 29 - आस्थगित देयताओं और आस्तियों के लिए प्रावधान

इस संबंध में आइसीएआइ द्वारा जारी दिशानिर्देशों को उपयुक्त स्थानों में सूचित किया गया है ।

10 तुलनात्मक आंकड़े

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनः समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है ।

अतिरिक्त प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप स्तंभ ।।। अपेक्षा के तहत दिनांक 27.04.07 के पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बेसल -।।) के अधीन निम्नलिखित प्रकटीकरण निर्दिष्ट फार्मेटों के मुताबिक किया गया है।

9.7 Accounting Standard 22: ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME

The Bank has accounted for Deferred Tax Asset of Rs.80.82 crores during the year (Previous Year Deferred Tax Liability of Rs.80.52 crores). The major components of DTA / DTL are given below:

Rs. in crore

	31.03.2008		31.03.2007	
	DTA	DTL	DTA	DTL
Depreciation on Investments		145.63		156.06
Depreciation on Fixed Assets		17.24		13.63
Provision for Employee Benefits	129.46		55.92	
Provision for Frauds	7.81		8.14	
Others	6.07		5.27	
Total	143.34	162.87	69.33	169.69
Net DTA / DTL		19.53		100.35

9.8 Accounting Standard 28 – Impairment of Assets:

The application software in use in the bank has been developed in-house and has evolved over a period of time. Hence, the cost of software is essentially part of bank's operational expenses like wages etc. and as such are charged to the respective heads of expenditure in the profit and loss account.

Fixed Assets possessed by the Bank are treated as 'Corporate Assets' and are not 'Cash Generating Units' as defined by AS 28 issued by ICAI. In the opinion of the Management, there is no impairment of any of the Fixed Assets of the Bank.

9.9 Accounting Standard 29 – Provision for Contingent Liabilities and Contingent Assets :

The guidelines issued by ICAI in this respect have been incorporated at the appropriate places.

10. Comparative Figures:

Previous year's figures have been regrouped/ rearranged wherever necessary.

Additional Disclosures:

In accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Mumbai, under New Capital Adequacy Framework (Basel II) dated 27.04.2007 under Pillar III requirement, the following disclosures are made as per the specified Formats :

जोखिम प्रबंधन

सभी प्रकार के बैंकिंग क्रियाकलापों में जोखिम निहित है और यह बैंकिंग कारोबार का एक अभिन्न अंश है। सामान्य कारोबार में बैंक के लिए कई जोखिम हैं जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनात्मक जोखिम। ऐसी जोखिमों का प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए बैंक (इण्डियन ओवरसीज़ बैंक) ने कई जोखिम प्रबंधन प्रणालियां तैयार की हैं और इन्हें काम में लाया जा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाए रखा है जिसमें नीतियां, साधन, तकनीक, प्रबोधन प्रक्रियाएं और एमआइएस शामिल हैं।

बैंक जोखिम और प्रतिफल के बीच यथोचित ट्रेड ऑफ प्राप्त करने के जरिए शेयरधारकों के मूल्यों को अधिकतम करने और बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बैंक के जोखिम प्रबंधन में जोखिम की पहचान, उसे मापना, प्रबोधन / नियंत्रण और इसका शमन करना शामिल है ताकि बैंक की समग्र जोखिम फिलॉसफी को प्रतिपादित किया जा सके। बैंक द्वारा अपनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति जोखिम की स्पष्ट समझ और जोखिम की मांग के स्तर पर आधारित है जो सामान्य व्यापार में जोखिम लेने की बैंक की इच्छा पर निर्भर है। जोखिम एपिटाइट का स्पष्ट निर्धारण एक आधारभूत पूर्वशर्त है और यह सतत् जोखिम सीमा ढांचे से स्थापित होता है तथा पोर्टफोलियो संघटक, लाभप्रदता लक्ष्य, लक्ष्य ग्राहक खण्ड, क्षेत्र, व्यापार, विस्तार नीतियाँ, योजनाएँ और अवरोध आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

बैंक ने यथोचित जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा स्थापित कर ली है। निदेशक मंडल की एक उप-समिति, जोखिम प्रबंधन समिति गठित की गई है जो बैंक में ऋण जोखिम,बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम और अन्य जोखिमों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। बैंक ने ऋण जोखिम के लिए ऋण नीति समिति (सीपीसी), बाजार जोखिम के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) और परिचालन जोखिम के लिए और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) नाम से जोखिम प्रबंधन समितियां गठित की हैं।

बैंक में उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन प्रणाली और व्यवहार के कार्यान्वयन के लिए बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में एक जोखिम प्रबंधन विभाग कार्यरत है जो कारोबार विभागों से अलग है। एक महा प्रबंधक इस विभाग के प्रभारी हैं जो बैंक में जोखिम प्रबंधन पर समग्र पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी मुख्य जोखिम अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त ट्रेज़री (देशीय व फारेक्स) में मध्य कार्यालय वर्ग और कारोबार समूहों के अनुभाग जोखिम प्रबंधन संगठन रूपरेखा का अभिन्न अंश है जो नीतियों के पालन / अनुपालन, जोखिम सीमा रूपरेखा और आन्तरिक अनुमोदनों के प्रबोधन के लिए जिम्मेदार हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 31 मार्च 2008 से नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल II) कार्यान्वित कर

RISK MANAGEMENT

Risk is inherent in all kinds of banking activities and is an integral part of the banking business. In a normal course of business, a bank is exposed to various risks namely credit risk, market risk and operational risk. With a view to efficiently manage such risks, the Bank (Indian Overseas Bank) has put in place various risk management systems and practices. In line with the guidelines of the Reserve Bank of India issued from time to time, the Bank continues to strengthen its various risk management systems that includes policies, tools, techniques, monitoring mechanisms and MIS.

The bank aims at enhancing and maximizing the shareholder values through achieving appropriate trade off between risks and returns. Bank's risk management objectives broadly covers proper identification, measurement, monitoring / control and mitigation of the risks with a view to enunciate the bank's overall risk philosophy. The risk management strategy adopted by the bank is based on clear understanding of risks and the level of risk appetite depending upon bank's willingness to take on risks in normal course of business. A clear determination of risk appetite is a fundamental precondition and is established through consistent risk limit frameworks, in consideration of the portfolio composition, profitability targets, targeted customer segment, regions, business lines, expansion policy, plans and barriers etc.

The bank has set up appropriate risk management organization structure in the bank. Risk Management Committee of the Board (RMCB), a sub-committee of the Board, is constituted which is responsible for management of the credit risk, market risk, operational risk and other risks in the Bank. The bank has also constituted risk management committees namely Credit Policy Committee (CPC) for credit risk, Asset Liability management Committee (ALCO) for market risk and Operational Risk Management Committee (ORMC) for operational risk.

A full-fledged Risk Management Department is functioning at bank's Head Office, independent of business departments, for implementing best risk management systems and practices in the bank. A General Manager is in charge of the department who is the Chief Risk Officer responsible for overall supervision on risk management in the bank. In addition, the Middle Office Groups in Treasury (Domestic & Forex) and sections of Business Groups form integral part of risk management organization structure, who are responsible for monitoring adherence/ compliance to policies, risk limit framework and internal approvals.

In line with the guidelines issued by the RBI, the bank has implemented New Capital Adequacy Framework (Basel II) with effect from March 31, 2008. The Basel II framework, as referred, is based on three mutually

दी है। बेसल II रूपरेखा यथासंदर्भित तीन परस्पर पुनर्बलित स्तम्भों पर आधारित है। परिशोधित रूपरेखा का पहला स्तम्भ ऋण, बाज़ार और परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता का समाधान करता है, दूसरा स्तम्भ (पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया) इस बात को सुनिश्चित करता है कि बैंक के पास उनके बैंक जोखिम प्रोफाइल और नियंत्रण परिवेश वाले व्यापार में सभी प्रकार के जोखिम को संभालने के लिए यथेष्ट पूंजी है। जरूरत के अनुसार बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आइसीएएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार की है।

बेसल II रूपरेखा का तीसरा स्तम्भ बाजार अनुशासन से संबंधित है। बाजार पर अनुशासन का उद्देश्य, स्तम्भ 1 के तहत उल्लिखित न्यूनतम पूंजी आवश्यकता और स्तम्भ II के तहत उल्लिखित पर्यवेक्षी पुनरीक्षण प्रक्रिया को पूरा करना है। इस संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में जोखिम प्रबंधन के बारे में तालिका डीएफ1 से 10 (संलग्न) में प्रकटीकरण (मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों) का एक सेट प्रकाशित किया गया है जिससे बाजार के सहभागी अनुप्रयोग की गुंजाइश, पूंजी जोखिम एक्सपोजर जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक की जोखिम प्रोफाइल और पूंजीकरण के स्तर आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का आकलन कर सकें। यह बाजार के साझेदारों को विभिन्न मानदण्डों में बैंक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक आंकड़े प्रदान करेगा।

तालिका डीएफ-1

लागू करने की गुंजाइश

	गुणात्मक प्रकटीकरण	हमारे बैंक पर लागू
क.	जिस समूह पर रूपरेखा लागू होती है उस वर्ग के सर्वोच्च बैंक का नाम	बैंक किसी भी वर्ग का नहीं है
ख.	समूह के अन्दर इकाइयों के संक्षिप्त विवरण सहित, लेखाकरण और नियामक उद्देश्य के लिए समेकन के आधार में अन्तर की रूपरेखा (i) जो पूरी तरह समेकित हैं (ii) जो समानुपातिक रूप से समेकित हैं (iii) जिनमें कटौती की गई है (iv) जिन्हें न समेकित किया गया है न ही कटौती की गई है (उदा: जहां लिखत जोखिम भारित है)	लागू नहीं

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ग.	सभी अनुषंगी इकाइयों में पूंजी की कमी की कुल रकम समेकन में शामिल नहीं है यानी उनकी कटौती की गई है और ऐसी अनुषंगी इकाइयों के नाम	लागू नहीं
घ.	बीमा इकाई में बैंक के कुल ब्याज की कुल रकम (उदाहरण - चालू बही	

reinforcing pillars. While the first Pillar of the revised framework addresses minimum capital requirement for credit, market and operational risk, the second pillar (Supervisory Review Process) intends to ensure that the banks have adequate capital to address all the risks in their business commensurate with bank's risk profile and control environment. As required, the bank has put in place a Board approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).

The third pillar of Basel II framework refers to market discipline. The purpose of market discipline is to complement the minimum capital requirements detailed under Pillar 1 and the supervisory review process detailed under Pillar 2. In this context, and as guided by the RBI, a set of disclosures (both qualitative & quantitative) are published in Table DF 1 to 10 (annexed) with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to assess key pieces of information on the scope of application, capital risk exposures, risk assessment processes, bank's risk profile and level of capitalization etc. This would also provide the market participants with the necessary data to evaluate the performance of the bank in various parameters.

Table DF-1

Scope of application

	Qualitative Disclosures	**Applicability to our Bank**
a)	The name of the top bank in the group to which the Framework applies	The Bank does not belong to any group.
b)	An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated (ii) that are pro-rata consolidated (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk – weighted).	Not Applicable

Quantitative Disclosures

c)	The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
d)	The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well	Rs. 28.50 crores by way of equity subscription in an insurance JV ie.

मूल्य) जो जोखिम भारित हैं और उनके नाम, उनके शामिल किए जाने का देश या निवास, स्वामित्व इन्टरेस्ट का अंश और यदि भिन्न है तो इन इकाइयों में वोटिंग पावर का हिस्सा। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया के प्रयोग बनाम कटौती का प्रयोग करने का नियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव दर्शाएं।

यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरेन्स कं.लि. जैसे बीमा जेवी में ईक्विटी अभिदान के ज़रिए रु.28.50 करोड़, जो अपनी कुल जारी की गई पूंजी का 19% बताता है। इसे सीआरएआर परिकलन से निकाल दिया गया है।

तालिका डीएफ-2

पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण		हमारे बैंक पर लागू
क.	सभी पूंजी लिखतों की विशेषताओं की शर्तों और निबंधनों पर सार सूचना, विशेषत: टायर 1 या उच्चतर टायर 2 में समावेशन के लिए पात्र पूंजी लिखतों के मामले में हमारे बैंक पर प्रयोज्यता	बैंक पर लागू है क्योंकि हमने समय-समय पर पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाज़ार से टायर 1 और टायर 2 पूंजी उठाई है।
मात्रात्मक प्रकटीकरण		
ख.	अलग से प्रकटीकरण सहित टायर 1 पूंजी की रकम:	
•	प्रदत्त शेयर पूंजी	रु.544.80 करोड़
•	आरक्षितियां	रु.4197.90 करोड़
•	नवोन्मेषी लिखत (टायर 1 पूंजी बेमियादी ऋण के रूप में)	रु.480.00 करोड़ (वर्ष के दौरान उठाए गए - शून्य)
•	अन्य पूंजी लिखतें	शून्य
•	टायर 1 पूंजी से काटी गई रकम, साख और निवेश को मिला कर	शून्य
ग.	टायर 2 पूंजी की कुल रकम (टायर 2 पूंजी से कटौतियों का निवल)	रु.1856.60 करोड़ (बट्टे में) (वर्ष के दौरान उठाए गए - शून्य)
घ.	उच्चतर टायर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतें	रु.500 करोड़
ड..	कुल बकाया रकम	रु.500 करोड़
•	जिसमें से चालू वर्ष के दौरान उठाई गई रकम	शून्य
•	पूंजी निधियों के रूप में माने जाने के लिए पात्र रकम	रु.500 करोड़
च.	निम्नतर टायर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र गौण ऋण	
•	कुल बकाया रकम	रु.1975.00 करोड़
•	इसमें से चालू वर्ष के दौरान उठाई गई रकम	शून्य
•	पूंजी निधियों के रूप में ली जाने वाली पात्र रकम	रु.1856.60 करोड़
छ.	पूंजी में से अन्य कटौतियां यदि हो	शून्य
ज.	कुल पात्र पूंजी	रु.2721.29 करोड़

as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.

Universal Sompo General Insurance Co Ltd. , representing 19% of its total issued capital. The same is excluded from CRAR computation.

Table DF-2

Capital structure

Qualitative Disclosures		Applicability to our Bank
a)	Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2	Applicable to the Bank as we raise both Tier 1 and Tier 2 capital from the market to meet increase in capital requirements from time to time
Quantitative Disclosures		
b)	The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of:	
•	paid up share capital	Rs. 544.80 crore
•	reserves	Rs. 4197.90 crore
•	innovative instruments (Perpetual Debt Instrument as Tier 1 capital)	Rs. 480.00 crore (raised during the year - Nil)
•	other capital instruments	Nil
•	amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill and investments	Nil
c)	The total amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)	Rs. 1856.60 crore (at discount) (raised during the year - Nil)
d)	Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital	Rs. 500 crore
e)	Total amount outstanding	Rs 500 crore
•	Of which amount raised during the current year	Nil
•	Amount eligible to be reckoned as capital funds	Rs. 500 crore
f)	Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital	
•	Total amount outstanding	Rs. 1975.00 crore
•	Of which amount raised during the current year	Nil
•	Amount eligible to be reckoned as capital funds	Rs. 1856.60 crore
g)	Other deductions from capital, if any	Nil
h)	Total eligible capital	Rs 2721.29 crore

तालिका डीएफ-3

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. अपनी वर्तमान और भावी गतिविधियों को समर्थित करने के लिए पूंजी पर्याप्तता का आकलन करने के लिए बैंक के दृष्टिकोण की सार चर्चा

भारत में बैंकों का पूंजी आधार मज़बूत करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 1992 में, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी की गई पूंजी पर्याप्तता संरचना (बेसल-1) पर आधारित पूंजी पर्याप्तता उपाय आरंभ किए। आरंभ में यह संरचना ऋण जोखिम के लिए पूंजी की समस्या के लिए थी जिसमें बाद में बाजार जोखिम के लिए पूंजी को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ऋण और बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी रख रहा है।

बाद में बीसीबीएस ने 26 जून 2004 को पूंजी मानकों और पूंजी मापन के अन्तरराष्ट्रीय सम्परिवर्तन, एक परिशोधित संरचना (बेसल II दस्तावेज के रूप में जाना जाता है) जारी की। जून 2006 में एक व्यापक रूपान्तर परिशोधित संरचना जारी की गई। इन दिशानिर्देशों के आधार पर और अन्तरराष्ट्रीय मानकों के साथ निरन्तरता तथा एकरूपता बनाए रखने की दृष्टि से भारतीय रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2005 में दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया और उसके बाद नई पूंजी पर्याप्तता (बेसल II) संरचना के कार्यान्वयन के लिए 27 अप्रैल 2007 को अंतिम दिशानिर्देश जारी किए। इसके अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31मार्च 2008 को विषय से संबंधित कुछ मामलों पर स्पष्टीकरण जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक 31.03.2008 से परिशोधित संरचना में आ चुका है। बैंक ने एक्सपोज़र पर निरन्तर ध्यान रखते हुए बेसल II संरचना के समानान्तर काम करना जारी रखा और परिशोधित संरचना में सरलता से अन्तरण सुनिश्चित करने के लिए तिमाही आधार पर बैंक के सीआरएआर पर प्रभाव का अध्ययन भी किया।

बेसल II रूपरेखा ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए कई विकल्प प्रदान करती है। इस रूपरेखा में बैंकों और पर्यवेक्षकों को अपने परिचालनों और वित्तीय बाजार के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण चुनने की अनुमति है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक ने 31.03.2008 तक पूंजी का परिकलन करने के लिए ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) और परिचालन जोखिम के लिए मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण (बीआइए) अपनाया है।

इसके अतिरिक्त बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता का परिकलन करने के लिए बैंक ने 31 मार्च 2006 से मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) लागू करना जारी रखा है। इस प्रकार

Table DF-3

CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures:

(a) A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:

In order to strengthen the capital base of banks in India, the Reserve Bank of India in April 1992 introduced capital adequacy measure in banks, based on the capital adequacy framework (Basel I) issued by Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Initially, the framework addressed capital for credit risk, which was subsequently amended to include capital for market risk. In line with the guidelines issued by the RBI, the bank has been compliant with regard to maintenance of minimum capital for credit and market risk.

Subsequently, the BCBS has released the "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework" (popularly known as Basel II document) on June 26, 2004. A comprehensive version (The Revised Framework) was issued in June 2006. Based on these guidelines and keeping in view to have consistency and harmony with international standards, the Reserve Bank of India had issued draft guidelines in February 2005 and thereafter the final guidelines on 27th April 2007 for implementation of the New Capital Adequacy (Basel-II) Framework. In addition, the RBI has issued clarifications on 31st March 2008 on certain issues relating to the subject.

In line with the RBI guidelines, the Bank has migrated to the revised framework from 31.3.2008. The bank continued the parallel run of Basel II framework by continuously tracking the exposures and studied the Impact on Bank's CRAR on quarterly basis with a view to ensuring smooth transition to revised framework.

Basel II Framework provides a range of options for determining the capital requirements for credit risk, market risk and operational risk. The framework allows banks and supervisors to select approaches that are most appropriate for their operations and financial markets. In accordance with the RBI's requirement, the Bank has adopted Standardized Approach (SA) for Credit Risk and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk to compute capital as on 31st March 2008. Additionally, the Bank continues to apply the Standardized Duration Approach (SDA) for computing capital requirement for market risks with effect from 31st March 2006. As such, in addition to maintaining capital for credit

ऋण जोखिम और बाजार के लिए पूंजी रखने के अतिरिक्त बैंक 31.03.2008 से परिचालन जोखिम के लिए भी पूंजी रख रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, बेसल दस्तावेजों में निर्धारित 8% के प्रति निरन्तर रूप से ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम के संबंध में 9% का जोखिम भारित आस्ति (सीआरआर) के प्रति न्यूनतम पूंजी अनुपात रखने के लिए नियत करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक परिशोधित रूपरेखा के अनुसार पूंजी बनाए रखने के लिए विवेकपूर्ण धरातल भी निर्धारित करता है (31.03.2008 को ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के लिए बेसल 1 के तहत परिकलित न्यूनतम पूंजी आवश्यकता का 100%) 31.03.2008 तक कुल पूंजी के प्रति जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) बेसल II दिशानिर्देशों के मुताबिक 11.62% आता है। विवेकपूर्ण धरातल के होते हुए सीआरएआर 9.00% की नियामक आवश्यकता के प्रति 11.13% के स्वस्थ स्तर पर है। टायर 1 सीआरएआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 6.00% के प्रति 7.31% रहा।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत ऋण जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन में बैंक ने हर शाखा से प्राप्त किए गए उधारकर्तावार आंकड़ों पर विश्वास किया है। इसके लिए बैंक ने आंतरिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तैयार किया है जो शाखाओं के ऋण व अग्रिम पोर्टफोलियो के ऋण जोखिम के लिए पूंजी परिकलन और शाखा स्तर, क्षेत्रीय स्तर और प्रधान कार्यालय स्तर पर अपेक्षित रिपोर्ट सर्जित करता है। शाखाओं में काम में लाए जाने के पहले इस सॉफ्टवेयर की आंतरिक जांच की गई है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में आवश्यक वैधता, जांच और तुलना की गई है ताकि शाखाओं में लेते समय ही आंकड़ों की पर्याप्तता और उनका सही होना सुनिश्चित किया जा सके। सहीपन और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए शाखा के स्टाफ को पूंजी परिकलन के विभिन्न पक्षों पर आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया गया है।

बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारितानुसार ऋण जोखिम के लिए पूंजी के परिकलन में ऋण जोखिम को कम करना इस्तेमाल किया है। देशीय ऋणों और अग्रिमों के अलावा आस्तियों पर ऋण जोखिम बाज़ार जोखिम और परिचालन जोखिम के लिए पूंजी का अभिकलन निर्धारित दृष्टिकोणों के अनुसार बैंक के प्रधान कार्यालय में किया गया है और बैंक की उक्त सीआरएआर स्थिति तक पहुँचने के लिए कुल में लाया गया है। बैंक ने पात्र पूंजी, जोखिम भारित आस्तियों और सीआरएआर की गणना करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों का पालन किया है।

भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने के लिए पूंजी की पर्याप्तता के बारे में बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से तीन वर्षों के लिए पूंजी की आवश्यकता का आकलन किया है। सीआरएआर में आधिक्य भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने के लिए बफर की तरह काम करेगा। इसके अलावा टायर I और टायर II पूंजी एकत्र करने के लिए बैंक के पास उपलब्ध हेडरूम, भावी क्रियाकलापों के प्रति आवश्यक सीआरएआर को पूरा करने के लिए पूंजी संरचना की सहायता करेगा।

risk and market risk as hither to, the bank maintains capital for operational risk from 31.03.2008.

Reserve Bank of India prescribes Banks to maintain a minimum Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of 9 percent with regard to credit risk, market risk and operational risk on an ongoing basis, as against 8 percent prescribed in Basel documents. RBI also prescribes prudential floor (as 100% of minimum capital requirement computed under Basel I for credit risk and market risk as on 31.03.2008) for maintaining capital as per revised framework. The total Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) as per Basel II guidelines works to 11.62% as on 31.03.2008. The CRAR, subject to prudential floor, stands at a healthy level of 11.13% against regulatory requirement of 9.00%. The Tier I CRAR stands at 7.31% as against RBI's prescription of 6.00%.

In computation of capital for credit risk under Standardized Approach, the bank has relied upon the borrower wise data captured from each individual branch. For this purpose, the Bank has developed in-house software program which enables computation of capital for credit risk of the Loans & Advances portfolio of branches and generation of desired reports at Branch level, Regional level and Head Office. The software program has been tested internally before being ported for use of branches. Necessary validation, checks and balances have been factored in the software program to ensure the correctness and adequacy of the data at the time of capture itself at branches. Necessary training has been imparted to the field staffs on various aspects of capital computation to ensure accuracy and adequacy.

The Bank has used the credit risk mitigation in computation of capital for credit risk, as prescribed in the RBI guidelines under Standardized Approach. The capital for credit risk on assets other than the domestic Loans and Advances, market risk and operational risk as per the prescribed approaches have been computed at the bank's Head Office and aggregated to arrive at the bank's above CRAR position. The bank has followed the RBI guidelines in force, to arrive at the eligible capital, risk weighted assets and CRAR.

As regards the adequacy of capital to support the future activities, the bank has drawn an assessment of capital requirement for three years with the approval of the Board. The surplus CRAR shall act as a buffer to support the future activities. Moreover, the headroom available for the bank for mobilizing Tier 1 and Tier 2 capital shall additionally support capital structure to meet the required CRAR against future activities.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(रु.करोड़ में)

ख. उधार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता मानकीकृत दृष्टिकोण

मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो	5246.04
प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	0.00
कुल	**5246.04**

ग. बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

ब्याज दर जोखिम	272.75
विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण मिलाकर)	175.55
ईक्विटी जोखिम	10.44
कुल	**458.74**

घ. परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता मूलभूत संकेतक दृष्टिकोण

परिचालनगत जोखिम	**446.85**

ड. बैंक के लिए कुल पूंजी अनुपात

कुल सीआरएआर	11.62%
कुल सीआरएआर (विवेकपूर्ण घरातल के अनुप्रयोग के अनुसार)	11.13%
टायर 1 सीआरएआर	7.31%

तालिका डीएफ-4

उधार जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण
गुणात्मक प्रकटीकरण

क. उधार जोखिम

उधारकर्ताओं या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में ह्रास सहित शामिल हानियों की संभावना ऋण जोखिम है। बैंक के पोर्टफोलियो में ऋण जोखिम अधिकांशत: बैंक के उधार क्रियाकलापों से उत्पन्न होता है, क्योंकि उधारकर्ता ऋणदाता के प्रति अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा नहीं कर पाता। यह उधारकर्ता या प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता / साख में संभाव्य परिवर्तनों से उत्पन्न होता है।

ऋण रेटिंग और मूल्यांकन प्रक्रिया

बैंक प्रत्येक उधारकर्ता और पोर्टफोलियो स्तर पर जोखिम के निरन्तर प्रबोधन और उसके मापन से अपने ऋण जोखिम का प्रबंधन करता है। बैंक में मजबूत आंतरिक ऋण रेटिंग रूपरेखा और सुस्थापित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन / अनुमोदन प्रक्रिया है। ऋण रेटिंग एक उत्प्रेरक प्रक्रिया है जो बैंक को प्रस्ताव में निहित गुणों और अवगुणों का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। यह निर्णय लेने में सहायक साधन है जो किसी ऋण प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर विचार करने में बैंक की सहायता करती है। ऋण जोखिम प्रबंधन व्यवहार को मजबूत बनाने और इसके कवरेज को व्यापक बनाने की दृष्टि से बैंक ने वर्ष के दौरान भविष्य में शाखाओं के प्रयोग के लिए

Quantitative Disclosure

(Rs. In crores)

(b) Capital requirements for Credit Risk: Standardized Approach

Portfolios subject to Standardized Approach	5246.04
Securitization Exposures	0.00
Total	**5246.04**

(c) Capital requirements for Market Risk: Standardized Duration Approach

Interest Rate Risk	272.75
Foreign Exchange Risk (Including Gold)	175.55
Equity Risk	10.44
Total	**458.74**

(d) Capital requirements for Operational Risk: Basic Indicator Approach

Operational Risk	446.85

(e) Total Capital Ratio for the Bank

Total CRAR	11.62%
Total CRAR (subject to application of Prudential Floor)	11.13%
Tier 1 CRAR	7.31%

Table DF-4

CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES
Qualitative Disclosures:

(a) Credit Risk

Credit risk is the possibility of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties. In a Bank's Portfolio, Credit Risk arises mostly from lending activities of the Bank, as a borrower is unable to meet its financial obligations to the lender. It emanates from potential changes in the credit quality / worthiness of the borrowers or counterparties.

Credit rating & Appraisal Process

The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. The bank has robust internal credit rating framework and well-established standardized credit appraisal / approval processes. Credit Rating is a facilitating process that enables the bank to assess the inherent merits and demerits of a proposal. It is a decision-enabling tool that helps the bank to take a view on acceptability or otherwise of any credit proposal. In order to widen the scope and coverage further and strengthen the credit risk management practices, the bank has developed additional risk

आंतरिक अतिरिक्त जोखिम के प्रति संवेदनशील रेटिंग मॉडल तैयार किया है।

गुणात्मक और मात्रात्मक मामले, प्रबंधन जोखिम, व्यापार जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम और प्रायोजना जोखिम से संबंधित आंतरिक रेटिंग कारक हैं। इसके अलावा ये रेटिंग उधारकर्ता की समग्र रेटिंग का आकलन करते समय किसी विशिष्ट लेन-देन के लिए ऋण वृद्धि पर भी विचार करती है। उद्योग जोखिम पर आंकड़े बाज़ार की परिस्थितियों के आधार पर निरन्तर अद्यतन किए जाते हैं।

एक धारणा के रूप में ऋण रेटिंग बैंक के अन्दर अच्छी तरह अन्तर्निहित हो गया है। हर उधारकर्ता के लिए साल में एक बार रेटिंग का पुनरीक्षण किया जाता है। मजबूत ऋण जोखिम प्रबंधन व्यवहार के उपाय के रूप में बैंक ने ऋण रेटिंग प्रक्रिया की तीन टायर प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें ऋण विभागों से अलग रेटिंग का वैधीकरण शामिल है। बैंक के प्रधान कार्यालय के अधिकार के अन्दर आनेवाले प्रस्तावों के लिए रेटिंग का वैधीकरण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किया जाता है। बैंक उधार खातों पर ब्याज दरों का निर्णय करने के लिए ऋण रेटिंग का प्रयोग करते हैं। ऋण रेटिंग का लाभ यह है कि इससे विभिन्न प्रस्तावों का प्रवर्गीकरण और अर्थपूर्ण तुलना की जा सकती है।

बैंक ऋणों की मंजूरी के लिए एक सुस्पष्ट बहु स्तरीय विवेकाधिकार संरचना का अनुसरण करता है। नए / वृद्धि प्रस्तावों पर विचार करने के लिए अपवाद स्वरूप बड़ी शाखाओं / क्षेत्रीय कार्यालयों / केन्द्रीय कार्यालय में सभी स्तरों पर अनुमोदन ग्रिड गठित किया गया है। एक विशेष कट ऑफ के ऊपर नए ऋण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सिद्धान्ततः अनुमोदन के लिए केन्द्रीय कार्यालय स्तर पर अ.व.प्र.नि की अध्यक्षता में एक नया कारोबार समूह (एनबीजी) गठित किया गया है। बैंक ने नए उत्पादों के लिए जोखिम प्रबंधन रूपरेखा तैयार की है जो किसी नए उत्पाद को आरंभ करने के पहले उसमें जोखिम का आकलन करने के लिए न्यूनतम संसाधन / आकलन मानदण्ड निर्धारित करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियाँ

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुसंरचित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। इस नीति में संगठन की संरचना, भूमिका और उत्तरदायित्व और उन प्रक्रियाओं का उल्लेख है जहाँ बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले ऋण जोखिम को पहचाना जा सकता है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है और रूपरेखा के अंदर प्रबंधन किया जा सकता है जिसे बैंक अपने अधिदेश और जोखिम सहन करने की क्षमता के साथ निरन्तर जोखिम मानता है।

ऋण जोखिम का प्रबोधन बैंक द्वारा बैंक वार आधार पर किया जाता है और बोर्ड / आरएमसीबी द्वारा अनुमोदित जोखिम सीमा के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाता है। सीपीसी बैंक की जोखिम वहन क्षमता को हिसाब में लेता है और तदनुसार सुरक्षा, तरलता,

sensitive rating models in-house during the year for use at branches in future.

The internal rating factors quantitative and qualitative issues relating to management risk, business risk, industry risk, financial risk and project risk. Besides, such ratings consider transaction specific credit enhancement features while assessing the overall rating of a borrower. The data on industry risk is constantly updated based on market conditions.

Credit rating, as a concept, has been well internalised within the Bank. The rating for every borrower is reviewed at least once every year. As a measure of robust credit risk management practices, the bank has implemented a three tier system of credit rating process which includes validation of rating (third stage) independent of credit departments. In respect of proposals falling under the powers of bank's Head Office, the validation of ratings are done at Risk Management Department. The bank uses the credit ratings for deciding the interest rates on borrowal accounts. The advantage of credit rating is that it enables to rank different proposals and do meaningful comparison.

The bank follows a well-defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans. Approval Grid has been constituted at all levels covering Exceptionally Large branches / Regional Offices / Central Offices for considering fresh/ enhancement proposals. A structure namely New Business Group (NBG) headed by CMD has been constituted at Central Office level for considering in-principle approval for taking up fresh credit proposals above a specified cut-off. The bank has put in place a risk management framework for new products which lay down minimum processing / assessment norms to assess risk in a New Product prior to its introduction.

Credit Risk Management Policies

The bank has put in place a well-structured Credit Risk Management Policy duly approved by the Board. The Policy document defines organization structure, role and responsibilities and, the processes whereby the Credit Risks carried by the Bank can be identified, quantified and managed within framework that the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance.

Credit Risk is monitored by the bank on a bank wide basis and compliance with the risk limits approved by Board/RMCB is ensured. The CPC takes into account the risk tolerance level of the Bank and accordingly handles the issues relating to Safety, Liquidity, Prudential Norms, Exposure

विवेकपूर्ण मानदण्ड, एक्सपोज़र सीमाओं से संबंधित मामलों को संभालता है और इसके लिए पूर्व अनुभवों और चूक अनुभवों की तरह निष्पादन, वसूली अनुभवों आदि का तालमेल तथा नियामक और कानूनी मामलों को काम में लाता है। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया की गुणवत्ता का भी प्रबोधन किया जाता है और ऋण जोखिम के सभी पक्षों को संभालने के लिए आन्तरिक कौशल भी तैयार किया जाता है।

बैंक ने उत्कृष्ट ऋण जोखिम प्रबंधन व्यवहार के लिए उपाय किए हैं। ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अतिरिक्त बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति, निवेश नीति, प्रतिपक्षी जोखिम प्रबंधन नीति और देशीय जोखिम प्रबंधन नीति आदि तैयार की है जो बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन का अभिन्न अंश है। इसके अतिरिक्त बोर्ड के अनुमोदन से संपार्श्विक प्रबंधन और ऋण जोखिम कम करने की नीति भी कार्यान्वित की गई है जो बैंक द्वारा सामान्यत: स्वीकार की जाने वाली प्रतिभूतियों (प्रधान और संपार्श्विक) के विवरण और बैंक के हित की रक्षा के लिए ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित करती है। ये प्रतिभूतियां उन ऋण जोखिमों को कम करती हैं जो बैंक को वहन करना पड़ सकता है।

अनर्जक खातों का वर्गीकरण

बैंक निम्नानुसार अनर्जक आस्तियों के वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन करता है :

i. सावधि ऋण के संबंध में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय मूलधन की किस्तें या / और ब्याज

ii. खाता सही नहीं रहता यदि ओवरड्राफ़्ट / नकद उधार / (ओडी / सीसी) के संबंध में 90 दिनों से अधिक के लिए मंजूरित सीमा / डीपी के अतिरिक्त बकाया शेष लगातार रहता है।

iii. खरीदे और भुनाए गए बिलों के मामले में 90 दिनों से अधिक बिल बकाया रहते हैं

iv. अल्पावधि फसलों के लिए दो फसल मौसम के लिए ब्याज या मूलधन की किस्त बकाया रहती है

v. दीर्घावधि फसलों के लिए एक फसल मौसम के लिए बकाया ब्याज या मूलधन की किस्त बकाया रहती है।

जहां किसी तिमाही के दौरान प्रभारित ब्याज तिमाही के अन्त से 90 दिनों के अन्दर न चुकाया गया हो तो खाते को अनर्जक माना जाता है। अनर्जक आस्ति बैंक के लिए आय सृजित करना बंद कर देती है।

Limits by aligning the Past experience and performance like default experience, recovery experience etc and also take into account any regulatory and legal issues. The quality of internal control procedures is also monitored and internal expertise is built up to tackle all the facets of Credit Risk.

The Bank has taken earnest steps to put in place best credit risk management practices in the bank. In addition to Credit Risk Management Policy, the bank has also framed Board approved Loan Policy, Investment Policy, Counterparty Risk Management Policy and Country Risk Management Policy etc which forms integral part in monitoring of credit risk in the bank. Besides, the bank has implemented a policy on Collateral Management & Credit Risk Mitigation with the approval of the Board which lays down the details of securities (both prime and collateral) normally accepted by the bank and administration of such securities to protect the interest of the bank. These securities act as mitigation against the credit risk to which the bank is exposed.

Classification of Non Performing Accounts

The bank follows the prudential guidelines issued by the RBI on classification of non-performing assets as under.

(i) interest and/ or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan

(ii) the account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limits / DP for more than 90 days in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC)

(iii) the bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted

(iv) the instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crop

(v) the instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as non-performing. A non-performing asset ceases to generate income for the bank.

रु.करोड़ों में

मात्रात्मक प्रकटीकरण	हमारे बैंक पर लागू	
क. कुल सकल उधार जोखिम , निधि आधारित और गैर निधि आधारित पृथक-पृथक	निधि गैर निधि	61057.59 31366.29
ख. ऋण का भौगोलिक वितरण, निधि आधारित और गैर निधि आधारित पृथक-पृथक	निधि	गैर निधि
• विदेशी	57260.46	27688.94
• देशीय	3797.13	3677.35
ग. प्रकटीकरण के औद्योगिक प्रकार का वितरण, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित अलग-अलग	अनुबंध	
घ. आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन	अनुबंध	
ङ. एनपीए (सकल) की राशि		
• अवमानक	511.83	
• संदिग्ध (डी1,डी2,डी3)	454.19(209.37,	
• हानि	215.55, 2927)	
च. निवल एनपीए	30.93	
छ. एनपीए अनुपात	363.20	
• और सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	1.63 %	
• निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	0.60 %	
ज. एनपीए का गमनागमन (सकल)		
• प्रारंभिक शेष	1120.21	
• जोड़	665.00	
• घटाव	788.26	
• इति शेष	996.96	
झ. एनपीए के लिए प्रावधानों का गमनागमन		
• प्रारंभिक शेष	787.97	
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	125.44	
• बट्टे खाते में डाला गया	341.00	
• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन / स्थानान्तरण	2.47	
• इति शेष	569.94	
ञ. अनर्जक निवेशों की राशि	4.59	
त. अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	4.59	
थ. निवेशों पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान का उतार - चढ़ाव		
• प्रारंभिक शेष	158.19	
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	184.95	
• बट्टे खाते में डाला गया	0.00	
• आंतरिक प्रावधानों का प्रतिलेखन	28.73	
• इति शेष	314.41	

Rs. in Crores

Quantitative Disclosures	Applicability to our Bank	
a) Total gross credit risk exposures, Fund based and Non fund based separately	FB NFB	61057.59 31366.29
b) Geographic distribution of exposures, Fund based and Non fund based separately	FB	NFB
• Domestic	57260.46	27688.94
• Overseas	3797.13	3677.35
c) Industry type distribution of exposures, fund based and non fund based separately.	Annexed	
d) Residual contractual maturity breakdown of assets	Annexed	
e) Amount of NPAs (Gross)		
• Substandard	511.83	
• Doubtful (D1,D2,D3)	454.19(209.37,215.55,29.27)	
• Loss	30.93	
f) Net NPAs	363.20	
g) NPA Ratios		
• Gross NPAs to gross advances	1.63 %	
• Net NPAs to net advances	0.60 %	
h) Movement of NPAs (Gross)		
• Opening balance	1120.21	
• Additions	665.00	
• Reductions	788.26	
• Closing balance	996.95	
j. Movement of provisions for NPAs		
• Opening balance	787.97	
• Provisions made during the period	125.44	
• Write off	341.00	
• Write back of excess provisions / Transfers	2.47	
• Closing balance	569.94	
k. Amount of Non-Performing Investments	4.59	
l. Amount of provisions held for non-performing investments	4.59	
m. Movement of provisions for depreciation on investments		
• Opening Balance	158.19	
• Provisions made during the period	184.95	
• Write-off	0.00	
• Write-back of excess provisions	28.73	
• Closing Balance	314.41	

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन

(रु. करोड़ में)

दिन 1	2-7 दि	8-14 दि	15-28 दि	29दि -3 म	3-6 म	6म - 1 वर्ष	>1 से 3 वर्षों	> 3 से 5 वर्षों	>5 वर्षों
2292.56	4422.48	3875.14	1932.45	5532.17	5982.86	13338.74	44879.13	7248.87	46741.03

. देशीय परिचालन के लिए सकल आस्तियों की कवरेज

उद्योगवार ऋण जोखिम

(रु.करोड़ में)

उद्योग का नाम	बकाया
कोयला	40.91
खान	165.14
लौह और इस्पात	2669.16
अन्य धातु व धातु उत्पाद	594.16
सभी इन्जीनियरिंग	1508.93
उसमें से इलेक्ट्रानिक्स	281.13
इलेक्ट्रिसिटी	751.54
सूती वस्त्र उद्योग	1894.14
जूट वस्त्र उद्योग	51.90
अन्य वस्त्र उद्योग	751.20
चीनी	453.29
चाय	89.32
खाद्य प्रसंस्करण	391.38
वनस्पति तेल और वनस्पति	86.32
तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	234.93
कागज और कागज उत्पाद	600.13
रबड़ और रबड़ उत्पाद	381.38
रसायन, डाइ, पेन्टस आदि	1206.08
उनमें से उर्वरक	68.50
उनमें से पेट्रो रसायन	172.70
उनमें से औषधि और फार्मास्युटिकल	91.33
सीमेंट	418.93
चमड़ा और चमड़ा उद्योग	388.95
बहुमूल्य रत्न व आभूषण	642.32
निर्माण	1912.36
पेट्रोलियम	749.37
ऑटोमोबाइल जिसमें ट्रक भी शामिल है	1151.00
कम्प्यूटर सॉफ़्टवेयर	83.16
इन्फ्रास्ट्रक्चर	3942.40
उनमें से शक्ति	753.38
उनमें से तार संचार	98.68
उनमें से रोड और पोत	392.35
अन्य उद्योग	3484.32
एनबीएफसीएस और व्यापार	2299.16
शेष का अवशिष्ट अग्रिम सकल अग्रिम	32257.61
कुल	**61057.59**

Residual Contractual Maturity break down of assets

(Rs. In crores)

Day1	2-7 D	8-14 D	15-28D	29D-3M	3-6M	6M-1 Year	>1 to 3 Years	>3 to 5 years	>5 years
2292.56	4422.48	3875.14	1932.45	5532.17	5982.86	13338.74	44879.13	7248.87	46741.03

· Covers Gross Assets for domestic operations

INDUSTRY WISE EXPOSURES

(Rs. in Crores)

INDUSTRY NAME	Outstanding
Coal	40.91
Mining	165.14
Iron and Steel	2669.16
Other Metal and Metal Products	594.16
All Engineering	1508.93
Of which Electronics	281.13
Electricity	751.54
Cotton Textile	1894.14
Jute Textiles	51.90
Other Textiles	751.20
Sugar	453.29
Tea	89.32
Food Processing	391.38
Vegetable Oils and Vanaspati	86.32
Tobacco and Tobacco Products	234.93
Paper and Paper Products	600.13
Rubber and Rubber Products	381.38
Chemicals, Dyes, Paints, etc.	1206.08
Of which Fertilisers	68.50
Of which Petro-Chemicals	172.70
Of which Drugs and Pharmaceuticals	91.33
Cement	418.93
Leather and Leather Products	388.95
Gems and Jewellery	642.32
Construction	1912.36
Petroleum	749.37
Automobiles including trucks	1151.00
Computer Software	83.16
Infrastructure	3942.40
Of which Power	753.38
Of which Telecommunications	98.68
Of which Roads & Ports	392.35
Other Industries	3484.32
NBFCS & Trading	2299.16
Residual Advances to balance Gross Advances	32257.61
TOTAL	**61057.59**

तालिका डी एफ-5

उधार जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुरूप पोर्टफोलियो के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. सामान्य सिद्धान्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 31-03-2008 से उधार जोखिम के लिए पूंजी के अभिकलन के लिए नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपना लिया है। पूंजी के अभिकलन में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार जोखिम भारों को विभिन्न आस्ति प्रवर्गों में आबंटित कर दिया है।

बाहरी उधार रेटिंग

नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल II) के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों को देखते हुए बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों (ईसीआरए) द्वारा उधारकर्ताओं की रेटिंग का महत्व बढ़ गया है। बाहरी रेटिंग के आधार पर कार्पोरेट / पीसीई / प्राइमरी डीलरों को एक्सपोज़र को जोखिम भार आबंटित किया गया है। इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को चार देशीय ईसीआरए क. उधार विश्लेषण और शोध लि. (सीएआरई) ख. क्रिसिल लि. ग. फिच इंडिया लि. घ. आइसीआरए लि., की रेटिंग का प्रयोग करने की अनुमति दी है। उपर्युक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने इन सभी बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों द्वारा आबंटित रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय किया है।

बाहरी रेटिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने और ग्राहकों को अपने एक्सपोज़र के लिए सरलता से बाहरी रेटिंग प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से बैंक ने इन चारों उधार रेटिंग एजेन्सियों के साथ अलग समझौता ज्ञापन करने के लिए कार्रवाई की है। इस करार से बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों द्वारा बैंक के ग्राहकों की रेटिंग के लिए रियायती शुल्क प्रदान किया जाता है।

बहरहाल समझौता ज्ञापन में ऐसा कोई विशेषीकरण उपबंध नहीं है। उधारकर्ता अपने विचार से इन चारों एजेन्सियों में से किसी एक या अधिक से अपने एक्सपोज़र की रेटिंग के लिए कह सकते हैं। बैंक इनमें से किसी भी बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार के एक्सपोज़र के लिए आबंटित और उधारकर्ता द्वारा दी गई रेटिंग को स्वीकार करेगा और इसका प्रयोग करेगा। कम से कम पिछले 15 महीनों के दौरान दी गई नई या पुनरीक्षित रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूंजी के अभिकलन के लिए हिसाब में लिया जाएगा। जहां कहीं किसी उधारकर्ता को बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी से एक या अधिक रेटिंग मिली है, वहां पूंजी के अभिकलन के लिए जोखिम भार के आबंटन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना है।

किसी उधारकर्ता से जुड़ी हुई उधार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए बैंक में सुसंरचित आन्तरिक उधार रेटिंग प्रणाली है और तदनुसार प्रस्तावों की स्वीकार्यता, और एक्सपोज़र का स्तर तथा कीमत निर्धारण के संबंध में उधार निर्णय लेने के लिए भी प्रणाली

Table DF-5

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures:

(a) General Principle:

In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Standardized Approach of the New Capital Adequacy Framework (NCAF) for computation of capital for credit risk with effect from 31.03.2008. In computation of capital, the bank has assigned risk weights to different asset classes as prescribed by the RBI.

External Credit ratings:

Ratings of borrowers by External Credit Rating Agencies (ECRA) assumes importance in the light of guidelines for implementation of the New Capital Adequacy Framework (Basel-II). Exposures on Corporate / PSEs / Primary Dealers are assigned with risk weights based on the external ratings. For this purpose, the Reserve Bank of India has permitted Banks to use the ratings of the four domestic ECRAs namely (a) Credit Analysis and Research Ltd (CARE), (b) CRISIL Ltd, (c) FITCH India Ltd and (d) ICRA Ltd. In consideration of the above guidelines, the bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs.

In order to facilitating the process of external rating and enabling the customers to solicit external ratings for their exposures smoothly, the Bank has taken initiatives by entering into separate MOU with all these four Credit Rating Agencies. The agreement provides for extending concessional fees by the ECRAs for rating bank's Customers. The MOUs, however, do not have any exclusivity clause to deal with. Borrowers, at their option, can approach any one or more of the above ECRAs for rating their exposures. The bank shall use the ratings assigned for any type of exposures by any of these ECRAs as accepted and provided by the borrowers. External ratings assigned, fresh or reviewed, at least during the previous 15 months shall only be reckoned for capital computation by the bank. Wherever, a borrower possesses more than one rating from ECRAs, the guidelines prescribed by the RBI shall be followed as regards to assignment of risk weight for computation of capital.

The bank has well-structured internal credit rating mechanism to evaluate the credit risk associated with a borrower and accordingly the systems are in place for taking credit decisions as regards to acceptability of proposals, and level of exposures

है। बहरहाल, पूंजी अभिकलन के मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत जोखिम भार के अनुप्रयोग के लिए ऐसी रेटिंग को काम में नहीं लाया जा सकता।

तदनुसार बैंक ने, 31-03-2008 तक उधार जोखिम के लिए पूंजी का अभिकलन करते समय, बैंक की अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सियों द्वारा आबंटित उधारकर्ता की ऋण एक्सपोज़र रेटिंग को कार्पोरेट और पीएसई नाम के खण्डों के तहत लिया है।

कार्पोरेट / पीएसई के विशेष निर्गमों में बैंक के निवेश के मामले में अनुमोदित बाहरी उधार रेटिंग एजेन्सी की किसी निर्गम विशेष के लिए रेटिंग को हिसाब में लिया जाता है और तदनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में दी गई रेटिंग स्केल के समवर्ती वित्तीय स्थिति के बाद जोखिम भार का अनुप्रयोग किया जाता है। मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पूंजी के अभिकलन के अनुरूप बाहरी रेटिंग द्वारा एक्सपोज़र के कवरेज के संबंध में प्रक्रिया को उधारकर्ताओं के बीच प्रचलित किया जाना है ताकि अपने ग्राहकों की बेहतर रेटिंग के लिए उपलब्ध पूंजी राहत लाभ उठाया जा सके। इसमें समय लगेगा। साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बैंक को वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान रु.50 करोड़ (कार्पोरेट / पीएसई खण्ड में) से अधिक राशि में सभी नई मंजूरियों या नवीकरणों के संबंध में रेटिंग नहीं किए गए एक्सपोज़र के लिए उच्चतर जोखिम भार (150%) का अप्रयोग करने की जानकारी है और बैंक इसके लिए तैयार है। (1 अप्रैल 2009 से कट ऑफ रु.10 करोड़ हो जाएगा)।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

रु. करोडों में

वर्गीकरण	कम करने के पश्चात ऋण (इएएम)	बाहरी रेटिंग के तहत(इएएम)	रेटिंग नहीं
अग्रिम / निवेश			
100% से कम जोखिम भार	41243.14	4937.73	36305.41
100% जोखिम भार	39592.72	0.00	39592.72
100% जोखिम भार से अधिक	4333.54	0.00	4333.54
घटाए गए दावे	0.00	0.00	0.00
कुल	**35169.40**	**4937.73**	**80231.67**
अन्य आस्तियाँ			
100% से कम जोखिम भार	11836.98	0.00	11836.98
100% जोखिम भार	2042.96	0.00	2042.96
100% जोखिम भार से अधिक	0.00	0.00	0.00
घटाए गए दावे	0.00	0.00	0.00
कुल	**13879.95**	**0.00**	**13879.95**

and pricing. However, such ratings cannot be used for application of risk weight under Standardized Approach of capital computation. Accordingly, the bank has taken into consideration the borrower's loan exposure ratings assigned by bank's approved ECRAs, while computing capital for credit risk as on 31.03.2008 under segments namely Corporates and PSEs.

In case of bank's investment in particular issues of Corporate / PSEs, the issue specific rating of the approved ECRAs are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.

As regards the coverage of exposures by external ratings as relevant for capital computation under Standardised Approach, the process need to be popularized among the borrowers so as to take the benefit of capital relief available for better rating of its customers. This will take some time. At the same time, the bank is well aware and prepared for the application of higher risk weight (150%) for the unrated exposures relating to all fresh sanctions or renewals in excess of Rs.50 crores (in Corporate / PSE segments) during the FY 2008-09 (the cutoff will become Rs.10 crores with effect from April 1, 2009) as per the RBI guidelines.

Quantitative Disclosures

Rs. In Crores

Classification	Exposure after Mitigation (EAM)	EAM covered under External Rating	Unrated
ADVANCES/ INVESTMENT			
Below 100% risk weight	41243.14	4937.73	36305.41
At 100% risk weight	39592.72	0.00	39592.72
Above 100% risk weight	4333.54	0.00	4333.54
Deducted claims	0.00	0.00	0.00
Total	**85169.40**	**4937.73**	**80231.67**
OTHER ASSETS			
Below 100% risk weight	11836.98	0.00	11836.98
At 100% risk weight	2042.96	0.00	2042.96
Above 100% risk weight	0.00	0.00	0.00
Deducted claims	0.00	0.00	0.00
Total	**13879.95**	**0.00**	**13879.95**

तालिका डीएफ - 6

उधार जोखिम कम करना : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) <u>उधार जोखिम को कम करने पर नीति</u>

विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन तथा उधार जोखिम को कम करने के तकनीक पर बहुत ही स्पष्ट नीति बैंक द्वारा बनाई गई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। नीति में बैंक द्वारा ऋण देते समय सामान्यत: स्वीकार की गई प्रतिभूतियों के प्रकार तथा इसके साथ जुड़े हुए जोखिम को कम करने के बारे में उल्लेख है ताकि बैंक के हित की सुरक्षा / रक्षा हो तथा ऐसी प्रतिभूतियों का प्रशासन / प्रबोधन भी हो । बैंक द्वारा स्वीकार की गई प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक दोनों) के प्रमुख प्रकार में स्वर्ण / आभूषण, राष्ट्रीय बचत प्रमाण-प्रत्र, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, 10 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा प्रमाण-पत्र, शेयर व डिबेंचर, केंद्र तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ, जीवन बीमा पॉलिसियाँ, म्यूच्युअल फंड यूनिटें, अचल संपत्तियाँ, संयंत्र व मशीनरी, माल तथा वाणिज्य वस्तु, माल के हक-विलेख, बहीगत ऋण, वाहन तथा अन्य चल संपत्तियाँ शामिल हैं जिसमें बैंक की अपनी जमाएँ भी हैं । बैंक ने अचल संपत्तियों और संयंत्र तथा मशीनरियों के मूल्यांकन पर सुस्पष्ट नीति बनाई है जो बैंक के मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित है ।

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करना

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सूचितानुसार बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत उधार जोखिम कम करने के लिए व्यापक उपाय अपनाया है, जो उधार जोखिमों के प्रति प्रतिभूतियों (मूल तथा संपार्श्विक) को संपूर्ण रूप से ऑफसेट करने के लिए अनुमति देता है जिससे प्रतिभूतियों पर आरोपित मूल्य द्वारा जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से घटाया जा सकता है। अत: पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों का उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में उधार जोखिम को कम करने के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करते समय बैंक ने विशिष्ट प्रतिभूतियों को मान्यता दी है जैसे क) बैंक जमाएँ ख) स्वर्ण / आभूषण ग) जीवन बीमा पॉलिसी घ) किसान विकास पत्र (2 1/2 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद) ङ) सरकारी प्रतिभूतियाँ च) म्यूच्यूअल फंड की यूनिटें जो भारतीय रिज़र्व बैंक की दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

अलावा इसके उधार जोखिम को कम करने के अन्य अनुमोदित रूप "ऑन बेलेंस शीट नेटिंग" और "पात्र गारंटियाँ" की उपलब्धता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के मुताबिक उधारकर्ता के ऋणों / अग्रिमों के प्रति (जोखिम की विस्तार तक) ऑन बेलेंस शीट नेटिंग को उपलब्ध जमाराशियों के मुताबिक गिना जाएगा । आगे उधार जोखिम पूँजी के परिकलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप जोखिम कम करने के लिए मान्य गारंटियों

Table DF-6

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures:

Policy on Credit Risk Mitigation:

In line with the regulatory requirements, the Bank has put in place a well-articulated Policy on Collateral Management and Credit Risk Mitigation Techniques, duly approved by the bank's Board. The policy lays down the types of securities normally accepted by the Bank for lending, and administration / monitoring of such securities in order to safeguard / protect the interest of the bank so as to minimize the risk associated with it.

The main types of securities (both prime and collateral) accepted by the Bank includes Bank's own deposits, Gold/Ornaments, National Savings Certificate, Indira Vikas Patras, Kisan Vikas Patras, 10 year Social Security Certificates, Shares and debentures, Central and State Govt. securities, Life Insurance Policies, Mutual Fund units, Immovable Properties, Plant and Machinery, Goods and Merchandise, Documents of Title to Goods, Book debts, Vehicles and other moveable assets. The bank has also framed a well-defined policy on valuation of immovable properties and Plant & Machineries, duly approved by the Board.

<u>Credit Risk Mitigation under Standardized Approach</u>:

As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardized Approach, which allows fuller offset of securities (prime and collateral) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals are fully made use of to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital. In doing so, the bank has recognized specific securities namely (a) bank deposits (b) Gold/Ornaments (c) Life Insurance Policies (d) Kisan Vikas Patras (after a lock-in-period of 2 ½ years) (e) Government Securities (f) Units of Mutual Funds, in line with the RBI guidelines on the matter.

Besides, other approved forms of credit risk mitigation are "On Balance Sheet netting" and availability of "Eligible Guarantees". On balance sheet nettings has been reckoned to the extent of the deposits available against the loans / advances of the borrower (to the extent of exposure) as per the RBI guidelines. Further, in computation of credit risk capital, the types of guarantees recognized for

के प्रकार इस प्रकार हैं - क) केंद्र सरकार की गारंटी (0%) ख) राज्य सरकार (20%) ग) सीजीटीएसआइ (0%) घ) इसीजीसी (20%) ङ) साख पत्र के अधीन खरीदे / बट्टे खाते में डाले गए बिलों के रूप में बैंक गारंटी (20% या विदेशी बैंकों की रेटिंग के मुताबिक) च) कारपोरेट गारंटी (एए - या उससे बेहत्तर) (बाहरी रेटिंग के अनुसार) । बैंक ने उधार जोखिम को कम करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विधिक निश्चितता के अनुपालन को सुनिश्चित किया है।

उधार जोखिम को कम करने में संकेद्रण जोखिम

उधार जोखिम को कम करने के लिए पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ आसानी से उगाही लायक वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं । वर्तमान में बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त उधार जोखिम कम करने के माध्यमों में जोखिम संकेंद्रीकरण के निवारण के लिए कोई सीमा / उच्चतम सीमा नहीं है।

<u>गुणात्मक प्रकटीकरण</u> : (डीएफ 6)

(रु. करोड़ों में)

काट-छाँट के बाद उपलब्ध कुल पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति	**8418.76**

तालिका डीएफ 7

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क)	निम्नलिखित चर्चा को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण (पैराग्राफ 10.13)	31.03-2008 को समाप्त वर्ष के लिए कोइ प्रतिभूतिकरण नहीं किया गया है।
•	प्रतिभूतिकरण कार्य के संबंध में बैंक का उद्देश्य, इन कार्यों से पूर्वताप्राप्त प्रतिभूतिकृत जोखिमों से उधार जोखिमों को बैंक से अन्य इकाइयों को अंतरित कर देता है।	
•	प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक की भूमिका और प्रत्येक कार्य में बैंक के संबंध के बारे में सूचना और	
•	अपने प्रतिभूतिकरण के कार्य के लिए बैंक क्या विनियामक पूँजी को अपनाता है	
ख)	निम्नलिखित को शामिल करते हुए प्रतिभूतिकरण कार्यों के लिए बैंक द्वारा अपनायी गई लेखांकन नीतियों का सार	

taking mitigation, in line with RBI guidelines are (a) Central Government Guarantee (0%) (b) State Government (20%) (c) CGTSI (0%) (d) ECGC (20%) (e) Bank guarantee in form of bills purchased / discounted under Letter of credit (20% or as per rating of foreign banks) (f) Corporate Guarantee (AA- or better) (as per external rating). The Bank has ensured compliance of legal certainty as prescribed by the RBI in the matter of credit risk mitigation.

Concentration Risk in Credit Risk Mitigation:

All types of securities eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, presently no limit/ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

<u>Quantitative Disclosures</u>: (DF6)

(Rs. In crores)

Total Eligible Financial Collateral after application of haircuts	**8418.76**

Table DF 7

Securitisation: disclosure for standardised approach

Qualitative Disclosures

a)	The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation, including a discussion of:	No securitisation for the year ending 31.03.2008
•	The bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities.	
•	The roles played by the bank in securitisation process and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them, and	
•	The regulatory capital approach that the bank follows for its securitisation activities.	
b)	Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including	

- बिक्री पर लाभ की मान्यता और
- रखी गई हितों के मूल्यांकन के लिए प्रमुख अवधारणाएँ, जिसमें अंतिम रिपोर्टिंग अवधि के बाद प्रमुख परिवर्तन कोई हो तथा उसके प्रभाव को उसे शामिल करते हुए

ग) प्रतिभूतिकरण के लिए उपयोग की गई इसीएआइ के नाम और प्रतिभूतिकरण जोखिमों के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक ऐजेंसी का प्रयोग किया गया है ।

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण

घ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत कुल बकाया जोखिम और जोखिम के प्रकार के जरिए प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन जो लाया गया हो — शून्य

ङ) बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत जोखिम और प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क के अधीन लाया गया जोखिम

- विनष्ट / पुराने देय आस्तियों की प्रतिभूतिकृत रकम और
- चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त हानि जिसे जोखिम के प्रकार द्वारा काट दिया गया हो

च) रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकृत जोखिमों की औसत रकम जिसे जोखिम के प्रकार द्वारा काट दिया गया हो

छ) रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकृत जोखिमों की औसत रकम जिसे जोखिम धारित बैंड की अर्थपूर्ण संख्या में काट दिया गया हो । टायर-I पूँजी से पूरी तरह से घटा दिए गए जोखिमों, कुल पूँजी से घटा दिए गए उधार बढ़ाने वाले आइ/ ओ और कुल पूँजी से घटाए गए अन्य जोखिमों को अलग से पूर्वताप्राप्त जोखिमों के प्रकार द्वारा अलग से प्रकट करना चाहिए ।

- Recognition of gain on sale, and
- Key assumption for valuing retained interests, including any significant changes since the last reporting period and the impact of such changes.

c) Names of ECAIs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.

Quantitative Disclosures

d) the total outstanding exposures securitised by the bank and subject to securitisation framework by exposure type. — NIL

e) For exposures securitised by the Bank and subject to the securitisation frame work.

- Amount of impaired/past due assets securitised; and
- Losses recognised by the Bank during the current period broken down by exposure type

f) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type

g) Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased broken down into a meaningful number of risk weight bands. Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from Total Capital, and other exposures deducted from total capital should be disclosed separately by type of underlying exposure type.

ज) तुलन पत्र के लेखों पर टिप्पणियों के एक भाग के रूप में दो वर्षों के लिए तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करने वाले प्रतिभूतिकरण का सार

- प्रतिभूतिकृत ऋण आस्तियों की कुल संख्या और बही मूल्य - पूर्वताप्राप्त आस्तियों के प्रकार द्वारा
- प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त ब्रिकी रकम और प्रतिभूतिकरण के कारण हुई हानि / लाभ : और
- उधार संवर्धन, तरलता समर्थन, प्रतिभूतिकरण पश्चात अस्ति सेवाएँ आदि के द्वारा दी गई सेवाओं का रूप तथा प्रमात्रा (बकाया मूल्य)

h) Summary of securitisation activity presenting a comparative position for two years, as a part of the Notes on Accounts to the balance sheet

- Total number and book value of loan assets securitised – by type of underlying assets
- Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation; and
- Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of credit enhancement, liquidity support, post securitisation asset servicing, etc

तालिका डीएफ - 8

बाजार जोखिम ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम से संबंधित प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह होता है जिससे बैंक को ब्याज दरें, विदेशी मुद्रा विनिमय दरें, ईक्विटी कीमतें तथा पण्य कीमतें जैसे बाजार वेरियबिल्स द्वारा उत्पन्न परिवर्तन / गति के कारण ऑन-बैलेंस शीट तथा ऑफ बैलेंस शीट स्थिति में हानि होने की संभावना है। बाजार जोखिम से बैंक का जोखिम ट्रेडिंग बुक (एएफएस तथा हेचएफटी वर्गों दोनों) में देशी निवेशों (ब्याज संबंधित लिखतों तथा ईक्विटियों), विदेशी विनिमय स्थितियों (बहुमूल्य धातुओं में खुली स्थिति को शामिल करते हुए) तथा ट्रेडिंग से संबंधित डिरेवेटिब्स से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अर्जन पर हानि के प्रभाव और ईक्विटी पूँजी से उत्पन्न बाजार जोखिम को कम करना है ।

<u>बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियाँ</u>

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) को लागू किया है ताकि बैंक में बाजार जोखिम का प्रभावपूर्ण प्रबंधन किया जा सके। बाजार जोखिम प्रबंधन को संभालने की अन्य नीतियाँ निवेश नीति, फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति और डिरैवेटिव नीति हैं । बाजार जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार जोखिम प्रबंधन कार्यों और प्रक्रियाओं के लिए सुस्पष्ट संगठनात्मक रूपरेखा निर्धारित करती है जिससे बैंक द्वारा उठाए गए बाजार जोखिम एएलएम फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंक की जोखिम छूट के अनुरूप पहचाने, मापे, प्रबोधित किए तथा

Table DF-8

MARKET RISK ; DISCLOSURES RELATING TO MARKET RISK IN TRADING BOOK

<u>Qualitative Disclosures</u>:

(a) <u>Market Risk</u>:

Market Risk is defined as the possibility of loss to a bank in on-balance sheet and off-balance sheet positions caused by changes / movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from domestic investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories), the Foreign exchange positions (including open position in precious metals) and trading related derivatives. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity capital arising from market risk.

<u>Policies for management of Market Risk</u>:

The bank has put in place Board approved Market Risk Management Policy and Asset liability Management (ALM) policy for effective management of market risk in the bank. Other policies, which also deal with market risk management, are Investment Policy, Forex Risk Management Policy and Derivative Policy. The Market Risk Management policy lays down well defined organization structure for market risk management functions and processes whereby the market risks carried by the Bank are identified, measured, monitored and controlled within the

नियंत्रित किए जाते हैं। इस नीति में विभिन्न जोखिम सीमाएँ गठित हैं जिससे बाजार जोखिम का प्रभावी प्रबंधन होता है और यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उचित आस्ति देयता प्रबंधन के जरिए बाजार जोखिम से प्राप्य लाभ बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं या नहीं। नीति में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबोधन के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को भी संभाला गया है।

एएलएम नीति में विशेष रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन तथा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवक्र का उल्लेख है। नीति द्वारा उल्लिखितानुसार तरलता जोखिम का प्रबंधन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार डॉटा कवरेज की उत्तम उपलब्धता के आधार पर दैनिक रूप से आस्ति और देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता / प्रवृत्तिजन्य पद्धति को आधार बनाकर जीएपी विश्लेषण के जरिए किया जाता है । बैंक ने अल्पावधि गतिशील तरलता प्रबंधन तथा आकस्मिक निधि योजना के उपाय बनाये हैं। प्रभावकारी आस्ति देयता प्रबंधन के लिए विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता को संभालने के लिए विवेकपूर्ण (छूट) सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। बैंक की तरलता प्रोफाइल को विभिन्न तरलता अनुपातों के जरिए मूल्यांकित किए जाते हैं। बैंक ने विभिन्न आकस्मिक उपायों को गठित किया है ताकि तरलता स्थिति में किसी प्रकार के तनाव को संभाला जा सके। बैंक देशी ट्रेज़री द्वारा निधि के व्यवस्थित तथा स्थिर नियोजन के जरिए रियल टाइम आधार पर पर्याप्त तरलता का प्रबंधन सुनिश्चित करता है।

ब्याज दर जोखिम को संवेदनशील आस्तियों और देयताओं को जीएपी विशलेषण के प्रयोग से प्रबंधित और निर्धारित विवेकपूर्ण (छूट) सीमाओं के जरिए प्रबोधित किया जाता है। ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक ने ड्यूरेशन गैप एनालिसेस फ्रेमवर्क भी बनाया है। शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम बनाने की दृष्टि से निवल ब्याज मार्जिन (एनआइआइ) और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवई) पर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए ब्याज दर में प्रतिकूल गति (नीति में निर्धारितानुसार) के प्रति बैंक जोखिम पर अर्जन (ईएआर) तथा ड्यूरेशन गैप (डीजीएपी) आशोधन को निर्धारित करता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ऑलको) / बोर्ड, बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को प्रबोधित करता है और एएलएम नीति में स्पष्ट किए अनुसार बाजार स्थिति (वर्तमान तथा प्रत्याशित) के अनुरूप रणनीति निर्धारित करता है। ट्रेज़री विभाग में कार्यरत मध्य कार्यालय समूह भी विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन को निरंतर आधार पर प्रबोधित करता है।

<u>प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण</u>

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप पूँजी के अनुरक्षण के लिए बेसल ।। फ्रेमवर्क के मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) के अनुसार बाजार जोखिम के लिए बैंक ने पूँजी परिकलित की है। 31.03.2008 तक बैंक के ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षाएँ इस प्रकार हैं :

ALM framework, consistent with the Bank's risk tolerance. The policy sets various risk limits for effective management of market risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policy also deals with the reporting framework for effective monitoring of market risk.

The ALM Policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, Liquidity risk is managed through the GAP analysis, based on residual maturity / behavioral pattern of assets and liabilities, on a daily basis based on best available data coverage, as prescribed by the RBI. The bank has put in place mechanism of short-term dynamic liquidity management and contingent funding plan. Prudential (tolerance) limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient asset liability management. Liquidity profile of the bank is evaluated through various liquidity ratios. The bank has also drawn various contingent measures to deal with any kind of stress on liquidity position. Bank ensures adequate liquidity managed on a real time basis by Domestic Treasury through systematic and stable funds planning.

Interest rate risk is managed through use of GAP Analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits prescribed. The bank has also put in place Duration Gap Analysis framework for management of interest rate risk. The bank estimates Earnings at Risk (EaR) and Modified Duration Gap (DGAP) periodically against adverse movement in interest rate (as prescribed in the Policy) for assessing the impact on Net Interest Income (NII) and Economic value of Equity (EVE) with a view to optimize shareholder value.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence of prudential limits fixed by the bank and determines the strategy in light of the market condition (current and expected) as articulated in the ALM Policy. The Middle Office group at the Treasury also monitors adherence of prudential limits on a continuous basis.

<u>Quantitative Disclosures</u>:

(b) In line with the RBI's guidelines, the Bank has computed capital for market risk as per Standardized Duration Approach (SDA) of Basel II framework for maintaining capital. The capital requirement for market risk as on 31.03.2008 in trading book of the bank is as under.

(रु.करोड़ों में)

बाजार जोखिम का प्रकार	जोखिम भारित आस्ति (कल्पित)	पूँजी आवश्यकता
ब्याज दर जोखिम	3030.56	272.75
ईक्विटी स्थिति जोखिम	1950.56	175.55
विदेशी विनिमय जोखिम	115.99	10.44
कुल	5097.11	458.74

तालिका डीएफ - 9

परिचालनात्मक प्रकटीकरण : सामान्य प्रकटीकरण
गुणात्मक प्रकटीकरण

क) परिचालनात्मक जोखिम

परिचालनात्मक जोखिम का तात्पर्य अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रकियाओं, लोगों तथा प्रणालियों या बाहरी घटनाओं के फलस्वरूप होने वाली हानि का जोखिम है। परिचालनात्मक जोखिम में विधिक जोखिम शामिल है मगर रणनीति या प्रतिष्ठा से संबंधित जोखिम शामिल नहीं है।

परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन पर नीतियाँ

बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति का गठन किया है जो बैंक के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई अन्य नीतियाँ जो परिचालनात्मक जोखिम को संभालती हैं इस प्रकार हैं : (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा नीति (ख) फोरेक्स जोखिम प्रबंधन नीति (ग) अपने ग्राहक को जानें पर नीतिगत दस्तावेज और धन शोधन निवारक (एएमएल) कार्यविधियाँ (घ) अविराम आइटी कारोबार तथा विपदा पुन:प्राप्ति योजना (आइटी बीसी-डीआरपी) ।

बैंक द्वारा अपनाई गई परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन नीति में परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना तथा विस्तृत प्रकियाओं की रूपरेखा वर्णित है। नीति का मूल उद्देश्य बैंक के दैनंदिन जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में भूमिकाओं के स्पष्ट नियतन के जरिए परिचालनात्मक जोखिम को प्रभावी ढंग से पहचानने, निर्धारित करने, प्रबोधित करने तथा नियंत्रित/ कम करने और भौतिक परिचालनात्मक हानियों सहित परिचालनात्मक ऋण जोखिमों की समय पर रिपोर्टिंग के द्वारा परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक में परिचालनात्मक जोखिमों को व्यापक तथा सुदृढ व सुस्पष्ट आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क के द्वारा संभाला जाता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देशों के अनुरूप हमारे बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी के परिकलन हेतु बेसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण को अपनाया है। दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित सकारात्मक वार्षिक सकल आय के 15% के पिछले तीन वर्षों के औसत के समान है। इस प्रकार के प्राक्कलन के अनुसार दिनांक 31.03.2008 तक परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूँजी आवश्यकता रु.446.85 करोड़ है।

(Rs. In crores)

Type of Market Risk	Risk Weighted Asset (Notional)	Capital requirement
Interest Rate Risk	3030.56	272.75
Equity Position Risk	1950.56	175.55
Foreign Exchange Risk	115.99	10.44
TOTAL	**5097.11**	**458.74**

Table DF-9

OPERATIONAL RISK: GENERAL DISCLOSURES

Qualitative disclosures:

(a) Operational Risk:

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks.

Policies on management of Operational Risk:

The bank has framed Operational Risk Management Policy duly approved by the Board. Other policies adopted by the Board which deal with management of operational risk are (a) Information Systems Security Policy, (b) Forex Risk Management Policy (c) Policy document on Know Your Customers (KYC) and Anti Money Laundering (AML) Procedures (d) IT Business Continuity and Disaster Recovery Plan (IT BC-DRP).

The Operational Risk Management Policy adopted by the Bank outlines organization structure and detail processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling/ mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures, including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well-articulated internal control frameworks.

Quanitative disclosures:

(b) In line with the final guidelines issued by RBI, our Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital for operational risk. As per the guidelines, the capital for operational risk is equal to the average over the previous three years of 15% of positive annual Gross Income as defined by RBI. As per such estimate, the capital requirement for operational risk as on 31.03.2008 is Rs. 446.85 Crores.

तालिका डीएफ - 10

बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आइआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम होता है जहाँ बाजार ब्याज दर में परिवर्तन बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ब्याज दर में परिवर्तन चालू अर्जन (अर्जन परिप्रेक्ष्य) तथा बैंक के नेटवर्थ (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) दोनों को प्रभावित करता है। अर्जन परिप्रेक्ष्य के जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआइआइ) या निवल ब्याज मार्जिन (एनआइएम) पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार मापा जा सकता है। इसी प्रकार परिप्रेक्ष्य आर्थिक मूल्य के जोखिम को ईक्विटी के आर्थिक मूल्य में होने वाले घटाव से मापा जा सकता है।

बैंकिंग बुक में अल्पावधि (आर्थिक परिप्रेक्ष्य) तथा दीर्घावधि (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) परिप्रेक्ष्य से ऑन बैलेंस शीट तथा ऑफ बैंलेंस शीट जोखिमों पर परिवर्तनशील ब्याज दरों के साथ जुड़े जोखिमों को बैंक पहचानता है। आय पर प्रभाव को बैंक की एएलएम नीति में निर्धारितानुसार 100 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके जीएपी विशलेषण के प्रयोग से मापा जाता है। ऐसे प्रभावों के लिए बैंक के एनआइआइ के प्रतिशत के अनुसार विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की गई हैं और उसका प्रबोधन पाक्षिक आधार पर आवधिक रूप में किया जाता है। अर्जन पर प्रभाव के परिकलन के लिए, दर संवेदनशील विवरण से पारंपरिक जीएपी को लिया जाता है और विशेष समयावधि के बीच के पाइंट से बची हुई अवधि के आधार पर 100 बीपीएस तक ब्याज दर में परिवर्तन के प्रभाव को परिकलित किया जाता है। इसी को ऑलको तथा बोर्ड को आवधिक तौर पर दर संवेदनशील विवरण सहित यानी प्रत्येक रिर्पोटिंग शुक्रवार को रिपोर्ट किया जाता है। सीमाएँ पिछले वर्ष के एनआइआइ के आधार पर नियत किया जाता है।

बैंक ने ईक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) पर प्रभाव (प्रतिशतता के रूप में) के निर्धारण के लिए 200 बीपीएस पर कल्पित दर प्रघात को लागू करके पारंपरिक जीएपी विशलेषण को अंतराल जीएपी विशलेषण के साथ मिलाकर अपनाया है। इस प्रयोजन के लिए बैंक की एएलएम नीति में तुलन पत्र पर आशोधित अंतराल जीएपी के लिए (+/-) 1.00% की सीमा निर्धारित है और इसकी स्थिति को मासिक आधार पर आवधिक रूप से प्रबोधित किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ड्राफ्ट दिशानिर्देशों के अनुसार (डीबीओडी सं बीपी. 7/21.04.098/ 2005-06 दिनांकित 17 अप्रैल 2006) बैंक आशोधित अंतराल जीएपी (डीजीएपी) और ईक्विटी पर आर्थिक मूल्य (इवीइ) के प्रभाव का परिकलन करता है । आस्तियाँ, निवेशों और देयताओं को छोडकर दर संवेदनशील विवरण के अनुसार समूहबद्ध हैं और इन आस्ति व देयता समूहों के लिए सामान्य परिपक्वता, कूपन व यील्ड मानदण्डों का प्रयोग करके समयवार (बकेट) आशोधित अंतराल का परिकलन किया जाता है। निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रत्येक मद के आशोधित अंतराल को परिकलित करके लिया जाता है। बैंक में डीजीएपी को

Table DF-10

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures:

(a) Interest Rate Risk in the Banking Book:

Interest rate risk is the risk where changes in the market interest rates might affect a bank's financial condition. Changes in interest rates affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact in the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin (NIM). Similarly, the risk from economic value perspective can be measured as drop in the Economic value of Equity (EVE).

The bank identifies the risks associated with the changing interest rates on its on-balance sheet and off-balance sheet exposures in the banking book from a short term (Earning perspective) and long term (Economic value perspective). The impact on income (Earning perspective) is measured through use of Gap Analysis by applying notional rate shock up to 100 bps as prescribed in bank's ALM policy. Prudential limits have been prescribed for such impacts as a percentage to NII of the bank and the same is monitored periodically on a fortnight basis. For the calculation of impact on earnings, the Traditional Gap is taken from the Rate Sensitivity statement and based on the remaining period from the mid point of a particular bucket the impact for change in interest rates up to 100 bps is arrived at. The same is reported to ALCO and Board periodically along with the Rate Sensitivity statement i.e. at every Reporting Friday. The limits are fixed based on the previous year's NII.

The bank has adopted Traditional Gap Analysis combined with Duration Gap Analysis for assessing the impact (as a percentage) on the Economic Value of Equity (Economic Value perspective) by applying a notional interest rate shock of 200 bps. For this purpose, a limit of (+/-) 1.00% for the Modified Duration Gap on the balance sheet is prescribed in bank's ALM Policy and the position is monitored periodically on a monthly basis. As per the Draft Guidelines issued by the RBI (DBOD. No. BP. 7/ 21.04.098/2005-06 dt April 17, 2006), Bank calculates Modified Duration Gap (DGAP) & the impact on the Economic Value of equity (EVE). Assets, excluding Investments and Liabilities are grouped as per Rate Sensitivity statement & bucket wise Modified Duration is computed for these groups of Assets and Liabilities using common maturity, coupon and yield parameters. For Investment portfolio, the Modified Duration of

महीने में एक बार (अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार आँकडों के आधार पर) परिकलित किया जाता है और ऑलको तथा बोर्ड को रिपोर्ट किया जाता है।

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (ऑलको) / बोर्ड बैंक द्वारा नियत विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन को प्रबोधित करता है और बाजार स्थिति (चालू तथा प्रत्याशित) की दृष्टि में रणनीति निर्धारित करता है।

प्रमात्रात्मक **प्रकटीकरण**

ख) निवल ब्याज आय (एन आइ आइ) और ईक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव के परिवर्तन को दिनांक 31.03.2008 तक उपर्युक्त चर्चा के अनुसार कल्पित ब्याज दर प्रघातों को लागू करके नीचे दिया जा रहा है :

(रु. करोड़ों में)

ब्याज दर में परिवर्तन	इएआर के लिए एएलएम नीति	जोखिम पर अर्जन 28/03/2008 1 वर्ष तक	5 वर्ष तक
0.25% परिवर्तन	123.63 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 5%)	12.39	16.33
0.50% परिवर्तन	247.27 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 10%)	24.78	32.66
0.75% परिवर्तन	370.91 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 15%)	37.17	48.99
1.00% परिवर्तन	370.91 (पिछले वर्ष के एन आइ आइ का 15%)	49.56	65.32

ईक्विटी का आर्थिक मूल्य	**28/03/2008**
आशोधित अवधि जीएपी (डीजीएपी)	0.7556%
एएलएम नीति के अनुसार सीमा	(+/-)1%
इक्विटी की आशोधित-अवधि (एमडीइ)	8.03%
200 बीपीएस दर प्रघात के लिए ईक्तिवटी में घटाव	16.06%

individual items are computed and taken. The DGAP is calculated by the Bank once in a month (Based on Last Reporting Friday data) and is reported to ALCO and Board.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors adherence of prudential limits fixed by the bank and determines the strategy in light of the market condition (current and expected).

Quantitative disclosures:

(b) The impact of changes on Net Interest Income (NII) and Economic Value of Equity (EVE) calculated as on 31.03.2008 by applying notional interest rate shocks as discussed above are as under.

(Rs in crores)

Change in Interest Rate	ALM Policy Limit for EaR	Earning at Risk (EaR) 28/03/2008 Up to 1 Year	Up to 5 years
0.25% change	123.63 (5% of NII of previous year)	12.39	16.33
0.50% change	247.27 (10% of NII of previous year)	24.78	32.66
0.75% change	370.91 (15% of NII of previous year)	37.17	48.99
1.00% change	370.91 (15% of NII of previous year)	49.56	65.32

ECONOMIC VALUE OF EQUITY	**28/3/2008**
MODIFIED DURATION GAP (DGAP)	0.7556%
LIMIT AS PER ALM POLICY	(+ / -) 1%
MODIFIED DURATION OF EQUITY (MDE)	8.03%
FOR A 200 BPS RATE SHOCK THE DROP IN EQUITY VALUE	16.06%

नकद प्रवाह विवरण

31-03-2008 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

रु. 000 में

	31.3.2008 को समाप्त वर्ष		31.3.2007 को समाप्त वर्ष	
I. परिचालनगत गति-विधियाँ				
आय				
अर्जित ब्याज	79 68 25 17		58 32 07 35	
अन्य आय	8 11 07 52	87 79 32 69	3 84 65 86	62 16 73 21
व्यय व प्रावधान				
प्रदत्त ब्याज	50 38 30 12		30 45 73 14	
परिचालनगत व्यय व प्रावधान	14 10 19 68	64 48 49 80	13 26 69 24	43 72 42 38
परिचालनगत देयताओं और आस्तियों में परिवर्तनों के प्रभाव के पहले परिचालनगत गति-विधियों पर नकद की निवल वृद्धि				
परिचालनों से सर्जित नकदी लाभ		**23 30 82 89**		**18 44 3083**
II. परिचालनगत देयताओं और आस्तियों से नकदी बहाव				
परिचालनगत देयताओं पर निवल वृद्धि / ह्रास				
i) ग्राहकों से निक्षेप	155 85 16 79		182 11 09 99	
ii) बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से उधार	34 57 41 88		21 59 60 01	
iii) अन्य परिचालनगत देयताएं और प्रावधान	(-)10 94 27 14		68 80 50	
		179 48 31 53		**204 39 50 50**
परिचालनगत आस्तियों पर निवल वृद्धि/ह्रास				
(i) विनिधान	45 00 23 48		50 22 18 93	
(ii) ग्राहकों को अग्रिम	133 63 55 80		123 04 08 41	
(iii) अन्य आस्तियाँ	3 29 17 92	181 92 97 20	2 47 76 31	175 74 03 65
परिचालनगत आस्तियों से परिचालनगत देयताओं में निवल वृद्धि		(-)2 44 65 67		28 65 46 85
परिचालनगत गति-विधियों से नकद प्रवाह (अ)		**20 86 17 22**		**47 09 77 68**
(i) अचल आस्तियों की बिक्री / निपटान	6 49 16		56 93 61	
(ii) अचल आस्तियों की खरीद	1 31 93 75		1 72 85 51	
विनिधान संबंधी गति-विधियों से निवल नकद प्रवाह (आ)		**(-)1 25 44 59**		**(-)1 15 91 90**
वित्तपोषण संबंधी गति-विधियों से नकद प्रवाह				
अंतर्वाह				
(i) टायर I / टायर II बाँडों से धनागम			13 23 00 00	
बहिर्वाह				
(i) टायर II बाँडों से शोधन	1 57 00 00		2 57 74 00	
(ii) टायर ।। पूँजी पर प्रदत्त ब्याज	2 50 49 11		2 25 54 23	
(iii) प्रस्तावित लाभांश	1 91 21 66		1 61 51 41	
		5 98 70 77		644 79 64
वित्तपोषण संबंधी गति-विधियों से निवल नकद प्रवाह (इ)			**(-)5 98 70 77**	**678 20 36**

वर्ष के दौरान कुल नकद प्रवाह (अ+आ+इ)		**13 62 01 86**		**52 72 06 14**
वर्ष के आरम्भ में शेष				
भा.रि.बैंक के साथ नकदी व शेष	46 86 10 79		30 77 95 84	
बैंकों के साथ शेष तथा माँग द्रव्य	42 93 19 47	89 79 30 26	6 29 28 28	37 07 24 12
वर्ष के अंत में शेष				
भा.रि.बैंक के साथ नकदी व शेष	91 24 23 28		46 86 10 79	
बैंकों के साथ शेष तथा माँग द्रव्य	12 17 08 84	103 41 32 12	42 93 19 47	89 79 30 26
वर्ष के दौरान कुल नकद प्रवाह		**13 62 01 86**		**52 72 06 14**

यह विवरणी प्रत्यक्ष पद्धति के अनुरूप तैयार की गई है।

वी. कृष्णसामी
महा प्रबंधक

एस.ए.भट
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

लेखा-परीक्षक का प्रमाण-पत्र

हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता-गण, इण्डियन ओवरसीज़ बेंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों ने 31.03.2008 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के उक्त नकदी-प्रवाह विवरण की जाँच की है। यह विवरण स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध खण्ड 32 की अपेक्षाओं के अनुरूप व बैंक के संबंधित तुलन-पत्र और लाभ व हानि खाते जो कि भारत के राष्ट्रपति को उसी तिथि पर दी गयी हमारे रिपोर्ट द्वारा आवरित है, के अनुसार व उस पर आधारित है।

एस के सिंघानिया ऐण्ड कं.

एसआरआरके शर्मा एसोसिएट्स

आर एस सिपय्या ऐण्ड कं.

वैदीश्वरन ऐण्ड कं.

महराज एनआर सुरेश ऐण्ड कं.

ओम अग्रवाल ऐण्ड कं.

स्थान : चेन्नै
दिनांक 28.04.2008

Cash Flow Statement

Statement of Cash Flow for the year ended 31.03.2008

(Rs. in '000s)

		Year ended 31.03.2008		Year ended 31.03.2007	
I)	**Operating Activities**				
	Income				
	Interest Earned	79 68 25 17		58 32 07 35	
	Other Income	8 11 07 52	87 79 32 69	3 84 65 86	62 16 73 21
	Expenditure & Provisions				
	Interest Paid	50 38 30 12		30 45 73 14	
	Operating Expenses & Provisions	14 10 19 68	64 48 49 80	13 26 69 24	43 72 42 38
	Net Increase of cash on operating activities prior to the effect of changes in Operating Liabilities & Assets		23 30 82 89		18 44 30 83
	Cash Profit generated from Operations		**23 30 82 89**		**18 44 30 83**
II)	**Cash Flow from Operating Liabilities & Assets**				
	Net Increase / Decrease in Operating Liabilities				
	i) Deposits from Customers	155 85 16 79		182 11 09 99	
	ii) Borrowings From Banks & Financial Institutions	34 57 41 88		21 59 60 01	
	iii) Other Operating Liabilities & Provisions	(-) 10 94 27 14		68 80 50	
			179 48 31 53		**204 39 50 50**
III)	**Net increase / decrease in Operating Assets**				
	i) Investments	45 00 23 48		50 22 18 93	
	ii) Advances to customers	133 63 55 80		123 04 08 41	
	iii) Other Assets	3 29 17 92	181 92 97 20	2 47 76 31	175 74 03 65
	Net Increase in Operating Liabilities over Operating Assets		(-) 2 44 65 67		28 65 46 85
	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)		**20 86 17 22**		**47 09 77 68**
IV)	**Cash Flow from Investing Activities**				
	i) Sale / disposal of Fixed Assets	6 49 16		56 93 61	
	ii) Purchase of Fixed Assets	1 31 93 75		1 72 85 51	
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)		**(-) 1 25 44 59**		**(-) 1 15 91 90**
V)	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**				
	Inflow				
	i) Proceeds of Tier I & Tier II Bonds			13 23 00 00	
	Outflow				
	i) Redemption of Tier II Bonds	1 57 00 00		2 57 74 00	
	ii) Interest Paid on Tier II capital	2 50 49 11		2 25 54 23	
	iii) Proposed Dividend	1 91 21 66		1 61 51 41	
			5 98 70 77		6 44 79 64
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)		**(-) 5 98 70 77**		**6 78 20 36**

(Rs. in '000s)

		Year ended 31.03.2008		Year ended 31.03.2007
TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR				
(A) +(B) + (C)		**13 62 01 86**		**52 72 06 14**
Balances at the Beginning of the year				
Cash & Balances with RBI	46 86 10 79		30 77 95 84	
Balances with Banks & Money at Call	42 93 19 47	**89 79 30 26**	6 29 28 28	**37 07 24 12**
Balances at the end of the year				
Cash & Balances with RBI	91 24 23 28		46 86 10 79	
Balances with Banks & Money at Call	12 17 08 84	**103 41 32 12**	42 93 19 47	**89 79 30 26**
TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR		**13 62 01 86**		**52 72 06 14**

This Statement has been prepared in accordance with Direct Method.

V. Krishnaswamy
General Manager

S.A.Bhat
Chairman & Managing Director

AUDITORS' CERTIFICATE

We , the undersigned Statutory Central Auditors of Indian Overseas Bank have verified the above Cash Flow Statement of the Bank for the year ended 31.03.2008 . The Statement has been prepared in accordance with the requirement of Clause 32 , of the Listing agreement with the Stock Exchange and is based on and in agreement with the corresponding Profit and Loss Account and the Balance Sheet of the Bank, covered by our report of even date to The President of India .

S.K. Singhania & Co

SRRK Sharma Associates

R.S. Sipayya & Co

Vaithisvaran & Co

Maharaj N.R. Suresh & Co

Om Agarwal & Co

Place : Chennai
Date : 28.04.2008

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत के राष्ट्रपति को

1. हम ने इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के 31 मार्च 2008 तक के संलग्न तुलन-पत्र, उसके अनुबंध में दिए गए 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि खाते और नक़दी प्रवाह विवरण की लेखा-परीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाओं और 38 क्षेत्रीय कार्यालयों की विवरणियाँ और अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 6 विदेशी शाखाओं सहित 1522 शाखाओं की विवरणियाँ शामिल हैं। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ज़ारी दिशानिर्देशों के अनुरूप ही किया है। तुलन पत्र और लाभ व हानि खाते में अ-लेखा परीक्षित 341 शाखाओं / केन्द्रों से प्राप्त विवरण सम्मिलित है । इन अ-लेखा परीक्षित शाखाओं द्वारा अग्रिम के 1.27% , जमाओं के 5.08%, ब्याज आय के 0.38% और ब्याज व्यय के 2.41% का अंशदान है । इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन पर है। अपने लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय देना ही हमारी जिम्मेदारी है।

2. हमने अपना लेखा परीक्षा कार्य भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना इस प्रकार बनायें और निष्पादित करें कि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जायें कि वित्तीय विवरणों में विषय-वस्तु संबंधी कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में दिखाई गई राशियों और प्रकट की गई बातों के समर्थन में दिये गये साक्ष्य की परीक्षण के तौर पर जांच की जाती है। लेखा परीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धान्तों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा प्रस्तुत किये गये समग्र वित्तीय विवरण का मूल्यांकन भी किया जाता है । हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए उचित आधार है।

3. तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची के फार्म 'ए' और फार्म 'बी' में तैयार किए गए हैं।

4. निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है:

   i). इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखाकरण मानदण्ड - 9 के साथ राजस्व के अभिज्ञान के संबंध में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं.2.2, 2.5 एवं 2.7 (अनुसूची -17) मेल नहीं खाते हैं।

AUDITORS' REPORT

To
The President of India

1. We have audited the attached Balance Sheet of Indian Overseas Bank as at 31st March 2008, the Profit and Loss Account and Cash Flows Statement of the Bank for the year ended 31st March 2008 and annexed thereto in which are incorporated the returns of 20 branches and 38 Regional Offices audited by us and 1522 branches including 6 Overseas Branches audited by other auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and Profit & Loss Account, the returns from 341 branches / centres which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 1.27% of advances, 5.08% of deposits, 0.38% of interest income and 2.41 % of interest expenses. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis-statements. An audit includes examination on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statements presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

4. Reference is invited to:-

   i) Significant Accounting Policy No.2.2, 2.5 & 2.7 (Schedule – 17) regarding revenue recognition which are not in conformity with Accounting Standard – 9 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

ii). लम्बित दावों की वसूली और/अथवा गारंटी संस्थाओं में दावे अभी प्रस्तुत किए जाने के संबंध में लेखों पर नोट्स (अनुसूची - 18) की नोट संख्या 3 (क)।

लेखों पर नोट्स (अनुसूची -18) में लाभ व हानि खाता, तुलन पत्र, पूँजी पर्याप्तता अनुपात और कारोबार अनुपातों पर ऊपर उल्लिखित मदों के प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार अग्रिमों के गैर-वर्गीकरण के बारे में लेखों पर नोट्स (अनुसूची 18) के नोट सं.3 (ई) की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

5. पुन: संरचित खातों, कारोबार अनुपात, आस्तियों व देयताओं के परिपक्वता पैटर्न और संवेदनशील क्षेत्रों को उधार के संबन्ध में लेखों पर नोट्स (अनुसूची 18) के नोट सं- 4.2, 5, 6 और 7 में दिए गए अतिरिक्त प्रकटन, बैंक द्वारा प्रमाणित सूचना/रिकॉर्ड पर आधारित हैं और उन पर हम ने विश्वास किया है।

6. ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित लेखा-परीक्षा की सीमाओं और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 के अनुसार और इसमें आवश्यक प्रकटन की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए और ऊपर पैरा 4 एवं 5 में हमारे अभिमतों को ध्यान में रखते हुए हम निम्न प्रकार से रिपोर्ट करते हैं कि

क) हमारी राय और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप अनुरक्षित बैंक की लेखा बहियों में दर्शाये गये अनुसार

i) यह तुलन-पत्र पूर्ण एवं सही है। तुलन-पत्र में आवश्यक जानकारियाँ शामिल हैं तथा इस प्रकार उचित रूप से तैयार किया गया है कि उसमें बैंक के 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार उसके कामकाज का सही और वास्तविक चित्र प्रदर्शित होता है ।

ii) लाभ व हानि खाता 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है और

iii) नकदी प्रवाह विवरणी, 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सही एवं उचित चित्र दर्शाता है।

ii) Note No. 3(a) to Notes on Accounts (Schedule – 18) regarding recoverability of claims pending and / or yet to be lodged with Guarantee Institutions.

The impact of the items stated herein above on the Profit & Loss Account, Balance Sheet and Capital Adequacy Ratio and business ratios as stated in Notes on Accounts (Schedule-18) is not ascertainable. Reference is also invited to Note No.3(e) to Notes on Accounts (Schedule 18) regarding non – classification of advance as per prudential norms of RBI.

5. The additional disclosures made in Note No. 4.2, 5, 6 and 7 to the Notes on Accounts (Schedule 18) with regard to information in respect of Restructured Accounts, Business Ratios, Maturity Pattern of Assets and Liabilities and Exposure to Sensitive Sectors, respectively are based on the records/ information as certified by the Bank and relied upon by us.

6. Subject to the limitation of the audit indicated in Paragraph 1 above, and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and subject to the limitation of disclosure required therein and also subject to our observations in Paragraph 4 & 5 above, we report as under:

a) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank maintained in accordance with generally accepted Accounting Principles in India.

i) The Balance Sheet is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars, and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31st March 2008 and

ii) The Profit and Loss Account shows a true balance of Profit for the year ended 31st March 2008.

iii) The Cash Flows Statement gives a true and fair view of the cash flow for the year ended 31st March 2008.

ख) हमने अपनी अधिकतम जानकारियाँ और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा हेतु सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं और उन्हें संतोषजनक पाया है ।

ग) बैंक के जो लेनदेन हमारी जानकारी में आये हैं , वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं।

घ) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पायी गयी हैं।

कृते एस के सिंघानिया ऐण्ड कं.	कृते एस.आर.आर.के. शर्मा एसोसिएट्स	कृते आर.एस. सिपय्या ऐण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण	सनदी लेखाकारगण	सनदी लेखाकारगण
(राजेश सिंघानिया)	(एस.आर.आर.के. शर्मा)	(आर.एस. सिपय्या)
साझेदार	साझेदार	साझेदार
स.सं.52722	स.सं.18088	स.सं.17762
कृते वैदीश्वरन ऐण्ड कं.	कृते महाराज एन. आर सुरेश ऐण्ड कं.	कृते ओम अग्रवाल ऐण्ड कं.
सनदी लेखाकारगण	सनदी लेखाकारगण	सनदी लेखाकारगण
(आर. वेंकटेश)	(एन.आर. सुरेश)	(ओ.पी.अग्रवाल)
साझेदार	साझेदार	साझेदार
स.सं.203816	स.सं.21661	स.सं.016603

स्थान : चेन्नै
दिनांक: 28.04.2008

b) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found the same to be satisfactory.

c) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

d) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

For S.K. Singhania & Co	For SRRK. Sharma Associates	For R.S. Sipayya & Co
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(RAJESH SINGHANIA)	(SRRK. SHARMA)	(R.S. SIPAYYA)
Partner	Partner	Partner
M.No. 52722	M. No. 18088	M. No.17762
For Vaithisvaran & Co	For Maharaj N.R. Suresh & Co	For Om Agarwal & Co
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(R. VENKATESH)	(N.R. SURESH)	(O.P. AGARWAL)
Partner	Partner	Partner
M.No.203816	M.No. 21661	M.No.016603

Place: Chennai
Date: 28.04.2008

इण्डियन ओवरसीज बैंक
केंद्रीय कार्यालय,763,अण्णा सालै,चेन्नै- 600 002

Indian Overseas Bank
Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

पंजीकृत फोलियो सं. (यदि बेकागजीकृत न हो)
डीपीआइडी सं: सीएलआइडी सं.:

फार्म 'बी'

प्रॉक्सी फॉर्म

(विनियम 70 का उप-विनियमन (iii)) देखें)
(शेयरधारक द्वारा भरे व हस्ताक्षरित किए जाने के लिए)

मैं/हम, निवासी .... जिला .... राज्य .... इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री/श्रीमती .... निवासी .... जिला .... राज्य .... को, अथवा इनके न होने पर, श्री/श्रीमती .... निवासी .... जिला .... राज्य .... को, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की शनिवार दिनांक 14 जून 2008 को नारद गान सभा, (सदगुरु ज्ञानानन्दा हाल) 314, टीटीके रोड, चेन्नै - 600 018 में होने वाली 8वीं वार्षिक सामान्य बैठक और इससे संबंधित कोई अन्य स्थगन हो तो उसमें मुझे/हमारे लिए और मेरी / हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी (एवज़ी) के रूप में नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं ।

आज वर्ष 2008 के .... माह के .... दिन हस्ताक्षरित

पन्द्रह पैसे का राजस्व टिकट चिपकाएँ

....
प्रॉक्सी के हस्ताक्षर
नाम ....
पता ....
....

प्रथम नामित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

उपस्थिति पर्ची व प्रवेश पास

(कृपया इस उपस्थिति पर्ची को भरकर बैठक के प्रवेश द्वार पर सौप दें)

शेयरधारक का नाम व पता ....
....
....

धारित शेयरों की संख्या :
(यदि बेकागज़ीकृत नहीं है तो)

पंजीकृत फोलियों सं ....

डी पी आइडी सं ....
(यदि बेकागज़ीकृत है तो)

ग्राहक आइ डी सं : ....

मैं 14 जून 2008 को सुबह 11.00 बजे, नारद गान सभा, (सदगुरु ज्ञानानन्द हाल) 314, टीटीके रोड, चेन्नै - 600 018 में आयोजित बैंक की 8वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ ।

शेयरधारक / प्रॉक्सी धारक / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

FORM 'B'

FORM OF PROXY

See Sub-Regulation (iii) of regulation 70)

(TO BE FILLED IN AND SIGNED BY THE SHAREHOLDER)

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
D P Id No. Cl. Id No.	

I/We .... resident of .... in the district of .... in the state ...., being a shareholder / shareholders of Indian Overseas Bank, hereby appoint Shri/Smt .... resident of .... in the district of .... in the state of .... as my/our proxy to vote for me/us and on my / our behalf at the 8th Annual General Meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank to be held on Saturday, 14th June 2008 at Narada Gana Sabha, (Sathguru Gnanananda Hall) 314 TTk Road, Chennai - 600 018 and at any adjournment thereof.

Signed this .... day of .... 2008.

....

(Signature of the Proxy)

Name ....

Address ....

....

....

Please affix 15 paise Revenue Stamp

Signature of the first named/sole holder

ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS

(Please fill this attendance slip and hand it over at the entrance of the meeting hall)

Name and address of the shareholder ....

....

No of shares held : .... Regd Folio No : ....

If not dematerialised)

DP ID No: .... Client Id No: ....

(If dematerialised)

I hereby record my presence at the 8th Annual General Meeting of the Bank held on 14th June 2008 at 11.00 A.M. at Narada Gana Sabha, (Sathguru Gnanananda Hall) 314, TTK Road, Chennai - 600 018

....

(Signature of the shareholder / proxy holder / representative)

इण्डियन ओवरसीज बैंक

केंद्रीय कार्यालय,763,अण्णा सालै,चेन्नै- 600 002

Indian Overseas Bank

Central Office : 763, Anna Salai, Chennai - 600 002

शेयरधारकों को अनुदेश : अति आवश्यक व तत्काल

1. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) और वित्तीय संस्थाएँ विधि(संशोधन) अधिनियम 2006 जो 16 10 2006 से प्रभावी है, ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1970 में निम्नलिखितानुसार एक नई धारा 10(बी) जोड दी है :

   - **यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति से 7 दिनों के अंदर लाभांश का नकदीकरण / दावा नहीं किया है तो बैंक के चालू खाते में जमा रही उस रकम को अलग से ''वर्ष --------के लिए आइओबी का अदत्त लाभांश खाता'' शीर्षक रूपी एक अलग खाते में अंतरित किया जाना चाहिए**
   - **अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गयी कोई भी रकम अंतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि के लिए अदत्त या अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 (1) (सी) के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आइइपीएफ)को अंतरित किया जाना है ।**

   अत: वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 के लिए लाभांश, वित्तीय वर्ष 2003-04, 2004-05 के लिए अंतरिम/अंतिम लाभांश और वर्ष 2005-06 और 2006-07 के लिए लाभांश नहीं मिला है / जिन्होंने लाभांश का नकदीकरण नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे अपने दावे, फोलियों संख्या (ओं) जैसे ब्योरों सहित निवेशक संबंध कक्ष, इण्डियन ओवरसीज बैंक, केंद्रीय कार्यालय,अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 को भेज दें ।

2. पब्लिक इश्यू 2000 और पब्लिक इश्यू 2003 के वापसी आदेश प्राप्त न होने संबंधी मामलों के बारे में भी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने दावे, यदि कोई हो, तो आवेदन संख्या सहित निवेशक संबंध कक्ष, इण्डियन ओवरसीज बैंक, केंद्रीय कार्यालय,अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 को भेज दें।

3. **डीपी के जरिए इलेक्ट्रानिक रूप में शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों द्वारा पते, बैंक खाते में परिवर्तन जैसे अधिदेशित विवरणों में परिवर्तन के लिए संबंधित डी पी को संपर्क किया जाना चाहिए न कि रजिस्ट्रार से।** कृपया नोट करें कि रजिस्ट्रार, डी पी द्वारा 06.05.2008 तक उन्हें दिए हुए विवरण के आधार पर लाभांश अधिपत्र (या यदि शेयरधारक ने ईसीएस जमा का विकल्प दिया हो तो उस अधिदेशित खाते में जमा) भेजेगा ।

4. फोलियो का समेकन : यह पाया गया कि कई शेयरधारकों द्वारा एक से अधिक अर्थात बहुसंख्या में फोलियो रखे हैं। शेयरधारकों को उत्तम सेवा प्रदान करने हेतु हम शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं कि वे फोलियो के समेकन हेतु अपने शेयर प्रमाण-पत्रों को रजिस्ट्रार को एवं शेयर अंतरण एजेण्टस को उनके रिकार्ड में आवश्यक सुधार हेतु भेज दें ।

Instructions to Shareholders : Most Urgent and Immediate

1. The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, which has come into force on 16.10.2006 has inserted a new section 10(B) in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 which provides as under:

   - **Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed/ claimed the dividend, such amounts lying in the bank Dividend current account, shall be transferred to a separate account styled “Unpaid Dividend Account of IOB for the year ....”**
   - **Any money transferred to the Unpaid Dividend account which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under Section 205 (1) (C) of the Companies Act, 1956.**

   Hence the Shareholders who have not received / encashed the dividend for financial years 2000-01, 2001-02, 2002-03, Interim/Final Dividend 2003-04, Interim / Final Dividend 2004-05, 2005-06 and for the year 2006-07 are requested to send their claim along with details of Folio No (s) to Investor Relations Cell, Indian Overseas Bank, Central Office, 763 Anna Salai, Chennai - 600 002.

2. Shareholders are also requested to send their claims, if any incase of non receipt of refund orders in respect of our Public issue 2000 and Follow on Public issue 2003 along with Application Number to Investor Relations Cell, Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai - 600 002.

3. **The Shareholders, who are holding shares in electronic form through a DP, have to approach only the DP concerned and not to the Registrar for any change in the mandated particulars like change of address, Bank Account.** Please note that the Registrar would send the dividend warrant (or credit to the mandated account in the case of shareholders who have opted for ECS credit) based on the particulars furnished by DP to the Registrar as on 06.05.2008.

4. Consolidation of Folios : It has been found that many shareholders maintain more than one folio (ie.) multiple folios. In order to provide efficient service to shareholders, we request the shareholders to consolidate the folios by forwarding their share certificates to our Registrar and Share Transfer Agent for necessary corrections in their records.